अष्टम माला, खंड 52, अंक 11

Wednesday, 9th August, 1989

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 52 में अंक 11 से 22 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[मूल्य : चार रुपये]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 9 अगस्त, 1989/ 18 श्रावण, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
62	नीचे से 17	उत्तर के आरंभ में "(क)" और "(ख)" पढ़िये ।
62	नीचे से 12	पंक्ति के आरंभ में "(ग)" पढ़िये ।
78	16	शार्षक में "एक्यपंक्चर" के स्थान पर "एक्यूपंक्चर" पढ़िये ।
110	12	उत्तर के आरंभ में "(क)" से "(ग)" पढ़िये ।
116	नीचे से 12	पंक्ति के आरंभ में "(ग)" पढ़िये ।
127	7	उत्तर के आरंभ में "(क)" पढ़िये ।

विषय–सूची

अष्टम माला, खंड 52, चौदहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अंक 17, बुधवार, 9 अगस्त, 1989/18 श्रावण, 1911 (शक)

विषय			पृष्ठ
स्वतंत्रता आन्दोलन के शहीदों तथा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हताहत हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि			1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	...	...	2—23
*तारांकित प्रश्न संख्या: 323 से 325 और 329 से 332			
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	....	....	23—156
तारांकित प्रश्न संख्या: 326 से 328 और 333 से 342	....	....	23—31
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3133 से 3161, 3163 से 3168 और 3170 से 3291	....	....	31-147
सभा पटल पर रखे गए पत्र	....	....	157—163
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति			163
68वां प्रतिवेदन			
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	...	...	164
60वां और 64वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश			
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) विधेयक	....	...	164
पुरःस्थापित			

किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले .... 165—168

(एक) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट एक औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग

श्री उमाकांत मिश्र ... 165

(दो) उड़ीसा खनिज विकास कम्पनी लिमिटेड, ठकुरानी की राष्ट्रीयकरण किए जाने की मांग

श्री हरिहर सीरन ... . 165—166

(तीन) मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाना स्थापित किए जाने की मांग

श्री कालीचरण सकरगयेन 166

(चार) खेतड़ी तांबा परियोजना का माल लाने ले जाने के लिए डाबरा और सिंघाना के बीच चलने वाली मालगाड़ी में कुछ सवारी डिब्बे जोड़े जाने की मांग

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) .... 166—167

(पांच) उड़ीसा में पारादीप और गोपालपुर में पोत विघटन प्रांगण (शिप ब्रेकिंग यार्ड्स) स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री लक्ष्मण मलिक ... 167

(छः) दिल्ली परिवहन निगम के बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल किए जाने की मांग

श्री हरीश रावत 167

(सात) विदर्भ क्षेत्र में कतिपय रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

श्री केशवराव पारधी ... ... 167—168

संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक .... 168—228

और 229—270

संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डॉ० फूलरेणु गुहा .... 168—170

श्री सोमनाथ रथ .... 170—171

	पृष्ठ
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	171—173
श्री के० मोहनदास	173—174
श्री उमाकांत मिश्र	175—177
चौधरी राम प्रकाश	177—179
श्री गोपेश्वर	179
कुमारी ममता बनर्जी	179—182
श्री सैयद शाहबुद्दीन	182—186
श्रीमती जयन्ती पटनायक	186—189
श्री विजय एन० पाटिल	189—191
प्रो० सैफुद्दीन सोज	191—195
डा० पी० बन्सल पेरुमन	195—197
श्री के० पी० सिंह देव	197—199
श्री मोहम्मद अयूब खां (उधमपुर)	199—204
प्रो० पी० जे० कुरियन	205—208
श्रीमती प्रभावती गुप्त	208—211
श्री जनार्दन पुजारी	211—219
श्रीमती ऊषा ठक्कर	219—221
श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद	221—222
श्री माणिकराव होडल्या गावित	223—224
श्री पी० के० थुंगन	224—225
श्री प्रताप भानु शर्मा	225—226
श्री आर० एस० माने	227 228
डा० गौरी शंकर राजहंस	229—230
श्री शरद दिघे	230—235
श्री एन० टोम्बी सिंह	235—237
श्री राम सिंह यादव	237—240
श्री गोपेश्वर प्रसाद योगेश	240—241
श्री शांताराम नायक	242—243
श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुन्नू)	244—246
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	246—248
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	248—250
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	250—252
श्री एस० बलरामन	252—254
श्रीमती ऊषा रानी तोमर	254—255
श्री अतीश चन्द्र सिन्हा	255—258
प्रो० नारायण चन्द पराशर	258—260
श्री वी० कृष्ण राव	260—261

पृष्ठ

श्री एस० बी० सिदनाल .... 262—264

श्री राम श्रेष्ठ खिरहर .... 264—265

श्री भरत सिंह .... 265—267

प्रो० मिजिल्लग कामसन .... 267—270

बोडो आन्दोलन के बारे में वक्तव्य 228

श्री संतोष मोहन देव

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि किये जाने और उनके लिए अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान किये जाने के बारे में वक्तव्य ... 243- 244

श्री राजीव गांधी

कार्य मंत्रणा समिति

74वां प्रतिवेदन 270

लोक सभा

बुधवार, 9 अगस्त, 1989/18 श्रावण, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

स्वतन्त्रता आन्दोलन के शहीदों तथा हीरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराये जाने से हताहत हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज के ऐतिहासिक दिन हमें 47 वर्ष पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता के लिए शुरू की गयी अन्तिम लड़ाई-भारत छोड़ो आंदोलन की याद आती है।

आज के पवित्र दिन हम उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने मातृ-भूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हम उन आदर्शों के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं जिनके लिए उन्होंने यह महान बलिदान दिया।

आज हमें उस भयंकर विनाश की भी याद आती है जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त, 1945 को अणु बम के गिराये जाने के कारण हुआ था। जापानी लोगों की उस अवर्णनीय दुर्दशा की याद आज भी हमारे मन में ताजा है और हमें इस

सत्य की याद दिलाती है कि यदि कोई परमाणु युद्ध होता है तो न तो कोई विजेता रहेगा और न हारने वाला। इसलिए हम अपनी यह मांग पुनः दोहराते हैं कि परमाणु शक्ति की इस दौड़ को पूरी तरह समाप्त किया जाये तथा परमाणु शस्त्रों के भण्डार को नष्ट किया जाये, ताकि मानव जाति को आने वाले विनाश से बचाया जा सके।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के शहीदों तथा परमाणु विनाश के शिकार लोगों की याद में अब यह सभा थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिंदी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस का विषय है कि आज के इस पवित्र दिन विपक्ष के लोग भारत विरोध दिवस इत्यादि के नाम से इस दिवस को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे प्रयास की निन्दा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह हमारा काम नहीं है।

[अनुवाद]

यह प्रश्न काल है

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण की व्यवस्था

*323. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड ने कपास तथा अन्य कच्चा माल खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लगभग 50 करोड़ रुपये का और ऋण लेने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली अपनी रुई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रुई की बल्क खरीद हेतु अतिरिक्त स्रोत बनाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से बातचीत कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय कपड़ा निगम भारी घाटे पर चल रहा है। यह आंकड़े बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए जनवरी से जून 1987 तक

140.39 करोड़ रुपए का घाटा हुआ; जनवरी से जून 1988 तक 142.17 करोड़ रुपए का घाटा हुआ जनवरी, से जून, 1989 तक 118.31 करोड़ रुपया का घाटा हुआ। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा उठाए जाने वाले भारी घाटे को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बैंकों से कुल कितना ऋण लिया गया है। उपरोक्त घाटों तथा भारतीय स्टेट बैंक के साथ चल रही बातचीत को ध्यान में रखते हुए—मैं समझता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक से 50 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया—राष्ट्रीय कपड़ा निगम इस सदस्य को किस प्रकार लौटाने का विचार रखता है जिस पर कुछ ब्याज भी लगेगा ?

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल के अत्यन्त जानकार व्यक्ति है जिन्हें वस्त्र उद्योग की काफी जानकारी है। जहां तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम के घाटों का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहती हूं कि यह आंकड़े हाल ही में हमने ही दिए हैं और माननीय सदस्य बड़ी अच्छी तरह से जानते है कि घाटों का प्रमुख कारण, पुरानी मशीनें, अधिक श्रमिक, वेतन वृद्धि, बिजली की कटौती बिजली, कोयला, रंगों रसायनों तथा भण्डार और फालतू पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि, फालतू पुर्जे; रूई के मूल्यों का प्रभाव तथा बाजार मन्दी आदि है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के घाटे का यह प्रमुख कारण है। जहां तक ऋण का सम्बन्ध है हम भारतीय स्टेट बैंक से अभी बातचीत कर रहे हैं। किन्तु मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि हमने हाल ही में मारुति उद्योग से 40 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। जैसा कि मैंने बताया है कि मारुति उद्योग से जो भी ऋण लिया गया है वह अस्थाई आधार पर है और यह फरवरी, 1989 के अन्तिम सप्ताह में लिया गया था। ब्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक है। हम औरों से भी जो ऋण लेते हैं, इसी दर पर ब्याज देते हैं।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : महोदय, माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के घाटे के कई कारण बताए हैं। मैं इन कारणों में एक कारण और जोड़ना चाहता हूं और वह है राष्ट्रीय कपड़ा निगम में व्याप्त कुप्रबन्ध। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम में व्याप्त कुप्रबन्ध और अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अब आधुनिकीकरण के 32 प्रस्ताव दिए हैं। माननीय मन्त्री महोदय पहले ही इस बात से सहमत हैं कि आधुनिकीकरण के बिना राष्ट्रीय कपड़ा निगम को लाभ कमाने वाली कम्पनी नहीं बनाया जा सकता और इन 32 प्रस्तावों पर 193.40 करोड़ रुपए का व्यय होगा और मेरे विचार से सरकार ने इस में से 46 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मैं यह भी जानता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई आधुनिकीकरण की बहुत सी योजनाएं या तो कार्यान्वित नहीं हो पाई या धन के अभाव में उनका विचार त्याग दिया गया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कई बार 193 करोड़ रुपए की भारी मांग के मुकाबले आधुनिकीकरण के लिए मन्त्रालय द्वारा मंजूर की गई थोड़ी बहुत राशि भी विभिन्न कठिनाइयों के कारण इस्तेमाल नहीं हो पाती। जहां तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम के भारी घाटों को पूरा करने का सम्बन्ध है यह छोटी-मोटी रकमें किसी काम की नहीं है। इसलिए, अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मन्त्रालय की व्यापक योजना क्या है। यदि वर्ष दर वर्ष भारी घाटा उठा रहा है। यदि आप राष्ट्रीयकरण की तारीख या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के जन्म की तारीख से देखें तो घाटों को पूरा करने में ही करोड़ों रुपए लग चुके हैं। इन घाटों को पूर्णत: समाप्त करने के लिए मन्त्रालय की व्यापक योजना क्या है ?

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के बारे में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने संसाधनों की कमी को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चुनींदा आधुनिकीकरण दृष्टिकोण अपनाया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आधुनिकीकरण के लिए जितना भी धन मिले वह पर्याप्त नहीं है मैं उनसे सहमत हूं। इन तमाम रुकावटों के बावजूद राष्ट्रीय कपड़ा निगम 12 मिलों के लिए 45.9 करोड़ रुपए प्राप्त करने में सफल हुआ है और शेष 22 मिलों के सम्बन्ध में 147.52 करोड़ रुपए का परिव्यय वित्तीय सस्थानों के विचाराधीन है।

श्री कादम्बुर जनार्दनन : महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में घाटे के कई कारण बताए हैं। रुई खरीद प्रबन्ध भी घाटे में योगदान दे रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से स्पष्ट रूप यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 1980 से राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कुल घाटे में 85 प्रतिशत घाटा 56 विशेष मिलों के कारण होता है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन 56 मिलों को बिल्कुल बन्द करने के बारे में विचार करेगी क्योंकि सम्पूर्ण देश में घाटे का 85 प्रतिशत इन्हीं मिलों के कारण होता है।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, हम देश भर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में पिछले वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यचालन में सुधार हुआ है। राष्ट्रीयकृत मिलों में उत्पादन मूल्य 1975-76 में 101 तथा वर्ष 1986-87 में 109 था। इसका अर्थ यह हुआ कि 1988-89 में उत्पादन मूल्य बढ़ कर 822 करोड़ रुपए हो गया जो 1975-76 में 225 करोड़ रुपए था।

श्री कादम्बुर जनार्दनन : महोदय, यह उत्तर सम्पूर्ण नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन 56 मिलों के बारे में कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा जो 85 प्रतिशत घाटे के लिए जिम्मेदार है। पिछले पांच वर्षों से यह राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ज्वलंत समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

वानिकी और पर्यावरण के पाठ्यक्रमों हेतु विशेष अनुदान

[हिन्दी]

*324. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को वानिकी और पर्यावरण के पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विशेष अनुदान देने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को एक आन्दोलन का रूप देने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) हिमालय क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं को वानिकी और पर्यावरण के पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विशेष अनुदान देने के बारे में कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० आर०) के जरिए चलाई गई एक स्कीम के अन्तर्गत 14 कृषि विश्वविद्यालयों को वानिकी शिक्षा के लिए सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। इनमें से गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, शेरे-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर और डा० वाई० एस० परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। इन सभी विश्वविद्यालयों में बी० एस० सी० (वानिकी) पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। डा० वाई० एस० परमार विश्वविद्यालय और केरल कृषि विश्वविद्यालय में वानिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

"वन और पर्यावरण संरक्षण पर जन जागरूकता के लिए उठाए गए कदम

1. पर्यावरण, वन और वन्यजीव पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से सारे देश में वन महोत्सव पर्यावरण दिवस और वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है।

2. प्रति वर्ष 19 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक राष्ट्रीय पर्यावरण माह मनाया जाता है जिसके दौरान स्कूली बच्चों किशोरों और अध्यापकों के लाभ के लिए क्विज कंटेस्ट, भाषण प्रतियोगिताएं जैसी प्रतियोगिताएं विकलांग बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां, आवास कालोनियों आदि में फिल्म शो जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

3. लोगों में सामान्य रूप से नदियों तथा विशेष रूप से गंगा में प्रदूषण की समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। नदियों में गाद जमाव, औद्योगिक प्रदूषण तथा जल संसाधनों के संरक्षण जैसे मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रमों में युवाओं, स्कूली बच्चों, तीर्थयात्रियों आदि जैसे विशेष लक्ष्य वर्गों को शामिल किया जाता है।

4. पर्यावरणीय विषयों पर सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, पदयात्राओं आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में युवक और महिला संगठनों, स्कूल, कालेजों, विश्वविद्यालयों सहित स्वैच्छिक संगठनों को शामिल किया जाता है।

5. डाकूमैन्टरी फिल्मों का निर्माण, पारि-क्लबों का गठन और सेमिनारों का आयोजन आदि जैसी अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

6. सामाजिक वानिकी और पर्यावरण में जन सहयोग से संबंधित कार्य को मान्यता देने के लिए क्रमशः इन्दिरा प्रियदर्शनी वृक्ष-मित्र पुरस्कार और इन्दिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार शुरू किए गए हैं। ये पुरस्कार सामाजिक वानिकी और पर्यावरण में उनके कार्य को सम्मानित करने के लिए नागरिकों, स्वैच्छिक एजेंसियों, स्कूलों, शैक्षिक संस्थाओं, संगठनों आदि को दिए जाते हैं।

7. वृक्षारोपण गतिविधियां आरम्भ करने के लिए स्थानीय लोगों से सम्पर्क करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

8. सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों में लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत जन नर्सरियों की स्थापना करने को बढ़ावा दिया गया है जिनमें भूमिहीन निर्धनों, छोटे और सीमान्त किसानों, स्कूली बच्चों, युवा वर्गों आदि को शामिल किया जाता है।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर में कहा है कि आई० सी० ए० आर० के अनुदान के आधार पर कुछ विश्वविद्यालयों में विशेष पाठ्यक्रम रखे गये हैं। लेकिन ये पाठ्यक्रम केवल उन लोगों के लिए हैं जिनको ट्रेनिंग लेनी है या नौकरी आदि के उपयोग के लिए इसका प्रयोग करना है। मेरा प्रश्न है कि सामान्य शिक्षा जो शिक्षार्थी ग्रहण कर रहे हैं उनमें वनों के प्रति चेतना जागृत हो सके इसलिए उनके पाठयक्रम में वानिकी विषय को सम्मिलित किया जाएगा या नहीं। इसके संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आपने इसके विषय में राज्य सरकारों से बातचीत की है? मैं जानना चाहता हूं कि पर्यावरण मंत्रालय राज्य सरकारों से, विशेषकर उन राज्य सरकारों से जहां पर कि पर्वतीय इलाके हैं वानिकी विषय को प्राइमरी, मिडिल, हायर सैकंडरी के स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए? क्या इसके विषय में बातचीत करके उन राज्य सरकारों को विशेष मदद देंगे?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : अध्यक्ष जी, पर्यावरण और वानिकी को जो मान्यता दी जा रही है उसके पेशे नजर तमाम कोर्सिज में प्राइमरी में थोड़ी बहुत जानकारी पर्यावरण और वानिकी के सिलसिले में हर स्टेट में रहती है ताकि इसके प्रति जागृति पैदा हो सके।

माननीय सदस्य का दूसरा सवाल यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने के सिलसिले में था। इसलिए यह जवाब दिया गया है। लेकिन वाकया है कि हम बराबर इसके बारे में कंटेक्ट कर रहे हैं जिससे कि वनों का डवलपमेंट हो। सारे स्तरों पर वानिकी और पर्यावरण के सिलसिले में कुछ न कुछ सजेशंस भी दिये गये हैं जिनसे उनमें और बड़े-बड़े लोगों में इसके महत्व को समझा जा सके।

श्री हरीश रावत : माननीय अध्यक्ष जी, पर्वतीय क्षेत्रों में वन और पर्यावरण मंत्रालय के विषय में यह दृष्टिकोण बना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मन्त्रालय चेक करने का काम करता है कि अमुक काम न करो, अमुक कार्य पर रोक लगे, अमुक कार्य में व्यवधान पड़े। यही काम इस मंत्रालय का है। वहां की डवलपमेंट में रुचि लेने का काम नहीं है। आपके विषय में यह धारणा ठीक हो सके वनों के प्रति लोगों में चेतना आ सके, क्या उसके लिए आप पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर वन चेतना केन्द्र बनाने के विषय में राज्य सरकारों से बातचीत करके उनको मदद देंगे?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अध्यक्ष जी, हम अपने तौर पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह चेतना उत्तरोत्तर बढ़े। यह बात सही है कि हमें वनों को बचाना है और उनको बचाने के लिए हमको कहीं न कहीं ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिससे कि यह इम्प्रेशन हो जाता है कि हम डवलपमेंट के कार्यों पर कोई रोक लगाने जा रहे हैं। हालांकि हमारी हरगिज मंशा नहीं है कि डेवलपमेंट के कार्यों में किसी किस्म की रोक लगाई जाए, सिर्फ इतनी मंशा है कि डेवलपमेंट के कार्यों को देखें कि वे डवलपमेंट के कार्य हमारे पर्यावरण को और हम को उस जगह पर न पहुंचा दें कि

हमारी उन्नति रिवर्सेबल हो जाए और हम अपने उस पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए आगे न आ सकें। (व्यवधान)

जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है, डिफरेंट लेवल्स पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं और पंचायतों के सिलसिले में माननीय सदस्य का जो सुझाव है, उस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव महोदय, वन और पर्यावरण संरक्षण हमारे राष्ट्र को बनाए रखने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यहां की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर के भाग (ग) में 5 भागों में काफी लम्बा उत्तर दिया है जिसमें वन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने का काम और वनों की कटाई जनता और बच्चे कर रहे हैं या प्रशासक, वन निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम ऐसा कर रहे हैं, जो वनों के संरक्षण के पहलू की अपेक्षा उसके लाभकारी उपयोग से सम्बन्धित पहलू को अधिक महत्त्व देते हैं। इस संबंध में प्रशासकों और ऐसी उपक्रमों में प्रभारी दफ्तरशाहों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो निःस्राव से नदियों तथा वायु को प्रदूषित करते हैं, जैसा कि उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य स्थानों जैसे राउरकेला, क्योंझर और तालचर-आंगुल क्षेत्र में हो रहा है। वन महोत्सव, पर्यावरण दिवस और वन्यजीव सप्ताह जैसे समारोह ज्यादातर राज्यों की राजधानी अथवा जिला मुख्यालयों में ही मनाए जाते हैं और इनमें केवल कुछ दफ्तरशाह और जाने-माने नागरिक ही भाग लेते हैं। इन लोगों द्वारा जनता में जागरूकता पैदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि एक वर्ष वन-महोत्सव दिवस पर जो पौधे लगाए जाते हैं, आगामी वन-महोत्सव दिवस तक वे पौधे मर चुके होते हैं। मैं अपने अनुभव बता रहा हूं क्योंकि हमने भी ऐसे कुछ समारोहों में भाग लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भोजन, चारा और ईंधन के अन्य क्या विकल्प सरकार जनता को देने जा रही है ताकि वे वनों को नष्ट न करें।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पर्यावरण को प्रदूषित किए जाने से सम्बन्धित है कि क्या ऐसा जनता का एक दल कर रहा है अथवा दूसरा मेरे विचार से पर्यावरण को प्रदूषित करने का एकाधिकार किसी को नहीं है। यह काम हर उस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसे पर्यावरण के महत्व की जानकारी नहीं है। इसीलिए हम न केवल बच्चों और आम जनता के बीच, अपितु दफ्तरशाहों और कुछ विकासात्मक गतिविधियों में लगे लोगों, अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत यह देखने के लिए कदम उठाए हैं कि यदि कोई पर्यावरण अथवा नदी के जल को दूषित करता है या पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है तो इसके लिए न केवल निजी क्षेत्र के उपक्रमों अपितु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी दण्डित किया जाए। उनके प्रश्न के भाग (क) का यह उत्तर है।

श्री के० पी० सिंह देव : वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह आदि समारोहों के बारे में आप क्या कहेंगे ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं भी माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि जागरूकता लाने सम्बन्धी इन कार्यक्रमों का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना हम चाहते थे। इसीलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन कार्यक्रमों में तब तक तेजी नहीं आ सकती जब तक जनता इसमें भाग नहीं लेती और लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करते और इन महत्वपूर्ण समारोहों का फायदा नहीं उठाते। जहां तक वृक्षारोपण कार्यक्रम—वन महोत्सव का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक वर्ष के वन महोत्सव के दौरान जो वृक्ष रोपे जाते हैं दूसरा वन महोत्सव शुरू होने तक उन्हें उखाड़ा जा रहा है। हमारे कार्यक्रम ऐसे हैं कि जनता आरम्भ से उनमें भाग ले। परती भूमि विकास बोर्ड कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण के समय से लेकर अन्तिम चरण तक, जहां भी ये वृक्षारोपण कार्यक्रम होते हैं स्थानीय जनता, आदिवासी और वहां रहने वाले ग्रामीणों को उन कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है और उनकी वृक्षा रोपण की आवश्यकतानुसार हर तरह के वृक्ष लगाए जाते हैं और उनमें यह भावना पैदा की जाती है कि यह वृक्षारोपण उनके उपयोग के लिए है और इनका लाभ उन्हीं को होगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र मैं मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सूगर फैक्ट्रीज के लिए लकड़ी के लिए वनों का सफाया किया जाता है। कोई भी वहां ऐसी जगह नहीं है जहां के लिए इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी जाती हो। कोई 100 एकड़ के करीब जंगल केवल सूगर फैक्ट्रीज को लकड़ी सप्लाई करने में ही लग जाते हैं, जिससे इतना भारी नुकसान होता है। दूसरा नुकसान यह हुआ कि कागजों में लिख दिया जाता है कि प्रदूषण रोकने के लिए आपने क्या उपाय किये? आप जांच कर लें इन सूगर फैक्ट्रीज का जितना पानी नदियों में जाता है, जैसे हमारी छोटी गण्डक नदी में पानी निकलता है, तो उससे वहां की सारी मछलियां मर गई हैं और वह पानी इतना प्रदूषित है कि मवेशियों के पीने लायक भी नहीं रहता। गांवों में खाना पकाने के लिए गैस के चूल्हों या अन्य किसी चीज का प्रबन्ध नहीं है इसलिए वे लोग गन्ने की पत्तियों को तोड़कर या पेड़ों को काटकर खाना बनाते हैं। जब तक सूगर फैक्ट्रीज में लकड़ी की सप्लाई बन्द नहीं होगी और गांवों में लकड़ियों को काटकर खाना पकाने का कोई विकल्प नहीं ढूंढा जायेगा तब तक यह कटाई नहीं रूकेगी।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह सवाल इस मूल सवाल से नहीं उठता है, अगर आपकी सहमति हो तो मैं इसका जवाब दूं। (व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : इस पर सब की राय है आधा घण्टे की चर्चा करवायें।

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया, सुन लिया।

मध्य प्रदेश में नये गोदाम

*325. **श्री कम्मोदीलाल जाटव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम के कितने गोदाम हैं; उनकी क्षमता कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विकास ब्लाक स्तर पर ऐसे कुछ और गोदामों का निर्माण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) 31.3.1989 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के मध्य प्रदेश में स्थित 83 स्थानों में 108 भण्डारण डिपो हैं । इनके अलावा, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के मध्य प्रदेश में 24 स्थानों पर 32 भाण्डागार हैं । भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के भाण्डागारों के केन्द्रवार स्थान और उनकी क्षमता का ब्यौरा संलग्न उपाबन्ध में दिया गया है ।

(ख) से (घ) तालुक/ब्लाक स्तर पर भण्डारण क्षमता सहकारी समितियों द्वारा सुलभ की जाती है । कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से ब्लाक/ग्राम स्तर पर ग्रामीण गोदामों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करने की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी सहकारी क्षेत्र में गोदामों का निर्माण करने के लिए सहायता सुलभ करता है । भारतीय खाद्य निगम और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ब्लाक स्तर पर गोदामों का निर्माण नहीं करते हैं ।

उपाबन्ध

भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के पास मध्य प्रदेश में गोदामों की क्षमता और स्थान

क. भारतीय खाद्य निगम

जिला	क्रम संख्या	केन्द्र	भण्डारण क्षमता (हजार मीटरी टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)
I भोपाल	1.	भोपाल	25.57
II बेतूल	2.	बेतूल	10.00
III इटारसी	3.	इटारसी	86.25
IV बिलासपुर	4.	बिलासपुर	35.51
	5.	अकलतारा	12.00
	6.	बलहा	8.34
	7.	बाराडोर	4.39
	8.	चम्पा	1.80

(1)		(2)	(3)	(4)
		9.	कारगी रोड	15.00
		10.	नालिया	14.28
		11.	शक्ति	12.50
V	सरगुजा	12.	विश्रामपुर	13.30
		13.	रामनिजगंज	0.30
		14.	जनकपुर	0.04
VI	शहडोल	15.	शहडोल	5.64
VII	रायगढ़	16.	खरसिया	13.64
		17.	रायगढ़	10.64
		18.	सारनगढ़	1.00
VIII	ग्वालियर	19.	ग्वालियर	12.55
		20.	डबरा	3.71
XI	गुना	21.	अशोकनगर	11.92
X	दतिया	22.	दतिया	27.50
XI	भिण्ड	23.	गोहाद	6.22
XII	मोरेना	24.	मोरेना	3.00
		25.	शिवपुरकलां	11.28
XIII	इन्दौर	26.	इन्दौर	37.23
XIV	खंडवा	27.	खंडवा	55.00
		28.	बुरहानपुर	0.29
XV	झबुआ	29.	अलीराजपुर	1.00
		30.	मेघनगर	2.00
XVI	खरगोन	31.	खरगोने	2.00
XVII	धार	32.	धामोन्द	2.00
XVIII	बालाघाट	33.	बालाघाट	20.31
		34.	कटंगी	13.98
		35.	लतमा	0.23
		36.	वारा सिवनी	10.00
XIX	छिन्दवाड़ा	37.	छिन्दवाड़ा	2.50
XX	जबलपुर	38.	जबलपुर	14.03
		39.	कटनी	8.64
		40.	सिहोरा	0.66

(1)		(2)	(3)	(4)
XXI	मगडला	41.	बी बंजार	0.10
		42.	डिन्डोरी	0.01
		43.	मंडला	1.50
XXIII	सिवोनी	44.	सिवोनी	8.34
XXIII	रायपुर	45.	कापा	68.22
		46.	मन्दिर हसौद	118.72
		47.	रायपुर	30.48
		48.	आरंग	0.83
		49.	अभनपुर	1.57
		50.	भाटपाडा	22.66
		51.	बाघबहारा	12.68
		52.	बसना	1.33
		53.	भीमखोज	0.97
		54.	बलोदा बाजार	1.94
		55.	धमतरी	14.60
		56.	कुरूद	1.00
		57.	नेवरा (तिल्डा)	15.37
		58.	महासामोड	17.69
		59.	राजीम	15.64
		60.	सुकमा	0.05
		61.	सरायपल्ली	1.84
XXIV	बस्तर	62.	जगदालपुर	10.64
		63.	कोंडागांव	1.17
		64.	कंकर	0.60
XXV	दुर्ग	65.	दुर्ग	61.48
		66.	बालोद	0.03
		67.	बामेत्रा	0.21
		68.	राजनन्दगांव	71.67
XXVI	राजनन्दगांव	69.	दोनारगढ़	2.50
XXVII	सतना	70.	सतना	39.42
XXVIII	छतरपुर	71.	हरपालपुर	10.00
XXIX	टिकमगढ़	72.	नेवरी	18.14
		73.	टिकमगढ़	15.00

1	2	3	4
XXX सागर	74.	बीना	6.28
	75.	सागर	6.40
XXXI दमोह	76.	दामोह	0.07
XXXII नरसिंहपुर	77.	नरसिंहपुर	2.50
	78.	गदरवाडा	2.00
	79.	करेली	0.21
XXXIII विदिशा	80.	विदिशा	10.00
XXXIV देवास	81.	देवास	10.00
XXXV रतलाम	82.	रतलाम	8.98
XXXVI उज्जैन	83.	उज्जैन	15 00
		जोड	1,144.12

ख. सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन

जिला	क्रम संख्या	केन्द्र	भण्डारण क्षमता (हजार मीटरी टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)
I इन्दौर	1.	इन्दौर	52 53
	2.	सांवर	1.59
II रायपुर	3.	रायपुर	69.75
	4.	भाटापाडा	25.15
III मुरैना	5.	मुरैना	41.35
	6.	शिवपुरकलां	11.00
IV भोपाल	7.	भोपाल	51.11
V ग्वालियर	8.	ग्वालियर	25.81
VI बिलासपुर	9.	बिलासपुर	19.72
VII जबलपुर	10.	कटनी	26.01
VIII बालाघाट	11.	बालाघाट	11.57
IX रायगढ़	12.	रायगढ़	22.20
X खण्डवा	13.	खण्डवा	90 00
	14.	बुरहानपुर	20.25
XI नरसिंहपुर	15.	नरसिंहपुर	6.86
XII होशंगाबाद	16.	होशंगाबाद	7.50
	17.	सोहागपुर	0.58

1		2	3	4
XIII	शाजापुर	18.	मक्सी	6.65
XIV	धार	19.	पिथमपुर	15.81
		20.	मनावर	1.42
XV	भिण्ड	21.	भिंड	2.67
XVI	सागर	22.	बीना	2.41
XVII	मंसौर	23.	जावाद	1.09
XVIII	उज्जैन	24.	उज्जैन	3.17
			जोड़	526.20

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव : मैंने मन्त्री जी से पूछा था कि इस बार किसानों का गल्ला काफी ज्यादा हो रहा है, सरकार ने बीज, खाद और सिंचाई की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई है पर्याप्त मात्रा में, जिससे किसानों के यहां काफी गल्ला होता है तो क्या आप विकास खण्ड पर एक हजार, दो हजार या पांच हजार टन के भण्डार बनाने जा रहे हैं, इस पर मंत्रीजी ने कहा कि नहीं बना रहे हैं। क्या आपके पास कोई और योजना है तो उसे बताने की कृपा करें।

श्री सुख राम अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में करीबन 15.60 लाख टन केपेसिटी के गोदाम फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया के, सी.डब्ल्यू.सी. के और स्टेट एजेंसियों के हैं। जबकि मध्य प्रदेश में सारी प्रोक्योरमेंट का आमतौर पर जो लक्ष्य रहता है वह करीबन 5 लाख टन चावल का रहता है और इतनी ही इसकी सालाना रिक्वायरमेंट रहती है। पी.डी.एस. के बेस पर जो अनाज अलाटमेंट करते हैं उसके आधार पर करीब 5 लाख टन अनाज सालाना मध्य प्रदेश की रिक्वायरमेंट रहती है उनकी जितनी आवश्यकता है और हमारे पास जो कैपेसिटी आलरैडी अवैलेबल है, उसे मद्देनजर रखते हुए, एफ.सी.आई. को वहां और ज्यादा संख्या में गोदाम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि ब्लाक लेवल पर, तालुक या पंचायत लेवल पर जितनी स्टेट की आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिये, एन.सी.डी.सी. और डिपार्टमैंट ऑफ रूरल डैवलपमैंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सहकारिता के माध्यम से गोदाम वगैरह बनाते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का तालुक है, एन.सी.डी.सी. ने वहां सहकारिता के माध्यम से जो स्टोरिंग कैपेसिटी बनायी है, कुछ के अभी टैंडर हो रहे हैं कुछ अभी और बनाने को है, उनका कुल लक्ष्य वहां 13.653 लाख टन अनाज को स्टोर करने की क्षमता तैयार करना है। इसके अतिरिक्त डिपार्टमैंट ऑफ रूरल डैवलपमैंट भी वहां लगभग 466 गोदाम बना रहा है, जिनमें 2.883 लाख टन अनाज को स्टोर करने की क्षमता है। तालुक और पंचायत लेवल पर वहां जितनी आवयकता है, उसे ध्यान में रखते हुए, डिपार्टमैंट ऑफ रूरल डैवलपमैंट और एन सी डी.सी ने वहां जितने गोदाम बनाये हैं मैं समझता हूं कि वहां कैपेसिटी के मुताबिक पूरे गोदाम अवैलेबल हैं। जहां तक एफ.सी.आई. का तालुक है, उसे और ज्यादा गोदाम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कम्मोदी लाल जाटव : अध्यक्ष जी, मैं मध्य प्रदेश में राज्य भण्डारागार निगम का अध्यक्ष भी रहा हूं और मुझे जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के पास पर्याप्त भण्डारण क्षमता के गोदाम नहीं हैं। न ही उनके पास इतना पैसा है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार भण्डारण क्षमता तैयार कर सकें। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय भण्डारागार निगम अथवा भारतीय खाद्य निगम या सरकार की ओर से मध्य प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को इतनी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी ताकि वहां आवश्यकता के अनुसार भण्डारण क्षमता तैयार की जा सके, गोदाम बनाये जा सकें।

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बता दिया है कि मध्य प्रदेश में हमारे पास जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार गोदाम पहले से मौजूद हैं। यदि वहां कुल कैपेसिटी 85 परसेंट भी यूटिलाइलेशन हो तो भी हमें 4.7 लाख टन अनाज भण्डारण क्षमता वाले गोदाम चाहिये जब कि हमारे पास, सारी प्रोक्योरमैंट और वहां की लागत के लिये 5 लाख टन से ज्यादा क्षमता के गोदामों की आवश्यकता नहीं होगी जबकि हमारे पास 15.7 लाख टन भण्डारण क्षमता वहां पहले से मौजूद है। जहां तक गांवों का ताल्लुक है, मैंने पहले ही बताया है, एन.सी.डी.सी. और रूरल डैवलपमैंट के वहां पर्याप्त गोदाम हैं, बन रहे हैं, सी.डब्ल्यू.सी. का थोड़ा कार्यक्रम है लेकिन एफ.सी.आई. का कोई कार्यक्रम नहीं है।

श्री अरविन्द नेताम : वैसे तो माननीय मन्त्री जी ने विस्तारपूर्वक जवाब दे दिया है लेकिन मैं अपने जिला बस्तर के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहता हूं। बस्तर जिले में अभी तक केवल तीन एफ. सी.आई. के गोदाम हैं : जगदालपुर, कोंडागांव और कंकर में। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाये तो बस्तर जिला पूरे केरल राज्य से बड़ा है और वहां जितने गोदाम हैं, वे सब उत्तरी बस्तर में हैं जबकि नक्सल समस्या की वजह से हम लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसे देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी दक्षिणी बस्तर में एफ.सी.आई. का कोई गोदाम बनाये जाने का विचार रखते हैं। मैं आपसे यह प्रश्न क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए नहीं, बल्कि क्षेत्रफल को दृष्टि में रखते हुए जानना चाहता हूं, क्या आपका विचार दक्षिणी बस्तर में कोई गोदाम बनाने का है।

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, जहां तक एफ.सी.आई द्वारा गोदाम बनाये जाने का ताल्लुक है, हम हर स्टेट में कुछ नोडल प्वाइंटस सलैक्ट करते हैं और वहां एक बेस-गोडाउन बनाते हैं। बेस गोडाउन बनाते समय क्षेत्र की आवश्यकता, वहां उपलब्ध औपरेशन फैसलिटीज, जैसे रेलवे स्टेशन का नजदीक होना, नेशनल हाईवे का नजदीक होना वगैरह को ध्यान में रखा जाता है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में गोदाम बनायें, इसकी जरूरत नहीं होती बल्कि जहां हमारा बेस गोडाउन है, उस नोडल प्वाइंट से ही एडजवाईनिंग डिस्ट्रिक्टस की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में करीब 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें हमारे पास गोडाउन नहीं हैं, मगर चूंकि उनकी आवश्यकता एक माह की करीब 1। हजार मीटरिक टन है, मुझे नहीं मालूम कि पटसन उसमें शामिल है या नहीं और इस आवश्यकता को, जो नजदीकी बेस गोडाउन है, उनसे पूरा किया जाता है। तो इस वास्ते वहां ज्यादा बनाना मुझे आवश्यक नहीं लगता क्योंकि वहां ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी।

औद्योगिक सहयोग के लिए प्रौद्योगिकी अन्तरण परियोजना

[अनुवाद]

*329. श्रीमती बसवराजेश्वरी
श्री जी०एस० बासवराजू } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा उपकरणों और एक ही बार प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग के लिए एक बड़ी प्रौद्योगिकी अन्तरण परियोजना का यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कई भारतीय कम्पनियों का चयन कर लिया गया है जिनको यूरोप की 80 कम्पनियों से प्रौद्योगिकी अंतरण किए जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए भारतीय कम्पनियों की अन्तिम रूप से कोई सूची तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां। भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय औद्योगिक सहयोग कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यूरोपीय समुदाय चिकित्सा उपकरणों, एक ही बार प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं इत्यादि के क्षेत्र में भारत और यूरोपीय उद्यमियों के बीच औद्योगिक सहयोग की प्रोन्नति के लिए एक परियोजना का वित्त पोषण कर रहा है।

(ख) इस परियोजना के प्रथम चरण में भारतीय और यूरोपीय समुदाय पक्ष की ओर से, उनकी अपनी-अपनी नोडल एजेंसियों, क्रमशः इन्जीनियरी उद्योग परिसंघ और डेवा इन्डस्ट्रियल एंड ट्रेड कन्सल्टेन्ट्स ऑफ यू.के. को आपसी व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने और एक दूसरे से प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान की व्यवस्थाओं के इच्छुक भारतीयों और यूरोपीय समुदाय के बहुत से उद्यमियों से रचनात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि चिकित्सा और दंत उपकरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अंतरण के कौन-कौन से क्षेत्र हैं और क्या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण के इस मिशन में कूल्हे के जोड़, स्नायु और वाल्व सम्बन्धी प्रत्यारोपण की नवीनतम प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाएगा।

श्री रफीक आलम : हमारा सम्बन्ध चिकित्सा उपकरण से है और अब तक इस प्रश्नावली का 65 कम्पनियां जवाब दे चुकी हैं। अन्तिम चयन इन 65 कम्पनियों में से किया जाएगा। केवल 65 कम्पनियों का पता लगाया जा सका है।

श्रीमती वसवराजेश्वरी : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या प्रौद्योगिकी अंतरण मिशन में वाल्व और कूल्हे के जोड़ आदि को भी शामिल किया गया है।

श्री रफीक आलम : हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती वसवराजेश्वरी : मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या चिकित्सा उपकरण और एक ही बार प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त इसमें लघु सीमेंट संयंत्र, मशीन उपकरण जैसे अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। हमने समाचारपत्रों में यह पढ़ा है कि वे ऊर्जा की बचत के उद्देश्य से लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए ऊर्जा की कम खपत वाली कुछ बसें शुरू करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को ऐसे कुछ प्रस्ताव मिले हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

श्री रफीक आलम : यह प्रश्न उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित है, मेरे मन्त्रालय से नहीं।

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दूंगा। जहां तक अनुपूरक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हमने भारत में 65 औद्योगिक घरानों का पता लगाया है और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने 100 औद्योगिक घरानों का पता लगाया है। सब कुछ आरम्भिक अवस्था में है। इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है। जहां तक अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हमने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ अन्य जिन क्षेत्रों के बारे में बात की थी, वे क्षेत्र हैं :—नागपुर में ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र, ऊर्जा बस योजना से सम्बन्धित सहयोग, प्रौद्योगिकी जानकारी केन्द्र, जो कि डी.जी.टी.डी. औद्योगिक विकास मन्त्रालय में स्थापित सॉफ्टवेयर कार्यशाला की स्थापना, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण, मशीनी पुर्जे, प्रदूषण नियन्त्रण और चमड़ा उद्योग। हमने इन क्षेत्रों के बारे में बातचीत की थी।

खिलाड़ियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन

*310. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में कुआलालम्पुर में हुए तीसरे हाकी विश्व कप टूर्नामेंट में विजय प्राप्त करने वाली भारतीय हाकी टीम के खिलाड़ियों को दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन करने का वचन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने खिलाड़ियों को उक्त फ्लैट आवंटित किये गये; और

(ग) उन खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट अभी तक आवंटित नहीं किये गये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वसबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के रिकार्ड के अनुसार, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। इस आधार पर किसी भी खिलाड़ी को फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है।

(ख) श्री असलम शेर खां और श्री अशोक कुमार को फ्लैटों का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उनकी बारी आने पर किया गया था।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह : यह प्रश्न तो कमला प्रसाद रावत का है।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष जी, रावत का निकल गया सिंह का बचा है।

अध्यक्ष महोदय सिंह गर्जना हो जाए फिर।

श्री कमला प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नियमानुसार क्रमवार जिसको फ्लैट मिलना चाहिए उसे न मिलकर प्राथमिकता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। माननीय मन्त्री जी उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न खुद ही नहीं पढ़ा होगा। यह प्रश्न स्पोर्ट्समैन के लिए पूछा गया है। आपने यह पूछा है कि कितने स्पोर्ट्समैन को दिया है। यह बिल्कुल अलग है। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। 1982 में हमारे पास 0.5 परसेंट था और वह एल०जी० को पावर्स थी कि वे अपने डिस्क्रीशन पर दें। 1985 में 1.5 परसेंट हुआ। उसमें न केवल अनुसूचित जानजाति के हैं बल्कि सैनिक विधवाएं, भूतपूर्व सैनिक और अपग व्यक्ति हैं और जो न्यू गाइड लाइन्स 20.4.89 को इश्यु हुई हैं उसमें ढाई परसेंट किया है। आपने स्पोर्ट्समैन के बारे में पूछा है। वे भी एप्लाई करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि उनके लिए भी कंसीडर किया जा सके।

श्री कमला प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, सांसदों के लिए तीन परसेंट आरक्षण के फ्लैट देने की बात थी, उस पर माननीय मन्त्री जी क्या करने जा रहे हैं।

श्री दलबीर सिंह : ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष जी, यह खिलाड़ियों का सवाल है, संसद-सदस्यों से ज्यादा बड़ा कोई खिलाड़ी देश में पैदा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आपका तो फील्ड बहुत बड़ा है।

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने खिलाड़ियों के कोटे और कुछ कोटे के बारे में बताया है। क्या फ्रीडम फाइटर्स का भी कोई कोटा रखा गया है। अगर नहीं रखा गया है तो क्या रखने का विचार है।

श्री दलबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, एशियाड विलेज तथा दिल्ली में और भी स्थानों पर नार्मल मार्किट रेट पर जिनमें फ्रीडम फाइटर्स, वैज्ञानिक व अन्य महान पुरुष हैं, उनको अलाट किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री अजय मुश्तराक : महोदय हाल ही में हमारी हाकी की टीम द्वारा दर्शाये गये बहुत अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए, हम उन्हें फ्लैट देते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री

अथवा उनके मन्त्रालय के पास ऐसे लोगों के लिए कोई योजना है जिन्होंने साइचिन में वीरगति प्राप्त की अथवा जो भारतीय शान्ति सेना में हैं और दिल्ली से हैं तथा पुरस्कृत हुए हैं। क्या उन्होंने इनके बारे में सोचा है अथवा क्या वे केवल इन हाकी के खिलाड़ियों के बारे में ही विचार कर रहे हैं जो विश्व में अन्तिम स्थान पर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : वैसे तो मैंने कहा है कि 28 परसैंट है भूतपूर्व सैनिकों के लिए और सैनिक विधवाओं के लिए। अभी भी हमारा जो रैगुलर है उसमें हमारा एक परसैंट है। नहीं, नहीं, श्रीमान जी, हमने दिया है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया है।

कीटनाशक तथा कृमिनाशक औषधों से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से श्रमिकों की सुरक्षा

[अनुवाद]

331. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री चिंतामणि जेना } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) नई दिल्ली में हाल में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मजदूर संघ परिषद के सम्मेलन में कीटनाशक औषधों से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या सुझाव दिये गये थे; और

(ख) कोयला खानों, सीमेंट के कारखानों, कीटनाशक और कृमिनाशक औषधों के संयंत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये किये गये सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मजदूर संघ परिषद् के कार्यकारी बोर्ड ने नई दिल्ली में 7 और 8 जुलाई, 1989 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गए प्रस्ताव में नियोजकों से अनुरोध किया कि वे बचाव उपाय करें ताकि कीटनाशक तथा कृमिनाशक औषधों से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से श्रमिकों की सुरक्षा की जा सके और इस क्षेत्र की सरकारों से कर्मकारों तथा समुदाय के हित में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपबन्धों को कारगर ढंग से लागू करने का आग्रह किया।

सीमेंट कारखानों में सुरक्षा के कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबन्धों द्वारा शासित किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों को राज्य सरकारों द्वारा अपने कारखाना निरीक्षणालयों के माध्यम से लागू किया जाता है। विभिन्न सुरक्षा शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व कारखानों के अधिष्ठताओं (आकूपायर) का है। इस अधिनियम में 1987 में संशोधन किया गया था ताकि कर्मकारों की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य और उन्हें कामकाज की बेहतर दशाएं प्रदान करने हेतु अधिष्ठताओं के विशिष्ट उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जा सके। उद्योगों में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की, जिनमें "खतरनाक प्रक्रियाएं" शामिल हैं, विनियमित करने के लिए एक अलग अध्याय शामिल किया गया था जिसमें वर्तमान कारखानों के प्रारम्भिक स्थान

तथा उनके विस्तार के लिए, जिनमें खतरनाक प्रक्रिया शामिल है, अनुमति प्रदान करने हेतु स्थल मूल्यांकन समिति (साइट अपरेजल कमेटी) का गठन, अधिष्ठाता द्वारा खतरनाक प्रक्रियाओं के बारे में कतिपय सूचना को अनिवार्य रूप से बताना शामिल है। कैमीकल और विषैले पदार्थों के खतरे से बचने की भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। पोर्टलैंड सीमेंट (स्लैग सीमेंट, पुजोलाना सीमेंट तथा उनके उत्पाद सहित) का विनिर्माण कारखाना अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आता है जिसमें खतरनाक प्रक्रियाओं वाले उद्योग शामिल हैं। कारखानों में राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की विद्यमान पद्धति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, सरकार इस समय "भारत में प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण पद्धति की स्थापना और प्रारम्भिक प्रचालन" सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन परियोजना और औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम सम्बन्धी यू. एस. एड आई. डी. परियोजना को लागू कर रही है।

कोयला खानों में सुरक्षा उपायों को खान अधिनियम, 1952 के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया जाता है जिसे केन्द्रीय सरकार, खान सुरक्षा महानिदेशालय के माध्यम से लागू करती है। इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार ने कोयला खान विनियमन, 1957 बनाया है जिसमें कोयला खानों में कार्यरत कार्यकारों की सुरक्षा से संबंधित विस्तृत सावधानियां निर्धारित की गई हैं। कोयला खानों में खनन कार्यों को देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति, भूमिगत खानों में वेन्टीलेशन के मानदंड तथा कार्यस्थलों में रूप और साइडस के स्पार्ट के बारे में भी व्यवस्था है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में कोयला खान सुरक्षा सम्बन्धी त्रिपक्षीय स्थायी समिति कोयला खानों में सुरक्षा की स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा करती है।

जहां तक कीटनाशक और कृमिनाशक संयंत्रों का सम्बन्ध है, कीटनाशी अधिनियम, 1968 में कीटनाशक औषधों के आयात, विनिर्माण, भंडारन, परिवहन, बिक्री, वितरण और उनके प्रयोग को विनियमित करने के उपबन्ध हैं ताकि मनुष्यों और जानवरों को खतरों से बचाया जा सके। इस अधिनियम को कृषि मंत्रालय द्वारा पृथक् निरीक्षणालयों की सहायता से राज्य कृषि विभागों द्वारा लागू किया जाता है। साथ ही, कीटनाशक, फुन्गीसाइड, हरबीसाइड तथा अन्य कृमि-नाशक औषधों के निर्माण को कारखाना अधिनियम की प्रथम अनुसूची में लाया गया है जिसमें खतरनाक प्रक्रियाओं वाले उपयोग भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि दक्षिण ऐशियाई मजदूर संघ परिषद ने जो सुझाव दिया था उसी के मुताबिक श्रमिकों के हित के लिए और उसकी फैमिलो के लिए क्या-क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : अध्यक्ष जी, इम्प्लाइज संरक्षणों की जो बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने प्रस्ताव करके इम्प्लायर्स से यह कहा था, आग्रह किया था कि वे पैसटीसाइडस और इनसैकटीसाइडस, जहां उत्पादन होते हैं या जिन जगहों में उनके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होते हैं उसमें संलग्न श्रमिकों के सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करें और उसमें उनके स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ता है उसके लिए सुरक्षा की

कार्यवाही करें, प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं, उनको अपनाएं। इस सम्बन्ध में अधिक हैल्थ हैजर्डस पैदा करते हैं। पैस्टीसाइडस और इनसैकटीसाइडस, इन जगहों के लिए अलग-अलग कानून बनाएं। पार्ट बी में पूछा गया है कि सीमेंट फैक्टरीज में माइनिंग में कोल माइन्स में क्या किया गया है, दूसरी जगहों पर क्या किया गया है, उसके लिए अलग-अलग कानून हैं। सीमेन्ट फैक्टरी वगैरह के मजदूरों के सेफटी और हैल्थ के प्रोवीजन्स फैक्ट्री एक्ट से गाइड होते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को 1987 में संशोधित किया गया और उसमें एक अलग चैप्टर सेफटी और हैल्थ के लिए इनकारपोरेट कर दिया गया। सेफटी हैल्थ प्रोटेक्शन के लिए जब उनकी नियुक्ति होती है, उस वक्त उनका हैल्थ चैकअप होता है और उसके बाद प्रोवीजन्स है कि उस समय जो उनके स्वास्थ्य की स्थिति है, उसको पीरिआडिकल्स चैक-अपस में देखें कि उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है? अगर उसको कोई औकुपेशनल डिजीज हो रही है तो क्यों हो रही है और उसके लिए तत्काल उसके रख-रखाव के उपाय किये जाएं। उसी तरह से माइन्स एक्ट में भी सेफटी के ऊपर काफी प्रोवीजन है। डायरेक्टरेट आफ माइन्स सेफटी की पूरी आर्गेनाइजेशन है और उसके इन्सपेक्टरेट्स पूरे देश में फैले हुए हैं जो कोल माइन एरिया और उसकी रेगुलर इन्सपैक्शन करते रहते हैं और जहां कहीं भी वायलेशन्स होते हैं माइन्स एक्ट के और फैक्ट्री एक्ट के, बाद में अमेंडमेंट करके उसके लिए पनिशमेंट बहुत ही स्ट्रीनजैन्ट बनाए गए हैं। जहां-जहां भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, और जहां भी उस एक्ट और उससे कन्सन्ड रूल्स का कोई वायोलेशन हुआ है, वहां पर गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिन्जेंट पैन्ल्टीज लगाई हैं और पहले की अपेक्षा काफी रोकथाम हुई है। जहां सीध मैन्युफैक्चर होता है पैस्टीसाइड्स और इन्सैक्टीसाइड्स उसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी कानून बनाया है। इन्सैक्टीसाइड्स एक्ट 1968 के लिये 1970 में रूल फ्रेम करके एन्फोर्स किया है उसका अलग इन्सपैक्टरेट है, जो उसकी छानबीन करता रहता है। उसके प्रावीजन और भी काफी स्ट्रिन्जैन्ट हैं, इसलिए प्रोटैक्टिव मेजर्स से लेकर क्यूरेटिव तक सारे प्रावीजन किये गये हैं। उन्होंने कहा है एम्प्लायर्स को, देहिव काल्ड अपौन एम्प्लायर्स, वह पूरी सुरक्षा करें। एक्ट में व्यवस्था है और गवर्नमेंट सजग है। गवर्नमेंट के इन्सपैक्टरेट्स चारों तरफ फैले हुए है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उससे जो हैल्थ हैजार्ड्स पैदा होते हैं, उसकी रोकथाम पूरी तरह से करें।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने उन खतरनाक उद्योगों की शिनाख्त की है या नहीं जो वहां पर कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए ही खतरा उत्पन्न नहीं कर रहे बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं? इन खतरों को रोकने के लिए मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है? मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उनके मंत्रालय ने संघीय जर्मन गणराज्य की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन परियोजना प्रारम्भ की है कि लेकिन लोगों के कल्याण की देखरेख के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों तथा निरीक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। कीटनाशक और औषध सामान्य जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं और यह राज्य के विभिन्न भागों में हो रहा है, जिसकी जानकारी आप के

विभाग को है। मैं जानना चाहता हूं कि श्रमिकों के कल्याण तथा आम जनता के स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए कितने और अधिकारियों तथा निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है? ऐसे अधिकारियों तथा निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मंत्रालय की क्या योजनाएं तथा कार्यक्रम हैं?

[हिन्दी]

श्री बिन्देश्वरी दुबे : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन कानूनों की चर्चा की, उनमें सभी मेंशिड्यूल लगे हुए हैं। फैक्टरीज एक्ट के शिड्यूल में आईडेंटिफाई किया गया है कि कौन-कौनसी हैजार्डअस इंडस्ट्रीज हैं, माइन्स एक्ट्स और इनसेक्टीसाइडल एक्ट्स का भी है और इस तरह से 417 मेजर एक्सीडेंट्स हैजार्डस इन्सटालेशनस आइडेंटिफाई किये गये हैं और 56 इन्सटालेशनस मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड्स के लिये वेरियस स्टेट्स वगैरह में आईडेंटिफाई कर के बता दिये गये हैं। यह बात भी सही है कि आई० एल० ओ० का एक प्रोजेक्ट है जिसको लेबर मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके कुछ फारेन एक्सिर्टेंट्स थे। उसके लिये एक डिवीजन बम्बई में खोला गया है जो कि हमारी लेबर इंस्टीट्यूट के साथ है और 3 लेबर इन्स्टीट्यूट कलकत्ता, कानपुर और मद्रास में हैं। वह इसका फर्दर आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं और उन्होंने एक प्लान तैयार किया है मेजर एक्सीडेंट्स को या मेजर हैल्थ हैजार्डस को रोकने के लिये, और इसके साथ गाइडलाइन्स भी हैं। उन्होंने जो गाइडलाइन्स का बुक तैयार किया है, वह जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैजार्डस के सेंटर्स आइडेंटीफाइ हैं उनको भेजे जा रहे हैं ताकि वे उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें और इन गाइडलाइन्स के मुताबिक मेजर हैल्थ एक्सीडेंट्स इंस्टीट्यूटस से प्रोटेक्टिव मेजर्स अडाप्ट करें।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, अधिनियम होने के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है, मुद्दा तो केवल कार्यान्वयन का है। क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि देश के स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए उत्तरदायी लोग विशेषकर निचले स्तर पर कार्यरत लोगों, उदाहरणतः रेडियोलॉजी विभाग में कार्यरत लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या आप रेडियोलॉजी विभाग में कार्यरत लोगों के लिए कुछ करेंगे और इस कारण प्रभावित होने पर उन्हें कुछ राहत उपलब्ध कराएंगे?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : जहां पर स्वास्थ्य को होने वाले खतरों की संभावना होती है, वहां सुरक्षात्मक उपाय करने के प्रावधान होते हैं। हम उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति अत्याधिक सतर्क हैं और इसके मुताबिक ही उपाय कर रहे हैं यदि कोई विशेष स्थान है जिसके बारे में माननीय सदस्य समझते हैं कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए थे लेकिन किए नहीं गये हैं तो यदि यह मुझे सूचित किया गया तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

* 332 **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने के लिए कोई दिशा निर्देश तय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी भूमि के आवंटन के लिए समितियों से क्या कीमत वसूल की जाती है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने के लिए कुछ मुख्य मार्ग निर्देश इस प्रकार है :—

(i) भूमि पूर्व-निर्धारित दरों पर पहले आओ—पहले पाओ" के आधार पर आवंटित की जानी होगी;

(ii) प्रति एकड़ रिहायशी एककों की संख्या 60 होगी; इस सीमा को 100 तक करने का प्रस्ताव है।

(iii) दक्षिणी दिल्ली में भूमि का कोई आवंटन नहीं;

(vi) सामान्यत: किसी समिति को दो एकड़ से अधिक आवंटन नहीं होगा;

(v) समित द्वारा निर्मित किसी अपार्टमेंट का कार्पेट क्षेत्र 2,000 वर्गफुट से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) भूमि के लिए चार्ज की जाने वाली दरों को अधिग्रहण की लागत आदि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान दरें 400/- रुपये से 450/- रुपये प्रति वर्गमीटर है जो इलाके पर निर्भर है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : स्पीकर सर, डी० डी० ए० जिस का काम मकान बनाना है वह दिल्ली डेवलपमेंट एथॉरिटी दिल्ली डिलेड एथॉरिटी बन कर रह गई हैं। अगर डी० डी० ए० के पास कोई भी काम जाता है तो वह उस काम को नहीं करता है। हमारे मंत्री जी कोई ऐसा कदम उठायें जिससे उसमें एफिशेंसी आये। जिन ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को डी० डी० ए० में पैसा किया हुआ है उनका वह बहुत हासमेंट करता है। क्या मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ गया है ? जिन सोसायटियों ने पैसा जमा किया हुआ है उनको आप कब तक लैंड दे देंगे ?

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तक 126 ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियां हैं जिन को 3600 एकड़ जमीन दी है और उन पर 36,000 मकान बनाये गये हैं। इसी तरह से 518 के लगभग ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को अभी लगभग 1248 एकड़ जमीन दी है उनमें लगभग 72,960 मकान बने हैं। 1983 में लगभग 1411 ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों के नाम रजिस्टर्ड हुए हैं। इधर कुछ जमीन की प्रावलम है। पप्पन कलां में जमीन देने का हमारा प्रपोजल है। वहां हमारे पास लगभग 4500 एकड़ जमीन है और इसी प्रकार से नरेला में 1200 एकड़, गोरालपुर धीरपुर क्षेत्र में 300 एकड़ और रोहिणी मे 1600 एकड़ जमीन हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 7500 एकड़ हमारे पास जमीन है। जिन ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों ने पैसे जमा कर दिये हैं उनको हम जल्दी से जल्दी जमीन देंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिये मैं कम बोल रही हूं। आज डी० डी० ए० की दादागिरी इतना ज्यादा है कि वह कोमन मैन के लिये कोई काम नहीं करता है। आप कोई टाइम-बाऊंड बताइए जिस में कि लोगो को लैंड मिल जायेगी।

श्री दलबीर सिंह : हमारी मंशा उन सोसायटियों को जल्दी लैंड देने की है। हम भी कोशिश कर रहे हैं और डी० डी० ए० भी इस बात की कोशिश कर रहा है कि उन्हें लैंड जल्दी दी जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली के अस्पतालों में गरीब रोगियों के इलाज का समय

[अनुवाद]

*326. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में गरीब रोगियों के इलाज के लिए बहिरंग रोगी विभाग को सायंकाल 6 बजे से 9 बजे तक खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर अस्पतालों की स्थापना

*327. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अनेक कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कैंसर के उपचार के लिए ऐसे अस्पताल खोलने का विचार है जिनमें उपचार की नवीनतम तकनीक उपलब्ध हो और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कैंसर के उपचार के लिए देश में किए जा रहे अनुसन्धान कार्य का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) भारतीय आयुविज्ञान अनुसन्धान परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमानों से पता चलता है कि देश में कैंसर कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि मुख्यत: जनसंख्या में वृद्धि होने और प्रत्याशित आयु में वृद्धि होने के कारण हो रही है। इसके अतिरिक्त कैंसर के बहुत से रोगी -

(I) अधिकांश कैंसर मामलों का देर से पता चलने,

(II) बड़े पैमाने पर सुविधाओं का विस्तार करने मे कठिनाई के कारण कैंसर उपचार की उपयुक्त सुविधाओं के अभाव के कारण मर जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। इस समय देश में 10 क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार केन्द्र हैं जो कैंसर रोगियों को आधुनिक उपचार सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, देश में रेडियो-थिरेपी की सुविधाओं वाली 85 संस्थाएं हैं। आठवीं योजना के दौरान, विद्यमान क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सुदृढ़ करने तथा कैंसर उपचार के लिए अतिरिक्त संस्थाओं का निर्धारण और विकास करने का

प्रस्ताव है ताकि लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक प्रमुख कैंसर उपचार केन्द्र की व्यवस्था हो जाए।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली निम्नलिखित विषयों पर अनुसंधान कर रही है :—

(I) विभिन्न तरह के कैंसर का महामारी विज्ञान।

(II) गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के काम में सामान्य स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को शामिल करने की व्यवहार्यता।

(III) गर्भाशय ग्रीवा स्मीयरों के कोशिका संवर्धन संबंधी पैटर्न का अध्ययन करना। क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्रों ने कैंसर उपचार के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य किया है।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसन्धान परिषद ने कैंसर रोगियों का उपचार करने में जड़ी-बूटियां तथा जड़ी-बूटी-खनिजों (हर्बो-मिनरल) के सम्मिश्रणों की भूमिका का पता लगाने के लिए अध्ययन किए हैं और यह पाया है कि उन कैंसर रोगियों को जो रोग की चरम अवस्था में थे, रोग लक्षणों में आराम मिला।

मध्य प्रदेश में बीड़ी कामगारों को तेंदु पत्तों की सप्लाई

*328. **श्री परसराम मारद्वाज** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बीड़ी निर्माताओं द्वारा बीड़ी कामगारों को तेंदु पत्तों की सप्लाई बंद करने के कारण उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उनके श्रम आयुक्त संगठन में इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि मध्य प्रदेश में विनिर्माताओं ने बीड़ी कामगारों को तेन्दु पत्तों की सप्लाई बंद कर दी है।

(ग) जब कभी अपेक्षित हो, आवश्यक कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है।

ग्रामीण निर्धनों के लिए अस्पताल

*333. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण निर्धनों के लिए और अधिक अस्पताल खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान कितने ऐसे अस्पताल खोले जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिन्हें ग्रामीण अस्पतालों के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना

राज्य सेक्टर के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ वार्षिक योजना की चर्चा के दौरान यह सहमति हुई कि 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 297 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3578 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जायेंगे।

चीनी का भंडार

[हिन्दी]

*334. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च और 30 जून, 1989 को देश में चीनी का कितना-कितना सुरक्षित भंडार था;

(ख) क्या यह मात्रा देश की आवश्यकता-पूर्ति के लिये पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) 31 मार्च, 1989 और 30 जून, 1989 को स्थिति के अनुसार चीनी का स्टाक क्रमशः 49.60 लाख मीटरी टन और 35 89 लाख मीटरी टन था। यह स्टाक वर्तमान मौसम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी है।

उड़ीसा के समुद्र तट पर पर्यावरण में प्रदूषण

[अनुवाद]

*335. **श्री बुध मोहन महन्ती** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा समुद्र तट और चिल्का झील में पर्यावरण में प्रदूषण के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का समुद्र तटों पर अतिक्रमण रोकने हेतु जो पर्यावरण के खराब होने का मूल कारण है, कोई कानूनी उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अवैध कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार मौजूदा कानूनों का प्रयोग करके उचित कार्रवाई कर सकती है।

विवरण

उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के बारे में स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक अध्ययन शुरू किया है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यविधि के क्षेत्र में प्रायोगिक अनुसन्धान अध्ययन के एक भाग के रूप में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भी पुरी-कोणार्क सीमा तटीय क्षेत्र में

पर्यावरणीय प्रबन्ध के लिये स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर के माध्यम से एक अध्ययन शुरू किया है। इस अध्ययन के 1989 के अन्त तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

जहां तक चिल्का झील का सम्बन्ध है इसके बारे में बहुत से अध्ययन किये जा चुके हैं। इन अध्ययनों से पता चलता है कि झील के क्षेत्र में कमी आ रही है जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं— गाद का जमा होना, खर-पतवार का भारी मात्रा में जमा होना, मगरमुख क्षेत्र के अवरुद्ध होने से खारेपन की कमी होना, खर-पतवार की वृद्धि होना, जिसके कारण जल वाले क्षेत्र में कमी आती है, तथा उर्वरकों कीटनाशक दवाओं, कवक नाशकों आदि के उपयोग से प्रदूषण सम्बन्धी खतरों का होना। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) चिल्का झील उन सोलह नम भूमियों में से है जिनकी शिनाख्त संरक्षण और प्रबन्ध कार्य-योजना तैयार करने के लिये की गई है। विभिन्न संरक्षण उपायों के लिये 1988-89 के दौरान 7.45 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(2) चिल्का झील के संरक्षण और विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा 5 .00 करोड रुपये की एक परियोजना तैयार की गई है, जिसके लिये केन्द्र व राज्य दोनों द्वारा निधियों की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है।

संवहन जाल से मछली पकड़ना

*336. **श्री दौलतसिंह जी जदेजा**
श्री सोमनाथ रथ } : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जुलाई, 1989 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "ड्रिफ्टनेट फिशिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संवहन जाल से मछली पकड़ने (ड्रिफ्टनेट फिशिंग) पर रोक लगाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) अभी संवहन जाल से मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

"राजस्थान में वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण"

*337. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में उन क्षेत्रों का, जो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित हैं पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं और इसकी रोक-थाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1984-85 के दौरान राजस्थान के सात औद्योगिक नगरों में वायु प्रदूषण का सर्वेक्षण किया। लेकिन शोर से होने वाले प्रदूषण के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजस्थान के सात नगरों, अर्थात् अलवर, भिवाड़ी चित्तोड़गढ़ जयपुर, खेतड़ी, कोटा और उदयपुर में प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योगों का आसपास की वायु और चिमनियों से निकलने वाले धुएं की क्वालिटी निर्धारित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का एक सर्वेक्षण किया। यह पाया गया कि निम्नलिखित उद्योगों से प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों का अधिक मात्रा में निकलने से वायु प्रदूषण हुआ :—

उद्योग का नाम	मान्य सीमाओं मे अधिक छोड़े गए प्रदूषण फैलाने वाले तत्व
1. भारत एल्यूमिनियम एण्ड केमिकल लिमिटेड, अलवर	सल्फर डाईआक्साइड, एसिड मिस्ट
2. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी।	सल्फर डाईआक्साइड, एसिड मिस्ट और फ्लोराइडस।
3. बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चित्तोड़गढ़।	धूल कण
4. उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर।	धूल कण

इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए :—

(1) उद्योगों को मंजूरी में दी गई शर्तों के अनुसार समयबद्ध आधार पर उत्सर्जन मानकों का पालन करने का निदेश दिया गया है। दोषी यूनिटों के खिलाफ कानूनी करवाई की जाती है।

(2) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत वायु प्रदूषित करने वाले उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

(3) परिवेशी वायु की क्वालिटी के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(4) प्रोत्साहनों, संस्थागत मेकेनिजम को मजबूत करने, अनुसंधान और विकास के जरिए प्रोत्साहक उपाय किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु औषधों की सूची की समीक्षा

*338. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए अपेक्षित औषध-सूची की समीक्षा हेतु नियुक्त की गई समिति के निष्कर्ष क्या है; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) इस समिति ने अपनी सिफारिशों में 11 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमोंमें इस्तेमाल की जाने वाली

औषधों के मूल्य औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की श्रेणी-I में रखने का सुझाव दिया। समिति ने औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की श्रेणी-II के पुनर्निर्धारण के लिए श्रेणी-I की मौजूदा सूची में कुछ परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया। समिति ने उत्पादन उपलब्धता और खपत जैसे कारकों पर ध्यान दिए बिना चिकित्सीय महत्व के आधार पर सिफारिशें की।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने रसायन और पैट्रोरसायन विभाग के परामर्श से अब यह निर्णय किया है कि मूल्य नियंत्रण के लिए औषधों को शामिल करने सम्बन्धी सभी मामले उद्योग मन्त्रालय, रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग द्वारा गठित एक अंतर-मन्त्रालयीन स्थायी समिति, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रतिनिधि भी होंगे, द्वारा तय किए जाएंगे इसलिए यह निर्णय किया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करना आवश्यक नहीं होगा।

परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन

*339. डा० दिग्विजय सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2000 ई० तक देश में बेघर लोगों की संख्या दुगुनी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समस्या परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सीधे-सीधे जुड़ी हुई है; और

(ग) 20 वर्ष पूर्व जिन प्रोत्साहनों को देने का निर्णय लिया गया था उनमें अधिक प्रोत्साहन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1981 की जनगणना के अनुसार बेघर परिवारों की कुल संख्या 6 लाख थी। प्रस्तावित राष्ट्रीय आवास नीति का लक्ष्य इस शताब्दी के अन्त तक बेघरों की समस्या को समाप्त करना है।

(ग) पिछले 20 वर्षों में कुछ प्रोत्साहन योजनाएं जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना, ग्रीन कार्ड योजना, लाटरी योजना शुरू की गई हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में एक अथवा अधिक लड़कियों के पश्चात नसबन्दी करवाने वाले दम्पतियों के लिए विशेष बांड योजनाएं शुरू की गई हैं।

भारतीय रूई निगम लिमिटेड में घाटा

*340. डा० वी० वेंकटेश : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम लिमिटेड को अपने कारोबार में अभी भी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रूई निगम लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) भारतीय रूई निगम को विगत दो वर्षों में परिचालन सम्बन्धी कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) निगम ने अपने ऊपरी खर्चे कम करने और अपनी सामान-सूची को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।

तिमारपुर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा क्वार्टरों का आवंटन

*341. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली केन्द्रीय सर्किल VI के अन्तर्गत तिमारपुर में "खतरनाक" घोषित क्वार्टर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने "खतरनाक" घोषित क्वार्टर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे क्वार्टरों का आवंटन करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

बम्बई में परियोजना कार्यान्वयन में हुई प्रगति

*342. **श्री गुरुदास कामत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमन्त्री द्वारा सन् 1985 में बम्बई के विकास के लिए घोषित की गई 100 करोड़ रुपयों की सहायता में से वास्तव में कितनी धनराशि महाराष्ट्र सरकार को दी गई; और

(ख) शुरू की गई परियोजनाओं में से कौन-कौन-सी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं तथा अभी चल रही परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 50 करोड़ रुपये।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रधान मन्त्री के 100 करोड़ रुपये की अनुदान परियोजना (बम्बई) के ब्यौरे

(रुपये करोड़ों में)

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई निधियां	50.00 करोड़ रुपये
(2) महाराष्ट्र सरकार द्वारा 50.00 करोड़ रुपयों में से क्रियान्वयन अभिकरणों को दी गई निधियां	40.00 करोड़ रुपये
(3) 30-6-1989 तक किया गया व्यय	37.88 करोड़ रुपये

कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण	अनुमोदित लागत	किया गया व्यय	वास्तविक प्रगति
1	2	3	4
(क) बी०एम०सी०			
(1) जल आपूर्ति	18.00	4.02	9 अनुमोदित योजनाओं में से, 5 प्रगति पर हैं। अन्य 2 के लिए निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं तथा शेष 2 के लिए स्थायी समिति के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
(2) सड़कों आदि का निर्माण			कार्य प्रगति पर है।
(ख) बी०एम०आर०डी०ए०			
(1) मिथि नदी का जलमार्ग बनाना	2.00	2.00	कार्य पूर्ण हुआ
(ग) एम०एच०ए०डी०ए०			
(1) मलिनबस्ती उन्नयन	22.00	6.06	(क) 15,000 परिवारों की की मलिन बस्ती के उन्नयन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 10,192 परिवारों के लिए कार्य शुरू किया गया। 6,708 परिवार पूर्ण किए। (ख) 5,000 परिगमन केम्पों का लक्ष्य, 4,222 शुरू किए गए तथा प्रगति पर हैं।
(2) धारवी पुनर्विकास	17.00	6.21	(क) 25,000 परिवारों की मलिन बस्ती उन्नयन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, 8,144 परिवारों के लिए शुरू किया गया, 92 परिवार पूर्ण हुए।

1	2	3	4
			(ख) 2,000 टेनामेंटों के पुन-निर्माण के लक्ष्य के लिए, 1,055 शुरू किए गए तथा प्रगति पर हैं।
			(ग) 1800 टेकनामेंटों में पुनः खोजने के लक्ष्य के लिए 718 टेनामेंट शुरू किए गए तथा प्रगति पर हैं।
			(घ) 1292 के परिगमन कैम्पों के लक्ष्य, सभी शुरू किए तथा पूर्ण हुए।
(3) शहरी नवीकरण	× 41.00 (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है)	19.59	(क) शहरी नवीकरण योजना का लक्ष्य 5.79 टेनामेंटों का है, 3765 शुरू किए गए 1965 पूर्ण हुए।
			(ख) परिगमन केम्पों का लक्ष्य 2386 था, 2386 शुरू किए, 792 पूर्ण हुए।
योग :	100.00	37.88	

ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ दायर मुकदमें

3133. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान श्रमिकों को विदेशों में भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध गबन और कदाचार के कितने मुकदमें दायर किए गए थे;

(ख) कितने मुकदमों में अभियोजन सही साबित हुए थे; और

(ग) कितने ट्रैवल एजेंटों को सजा दी गई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए पंजीकृत और अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों को भेजे गए मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	पंजीकृत	अपंजीकृत
1987	20	22
1988	26	12
1989	7	7

जहां तक दिल्ली के ट्रेवल एजेंटों का सम्बन्ध है, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा पुलिस प्राधिकारियों के पास सीधे शिकायतें दायर की जाती हैं क्योंकि श्रम मन्त्रालय का सम्बन्ध केवल पंजीकृत भर्ती एजेंटों से है। अतः ट्रेवल एजेंटों के खिलाफ दायर किए गए मामलों की सही संख्या नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड में ठेकेदार

3134. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड तथा इसके विभिन्न सहायक निगमों में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित ठेका फोरमेंट के क्षेत्र से बाहर सिविल निर्माण ठेकेदारों को नियुक्त किया जाता रहा है;

(ख) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने समय-समय पर मूल्य संशोधन तथा अन्य सम्बद्ध शर्तों के संबंध में कुछ शर्तों का उल्लेख किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि ठेकेदार सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की मूल्य संशोधन प्रणाली के अनुसार कार्य करें तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड द्वारा ठेकेदार नियुक्त किये जाने में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियमों का अनुपालन किया जाये ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) लोक उद्यम ब्यूरो ने अपने दिनांक 6-2-1973 के कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्यों के लिए संविदा और मानक संविदा फोरमैट की सामान्य शर्तों से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए हैं। इन्हें वे अपने सिविल निर्माण कार्यों के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर सकते हैं।

एन टी सी की अधिकांश सहायक कम्पनियां ठेकेदारों की नियुक्ति से सम्बन्धित मामलों में लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन कर रही हैं।

(ख) और (ग) लोक उद्यम ब्यूरो ने अपने दिनांक 4-11-1966 के परिपत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर यह दबाव डाला था कि स्थान के संबंध में पर्याप्त जांच पूरी होने, उचित योजना तैयार करने, किए जाने वाले निर्माण कार्यों के डिजाइन और प्राक्कलन तैयार होने के बाद ही ठेके के लिए निविदाएं आमन्त्रित करें ताकि संविदा की संशोधित लागत वृद्धि से बचा जा सके।

(घ) सिविल संविदाएं देने में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एन टी सी (धारक कम्पनी) ने मिल से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए यह निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे मामलों में स्थानीय लोक निर्माण विभाग (पी०डब्ल्यू० डी०) की पद्धति का निरपवाद रूप से अनुसरण करें।

कलकत्ता का धंसना

3135. **श्री मुस्तापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के विचार में कलकत्ता धंस रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) धंसने की इस क्रिया को रोकने अथवा धीमा करने हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने गगनचुम्बी भवनों का निर्माण करने तथा भू-जल का प्रयोग करने के बारे में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) इस मंत्रालय को ऐसी कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं। भवनों के निर्माण पर नियंत्रण और भूमिगत जल उपयोग राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में है।

महरौली में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय

3136. **श्री के० एस राव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महरौली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय किराये के एक निजी भवन में चल रहा है;

(ख) भवन का किराया कितना है और इसका भुगतान किसे किया जाता है; और

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम भवन के मालिकाना अधिकार से सम्बन्धित किसी मुकदमें से सम्बद्ध है और यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) इस भवन के वर्तमान मालिक को किराए के रूप में 225 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। क०रा०बी० निगम किसी मुकदमें से सम्बद्ध नहीं। तथापि, इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में मालिक तथा अन्य एक पक्षकार के बीच एक न्यायिक मामला है और किराएदार की हैसियत से क० रा० बी० निगम पर एक आवश्यक पक्षकार के रूप में मुकदमा चलाया गया है।

महाराष्ट्र में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी कपड़ा एकक

3137. **श्री आर० एस० भोये** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वस्त्र निर्यात संवर्धन क्षेत्र में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी कपड़ा एकक स्थापित करने के लिए तीन कपड़ा एककों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों का ब्यौरा क्या है और उनके लिए क्या शर्तें रखी गयी हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सांताक्रुज़ इलेक्ट्रानिक्स निर्यात प्रोसेसिंग जोन में एकक स्थापित करने के लिए हाल में निम्नलिखित तीन शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को अनुमोदित किया गया है। यह अनुमोदन 100% निर्यात अभिमुख सिले सिलाए परिधान एककों पर लागू सामान्य शर्तों के अध्यधीन होगा :—

क्र०सं०	पार्टी का नाम	अनुमोदन तिथि
1.	मै० कविता गार्मेंट्स (प्रा०) लि , बम्बई ।	25-4-89
2.	मै० लेडी लन्दन एक्सपोर्ट्स, बम्बई।	11-7-89
3.	मै० हीरालाल गुलाबचन्द, बम्बई ।	12-7-89

दिल्ली मे कारखाना कर्मचारियों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधाएं

[हिंदी]

3138. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली में अनेक कारखाना मालिक अपने कर्मचारियों को न तो कर्मचारी राज्य बीमा और न ही कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधायें उपलब्ध कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

हिमाचल प्रदेश में ऊना में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

[अनुवाद]

3139. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में ऊना में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्माण कार्य के पूरा होने की क्या तारीख निर्धारित की गई है और इस पर कुल कितनी लागत आएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) पानी का कनेक्शन प्राप्त करने में समय लगने, इलाके में भारी बाढ़ आने, कार्य की बढ़ी हुई गुंजाइश आदि जैसी कुछेक कठिनाइयों के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा उना में गोदाम के निर्माण की प्रगति में कुछ विलम्ब हुआ है ।

(ख) फाउण्डेशन कार्य को पूरा कर लिया गया है । ग्राउण्ड स्तर तक चिनाई कार्य को भी पूरा कर लिया गया है ।

(ग) इस गोदाम के मार्च 1990 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । इसके पूरा हो जाने पर इसकी निर्माण लागत लगभग 25.00 लाख रुपये आने का अनुमान है ।

ऐल्यूमिनियम का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

3140. **डा० बी०एस० शलेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या अमरीका में हाल ही में ऐल्यूमिनियम धातु पर किये गये **एक अनुसन्धान से यह पता चला है कि इसके घरेलू** उपयोग का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या इस अनुसंधान से अल्जीमर के रोग और ऐल्यूमिनियम के बीच सम्बन्ध होने की भी पुष्टि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भी इस धातु के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में ऐसा कोई अनुसन्धान कराया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) एल्यूमिनियम की डगची, ऐल्यूमिनियम के बर्तनों और डिब्बों के उपयोग से खाद्य पदार्थों में ऐल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ सकती है। यह बात विशेष तौर से तब सही होती है जब अम्लीय खाद्य पदार्थों को ऐल्यूमिनियम के बर्तनों में रखा जाता है। ऐल्यूमिनियम की डेगची में पकाये गए रूबार्ब स्टेनलैस स्टील की डेगची में पकाये गए रूबार्ब में प्रति भाग 10.1 मि०ग्रा० ऐल्युमिनियम की तुलना में 25 मि०ग्रा० प्रति सामान्य मार्ग ऐल्यूमिनियम ही सामान्यतया खाना पकाने वाले बर्तनों से आहार में ऐल्यूमिनियम बहुत थोड़ी मात्रा में आती है और उसके कारण विषाक्तता विज्ञानीय प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं होती है।

(ख) कुछ अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि जो रोगी अल्जीमर से पीड़ित हैं, उनके मस्तिष्क के घूसट-द्रव्य के अंगों में ऐल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई गई है। बहरहाल इस विचार का अन्य वर्ग के कार्यकर्ताओं द्वारा खंडन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भांडागार निगम और भारतीय मानक ब्यूरो में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3141. **श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भांडागार निगम तथा भारतीय मानक ब्यूरो में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी थे और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में (संगठन-वार) कितने कर्मचारी भर्ती किए गए और पदोन्नत किए गए, कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए, कितने आरक्षित पद भरे गए, कितने आरक्षित पदों को अनारक्षित किया गया, और कितने आरक्षित पद व्यपगत किए गए;

(ग) उपरोक्त संगठनों में विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों में बकाया रिक्त पदों की 31 दिसम्बर, 1988 को क्या स्थिति थी;

(घ) क्या इन सरकारी उपक्रमों में रोस्टर प्रणाली लागू करने तथा अनुसूचित जातियों/

अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में सरकारी अनुदेशों का पूरी तरह पालन किया गया है; और

(ङ) आरक्षित पदों को अनारक्षित न करने तथा पिछले बकाया पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(घ) और (ङ) तीन संगठनों में सरकार के अनुदेशों का अनुसरण किया जा रहा है। सरकार द्वारा सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछली बची रिक्तियों को यथा सम्भव भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

विवरण-I

31-12-1988 को स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या, उनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या और अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पिछली बची रिक्तियों की संख्या

श्रेणी/समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	कर्मचारियों की संख्या		निम्न के लिए आरक्षित पिछली बची रिक्तियों की संख्या	
		अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
1	2	3	4	5	6
		भारतीय खाद्य निगम			
I	911	115	18	2	8
II	4148	435	37	55	78
III	38255	6038	1047	423	963
IV	25891	7363	1092	369	324
		सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन			
I	252	27	5	4	1
II	779	76	6	8	6
III	4551	703	68	67	79
IV	4053	1148	99	9	29
		भारतीय मानक ब्यूरो			
I	568	31	3	14	5
II	190	5	—	—	—
III	1116	130	3	35	21
IV	413	146	13	—	6

विवरण-2

1986, 1987 और 1988 के वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणी/समूह में भर्ती किए गए और पदोन्नति किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, अनारक्षित की गई रिक्तियों की संख्या और समाप्त हो गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या

श्रेणी/समूह	कर्मचारियों की संख्या	के लिए आरक्षित रिक्तियां		भरी गई रिक्तियां		अनारक्षित रिक्तियां		समाप्त हो गई रिक्तियां	
		अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				भारतीय खाद्य निगम					
				सीधी भर्ती द्वारा भरी गई रिक्तियां (1986, 1987 और 1988)					
I/"क"	44	7	—	11	—	1	—	—	—
II/"ख"	11	—	1	—	—	—	—	—	—
III/"ग"	664	71	37	107	26	—	—	—	—
IV/"घ"	527	22	2	53	4	—	—	—	—
				पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियां (1986, 1987 और 1988)					
I/"क"	311	32	14	32	—	9	6	—	—
II/"ख"	1338	183	84	280	22	4	2	—	—
III/"ग"	4962	486	244	969	224	—	—	56	87
IV/"घ"	924	97	54	159	73	—	—	—	—
				सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन					
				सीधी भर्ती द्वारा भरी गई रिक्तियां (1986, 1987 और 1988)					
I/"क"	17	3	2	3	—	—	—	—	—
II/"ख"	4	1	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III/'ग"	457	65	34	96	19	9	1	25	24
IV/"घ"	328	53	20	149	16	6	2	3	12
पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियां (1986, 1987 और 1988)									
I/"क"	92	6	2	11	2	—	—	—	—
II/"ख"	90	13	7	11	3	—	—	1	—
III/"ग"	386	63	30	87	20	—	—	—	8
IV/"घ"	111	16	7	36	4	—	—	—	2
भारतीय मानक ब्यूरो (1986, 1987 और 1988)									
सीधी भर्ती द्वारा भरी गई रिक्तियां									
I/"क"	75	10	5	15	1	—	—	6	5
II/"ख"	35	5	2	3	—	—	—	1	4
III/"ग"	135	28	13	19	4	—	—	5	11
IV/"घ"	53	10	5	19	5	—	—	—	—
पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियां									
I/'क"	178	—	—	9	—	—	—	—	—
II/"ख"	96	9	6	9	—	—	—	—	—
III/"ग"	75	16	6	19	—	—	—	3	2
IV/'घ"	34	4	4	7	—	—	—	—	2

उड़ीसा में 'हुडको" योजनाएं

3142. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान उड़ीसा राज्य के लिये कितनी योजनाओं को मंज़री दी गई है;

(ख) इस योजना में कितने कस्बे शामिल हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया और कितने आवासीय भूखंडों का विकास किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान उड़ीसा राज्य के लिये हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	लाभान्वित कस्बों की संख्या
1988-89	10	6
1989 90 (30-6-89 तक)	8	8

(ग) हुडको की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा के लिये स्वीकृत 74062 रिहायशी एककों में से, 36129 रिहायशी एककों को जून, 989 की स्थिति के अनुसार पूर्ण हुये बताया गया है। तथापि, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान निर्मित फ्लैटों एवं विकसित आवास स्थलों की संख्या के ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में मम्टी का निर्माण

3143. **श्री गंगा राम** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी, रोहिणी में दो मंजिलों से अधिक अथवा दूसरे मंजिल पर एक मम्टी बनाने की अनुमति है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 90 वर्गमीटर तक माप के भूखण्डों पर केवल दो मंजिलों की अनुमति है। भवन उप नियमों के अनुसार केवल 90 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों पर 2½ मंजिल अनुमेय हैं।

90 वर्गमीटर तक माप के भूखण्डों पर 2 मंजिल से अधिक की अनुमति न देने का कारण यह है कि इनका निर्माण मानक डिजाइजन के अनुसार किया जाता है और भवन उप-नियमों के अधीन अनुमेय की तुलना में भूतल और प्रथम तल पर और अधिक पार्शी स्थान की व्यवस्था की जाती है।

जनता की मांग पर बाद में "मम्टी" अथवा सीढ़ियों की छत की अनुमति दी गई है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना

[हिन्दी]

3144. डा० मनोज पाण्डे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम चलाने वाली ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएं हैं जिन्हें दिल्ली प्रशासन के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार हेतु वर्ष 1988-89 के दौरान मान्यता प्रदान की गई थी और यह मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई थी;

(ख) किन-किन संस्थाओं की ओर से सरकार को वर्ष 1988-89 और 1989-90 (जून, 1989 तक) में विभिन्न पाठ्यक्रमों को मान्यता देने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन आवेदनों पर क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र के वनस्पति एकक

[अनुवाद]

3145. श्री अनूपचन्द शाह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान महाराष्ट्र में सहकारी, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने नये वनस्पति उत्पादन एकक खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) इन एककों को स्थापित करने के लिये चुने गये स्थलों, अनुमानित उत्पादन क्षमता और इन एककों द्वारा कब तक उत्पादन आरम्भ किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) राज्य में औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अभी लम्बित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। इस समय इस विभाग द्वारा कार्रवाई के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं पड़ा है।

प्री-फैब्रिकेशन सम्बन्धी विकास-दल

3146. श्री राम धन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवनों के सम्बन्ध में प्रीफैब्रिकेशन और मौड्यूलर कार्डिनेशन के क्षेत्र में विकास करने हेतु उनके मन्त्रालय द्वारा नियुक्त किये गये विकास-दल की क्या सिफारिशें हैं; और

(ख) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भवनों में पुनर्स्थापन और प्रमाणीय समन्वय पर विकास दल की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) दल की रिपोर्ट को राज्य सरकारों, विभिन्न केन्द्रीय सरकारी संगठनों और नई संस्था में भवन निर्माण क्रियाकलापों से सम्बन्धित अभिकरणों को अनुवर्ती कार्रवाई और सम्भव सीमा तक सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु प्रचालित किया गया है।

विवरण

भवनों में पूर्व निर्माण तथा प्रमाणीय समन्वय पर विकास दल की सिफारिशें

(क) दरवाजों तथा खिड़कियों जैसी मदों के निर्माताओं तथा अन्य निर्माण के अंगभूतों जो निर्माण मे समन्वित हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से कुछ हद के आकार को पूरा करेगा प्रत्येक आकार बड़ी संख्या में निर्मित किए जा रहे हैं तथा इससे निर्माण की लागत में कमी आएगी।

(ख) यदि प्रमाणीय आयाम व्यापक रूप से लागू हैं, निर्माण के अंगभूतों के पूर्वदलित के निर्माता भवनों में समन्वित करने के लिए अंगभूतों की घटिया किस्म की आपूर्ति कर सकेंगे। उनके उत्पादन के प्रयोग का विषय क्षेत्र इस प्रकार बढ़ेगा, जिसका परिणाम घटी हुई लागत होगी, साथ-साथ कमी वाली सामग्रियों की खपत को कम करेगा।

(ग) यहां तक कि योजना में परम्परागत निर्माण प्रमाणीय आयामों के उपयोग करने से बचतें होगीं तथा नष्ट होने से बचेंगे।

(घ) योजना के दौरान आयामी समनाय का उपयोग तथा अभिकल्पना के स्तरों से कार्य करना आसान करेगा, इसके परिणाम स्वरूप अभिकल्पना के समय में बचत होगी।

(ङ) आयोजन, अभिकल्पना और अनुमान प्रक्रिया के दौरान द्विमितीय समन्वय के प्रयोग से कार्यकरण का सरलीकरण होगा और समय की बचत होगी। प्रमाणिक ब्यौरों का उपयोग सरलीकरण और संघटकों में किया जायेगा और इससे समग्र निर्माण के निष्पादन में सुधार होगा।

मितव्ययता प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं :—

(क) प्रथमतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, एम०ई०एस० और सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय संगठनों को एक निदेश जारी किया गया कि अब से रिहायशी भवनों के लिये सभी आयोजना प्रमाणीय समन्वय का प्रयोग करें। अनुभव प्राप्त करने के पश्चात, इस मार्गनिर्देशक का विस्तार सभी भवनों पर किया जा सकता है। निदेशक के साथ एक स्पष्टीकरण होना चाहिये कि प्रमाणीय समन्वय के अपनाने से लागतों में वृद्धि नहीं होगी और दीर्घावधि में इससे मितव्ययता आयेगी।

(ख) इन संगठनों को इसी प्रकार का एक निदेशक कि अब से सभी दरवाजे तथा खिडकियां इस रिपोर्ट में दिये गये निर्धारित प्रमाणीय आयामों की होनी चाहिये।

(ग) अन्त: कार्रवाई और आयोजन तथा कार्यान्वयन की समस्याओं के विचारार्थ पुनर्निवेशन के प्रयोजनार्थ प्रक्रिया की एक निरन्तर पुनरीक्षा आवश्यक होगी। यह कार्य निर्माण तथा आवास मन्त्रालय के तत्वाध्यान में एक समन्वय दल अथवा तन्त्र की स्थापना द्वारा किया जा सकता है।

(घ) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।—

(I) कि प्रमाणीय समन्वय तथा पद्धतियां निर्माण की शिक्षा वास्तकीय, इंजीनियरी तथा पोलिटैकनिक के विद्यार्थियों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।

(II) प्रमाणीय समन्वय में पाठ्यक्रमों की श्रृंखलाओं का आयोजन इंजीनियरिंग, वास्तुकीय तथा तकनीकी अभ्यास के लिये होना चाहिये।

(III) कि राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन, एस०ई०आर०सी० तथा केंद्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान जैसे संगठन सक्रिय रूप से प्रोन्नतक तथा प्रमाणीय समन्वय के प्रयोग पर उत्पादकों भवन निर्माताओं को सलाह देने वाले होने चाहिये।

(ङ) भवन उपनियमों को उचित रूप से इस प्रकार संशोधित किया जाय कि वे प्रमाणीय समन्वय के उपयोग के साथ प्रतिकूल हों।

(च) जहां कहीं भी सरकारी अभिकरणों द्वारा निर्धारित मान्य क्षेत्र स्प्रेस मानदण्ड के लिये भी यही प्रयोग किया जाय।

(छ) सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रमाणीय समन्वय प्रयोग करने वाले परियोजनाओं के लिये प्राथमिकता तथा अन्य प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये।

(ज) यहां पर बताई गई प्रमाणीय पद्धतियों को निर्धारित परिमाण को अपनाने के लिये भवन निर्माण घटक उत्पादकों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित करना तथा निर्देशित करना चाहिये।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कार्यालय

3147. **श्री एम० डेनिस।** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय रेशम बोर्ड के राज्यवार स्थित कार्यालयों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जहां सी०एस०बी० एकक कार्य कर रहे हैं उन स्थानों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	सी०एस०बी० एककों का स्थान	कार्य कर रहे एककों की संख्या
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	1. बंगलौर	8
		2. मैसूर	4
		3. चिकबलापुर	1
		4. गोरीबिदनर	1
		5. मुलबगल	1
		6. विजयपुर	1
		7. चिंतामणि	1
		8. के.पी. दोदी/रामनगर	3
		9. सिरसी	2
		10. नागमहागला	1
		11. नागनहाली	1
		12. गावीमट्ठ	1
		13. चमराजनगर	1
		14. येदिपुर	1
		15. मादीवला	1
		16. चित्रदुर्ग	1
		17. बिदर	1
		18. एटीबेले	1
		19. धर्मपुर	1
		20. कोपाल	1
			33
2.	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद	1
		2. हिंदुपुर	2
		3. टंकाला	1
		4. मदपल्ली	2
		5. अनन्तपुर	1
		6. पालमनेर	1

1	2	3	4
		7. रायचेती	1
		8. विक्राबाद	2
		9. गोरेंटला	1
		10. हनुमकोंडा	1
		11. इलाकापेट	1
		12. रामपचोदवरम	1
		13. मादकसिरा	1
			16
3.	तमिलनाडु	1. मद्रास	1
		2. एलेंगम	1
		3. हेसुर	1
		4. पोनागम	1
		5. थाल्ली	1
		6. येलागिरी हिल्स	1
		7. कुनूर	1
		8. सालेम	1
		9. वेदरयम	1
		10. कोयम्बतूर	2
		11. केलकानीकोटाई	1
		12. मदुरई	1
			13
4.	पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता	1
		2. मालदा	4
		3. कालिपोंग	3
		4. बेरहामपुर	2
		5. काशीपुर	1
		6. अम्बरीफालकटा	1
		7. रामपुरहट	1

1	2	3	4
		8. पंचग्राम	1
		9. क्षारग्राम	1
		10. सुजापुर	1
		11. इस्लामपुर	1
		12. शक्तिपुर	1
		13. मोठाबारी	1
		14. चंचल	1
		15. कूचबेहर	2
		16. कामनगर	1
		17. पटेल नगर	1
		18. तांतीपाड़ा	1
		19. कोकीथा	1
		20. दक्षिण भवानीपुर	1
		21. थासदा	1
		22. कर्ण सुबर्णा	1
		23. बंगुरिया	1
		24. धुबुलिया	1
			31
5.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ	1
		2. देहरादून	5×
		3. वाराणसी	1
		4. भीमताल	1
		5. घूघर्य	2
		6. नौगढ़	1
		7. माजरा	1
		8. हरदोई	1
			13
6.	मणिपुर	1. इम्फाल	2
		2. मणिपुर (दक्षिण एवं उत्तर डिस्ट्रिक्ट)	2
			4

1	2	3	4
7.	असम	1. गुहाटी	2
		2. शिबसागर	1
		3. दाउकूखाना	2
		4. हाइम	1
		5. धूमधूमा	1
		6. उमरांगसू	1
		7. जोरहट	4×
		8. मिरजा	1
		9. दीप्पू	1
			14
8.	मेघालय	1. अराडोंगा	1
		2. महंदीपत्थर	1
		3. शिलांग	1
		4. खरूकोल	1
		5. रोमपारा	1
		6. अधोकगिरि	1
			6
9.	मध्य प्रदेश	1. रायगढ़	1
		2. होशंगाबाद	1
		3. लक्खा	1
		4. जगदलपुर	2×
		5. कटघोरा	1
		6. पाली	1
		7. बसत्तर	1
		8. बोअर्उदार	1
		9. अम्बिकापुर	1
		10. बालाघाट	1
		11. बिलासपुर	1
		12. चमप्पा	1
			13

1	2	3	4
10.	जम्मू तथा कश्मीर	1. श्रीनगर	2
		2. बैगिल	1
		3. उधमपुर	1
		4. मिरानसाहिब	1
		5. मंशाबल	1
		6. पामपुर	1
		7. सुन्दबनी	1
		8. तरल	1
		9. बाटोटे	1 ×
			10
11.	उड़ीसा	1. भुवनेश्वर	
	त्रिपुरा	1. अगरतल्ला	1
12.	उड़ीसा	1. भुवनेश्वर	2
		2. राउरकेला	1
		3. सिमलिलगुद	1
		4. कुचिंदा	1
		5. फुलबनी	1
		6. बारीपाडा	2
		7. बंगरीपोशी	1
		8. नौरंगपुर	1
		9. फलाहारा	1
		10. सुन्दरगढ़	1
		11. लाहुनीपारा	1
		12. पाकीरपु	1
		13. रामगिरि	1
		14. कोरापुत	2 ×
			17
13.	बिहार	1. पटना	1
		2. भागलपुर	2

1	2	3	4
		3. छायीबासा	2
		4. सत्यनगर	1
		5. ठाकुरगंज	1
		6. रांची	2
		7. महेशपुर	1
		8. किशनगंज	2
		9. मुज्जफरपुर	1
		10. गुमला	1
		11. लोहरडागा	1
		12. साहिबगंज	1
		13. दुमका	1
		14. हथगामारिया	1
		15. खारसवान	1
		16. नोआमुदी	1
		17. काथीकुण्ड	1
		18. मधुपुर	1
		19. हजारीबाग	1
			23
14.	महाराष्ट्र	1. बम्बई	1
		2. पारभानी	1
		3. चन्द्रपुर	1
		4. भण्डारा	1
		5. सकोली	1
		6. अकोला	1×
		7. गुदिमलाज	1
			7
15.	हिमाचल प्रदेश	1. बीर	1
		2. पण्टासाहिब	1
			2

1	2	3	4
16.	मिजोरम	चम्मपाई	1
17.	पंजाब	सुजानपुर	1
18.	अरुणाचल प्रदेश	1. दीरांग	1
		2. सिलो	1
		3. जिया	1
			3
19.	नागालैंड	1. किकरुमा	1
		2. दीमापुर	1
		3. बागटी	1
		4. नागालैंड	1
			4
20.	सिक्किम	1. माजीतर	1
21.	राजस्थान	1. कोटा	1
		2. मावली	1
		3. उदयपुर	1×
		4. दाबक	1
			4
22.	केरल	1. पालघाट	1
		2. कनजीरापल्ली	2×
			3
23.	गुजरात	1. सूरत	2×
		2. वालूद	1
			3
		केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कुल एकक	223

नोट : ×एक एकक एन०एस०पी० कार्यालय का सम्मिलित है।

बुनकरों के उत्थान हेतु कार्यशील संगठन

3148. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनकरों के उत्थान हेतु कार्यशील संगठनों की राज्य-वार संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) उन संगठनों की कुल संख्या और नाम क्या-क्या हैं जो लाभ कमा रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे में चलने वाले संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय सरकार बुनकरों के उत्थान में कार्यरत संगठनों की ऐसी कोई सूची नहीं रखती है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में रिहायशी इमारतों के स्थान पर दुकानों का अवैध निर्माण

[हिन्दी]

3149. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में रिहायशी इमारतों के स्थान पर दुकानों के अवैध निर्माण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जनवरी, 1989 से आज तक कोई जांच की है और यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):(क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

होम्योपैथिक औषधियों में चीनी का शीरा प्रयोग करना

[अनुवाद]

3150, **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध नियंत्रक ने भारत में निर्मित होम्योपैथिक औषधियों में चीनी का सुगन्धित शीरा प्रयोग करने की अनुमति दे दी हैं;

(ख) यदि हां तो किस होम्योपैथिक फार्माकोपिया में चीनी के सुगन्धित शीरा सत्वों को संजोयी के तौर पर प्रयोग करने की स्वीकृति है; और

(ग) यदि नहीं, तो बाजार में आयी ऐसी होम्यौपैथिक औषधियों को वापस लेने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) : होम्योपैथिक औषधों के निर्माण की अनुमति सम्बन्धित राज्य के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है। कभी-कभी कुछ औषध नियंत्रकों द्वारा इस बारे में औषध नियंत्रक (भारत) के विचार मांगे जाते हैं और औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा मंत्रालय के होम्योपैथी विंग से परामर्श करके उन्हें तदनुसार सूचित किया जाता है। भारतीय होम्योपैथिक सेषज संहिता में होम्योपैथिक औषध तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिरप में सुगंध/एसेंस के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

जनजातियों के लोगों को मकानों/दुकानों का आवंटन

3151. **श्री बागुन सुम्बरुई** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जनजातियों/आदिवासियों के लोगों को कितने मकान, फ्लैट और दुकानें आवंटित की गई हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का निकट भविष्य में जनजातियों के लोगों से फ्लैट/दुकानों के आवटन हेतु पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुसूचित जनजातियों/आदिवासी आवेदनकर्ताओं के सदस्यों को आवंटित मकानों/फ्लैटों के बारे में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ग्यारह दुकानें/स्टाल/कियोस्क आवटित किए गए हैं।

(ख) और (ग) : चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से दुकानें/स्टालों/क्रियोस्कों के आवंटनार्थ आवेदन पत्र आमंत्रित करने का प्रस्ताव है। जहां तक मकानों/फ्लैटों का सबंध है, अनुसूचित जनजातियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

केरल में सामाजिक वानिकी

3152. **श्री टी० बशीर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत इस्तेमाल की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : वर्ष 1988-89 के दौरान केरल राज्य में सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण कार्यकलापों पर कुल 11.15 करोड़ों रुपए की धनराशि उपयोग में लाई गई है।

दादरा और नागर हवेली में चिकित्सकों को स्थायी करना

3153. **श्री कमल नाथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नागर हवेली प्रशासन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर नियुक्त किये गए एम०बी०बी०एस० चिकित्सकों को संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि पूरी करने के पश्चात भी स्थायी घोषित नहीं किया गया है;

(ख) क्या दादरा और नागर हवेली प्रशासन ने अपनी चिकित्सा सेवा का कोई भी पद स्थायी घोषित नहीं किया है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने पद स्थायी हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार दादरा और नागर हवेली प्रशासन की चिकित्सा सेवा के पदों को स्थायी घोषित करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल को "हुडको" की सहायता

3154. **श्री पी०ए० एन्टनी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा "हुडको" की सहायता से त्रिचूर में आवास योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिचूर, केरल में हुडको द्वारा स्वीकृत आवास योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

योजनाओं की संख्या	...	13
परियोजना की कुल लागत	...	12.49 करोड़ रुपये
हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण	...	8.30 करोड़ रुपये
स्वीकृत आवासीय एकक	...	10,825
स्वीकृत प्लाट	...	64

उड़ीसा में हैजा और आंत्र-शोथ के कारण मृत्यु

3155. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा में कुछ लोगों की हैजा और आंत्र-शोथ रोग के कारण मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का इन रोगों की रोकथाम के लिए कुछ स्थायी उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और

(ख) पूरे उड़ीसा में हैजा जठरान्त्रशोथ/अतिसार रोगों के मामलों की संख्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में दी गई सूचना के अनुसार निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	हैजा		अतिसार रोग/जठरान्त्रशोथ	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5
1987	3	—	78819	420
1988	9	2	988728	603
1989 (31.7.89 तक)	—	—	2334174	120

(ग) और (घ) केन्द्र और राज्य सरकारें इन रोगों के नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम उठा रही हैं। भारत सरकार ने भीषण अतिसार रोगों से होने वाली रुग्णता और मौतों को कम करने के लिए देश में अतिसार रोगों के प्रबंध के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में ओ० आर० टी० कार्यक्रम की भी शुरूआत की है जिसका चरणबार तरीके से प्रसार किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों और अस्पतालों में रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं के आधार पर विशिष्ट उपचार उपलब्ध है। इस समस्या से ग्रस्त गांवों में 7 वीं पचवर्षीय योजना के अन्त तक शुद्ध पीने योग्य पानी की आपूर्ति पर बल दिया गया है। समुदाय के योगदान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौच गृहों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी प्रयासों को तेज किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा सभी प्रकोपों की जांच की जा रही है और असुरक्षित पीने के पानी की सप्लाई को क्लोरीकृत किया जा रहा है।

सरकारी आवासों को नियमित करना

3156. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के उन आश्रितों, जिन्होंने अपने माता-पिता के सेवा काल के दौरान अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता नहीं लिया है; को क्वार्टरों का आवंटन नियमित करने सम्बन्धी सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि जिन विधवाओं को अपने पति के मरणोपरान्त नौकरी मिली है तथा अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता नहीं लिया है, के क्वार्टरों को नियमित करने सम्बन्ध अनेक मामले वर्ष 1987 से उनके मंत्रालय के अधीन सम्पदा कार्यालय में अभी भी विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरेट, नयी दिल्ली) के कितने मामले सम्पदा कार्यालय, नई दिल्ली में अभी भी विचाराधीन हैं;

(घ) ऐसे क्वार्टरों को नियमित न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री बलबीर सिंह) : (क) इस विषय पर सरकार की नीति सम्बन्धी मार्गनिदेशन विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

आश्रितों के लिये नियमितीकरण/तदर्थ आवंटन हेतु मार्ग निर्देशन

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को वास का नियमितीकरण/तदर्थ आवंटन अनुमेय है बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों : –

(i) सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के पुत्र अविवाहित पुत्री या पत्नी या पति जैसा भी मामला हो, को पात्र टाइप के तनिम्न टाइप में ऐसा नियमितीकरण/तदर्थ आवंटन किया जाता है।

(ii) दोनों ही सामान्य पूल के लिये पात्र कार्यालयों में कार्यरत हों।

(iii) सरकारी कर्मचारी का आश्रित उसके सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व निरन्तर तीन वर्ष तक उसके साथ रह रहा हो या यदि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन वर्ष के भीतर सरकारी सेवा में नियुक्त हुआ हो या सेवानिवृत्ति कर्मचारी के तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित हुआ हो/हुई हो, सरकारी कर्मचारी के साथ नियुक्ति या स्थानान्तरण की तारीख से लगातार रह रहा हो।

(iv) यह छूट उन मामलों में नहीं दी जाती है जहां कि सेवानिवृत्त कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य का उसकी तैनाती के स्थान पर अपना कोई मकान हो।

(v) सेवानिवृत्व कर्मचारी के दखल में परिसर के सम्बन्ध में सभी बकाया राशियों का भुगतान कर दिया गया हो।

पंजाब में वनस्पति एकक

3157. **श्री कमल चौधरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में वनस्पति एकक किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान पंजाब में इन क्षेत्रों में नए एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कहां और इन एककों में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) पंजाब में अमृतसर और खन्ना में क्रमशः एक यूनिट सार्वजनिक क्षेत्र में और एक यूनिट सहकारी क्षेत्र में है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा तत्कालीन स्वदेशी काटन मिल्स के पूर्व मालिकों के विरुद्ध दावे

3158. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड, कानपुर ने सुझाव दिया है कि तत्कालीन स्वदेशी कॉटन मिल्स लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों के मालिक जयपुरिया समूह के विरुद्ध अपने दावे, जोकि करोड़ों रुपये के हैं प्रस्तुत किए जाएँ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायलय के 12.2.1988 के निर्णय के बाद स्वदेशी माईनिंग ऐंड मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लि० जयपुरिया ग्रुप से सम्बन्धित एक कम्पनी, अब एन० टी० सी० (यू०पी०) लिमि० की एक सहायक कम्पनी बन गई है। लेखाओं की जांच के बाद यह पता चला है कि स्वदेशी माईनिंग ऐंड मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लिमि० को जयपुरिया ग्रुप से सम्बन्धित स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमि० से और कुछ प्राइवेट पार्टियों से भी काफी धनराशि प्राप्त/वसूल करनी पड़ती है। स्वदेशी माईनिंग ऐंड मैनु कम्पनी लिमि० ने संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किया है तथा कुछ मुकदमे दायर किए हैं। बकाया राशि वसूल करने के लिए अतिरिक्त मुकदमें दायर करने का मुद्दा एन० टी० सी० के विचाराधीन है।

स्वंयसेवी सगठनों द्वारा पश्चिम बंगाल में अस्पतालों के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध

3159. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में अस्पतालों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु स्वंय-सेवी संगठनों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) जिन संस्थाओं ने वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध/आवेदन किया था उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची और ब्यौरा

संस्थाओं के नाम	राशि और उद्देश्य
1	2
रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, कलकत्ता	(क) उपस्करों की खरीद के लिए 34,67,859.21 रु०

1	2
	(ख) उपस्करों की खरीद के लिए 2,00,000/-रु०
बेहला बालानन्द ब्रह्मचारी अस्पताल, कलकत्ता	मौजूदा अस्पताल इमारत के विस्तार/निर्माण के लिए 2,00,000/-रु०
श्यामा प्रसाद कलकत्ता संस्था, तंजपुर, हावड़ा।	उपस्करों की खरीद के सिए 1,68,800/-रु०
विकास भारती कल्याण सोसाइटी, कलकत्ता	उपस्करों की खरीद के लिए 1,32,546/-रु०
श्री रामकृष्ण मातृ मंगल प्रतिष्ठान, अरियादाहा, पश्चिम बंगाल	उपस्करों की खरीद के लिए 3,05 048/-रु०
विवेकानन्द सेवा सदन, मान्द्रा, पश्चिम बंगाल	उपस्करों की खरीद के लिए 2,00,000/-रु०
सोनतला मिलन संघ हावड़ा, पश्चिम बंगाल	ग्रामीण क्षेत्र में एक नए अस्पताल की स्थापना के लिए (एक अग्रिम प्रति) वित्तीय सहायता का अनुरोध प्राप्त हुआ। इस परियोजना की अनुमानित लागत 47,23,980.00 रु० है।

अरहन्त टावर, जनकपुरी में दुकानों का निर्माण

3160. **श्री पी० एम० सईद** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी वाणिज्यिक परिसर में अरहन्त टावर के भूमि तल में अनधिकृत दुकानों का निर्माण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) प्लाट सं० 50 तथा 51, ब्लाक-बी, जनकपुरी में अरहन्त टावर का निर्माण किया गया है। निर्माताओं ने तहखाने को अनधिकृत कक्ष में विभाजित किया है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 15 दिन का समय देते हुये 27.7.89 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में आगे और कार्रवाई नोटिस में दी गई अवधि के समाप्त होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन प्लाटों की नीलामी से सम्बन्धित फाइलें उनके पास उपलब्ध है।

वन क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य

[हिन्दी]

3161. **श्री एम० एल० शिकराम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य आरम्भ करने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) वर्ष 1980 में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों, विशेष रूप से सड़कों, संचार-व्यवस्था, सिंचाई और बिजली के निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या ये विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य पूरी तरह रुके पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) किसी भी गैर-वन प्रयोजन के लिए वन क्षेत्रों को उपयोग में लाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पहले केन्द्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है ।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) जो परियोजनाएं 1980 में पूरी नहीं हुई थी और अब वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए प्राप्त हुई है, उन सभी परियोजनाओं पर शीघ्र मंजूरी देने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है ।

नागपुर शहर में परिक्रमा रेल सेवा

[अनुवाद]

3163. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर शहर में परिक्रमा रेल सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) नागपुर नगर में मुद्रिका रेल चालू करने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए सहकारी समिति

[हिन्दी]

3164 **श्री मदन पांडे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए किसी सहकारी समिति को मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसके माध्यम से कितनी मात्रा में सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात करने का विचार है;

(ग) क्या इस समिति के गठन के पश्चात् निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और यदि नहीं, तो सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेवा केन्द्रों में प्राप्त शिकायतें

[अनुवाद]

3165. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साउथ एवेन्यू स्थित सेवा केन्द्र में फर्नीचर आदि बदलने के बारे में संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करने में कितना अधिकतम और न्यूनतम समय लिया जाता है; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेवा केन्द्रों में की गई शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पररख दी जायेगी।

केन्द्रीय भांडागार निगम की भंडारण क्षमता

3166. **डा० पी० वल्लल पेरुमन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय भांडागार निगम की वर्तमान कुल भण्डारण क्षमता क्या है;

(ख) कितने प्रतिशत भंडारण क्षमता गैर-सरकारी पार्टियों से किराये पर लिए गए भंडागारों से बनती है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में भंडारण क्षमता बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान इसके सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) 1.6.1989 को स्थिति के अनुसार सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के पास कुल 64.13 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी जिसमें से लगभग 29% क्षमता प्राइवेट पार्टियों से किराये पर ली गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) 1989-90 के दौरान, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रमशः 2.50 लाख मीट्रिक टन और 1.80 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किए जाने की आशा है।

दिल्ली में प्रापर्टी डीलरों/एजेंटों की गतिविधियां

3167. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ प्रापर्टी डीलर्स/एजेंट्स दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों और भूखंडों के कुछ आवंटितियों से मिलकर दिल्ली विकास प्राधिकरण से आवंटित फ्लैटों/भूखंडों का मुख्तारनामे के द्वारा अन्य लोगों को कब्जा दे रहे है; और

(ख) यदि हां, तो देश में काले धन की वृद्धि में सहायक इन डीलरों/एजेंटों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कई सुधार प्रारम्भ किए हैं जिनका उद्देश्य दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों की बिक्री पर विभिन्न प्रतिबन्धों की छूट अनर्जित वृद्धि तथा इसको अदायगी की गणना से सम्बन्धित प्रक्रिया का सरलीकरण. जहां कहीं आवश्यक हो, बिक्री की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया का योक्तिकीकरण से है। इन सुधारों का अन्तिम उद्देश्य दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों की खुली बिक्री की सुविधा प्रदान करना तथा उचित विक्रय विलेख के बदले में मुख्तारनामे के आश्रय में कमी लाना है।

आवास निर्माण के नक्शों को स्वीकृति

3168. **श्री राम जगत पासवान :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1989 के दौरान दिल्ली में आवास निर्माण के नक्शों को स्वीकृत कराने सम्बन्धी शर्तों को उदार बना दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरलीकृत पद्धति के अनुसार, 500 वर्ग मीटर और उससे कम आकार के प्लाटों पर मकानों के निर्माण के लिए भवन नक्शों की स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रपत्र में अनुरोधों को मालिकाना और लाइसेंसधारी वास्तुक (वास्तुकीय परिषद के पास पंजीकृत) के सत्यापन पर स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार, लाइसेंस शुदा वास्तुक के सत्यापन पर फार्म "सी" तथा "डी" पर भी अनुमति दी जाती है।

इस प्रकार की सभी स्वीकृतियों के निपटान के लिए "एक खिड़की" का प्रबन्ध किया गया है।

कैंसर रोगियों के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठन

3170. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर रोगियों के लिए कितने स्वयं सेवी संगठन कार्य कर रहे हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन्हें क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं और कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) क्या सरकार को इन स्वयं सेवी संगठनों द्वारा धन के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) कैंसर रोगियों के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों की संख्या, उनके स्थान तथा उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि इस मंत्रालय का निम्नलिखित स्वयंसेवी संगठनों के साथ हाल ही में सम्बन्ध स्थापित हुआ है :—

1. भारतीय कैंसर सोसाइटी, बम्बई।
2. गोवा कैंसर सोसाइटी, पणजी
3. कैंसर राहत सोसाइटी, नागपुर
4. हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति, गोरखपुर।

विभिन्न व्यासों/निकायों द्वारा संचालित इन स्वयं सेवी संगठनों और अन्य संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता तथा जिस प्रयोजन के लिए यह दी गई उसके ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सहायता के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

(क) स्वयंसेवी निकायों द्वारा स्थापित क्षेत्रीय कैंसर अनुसधान और उपचार केन्द्रको उपकरणों की खरीद के लिए दी गई वित्तीय सहायता :—

क्रम सं० केन्द्र का नाम	वर्ष (रुपये लाखों में)		
	1986-87	1987-88	1988-89
1. गुजरात कैंसर एवं अनुसधान संस्थान, अहमदाबाद	20.90	20.00	20.00
2. किदवाई मेमोरियल इस्टिट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी बंगलौर	20.00	20.00	20 00
3. क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र एवं उपचार सोसाइटी, कटक	15.00	12.00	12.00
4. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	12.00	12 00	12.00
5. कैंसर इस्टिट्यूट, मद्रास	25.00	35.00	45.00
(ख) अनुमोदित संस्थान परियोजनाओं के लिए सहायता: भारतीय कैंसर सीसाइटी, बम्बई	50 00	50.00	20.00
(ग) कोबाल्ट स्रोत की बदली के लिए सहायता: गोवा कैंसर सोसाइटी पणजी			3.00

(घ) कोबाल्ट थिरेपी यूनिटों की स्थापना के लिए निम्नलिखित स्वयंसेवी संगठनों को 12.00 लाख रुपये के हिसाब से केन्द्रीय सहायता दी गई;

1986-87

1. श्री सिद्धेश्वर कैंसर एवं अनुसंधान केन्द्र, शोलापुर
2. वालाभई, नानावती अस्पताल बम्बई।

3. राष्ट्रीय सन्त तुकडोजी कैंसर अस्पताल नागपुर
4. कमला नेहरू स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद
5 वी० वी० जनरल अस्पताल, हैदराबाद
6. क्रिश्चियन कैंसर केन्द्र काकीनाडा

1987-88

1. कस्तूरवा अस्पताल, मणिपाल
2. परिसरीय कैंसर अस्पताल, (किदवई मेमोरियल इस्टिट्यूट ऑफ आन्कोलॉजी, बंगलौर गुलबर्गा
3. बेनलैस अस्पताल, मिराज,
4. पधार अस्पताल, बेतुल
5. मोहनदाई ओसवाल कैंसर उपचार एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान लुधियाना

1988-89

1. अमला कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र त्रिचूल
2. हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल, गोरखपुर।

स्ववित्त पोषण योजना के फ्लैटों के मूल्यों में कमी

[हिन्दी]

3171. **श्री केशवराव पारधी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्ववित्त पोषण योजना के लिए अन्तिम मांग पत्र जारी करते समय फ्लैटों के मूल्यों में वृद्धि की थी;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुनरीक्षा के बाद बढ़े हुए मूल्यों में कमी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार स्व-वित्त पोषित योजना फ्लैटों की वास्तविक लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

स्व-वित्त पोषित योजना श्रेणी-II

योजना का नाम	तल	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	लागत श्रेणी
1	2	3	4
रोहिणी सेक्टर-VIII पाकेट-5 एस०एफ०एस०	प्रथम	77.31	1,59,300 रुपये (न्यूनतम)
बसन्त कुन्ज, सेक्टर-बी पाकेट-7 एवं 8	द्वितीय	109,98	2,62,200 रुपये (न्यूनतम)

1	2	3	4
		स्व-वित्त पोषित योजना श्रेणी-III	
पीतमपुरा पाकेट (डी)	भू-तल	112.36	2,50,300 रुपये (न्यूनतम)
बसन्त कुंज, सेक्टर-बी पाकेट-1	भू-तल (डयूप्लेक्स)	143.81	3,52,500 रुपये (न्यूनतम)

सेवानिवृत कर्मचारियों से सरकारी आवास का बाजार दर पर किराया लिया जाना

[अनुवाद]

3172. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृति के बाद भी सरकारी आवास में रहने वाले ऐसे आवंटियों से भी बाजार दर से किराया लिया जाता है जिनमें सम्पदा निदेशालय के अभियोजन कक्ष द्वारा सुनवाई के लिए जारी किए गए नोटिस इस आधार पर वापस ले लिए जाते हैं कि सम्बन्धित कर्मचारी का आश्रित व्यक्ति उस आवास का पात्र है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सम्पदा निदेशालय के पास टाइप-1 क्वार्टरों के ऐसे कितने मामले निपटाने के लिए लम्बित पड़े हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सेवा-निवृत्ति के बाद सरकारी आवास में अनुमेय अवधि की समाप्ति से अधिक अवधि के लिये रहने पर, सम्पदा निदेशालय के मुकदमा कक्ष द्वारा जारी नोटिसों, और/या बाद में उन्हें वापस लेने पर यह ध्यान दिये बिना कि और उनके आश्रितों के उन क्वार्टरों के आवंटन के नियमितिकरण/तदर्थ आवंटन की पात्रता पर ध्यान दिये बिना, हर्जाना (डमेजिज) वसूल किया जाता है।

सम्पदा निदेशालय में इस समय टाइप-1 के 40 ऐसे मामले लम्बित पड़े हुए हैं जिनमें टाइप-1 क्वार्टरों के नियमितिकरण/तदर्थ आवंटन के लिए आवंटियों के आश्रितों से आवेदन प्राप्त हुये हैं।

बीड़ी कामगार की मांग

3173. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण क्षेत्र बीड़ी कामगार समिति ने सरकार से बीड़ी उद्योग में ठेके पर रोजगार योजना को समाप्त करने, दैनिक मूल मजूरी 10/-रुपये निश्चित करने, बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 लागू करने मंहगाई के अनुरूप पूरा भत्ता देने और पहचान पत्र जारी करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली स्थित इन्डिया गेट परिसर में कैनपि ढ़हाना

3174. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रतिष्ठित वास्तुविदों ने नई दिल्ली स्थित इण्डिया गेट परिसर में कैनपि ढहाने के प्रस्ताव पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन वास्तुविदों ने यह भी प्रस्ताव किया था कि उसी परिसर में षड्भुज के एक भाग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाए;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय अन्तिम रूप से लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की रिपोर्ट देखी है कि कुछेक प्रतिष्ठित वास्तुकों ने कैनपि ढ़हाने की आपत्ति की है तथा सुझाव दिया है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा को इन्डिया गेट परिसर में किसी एक षड्भुज में स्थापित की जाए।

(घ) और (ङ) सरकार का मौजूदा निर्णय प्रतिमा को इण्डिया गेट पर स्थापित करने का है।

खाद्य पदार्थों पर राजसहायता

3175. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आदिवासियों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों पर तथा उचित दर दुकानों के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों पर राजसहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 और 1989 के दौरान राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

खाद्य और नागरिक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा वहन की गई कुल उपभोक्ता राजसहायता और बफर स्टाक रखने की लागत निम्नानुसार थी/है :—

	करोड रुपये
1	2
1988-89	2200.00 (इसमें समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अधीन गेहूं और चावल के निर्गमों पर 328.34 करोड़ रुपये की अनुमानित राजसहायता शामिल है)।

1	2
1989-90 (3 अगस्त, 1989 तक) (अनुमानित आधार पर)	665 00 (इसमें समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अधीन निर्गमों पर 425.08 करोड़ रुपये की अनुमानित राजसहायता शामिल है)

सिक्किम के उम्मीदवारों को मेडिकल कालेजों में प्रवेश

3176. **श्रीमती डी० के० मण्डारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सिक्किम में कोई मेडिकल कालेज नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों के मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० और चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सिक्किम के उम्मीदवारों हेतु कुछ सीटें आरक्षित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ख) सिक्किम में कोई मेडिकल कालेज नहीं है। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय सिक्किम सहित उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें उनका कोई मेडिकल कालेज नहीं है, के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण नहीं करती है। भारत सरकार हर वर्ष उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें मेडिकल कालेज है, और कुछेक अन्य आयुर्विज्ञान संस्थानों से अनुरोध करती है कि वे केन्द्रीय पूल में एम० बी० बी० एस०/बी० डी० एस० सीटों के लिए अपना अंशदान करें। केन्द्रीय पूल में सीटों की संख्या वर्षानुवर्ष भिन्न-भिन्न होती है। इसके साथ-साथ इन सीटों का सिक्किम सहित उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन कर दिया जाता है जिनमें मेडिकल कालेज नहीं है। छात्रों का चयन और नामांकन उन सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य की सरकारों द्वारा किया जाता है जिन्हें ये सीटें आबंटित की जाती हैं। 1989-90 के दौरान सिक्किम सरकार को देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० की 19 बी० डी० एस० की 2 सीटें आबंटित की गई हैं। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1989-90 के दौरान सिक्किम सरकार द्वारा प्रायोजित किए गए अभ्यर्थी को राजकीय डेंटल कालेज, बंगलौर में प्रिवेंटिव एण्ड सोशल डेंटिस्ट्री के एम० डी० एस० पाठ्यक्रम में नामांकन की भी सिफारिश की गई है। यह नामांकन उस सीट के स्थान पर किया गया गया है जो 1989-90 सत्र के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल में अंशदान की गई थी।

विवरण

1989-90 सत् के दौरान केन्द्रीय पूल से सिक्किम को आबंटित की गई एम० बी० बी० एस०/बी० डी० एस० सीटों का कालेज-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	मेडिकल डेंटल कालेजों के नाम	एम० बी० बी० एस०/ सीटों की संख्या
1	2	3
1.	जिपमेर, पांडिचेरी	: 1 (एक)

1	2		3
2.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	:	2 (दो)
	उत्तर प्रदेश		
3.	एम० एल० बी० एन० मेडिकल कालेज, झांसी		2 (दो)
4.	जी० एस० बी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर		1 (एक)
5.	एल० एल० आर० एम० मेडिकल कालेज, मेरठ		1 (एक)
6.	मेडिकल कालेज, गोरखपुर		2 (दो)
	बिहार		
7.	भागलपुर मेडिकल कालेज, भागलपुर		2 (दो)
	राजस्थान		
8.	आर० एन० टी० मेडिकल कालेज, उदयपुर		1 (एक)
	मध्य प्रदेश		
9.	मेडिकल कालेज, इन्दौर		3 (तीन)
	पश्चिम बंगाल		
10.	एन० आर० एस० मेडिकल कालेज, कलकत्ता	:	2 (दो)
11	बी० एस० मेडिकल कालेज, बांकुड़ा,	:	2 (दो)
	योग	:	19 (उन्नीस)
	बी० डी० एस० सीटें :		
1.	के० जी० मेडिकल कालेज, (डेंटल विंग), लखनऊ	:	1 (एक)
2.	डा० आर० अहमद डेंटल कालेज, कलकत्ता	:	1 (एक)
		:	2 (दो)

सूरत में प्रदूषण संबंधी मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ दल

[हिन्दी]

3177. **श्री सी० डी० गामित** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूरत में पर्यावरणीय प्रदूषण का मूल्यांकन करने हेतु कोई विशेषज्ञ दल भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक करने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा सफाई योजना के लिए समयबद्ध कार्यक्रम

[अनुवाद]

3178. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा सफाई योजना को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या गंगा सफाई योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री : (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) यह अनुमान है कि गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत 262 स्कीमों में से अधिकांश स्कीमें सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक पूरी हो जाएंगी। शेष स्कीमें आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक भाग में पूरी हो जाएंगी। अभी तक कुल 70 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं जिनमें से 42 उत्तर प्रदेश 13 बिहार और 15 पश्चिम बंगाल में है 89 अन्य स्कीमों का 50% से अधिक काम पूरा हो चुका है जबकि 54 स्कीमों के कार्य में 10 से 50% के बीच प्रगति हुई है। कुछ स्कीमों की प्रगति में हुए विलम्ब के कारण मुकदमेबाजी और भूमि-अधिग्रहण की कार्यवाही में देरी है। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत अभी तक 144.41 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

छोटे परिवार के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन

3179. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटा परिवार रखने के लिए परिवार नियोजन के अन्तर्गत दिए गए प्रोत्साहनों में वृद्धि करने का है ताकि देश में अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये नया प्रोत्साहन कब से दिए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे परिवार के आदर्श को बढ़ावा देने हेतु किसी नई प्रोत्साहन योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उड़ीसा के कोरापुट और फूलबनी आदिवासी जिलों में मेनिनजाइटिस का फैलना

3180. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
डा० कृपासिन्धु भोई } **: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में कोरापुट और फूलबनी आदिवासी जिलों में मेनिनजाइट्स नामक भयंकर बीमारी भारी संख्या में आदिवासी लोगों में फैलती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में आदिवासी लोगों को असामयिक मौत से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना लागू करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने मेनिनजाइटिस के रोगियों तथा इसके कारण होने वाली मौतों की सूचना दी है।

(ख) और (ग) शिविर अस्पताल खोल कर तथा जहां कहीं आवश्यक हो, गश्ती दल भेज कर आदिवासी जनसंख्या सहित प्रभावित लोगों को पर्याप्त उपचार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। रोग निवारक उपायों के रूप में रोगियों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को सम्पर्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। अन्य नियंत्रण उपायों में रोगियों को उपयुक्त औषधें अर्थात् क्रिस्टलाइन वैंजाइन पेनिसिलिन तथा क्लोरमफैनिकोल देकर उनका उपचार करना; रोगियों का उपचार करने वाले तथा कैजुअल्टी विभागों में काम करने वाले चिकित्सा एवं पैराचिकित्सा कर्मचारियों को टीका लगाना; रोगियों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करन के रूप में सल्फाडायजीन आदि देना शामिल है।

भारतीय मानक ब्यूरो में स्थानान्तरण नीति

3181. **श्री आर० पी० सुमन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरों ने अपने कर्मचारियों के लिए कोई स्थानान्तरण नीति तैयार की है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। इस नीति में अभी संशोधन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केवल एक बार प्रयोग में आने वाली सिरिन्ज और निडल के उत्पादन के बारे में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का प्रस्ताव

3182. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, का केवल एक बार प्रयोग में आने वाली सिरिन्ज, और निडल के निर्माण हेतु तकनीकी-सहयोग से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव मन्त्रालय में विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ब) मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव मन्त्रालय में कब प्राप्त हुआ था और इसे शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुइयों के निर्माण के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी के सहयोग से एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है लेकिन इस पर होने वाले निवेश के बारे में इस मन्त्रालय द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को सलाह दी गई है कि वह अपने निदेशक मण्डल को अगली बैठक में इस परियोजना प्रस्ताव को साध्यता पर संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी विचार करे।

अतिसार सम्बन्धी रोगों के बारे में आयोजित पांचवां एशियाई सम्मेलन

3183. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिसार सम्बन्धी रोगों के बारे में काठमांडू में आयोजित होने वाले पांचवें एशियाई सम्मेलन में भारत भी सम्मिलित होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन की कार्यसूची क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन की कार्यसूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रवाहिका रोगों के बारे में 5वें एशियाई सम्मेलन में विचार-विमर्श किए जाने वाले विषयों की सूची

1. सी० डी० डी० कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संशोधन
2. प्रवाहिका प्रशिक्षण एकक
3. सुपर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट
4. प्रवाहिका निवारण
5. रोकथाम करने की वर्तमान पद्धति में सुधार करना।
6. व्यावसायिक संस्थाओं की भूमिका
7. प्रवाहिका और भेषज (एक संगोष्ठी)
8. निरन्तर रहने वाला प्रवाहिका रोग
9. शिजेलोसिस
10. नए-नए हेतु विज्ञानीय अभिकारक
11. प्रवाहिका रोग की रोगात्मक शरीर क्रिया विज्ञान पैथोफिजियोलॉजी

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास

[हिंदी]

3184. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को औसत कितने समय की सेवा के पश्चात् सरकारी आवास मिलता है;

(ख) वर्ष 1988 के अन्त तक प्रतीक्षा सूची में कितने सरकारी कर्मचारी थे;

(ग) इन कर्मचारियों को सरकारी आवास कब तक मिल जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार का सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह भिन्न-भिन्न टाइप के मकानों के लिये भिन्न-भिन्न है। सामान्य पूल में विभिन्न टाइप के वास 7 अगस्त, 1989 तक की स्थिति के अनुसार जिस प्राथमिकता तारीख तक आवंटन किया गया है, वह संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) 31.12.88 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में विभिन्न टाइपों के वास आवंटनार्थ प्रतीक्षारत सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या, चालू आवंटन वर्ष (1.1.88 से 31.12.89 तक) के लिये आमंत्रित सीमित आवेदन पत्रों के आधार पर, 35889 थी।

(ग) कोई समय सीमा दर्शाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह मौजूदा आवंटियों द्वारा वास खाली करने और नये क्वार्टरों के निर्माण पर निर्भर करता है।

(घ) दिल्ली में सामान्य पूल के अतिरिक्त वास का निर्माण करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

विवरण

7-8-89 को सामान्य पूल और उप-पूलों में शामिल प्राथमिकता तारीख

टाईप	टेन्योर पूल	सामान्य पूल	अनुसूचित जाति पूल	अनुसूचित जनजाति पूल	विवाहित महिला	एकल
1	2	3	4	5	6	7
i	शून्य	20.10.72	6.11.72	28.8.73		
i	शून्य	20.1.70	26.6.73	11.5.71		
ii	शून्य	24.5.67	1.9.67	11.4.78	12.4.67	18.12.75
iii	शून्य	19.3.61	23.10.61	11.1.73	4.1.62	2.5.67
iv	वेतन रुपये 4075/— 1.1.86	24.10.64	10.5.65	14.6.73	9.5.66	11.5.81
iv (एस)	5250	—	—	—	—	—
		1.7.87 को वेतन (प्राथमिकता तारीख) 1.1.86				
v-ए	5700	6100	—	—	—	—
v-बी	6500	6700	—	—	—	—
vi-ए	7400	—	—	—	—	—

होस्टल

	टेन्योर पूल	सामान्य पूल	विवाहित	एकल
डबल स्यूट	5700 (प्रतिबन्ध के साथ)	5000	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
रसोईघर सहित एकल स्यूट	—	3125	—	—
रसोईघर के बिना एकल स्यूट	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	—	—

डाक्टरों द्वारा फाइल सम्बन्धी कार्य करना

3185. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कुछ डाक्टरों ने दो वर्षों से भी अधिक समय से मरीजों का इलाज नहीं किया है और केवल फाइल सम्बन्धी कार्य करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाक्टरों की प्रतिभा का पूर्ण लाभ उठाने के लिए इन्हें औषधालयों में नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तैनात केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कुछ अधिकारियों को औषधालयों में स्थानान्तरित नहीं किया गया है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से बाहर औषधालयों में उच्च श्रेणी में कोई सदृश पद नहीं है। जनहित को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कार्य करने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के समय-समय पर स्थानान्तरण किये जाते हैं।

दक्षिणी राज्यों के मेडिकल कालेजों द्वारा प्रवेश शुल्क लिया जाना

[अनुवाद]

3186. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दक्षिणी राज्यों में मेडिकल कालेज, छात्रों के दाखिले के समय अभी भी प्रवेश शुल्क ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा कौन-कौन से मेडिकल कालेज केपिटेशन फीस ले रहे हैं;

(ग) ऐसे संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है; और

(घ) इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार दक्षिणी राज्यों के निम्नलिखित मेडिकल कालेजों द्वारा अभी भी छात्रों के दाखिले के समय कैपिटेशन फीस ली जा रही है :—

आंध्र प्रदेश

1. ढ्क्कन कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद

कर्नाटक

2. जे० एस० एस० मेडिकल कालेज, मैसूर।
3. श्री अदिचुनचनगिरी मेडिकल कालेज, जावारनहल्ली वेल्लूर, मांडया जिला
4. एम० एस० रामैया, मेडिकल कालेज, बंगलौर।
5. डा० अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर।

6. केम्पागौडा इनस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल, कालेज साइंसेज, बंगलौर।

7. श्री देवराज अर्स मेडिकल कालेज, तम्का, कोलार।

8. अल-अमीन मेडिकल कालेज, बीजापुर

9. बी० एल० डी० मेडिकल कालेज, बीजापुर

10. श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकुर

11. एम० आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्गा

12. जे० एल० मेडिकल कालेज बेलगाम

13 कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल, मंगलौर।

14. जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, दावणगीर।

तमिलनाडु

15. श्री रामचन्द्र कालेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, पोरूर, मद्रास।

16. पी० एस० जी० इनस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पी० एस० गोविन्दस्वामी नायडू एण्ड संस चेरिटीज, पीलामेडु, कोयम्बटूर

17. मेडिकल कालेज, अण्णामलै

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक सरकार ने मेडिकल कालेजों द्वारा कैपिटेशन फीस लिए जाने को रोकने के लिए 1983 में एक कानून बनाया है जो 11 जुलाई, 1988 से लागू हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट रूप से चलाए जा रहे मेडिकल कालेजों के लिए कुछ अधिक शुल्क लेने की व्यवस्था (हायर फीस्ट्रक्चर) तैयार की है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक जिसमें मेडिकल कालेजों को कैपिटेशन फीस लेने से रोकने और इन उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड देने की व्यवस्था है, राज्यसभा में, पुरःस्थापित किया गया था और इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था जिसने अब अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दी है। जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तब केन्द्रीय सरकार को मेडिकल कालेजों में कैपिटेशन फीस रोकने की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी।

जबलपुर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम की अपर्याप्त भण्डारण क्षमता

3187. **श्री अजय मुशरान** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या जबलपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भण्डारण क्षमता इसकी आवश्यकताओं से कम है; और

(ख) यदि हां, तो जबलपुर स्थित गोदामों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पारिस्थितिकीय जागरूकता संवर्धन कार्यक्रम

3188. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यावरण जागरूकता संवर्धन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जनता में पारिस्थितिकीय जागरूकता पैदा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस मन्त्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों तथा विभिन्न माध्यमों के जरिए एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान आयोजित किया जाता है। गंगा परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय विभिन्न माध्यमों के जरिए अपने-अपने कार्य क्षेत्र में जागरूकता पैदा करते हैं।

(ग) पिछले तीन सालों के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई निधियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	1986-87	1987-88	1988-89
राशि (रु० लाखों में)	81.78	161.97	186 71

राज्य/राष्ट्रीय आयोग के पास पंजीकृत मामले

[हिन्दी]

3189. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 से अब तक राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग के पास कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं;

(ख) कितने मामले निपटाये गये; और

(ग) इससे उपभोक्ताओं को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख राम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों द्वारा दर्ज किए गए तथा निर्णीत मामलों (जिसमें अपीलें भी शामिल हैं) की संख्या निम्नवत है :—

(30-6-89 की स्थिति)

	दायर किए गए मामलों की संख्या	निर्णीत मामलों की सं०
1 2	3	4
1. राष्ट्रीय आयोग	53	8
2. उड़ीसा राज्य आयोग	33	8

1	2	3
3. पांडिचेरी राज्य आयोग	2	0
4. आन्ध्र प्रदेश राज्य आयोग	7	2
5. उत्तर प्रदेश राज्य आयोग	81	16
6. बिहार राज्य आयोग	171	90
7. राजस्थान राज्य आयोग (31.3.89 तक)	40	6

(ग) अधिकांश मामलों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के बारे में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन आयोग की सिफारिशें

[अनुवाद]

3190. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन आयोग ने उनके मन्त्रालय को कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में कतिपय सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा क्या-क्या विभिन्न सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कल्याण मन्त्रालय ने कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है कुष्ठ से प्रभावित 41 लाख रोगियों में से लगभग 32 लाख कुष्ठ रोगियों के लिए कुछ पुनर्वास सेवाओं की जरूरत है। इस समिति ने समुदाय आधारित रोजगार और स्वरोजगार पुनर्वास योजना में इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार की है जिसके लिए अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में 105 करोड़ रुपये का परिव्यय अपेक्षित होगा। यह पुनर्वास योजना विशेषज्ञों के एक ग्रुप को सामान्य सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्वास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशें हैं :—पुनर्रचनात्मक शल्य चिकित्सा यूनिटों को सक्रिय बनाया जाना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों के पास पुनर्रचनात्मक शल्यचिकित्सा में उपलब्ध विशिष्टता का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ मेडिकल कालेजों और स्वयंसेवी संगठनों के शल्य चिकित्सा विभागों का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में पता लगाया जाना चाहिए।

शिशु कुष्ठ रोगियों और कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

ऐसे कुष्ठ रोगी, जो स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते, उदाहरणतया दृष्टिहीनों की धर्मार्थ गृहों में देखभाल की जानी चाहिए।

विभिन्न पूलों के अन्तर्गत क्वार्टर

3191. **डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली/दिल्ली क्षेत्र में 1 जनवरी, 1974 और 1 जुलाई, 1989 की स्थिति के अनुसार टाइपवार, क्षेत्र-वार, क्वार्टरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सम्पदा निदेशालय द्वारा 1 जुलाई, 1989 की स्थिति के अनुसार नई दिल्ली/दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न पूलों के अन्तर्गत टाइपवार, क्षेत्रवार, कुल कितने क्वार्टर दिए गए है; और

(ग) विभिन्न पूलों को क्वार्टर आवंटित करने के लिए और विभिन्न पूलों और सम्पदा निदेशालय के मध्य क्वार्टरों की अदला-बदली के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गौण वन उत्पादों की खेती

3192. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में गौण वनोत्पादों की खेती के लिये केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के किन आदिवासी क्षेत्रों में गौण उत्पादों के पौधे लगाये गये हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में किस-किस किस्म के गौण वनोत्पादों के पौधे लगाये गये हैं; और

(घ) इस अवधि में राज्य को इस योजना के अन्तर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) से (घ) आदिवासी कल्याण और विकास कार्यक्रम, जिसमें लघु वनोपज उगाना भी शामिल है, चलाने के लिए राज्य सरकार की आदिवासी उप-योजना के योजक के रूप में उड़ीसा राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। वृक्षारोपण का यह कार्य क्योंझार, कलहाण्डी, सुन्दरगढ़, कोरापुट, मयूरभंज बालासोर, सम्बलपुर तथा फूलबनी जिलों में किया जा रहा है। वृक्षारोपण किया गया क्षेत्र, व्यय की गई धनराशि और उगाई गई प्रजातियों के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	वृक्षारोपण किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	व्यय की गई धनराशि (लाख रुपयों में)	रोपण की गई प्रजातियो
1	2	3	4
1986-87	400	15	नीम,
1987-88	900	22	बांस,
1988-89	1200	29	असन,

1	2	3	4
1989-90	1000 (प्रस्तावित)	26 (आबंटन)	अर्जुन; आंवला, हर्र, बहेड़ा और सेमल इत्यादि,

इसके अतिरिक्त, राज्य के अन्य भागों में औषधीय पौधों सहित लघु वन्य उत्पाद उगाने हेतु वर्ष 1988-89 के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को 20.625 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी।

परिवार नियोजन अपनाने वालों के लिए "ग्रीन कार्ड" प्रणाली

3193. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए "ग्रीन कार्ड' प्रणाली आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों को भी "ग्रीन कार्ड" प्रणाली लागू करने की सलाह देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) जिन राज्यों में यह स्कीम चल रही है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अन्य राज्यों को ग्रीन कार्ड स्कीम आरम्भ करने के लिए कई बार कहा गया है।

विवरण

ग्रीन कार्ड स्कीम वाले राज्य

1. दादरा और नगर हवेली
2. हिमाचल प्रदेश
3. चण्डीगढ़ प्रशासन
4. पंजाब
5. बिहार
6. सिक्किम
7. अरुणाचल प्रदेश
8. उड़ीसा
9. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
10. गुजरात

11. कर्नाटक
12. उत्तर प्रदेश
13. मध्य प्रदेश
14. राजस्थान

श्रीनिवासन समिति

3194. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री श्रीनिवासन् समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन के बारे में 10 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8858 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री निवासन् समिति के विचाराधीन विषय क्या थे और इस समिति का गठन कब किया गया था;

(ख) इस समिति में कौन-कौन सदस्य थे;

(ग) इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई थी और सरकार द्वारा कब स्वीकार की गई थी;

(घ) क्या किसी अवकाश प्राप्त निदेशक को पुनः रोजगार दिया गया है; और

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) अप्रैल, 1986 में सरकार ने एन० टी० सी० तथा उसकी सहायक कम्पनियों के कार्य-निष्पादन तथा क्षमता दोनों की दृष्टि से उनके चोटी के प्रबन्धकों के कार्यचालन का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया।

(ख) समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :—

1. श्री के० श्रीनिवासन, अध्यक्ष
   उपाध्यक्ष,
   दि साउथ इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च
   एसोसिएशन,
   कोयम्बटूर।
2. प्रो० भीम सेन शर्मा, सदस्य
   प्रो—वाइस चांसलर,
   इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय,
   नई दिल्ली।
3. डा० राकेश खुराना, सदस्य
   कार्यक्रम निदेशक,
   अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध संस्थान,
   नई दिल्ली।

(ग) समिति ने 28 मई, 1986 को रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। सरकार ने इस रिपोर्ट की सहायता समय समय पर विभिन्न निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल आदि से सम्बन्धित मामलों की जांच करते समय ली।

(घ) और (ङ) सरकार ने एन० टी० सी० की किसी भी सहायक कम्पनियों में ऐसे किन्हीं कार्यकारी निदेशकों को पुनः नियोजित नहीं किया है जिन्हें श्रीनिवासन समिति ने "निकृष्ट" श्रेणी में रखा था।

नया परिवार कल्याण कार्यक्रम

3195. **श्री अमर सिंह राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोगों को अपने छोटे परिवार रखने के लिए प्रेरित करने हेतु देश में कोई नये परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये नए कार्यक्रम देश में जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में कहां तक सहायक सिद्ध होंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) : योजना आयोग ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और नीति को नया रूप देने और 8 वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सिफारिश करने हेतु कई कार्यदलों का गठन किया है। इन कार्यदलों ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी हैं जो इस समय योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

"एक्यपंक्चर" और तिब्बती चिकित्सा पद्धति पर प्रयोग

3196. **श्री अमरसिंह राठवा**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "एक्यूपंक्चर" और तिब्बती चिकित्सा पद्धति शुरू करने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या इस व्यवस्था के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ख) देश में एक्यूपंक्चर और तिब्बती चिकित्सा पद्धति से पहले ही उपचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करना

3197. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि, परियोजना प्रबोधन के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग करके; गति लाने के लिए कम्प्यूटरों सहायतित डिजाइन के उपयोग को बढ़ाकर निर्माण में मितव्ययिता तथा विश्वस्तता में अनुरक्षण परिमण्डल के अन्तर्गत कोटि परिमण्डलों का गठन करके यह विभाग समय-समय पर अपने कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाता रहा है।

कुष्ठ रोग-रोधी औषधों की आपूर्ति में कमी

3198. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग-रोधी औषधों की कम सप्लाई की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन औषधों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीड़ी तथा हथकरघा कामगारों के लिए हुडको ऋण

3199. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान बीड़ी तथा हथकरघा कामगारों को आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय राजसहायता तथा हुडको ऋण सुविधाएं देने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या केरल में कन्नानोर के बीड़ी तथा हथकरघा कामगारों को भी ये सुविधाएं प्रदान की गई; और

(ग) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत केरल को कितनी धन-राशि आवंटित की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)। (क) जी हां।

(ख) हथकरघा कामगारों के लिए आवास एवं वर्क शेड के निर्माणार्थ राज्य सरकारों को केन्द्रीय आर्थिक सहायता तथा हुडको ऋण की सहूलियतें केरल में कन्नानोर के कामगारों को दी गई थी। तथापि, वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में कन्नानौर के बीड़ी कामगारों को कोई सहायता-अनुदान नहीं दिया गया।

(ग) हथकरघा कामगारों के वर्क शेड एवं आवास स्कीम और बीड़ी कामगारों के लिए आवास स्कीमों सहित सभी परम्परागत आवास स्कीमों के लि केरल को 1988-89 और 1989-90 के दौरान दिए गए हुडको के कुल वार्षिक निधान क्रमशः 12.02 करोड़ रुपये और 15.41 करोड़ रुपये हैं।

वस्त्र मन्त्रालय की वर्क शेड एवं आवास आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत, कोई राज्य-वार नियतन नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदंडों के आधार पर निधियां दी जाती है। वर्ष 1988-89 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कन्नानोर सहित केरल में हथकरघा कामगारों के लिये आवास एवं वर्क शेडों/वर्क शेडों के निर्माणार्थ केरल सरकार को 15.58 लाख रुपये की राशि दी गई थी। बीड़ी उद्योगों में लगे हुए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के कामगारों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय आर्थिक सहायता के लिये निधियों का नियतन कल्याण आयुक्त, बंगलौर को किया जाता है जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत केरल, कर्नाटक राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान कल्याण आयुक्त, बॅगलौर को राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए 4.00 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया था। वर्ष 1989-90 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 4.00 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया है।

भोपाल में गैस दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए अनुसधान और चिकित्सा सुविधाएं

3200. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गैस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए भोपाल में चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा सुविधाओं के बीच तालमेल बैठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में मृत्युदर, दृष्टि खोने, बच्चों में विकृतता आदि के सम्बन्ध में किये गए अध्ययनों के निष्कर्ष क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने गैस त्रासदी के तत्काल पश्चात् अनेक अनसंधान अध्ययन शुरू किए। उन्होंने वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक के लिए अनुसधान परियोजनाओं की प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन करने के लिए एक अन्त निर्मित (इनबिल्ट) मूल्यांकन विधि तैयार की है। अध्ययन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बच्चों में मृत्युदर, दृष्टि का खोना तथा विकृति संबंधी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदों के अध्ययनों के निष्कर्ष सक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

मृत्युदर

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपने अनुसन्धान अध्ययनों के लिए गैस प्रकोप वाले क्षेत्रों से 7919 व्यक्तियों तथा गैस नियंत्रण क्षेत्रों से 16082 व्यक्तियों पर अनुसंधान अध्ययन किए। गैस प्रकोप वाले क्षेत्रों में दिसम्बर, 84 के दौरान 549 मौतें हुई। इनमें से 398 (72.4%) 3 दिसम्बर, 1984 को हुई थीं। वर्ष 1986 के लिए तदनुरूप मृत्यु के आंकड़े 796 हैं, जिसके लिए मृत्यु दर प्रति हजार लगभग 9.98 बैठती है। 1987 के दौरान प्रकोप वाले तथा नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मृत्यु दर प्रति 1,000 के पीछे क्रमशः 8.85 और 7.07 थी। वर्ष 1988 के लिए ये आंकड़े प्रकोप वाले तथा नियंत्रण वाले क्षेत्रों में प्रति एक हजार के पीछे 18.17 और 4.95 थे।

नेत्र रोग

नेत्र समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रकोप वाले क्षेत्रों से 8,647 व्यक्तियों को तथा नियंत्रण वाले क्षेत्रों से 2,710 व्यक्तियों को नमूने के तौर पर शामिल किया गया था। अध्ययन के लिए चुने गए कुल व्यक्तियों में से 6,310 तथा 1,710 व्यक्तियों को जांच के लिए शामिल किया गया था। प्रकोप वाले क्षेत्र में देखे गए नेत्र संबंधी रोगों का विभाजन इस प्रकार था :—

रोहे (20.6%), क्रॉनि इरिटेशन कंजक्टि वाइटिस (35.6%), कंजेक्टाइवल जीरोइस (3.1%), कार्नियल ओपेसिटी (15.7%) और मोतियाबिन्द (2.3%)। नियंत्रण क्षेत्र के आंकड़े थे—

रोहे (13. %), क्रॉनिक इरिटेशन कंजक्टिवाइटिस (25.8%), कजेक्टाइवल जीरोइस) (3.1%), कॉर्नियल ओपेसिटी (5.2%), और मोतियाबिन्द (0.8%)।

बच्चों की रोगदर—

विषैले गैस प्रकोप के समय भोपाल में प्रकोप वाले तथा नियंत्रण वाले दोनों क्षेत्रों में 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में अनुवर्ती अध्ययन किया जा रहा है। रोगदर सर्वेक्षण मासिक आधार पर किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	अध्ययन का नाम
1.	डा० बी० एस० दरबारी, भोपाल के अधीन भोपाल स्थित एक उद्योग से गैस रिसने की गंभीर घटना द्वारा प्रभावित मानव समाज का अनुवर्ती अध्ययन।
2.	डा० एम० पी० द्विवेदी, भोपाल के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य क्लीनिकों के जरिए मिक गैस के स्वास्थ्य पर पड़े प्रभावों पर दीर्घकालिक अध्ययन।
3.	डा० एन० पी० मिश्रा भोपाल के अधीन मिक गैस से प्रभावित लोगों (वयस्कों) में श्वसनीय कार्य प्रणाली जांचों सहित क्लिनिकल अध्ययन
4.	डा० जे० के० रायजादा, भोपाल के अधीन मिक गैस से प्रभावित जनता में आए नेत्र परिवर्तनों के अनुवर्ती अध्ययन।
5.	डा० बी० एस० भडारी, भोपाल के अधीन मिक गैस से प्रभावित व्यक्तियों की क्लिनिकीय रोग विज्ञानी और हिस्टोपैथोलाजिकल जांच
6.	डा० बी० एस० दरबारी, भोपाल और डा० कबीर कृष्णमाचारी, हैदराबाद के अधीन मिक गैस से प्रभावित लोगों की पुपफुसीय जटिलताओं की सूक्ष्मजीव विज्ञानी जांच।
7.	डा० हीरेश चन्द्र भोपाल के अधीन मिक गैस से प्रभावित व्यक्तियों पर क्लिनिकल और फारेंसिक टाक्सिकों लॉजिकल अध्ययन।
8.	डा० पी० एन० शर्मा, भोपाल के अधीन मिक गैस से प्रभावित व्यक्तियों का विकिरण विज्ञानी अध्ययन।

9. प्रो० उषा के० लूथरा, नई दिल्ली के अधीन मिक गैस के प्रभावों सम्बन्धी अनुसंधान परियोजनाओं हेतु परिषद के केन्द्रीय समन्वय यूनिट, भोपाल।

10. डा० एम० पी० द्विवेदी भोपाल के अधीन भोपाल गैस त्रासदी अनुसंधान केन्द्र

11. डा० एस० आर० कामत, बम्बई के अधीन मिक गैस से प्रभावित लोगों का फुफ्फुसीय अध्ययन।

12. डा० एम० पी० द्विवेदी, भोपाल के अधीन भोपाल में मिक संबंधी अनुवर्ती अध्ययनों के लिए आंकड़ों पर आधारित सूचना पद्धति सम्बन्धी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का प्रतिष्ठान।

13. डा० एम० जी० देव, बम्बई के अधीन मिक प्रकोप विषयों में सैलों का साइटोफ्लूरिमैट्रिक अध्ययन।

14. डा० एम० पी० एस० नारायणन, नई दिल्ली के अधीन रक्त गैस विश्लेषण सहित फुफ्फुसीय-क्रिया परीक्षणों के अध्ययन।

15. डा० एम० पी० सिंह भोपाल के और
डा० टी० शर्मा, वाराणसी और
डा० ए० बी० मित्रा, नई दिल्ली और
डा० आई० एम० थॉमस, बंगलौर और
डा० एस० एस० अग्रवाल लखनऊ और
डा० गीता तालुकदार कलकत्ता

के अधीन भोपाल में मिक प्रकोप से प्रभावित जनसंख्या में मिक साइटोजनेटिक अध्ययनों का आनुवांशिकी जोखिम मूल्यांकन।

16. डा० एस० ए० भम्मबाल, भोपाल के अधीन मिक गैस सम्बंधी मैटाशालिक अध्ययन।

17. डा० ई० पी० भरूचा, बम्बई के अधीन मिक विषाक्त का न्यूरोलाजिकल आविभाव

18. डा० बी० बी० सेठी, लखनऊ के अधीन मिक गैस से पीड़ित जनसंख्या का मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन।

19. डा० एस० कनहेरे, भोपाल के अधीन भोपाल में जनसंख्या पर आधारित कैंसर रजिस्ट्री की स्थापना।

20. डा० बी० एस० दरबारी भोपाल और डा० एम० जी० देव बम्बई के अधीन मिक गैस के इम्यूनोलॉजिकल अध्ययन।

21. डा० आर० एस० मूर्ति बंगलौर के अधीन भोपाल के चिकित्सा अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या में प्रशिक्षण।

22. डा० ए० एन० मालवीय, नई दिल्ली एवं डा० बी० एस० दरबारी, भोपाल, एवं डा० एन० पी० मिश्रा भोपाल, एवं डा० पी० बी० सुब्बाराव, बंगलौर के अधीन भोपाल के टाक्सिक गैस के रिसाव से पीड़ितों में रोग प्रतिरक्षण के मुद्दों का अध्ययन।

23. डा० पी० के० विजयन, मद्रास के अधीन भोपाल में एम० आई० सी० से प्रभावित लोगों में ओको—अक्सिओलर भाग।

24. डा० आर० एल० माथुर, नई दिल्ली एवं डा० वी० के० श्रीवास्तव, गोरखपुर एवं डा० के० सीताराम भट्ट, हैदराबाद के अधीन मिक गैस से प्रभावित जनसंख्या के मोतियाबिन्द में लैंस प्रोटीन पर अध्ययन एवं डा० जे० के० रायजादा, भोपाल ।

25. डा० बी० बी० सेठी, लखनऊ के अधीन टाक्सिक गैस से प्रभावित जनसंख्या में आर्बनिक ब्रेन डेमेज पर एक अग्रगामी अध्ययन ।

26. डा० एन० आर० भंडारी, भोपाल के अधीन भोपाल में प्रभावित महिलाओं में गर्भधारण के परिणामों के एम० आई० सी० अध्ययन का आनुवांशिक खतरे संबन्धी मूल्यांकन।

27. डा० एन० आर० भंडारी, भोपाल के अधीन मिक गैस से प्रभावित बच्चों (5-15 वर्ष) के फुफ्फुसीय प्रभावों का अध्ययन ।

28, डा० एन० आर० भंडारी, भोपाल के अधीन मिक गैस से प्रभावित बच्चों (0-5 वर्ष) में अनुवर्ती अध्ययन ।

29. डा० बी० बी० सेठी, लखनऊ के अधीन भोपाल में एम० आई० सी० से प्रभावित बच्चों का मनश्चिकित्सीय अध्ययन ।

30. डा० वी पी० जालिली, इन्दौर के अधीन पहली तिमाही में एम० आई० सी० से प्रभावित माताओं के शिशुओं में कफ, मसूड़े, मुंह व दांत संबन्धी दोषों का अध्ययन ।

31. डा० एम० जी० कर्मारकर, नई दिल्ली एवं डा० एस० ए० भम्बाल, भोपाल के अधीन भोपाल के एम० आई० सी० से प्रभावित और अप्रभावित क्षेत्रों में थाइरॉयड की स्थिति एवं डा० एस० ए० भम्बाल, भोपाल ।

रक्त उत्पादों का आयात

3201. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्त उत्पादों का आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं कि आयातित रक्त उत्पादों में "एड्स" के विषाणु न हों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) सरकार ने रक्त उत्पादों के आयात की प्रक्रियाओं को उदार बनाया है और साथ ही उन पर सीमा-शुल्क में छूट भी दी है। रक्त उत्पादों को अब ओपन जनरल लाइसेंस प्रणाली के अधीन ले आया गया है और सभी थोक विक्रेता भंडार और बिक्री के लिए रक्त उत्पाद सीधे आयात कर सकते हैं। इसी प्रकार अस्पताल चिकित्सा व्यवसायी और व्यक्ति विशेष भी उपयोग के लिये रक्त उत्पादों का आयात कर सकते हैं। सभी राज्यों के राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्र सरकार के अस्पतालों और सभी राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों से अपेक्षित रक्त उत्पादों का आयात करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) आयातित रक्त उत्पादों के साथ विनिर्माता को इस आशय का एक प्रमाण पत्र लगाना होता है कि यह उत्पाद एच०आई०वी० प्रतिपिंडों/एड्स वायरस से मुक्त है। खेप को जारी करने से पहले एच. आई. वी. प्रतिपिंड मुक्त होने की दृष्टि से भी उसकी जांच करनी होती है।

पर्यावरण कृतिक बल

3202. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 1982 में बनाई गई पर्यावरण कृतिक बल में रक्षा कार्मिकों के प्रयोग के बारे में गम्भीर सन्देह पैदा हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्नातक कनिष्ठ अभियन्ताओं को विशेष वेतन

3203. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के पश्चात् भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्नातक कनिष्ठ अभियन्ता अपनी उच्च योग्यताओं के आधार पर विशेष वेतन पाने के हकदार थे;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं को योग्यता के आधार पर विशेष वेतन दिये जाने की कोई व्यवस्था थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो स्नातक अभियन्ताओं को विशेष वेतन दिये जाने के क्या-क्या कारण थे; और

(ङ) कनिष्ठ अभियन्ताओं को आजकल किस दर से विशेष वेतन का भुगतान किया जा रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री दसवीर सिंह) : (क) से (ङ) आयोजना परिमंडल और अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक संगठनों में तैनात कनिष्ठ अभियन्ताओं (स्नातकों तथा डिप्लोमा धारकों) को निहित जटिल तथा श्रमसाध्य प्रकृति की ड्यूटी को देखते हुये 1955 तथा 1957 से क्रमशः 40 रुपए और 125 रुपये प्रति माह का एक विशेष वेतन दिया गया था। तृतीय वेतन आयोग ने इस विशेष वेतन के पक्ष अथवा विरोध में कोई सिफारिश नहीं की। अतः कनिष्ठ अभियन्ताओं को 1.1.79 तक उपर्युक्त दरों पर विशेष वेतन दिया जाता रहा जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के आयोजना परिमण्डल में अभिकल्पन कार्य में स्नातक कनिष्ठ अभियन्ताओं का विशेष वेतन बढ़ाकर

75 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों और जुलाई अगस्त, 1987 में कनिष्ठ अभियन्ताओं की हड़ताल के पश्चात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जूनियर इंजीनियर्स एसोसियेशन प्रतिनिधियों और सरकार के मध्य हुये सर्वसम्मति के परिणामस्वरूप अभिकल्पन/आयोजना कार्यों पर लगे कनिष्ठ अभियन्ताओं को, शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखे बिना अभिकल्पन कार्यों के लिये 150 रुपये प्रतिमाह तथा आयोजना कार्यों के लिये 80 रुपये प्रतिमाह की एक समान दर पर भुगतान किया जाना है।

नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा अध्ययन

3204. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स द्वारा कलकत्ता में अथवा उसके आसपास अब तक कोई भी परियोजना आरम्भ नहीं गई है;

(ख) क्या इन्स्टिट्यूट ने कलकत्ता अथवा पश्चिम बंगाल राज्य में अपना कोई अध्ययन नहीं किया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का इस इन्स्टिट्यूट को वहाँ पर अध्ययन कार्य करने और परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए निदेश देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान ने गत चार वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में चार अनुसन्धान अध्ययन किये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

चित्तरंजन पार्क में भूमि की बिक्री

3205. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि और विकास कार्यालय ने सरकार की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत चित्तरंजन पार्क सहित दक्षिण दिल्ली में भूमि के कुछ आवंटितियों को अपनी जमीन बेचने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या भूमि और विकास कार्यालय की इस कार्यवाही के विरुद्ध आपत्ति की गई है; और

(ग) सम्बन्धित भूखंडों के मामले में भूमि और विकास कार्यालय ने पट्टा अधिकार से सम्बन्धित अपने नियमों में यदि कोई संशोधन किया है तो किस प्राधिकार के अधीन और यदि नहीं,

तो हस्तांतरक और हस्तांतरी दोनों के विरुद्ध कार्यवाई करने हेतु भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित उत्तर के मामलों में दी गई विक्रय अनुमति के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुर्घटनावश जलने की घटनाओं में मृत्यु दर

3206. **डा० वी० एस० संतेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाशिंगटन स्थित इन्टरनेशनल सेंटर फार रिसर्च ऑन वूमैन (आई० सी० आर० डब्ल्यू) की "स्ट्रेन्थनिंग वूमैन हैल्थ रिसर्च प्रायोरिटीज फोर वूमैन इन डैवलपिंग कन्ट्रीज" शीर्षक रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसके अनुसार विश्व की तुलना में भारत में महिलाओं में 15 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में दुर्घटनावश जलने की घटनाओं में मृत्यु दर बहुत अधिक है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में गरीब राज्यों में महिलाओं के स्वास्थ्य को होने वाले मुख्य खतरों के बारे में भी बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है तथा इसको देखते हुए किन क्षेत्रों में अध्ययन किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सेवा निवृत लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मकान आवंटित करना

3207. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सेवा निवृत्त होने वाले उन सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर मकान आवंटित करने की योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवा निवृत्त होने वाले उन कर्मचारियों के आवेदन पत्रों पर, जिनके पास वर्तमान में सरकारी आवास है और जो डी० डी० ए० की किसी योजना के अन्तर्गत पहले से पंजीकृत नहीं है, उन्हें बिना बारी के आधार पर मकान आवंटित करने हेतु विचार करेगा ?

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबन्ध में क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले उन सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में अग्रता आवंटन पर विचार करता है। जिन्होंने विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत उसके पास पंजीकरण कराया है, उन लोगों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिये एक प्रेस नोट पहले ही जारी कर दिया गया है। जो पहले ही सेवा निवृत्त हो गये हैं या 3 दिसम्बर, 1991 से पूर्व सेवा निवृत्त हो रहे हैं आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 14 अगस्त, 1989 है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पिछले शेष पंजीकृत व्यक्तियों की अत्यधिक संख्या तथा भूमि की सीमित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुये उन सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों जिनका कि उसके पास पंजीकरण नहीं है, को अग्रता आवंटन का लाभ देने का लाभ देने का दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार नहीं है।

भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन

3208. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के पर्वतीय राज्यों तथा अन्य क्षेत्रों में पेड़ों की लगातार हो रही अवैध कटाई और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन संरक्षण अधिनियम के कठोर उपबन्धों के कारण हो रही कठिनाइयों के प्रति लोगों द्वारा किये जा रहे नियमित विरोध की जानकारी है; और

(ख) यदि हां तो इस चुनौती को स्वीकार करने एवं लोगों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लोगों द्वारा अवैध रूप से पेड़ों को काटे जाने की रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं :—

पहाड़ी जिलों में और अन्य जिले जिनमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक भाग में वन हैं उनमें गैर-वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण पर जोर नहीं दिया जाएगा और इसकी अनुमति उपयोग में लाई जाने वाली वन भूमि की दुगुनी अवक्रमित वन भूमि पर दी जाएगी बशर्ते कि उपयोग में लाई जाने वाली भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो और उसको निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाना हो :—सम्पर्क मार्गों, छोटे जल कार्यों, लघु सिंचाई कार्यों, स्कूलों, औषधालयों, अस्पतालों, छोटे-छोटे सरकारी ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण अथवा ऐसे ही अन्य कार्य जिनसे उस क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हो।

'पोडू' की खेती से उत्पन्न खतरा

3209. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में "पोडू" की खेती से उत्पन्न बढ़ते हुए खतरे की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों में पोडू की खेती की रोकथाम के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) सरकार को देश में पोडू की खेती से बढ़ते हुए खतरे की जानकारी है।

(ख) देश में झूम खेती के नियंत्रण के लिए चलाई जा रही स्कीमें/परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई है।

झूम खेती के नियंत्रण के लिए स्कीमें/परियोजनाओं का ब्यौरा

(1) झूम खेती के नियंत्रण के लिए प्रायोगिक परियोजना

क्र०सं	राज्य का नाम	जिन परिवारों को सहायता दी गई उनकी संख्या	वंटित राशि लाख रुपयों में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	100	3.517	5वीं योजना के दौरान
2.	असम	200	12.695	—वही—
3.	मेघालय	100	8.267	—वही—
4.	नागालैंड	100	5.65	—वही—
5.	उड़ीसा	300	20.846	—वही—
6.	त्रिपुरा	100	3.00	—वही—
7.	अरूणाचल प्रदेश	800	75.26	1986-87 तक
8.	मिजोरम	800	87.525	—वही—

आरम्भ में यह केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम थी लेकिन बाद में इसे 1.4.1979 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया। तथापि, तत्कालीन संघ शासित प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम के मामले में यह 1986-87 तक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत रही।

(2) राज्य योजना के लिए शत प्रतिशत सहायता से झूम खेती के नियंत्रण के लिए स्कीम

राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता से झूम खेती के नियंत्रण की एक योजना 1987-88 से सभी उत्तर पूर्वी राज्यों, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में चलाई गई है। 1988-89 तक किए गए आवटन का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र०सं०	राज्य का नाम	1987-88 से पांच वर्षों की अवधि में कुल लक्षित परिवार	1987-88 और 1988-89 के दौरान वंटित केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में)
1.	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1509	110.00
2.	असम	2564	52.00
3.	अरूणाचल प्रदेश	2199	132.50
4.	मणिपुर	2992	262.00
5.	मेघालय	2252	195.00
6.	मिजोरम	1982	250.00
7.	नागालैण्ड	4800	435.00
8.	उड़ीसा	6323	457.00
9.	त्रिपुरा	1800	158.00
	कुल	26421	2051.50

(3) अन्य स्कीमें

उपर्युक्त के अलावा, उत्तर पूर्वी परिषद की योजना, आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों और पशु-पालन और भू-संरक्षण कार्यक्रमों के तहत चलाई जा रही जलसंभर प्रबन्ध परियोजनाओं में कुछ राज्यों में झूम खेती के नियंत्रण के लिए घटक है।

जनक सेतु के नीचे के खाली स्थान का उचित प्रयोग

3210. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नांगल राय में जनक सेतु के नीचे के खाली स्थान पर फेरीवालों तथा दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है जिससे राज्य को कोई आय नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां तो सेतु के नीचे के खाली स्थान का उचित प्रयोग न किये जाने के क्या कारण है जबकि अन्य ऊपरी पुलों के नीचे के खाली स्थान का उचित उपयोग किया गया है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नारियल जटा के निर्यात में कमी

3211. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने श्रीलंका की अपेक्षा विश्व नारियल जटा बाजार में अपनी प्रधानता खो दी है जो कि अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उच्च कोटि के नारियल जटा उत्पादों की सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्व बाजार में नारियल जटा के निर्यात में कमी के कारणों के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) हालांकि श्रीलंका ने कयर उत्पाद निर्यात में अच्छी प्रगति की है, फिर भी, भारत इस क्षेत्र में प्रमुख निर्यातक देश है।

(ख) और (ग) भारत से कयर के निर्यात में स्थिरता के प्रमुख कारण ऊंची कीमतें और सस्ते सिंथेटिक तथा अन्य प्राकृतिक प्रतिस्थापनों के साथ स्पर्धा है।

क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स और हेलोन्स का प्रभाव

3212. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा क्लोरोफ्लोरो कार्बन और हेलोन्स, जिन्हें वायुमंडल में ओजोन को समाप्त करने वाले तत्व के रूप में जाना जाता है, का अध्ययन किया गया है; और यदि हों, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ख) अन्य औद्योगिक देशों की तुलना में भारत में कितने प्रतिशत क्लोरोफ्लोरों कार्बन्स उत्पन्न होता है;

(ग) क्या क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स का शनैः शनैः कोई और अधिक सुरक्षित विकल्प तैयार करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वियना कंवेन्शन या मान्ट्रियल प्रोटोकोल से भारत भी सम्बन्ध है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वैज्ञानिक रूप से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि क्लोरोफ्लुरो कार्बनों और हॉलोन्स को एक बार वायुमण्डल में छोड़ दिए जाने पर वे समतल मंडलीय ओजोन को कम करने का काम करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रेक्षणों से भी इस तथ्य की पुष्टि हो गई है।

(ख) भारत में इनका उत्पादन विश्व में होने वाले उत्पादन का 0·6% होने का अनुमान है। विश्व में होने वाले उत्पादन का 85% अधिक उत्पादन औद्योगिक देशों में होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

हिन्द महासागर में जड़ी बूटियों के लिए सर्वेक्षण

3213. **फूलरेणु गुहा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में औषधियों जड़ी-बूटियां प्राप्त करने के लिए इस महासागर का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान से उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय पश्चिमी तट और लक्षद्वीपसमूह के अन्तरराष्ट्रीय और उप-ज्वारीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और किया जा रहा है।

(ख) अब तक 433 समुद्रीय जीवों (पौधों/पशुओं) की औषधीय तत्वों के लिए जांच की जा चुकी है। रसायनों को वियोजित किया गया है और ज्वलनरोधी, दर्दरोधी, गर्भाशय संकोचक और शुक्राणु नाशक जैसे क्रिया के लिए उनका पता लगाया गया है :

औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं

3214. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, और

(ख) सभी राज्यों में ऐसी प्रयोगशालाएं कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) महाराष्ट्र गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में सभी श्रेणियों की औषधों का जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं हैं, जबकि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और केरल राज्यों में कुछ ही श्रेणियों की औषधों की जांच करने के लिए सीमित प्रयोगशाला सुविधाएं हैं। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं का अभाव है अथवा जहां अपर्याप्त सुविधाएं हैं, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता और भारतीय भेषजसंहिता केन्द्रीय प्रयोगशाला, गाजियाबाद सरकारी विश्लेषक के रूप में कार्य करती हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा औषधों के विनिर्माण और बिक्री को नियंत्रित किया जाता है। राज्य सरकारों को औषधों की जांच सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई है।

कटारमल, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण अध्ययन संस्थान के लिए भूमि

[हिन्दी]

3215. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटारमल, उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले पर्यावरण अध्ययन संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है;

(ख) क्या इस संस्थान के लिए और अधिक भूमि की आवश्यकता है; यदि हां, तो और कितनी भूमि की आवश्यकता है; और

(ग) अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार से 7.1 हेक्टेयर भूमि प्राप्त करली गई है।

(ख) और (ग) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में आरक्षित और संरक्षित वन

3216. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कुल कितने क्षेत्र में आरक्षित और संरक्षित वन हैं;

(ख) प्रत्येक जिले में वास्तविक वन क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी भूमि है;

(ग) क्या शेष भाग के लिए कोई व्यापक वनरोपण योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में आरक्षित तथा संरक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र इस प्रकार है :—

	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़
आरक्षित	149481 हेक्टेयर	137844 हेक्टेयर
संरक्षित	244899 हेक्टेयर	192445 हेक्टेयर

(ख) वास्तविक वनों के तहत इस प्रकार की भूमि का प्रतिशत अल्मोड़ा जिले में 96.40 तथा पिथौरागढ़ जिले में 94 12 है।

(ग) और (घ) शेष क्षेत्र में वन लगाने के लिए ये स्कीमें चलाई जा रही हैं :—

(1) औद्योगिक तथा लुगदी की लकड़ी की पौधरोपण।

(2) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी की पौधरोपण।

(3) नदी घाटी परियोजना—रामगंगा।

(4) सिविल और सोयम वन का विकास।

(5) ऊर्जा पौधरोपण।

(6) वन पंचायतों के जरिये चारा विकास।

(7) वनरोपण तथा चरागाह विकास।

(8) समन्वित जलसंभर प्रबन्ध।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज मैस के क्वार्टर

3217. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद मेडिकल कालेज मैस के खतरनाक घोषित किए गए क्वार्टरों में लोग अभी तक रह रहें हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके लिए वैकल्पिक प्रबन्ध न किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के छात्रावासों में निम्नलिखित पांच मैस चल रहे हैं :—

1. ओल्ड बायज होस्टल
2. न्यू बायज होस्टल
3. यू० जी० गर्ल्स होस्टल
4. पी० जी० गर्ल्स होस्टल
5. पी० जी० मैस होस्टल

ये मैस जिन होस्टल इमारतों में स्थित हैं वे खतरनाक घोषित नहीं की गई हैं और वे आवास के लिए सुरक्षित हैं। इन होस्टल इमारतों की मैसों के साथ कोई भी आवासीय क्वार्टर संलग्न नहीं है।

कर्नाटक में परिवार स्वास्थ्य केन्द्र

[अनुवाद]

3218. श्री जी० एम० बासवराजू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में तथा विशेषकर तुमकूर जिले में परिवार स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए ऐसे अन्य केन्द्रों को स्थापित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 3 89 को कर्नाटक में, जिसमें तुमकुर जिला भी शामिल है, 779 उप केन्द्र, 827 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 126 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में नई उचित दर-दुकानें

3219. श्री जी० एस० बासवराजू
श्रीमती बसवराजेश्वरी } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक में और अधिक उचित दर-दुकानें खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी उचित-दर दुकानें खोलने का विचार किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) कर्नाटक में 20 सूत्री कार्यक्रम के सहत 1989-90 के दौरान 300 नई उचित दर की दुकानें खोलने का लक्ष्य है।

धागे का आयात

3220. **श्री पी० कुलनदईवेलू** । क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार धागे के मूल्यों को कम करने के लिए धागे का आयात करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1989-90 के दौरान वन रोपण

3221. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ अतिरिक्त भूमि में वृक्षारोपण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान राजस्थान तथा गुजरात में जिलावार कुल कितने हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण करने का विचार है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1989-90 के दौरान वनीकरण कार्य के लिए कुल 1.6 मिलियन हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) और (ग) राजस्थान और गुजरात में वर्ष 1989-90 के लिए वनीकरण के लक्ष्य और आबंटन नीचे दिए गए हैं :—

	लक्ष्य	आबंटन
	(क्षेत्र हेक्टेयर में)	(लाख रुपयों में)
राजस्थान	45,000	1616
गुजरात	1,10,000	3335

इन आंकड़ों में पचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली जवाहर योजना के अधीन सामाजिक वानिकी कार्य, जिसके लिए निधि निर्धारित नहीं की गई है, शामिल नहीं है।

जिलेवार आंकड़े राज्य स्तर पर तैयार किए जाते हैं

राजस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में दवाइयों का उपलब्ध न होना

3222. **श्री बद्रि चन्द्र जैन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त-कर्ताओं को कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों से निर्धारित दवाइयां नहीं मिलती हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) राजस्थान सरकार ने जो कि क० रा० बी० योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देख-रेख क प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, सूचित किया है कि राज्य में क० रा० बी० लाभानुभोगी सामान्यतः सभी लिखी गई औषधियां और दवाइयां प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

3223. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा मुद्रण का महीना/वर्ष मुद्रित किए बिना पर्यावरण के सम्बन्ध में विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है;

(ख) क्या इन पुस्तकों की कीमत अधिक होती है और क्या बोर्ड इन प्रकाशनों की कीमतें कम करने तथा इनके यथासंभव व्यापक परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें न-हानि-न-लाभ के आधार पर बेचने का विचार कर रहा है;

(ग) क्या बोर्ड के इन प्रकाशनों के प्रदर्शन/विपणन हेतु दिल्ली में नेहरू प्लेस स्थित अपने स्काईलार्क कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त कोई अन्य बिक्री-केन्द्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रकाशनों में सामान्य तौर पर दस्तावेज की संख्या और उसको अन्तिम रूप दिए जाने का वर्ष अंकित होते हैं। तथापि, यदि कोई ऐसा दस्तावेज जिस पर मुद्रण का महीना/वर्ष नहीं दिया गया हो, हमारे ध्यान में लाया गया तो उसको विधिवत ठीक करा दिया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रकाशनों की कीमत संतुलित है जो पहले ही न-हानि-न-लाभ आधार पर तय की जाती है।

(ग) और (घ) बोर्ड का अपने प्रकाशनों को बेचने के लिए दिल्ली में नेहरू प्लेस स्थित इसके मुख्यालय के अलावा कोई बिक्री-केन्द्र नहीं है। इसके अलावा बोर्ड अपने प्रकाशनों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजता है जो उनको प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, बोर्ड अपने प्रकाशनों को प्रदर्शनियों और तकनीकी गोष्ठियों/संगोष्ठियों में प्रदर्शित करता है।

चैम्बूर-ट्राम्बे, बम्बई में पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन करने हेतु गठित की गई समिति

3224. **श्री मुकुदास कामत :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में चै-बूर-ट्रॉम्बे क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित की गई समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और प्रदूषण समस्या समाप्त करने के लिए सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट में सभी प्रमुख औद्योगिक इकाइयों, परिवहन आदि के लिए सामान्य सिफारिशें तथा तीन प्रमुख औद्योगिक इकाइयों तथा ताप विद्युत संयंत्र के सम्बन्ध में विशिष्ट सिफारिशें की हैं । महत्वपूर्ण सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

1. **सामान्य सिफारिशें**

(1) राज्य/केन्द्र सरकार/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मौजूदा औद्योगिक इकाइयों, विद्युत संयंत्रों, मोटर-वाहनों के लिए सख्त निस्सरण मानदण्ड लागू करने चाहिए ।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नगर निगम को चैम्बूर के चार विभिन्न स्थानों पर सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, धूलकण, अमोनिया, कार्बनमोनोक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन के सम्बन्ध में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए । इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों को चिमनी की निरन्तर निगरानी करने वाले उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिए । उन्हें तीन केन्द्रों में वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करनी चाहिए, जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से चुना गया है ।

(3) चैम्बूर के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही संकट प्रबन्ध योजना को प्रमुख औद्योगिक इकाइयों तथा विद्युत संयंत्र द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ।

(4) चार प्रमुख इकाइयों की सीमाओं के भीतर खुले क्षेत्रों को "नो डेवलपमेंट जोनस" घोषित किया जाना चाहिए । इन इकाइयों को अगले पांच वर्षों में अपनी सीमाओं के भीतर कुल खुले क्षेत्रों के न्यूनतम 60% भाग पर वन लगा देने चाहिए ।

(5) ग्रेटर बम्बई से आने और जाने वाले जहाजों की देखरेख बम्बई पत्तन द्वारा तथा आने जाने वाले जहाजों की देखरेख न्हावा-शेवा सहित अन्य पत्तनों द्वारा की जानी चाहिए ।

(6) तेल शोधक कारखानों के सम्पूर्ण कच्चे माल और उत्पादों को पाइपलाइन के जरिए लाया और ले जाया जाना चाहिए । थाणे-क्रीक के आर-पार और मनमड तक पाइपलाइन का निर्माण तेजी से किया जाना चाहिए । जब कभी पाइपलाइन के जरिए उत्पादों को अन्य स्थान में ले जाना संभव नहीं होता है, तो रेल/सड़क परिवहन

को अन्तिम उपाय के रूप में अपनाया जा सकता है। केवल ग्रेटर बम्बई में प्रयोग के लिए अपेक्षित तरल पेट्रोलियम गैस को आवश्यक मात्रा में तेल शोधक कारखानों तक लाया जाना चाहिए। शेष तरल पेट्रोलियम गैस को उरान में उपयुक्त संयंत्र लगाकर प्रयोग में लाया जा सकता है।

(7) मजगांव व वड़ीबन्दर स्थित मौजूदा ब्लेंडिंग संयंत्रों को बम्बई से बाहर कम भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में ले जाए जाने के मामले की जांच की जाए।

(8) परियोजना प्राधिकारियों को एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए जिससे कि तीन वर्षों के भीतर आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित उत्सर्जन मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

2. **भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें।**

(1) सल्फर डाइ-आक्साइड, हाइड्रो-कार्बन और नाइट्रोजन के आक्साइड के गैसीय उत्सर्जन क्रमशः प्रतिदिन 13 टन, 10 टन और 3 टन से अधिक नहीं होने चाहिए।

(2) परियोजना प्राधिकारियों को चाहिए कि वे तेल शोधक कारखानों के कारखाने और तेल शोधन क्षमता में सीधी वृद्धि न करें। संयंत्रों में किन्हीं अतिरिक्त क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं और कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) जब संयंत्र के बन्द हो जाने के कारण अन्य तेल शोधक कारखाने कार्य नहीं कर रहे हों, तभी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के एक्सपैंडेड रिफायनरी आपरेशन को एक सहायक सुविधा के रूप में चाल किया जाना चाहिए। ल्यूब प्लांट के लिए फीड स्टॉक केवल मूल क्षमता में से ही होना चाहिए।

(4) भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर बम्बई नगर निगम अन्य सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित शर्तों और इस रिपोर्ट में निर्धारित सामान्य शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

(5) नेप्था का पातालगंगा और वापसी धारा, यदि कोई हो, तक परिवहन 31 दिसम्बर, 1989 के पश्चात केवल पाइपलाइन के जरिए किया जाना चाहिए।

(6) संयंत्र से बाहर आने वाले तरल बहिस्रावों को विसर्जित करने से पूर्व न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

3. **राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड के संबंध में विशेष सिफारिशें**

(1) अमोनिया संयंत्र पुनर्स्थापन परियोजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

(2) सड़क में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए यूरिया को रेल द्वारा ढोया जाना चाहिए।

(3) इस कारखाने के निचले क्षेत्र के सुधार के लिए जिप्सम और अन्य खतरनाक ठोस अपशिष्टों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(4) पिर वी स्थल पर अमोनिया का भण्डार 5,000 टन से अधिक नहीं होना चाहिए और आयातित अमोनिया का केवल कारखाने के अहाते में ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

(5) सभी सामान्य शर्तों और भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर बम्बई नगर निगम और अन्य सांविधिक एजेंसियों द्वारा लगाई गई शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चहिए।

4. **टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी के संबंध में सिफारिशें**

(1) 500 मेगावाट के दोनों यूनिटों (यूनिट-5 और यूनिट-6) में साफ ईंधनों (उदाहरणार्थ प्राकृतिक गैस/एल० एस० एच० एस०) का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(2) यूनिट-4 को स्टैंड बाई ड्यूटी में रखा जाना चाहिए और इसको बहुत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल गैस से चलाया जाना चाहिए।

(3) संचित उड़ने वाली राख और नीचे बैठी हुई राख का निपटान बम्बई में भूमि सुधार करके और जल निकायों या दलदली क्षेत्रों में ढेर लगाकर नहीं किया जाना चाहिए।

(4) सभी सामान्य शर्तों और भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर बम्बई नगर निगम और अन्य सांविधिक एजेंसियों द्वारा लगाई गई शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

मुलुन्द, बम्बई में जन सुविधाएं

3225. **श्री गुरुदास कामत :** क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने हेतु एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि वह मुलुन्ड स्थित राकीर तेकडि, बम्बई में जन-सुविधाएं प्रदान कर सके;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन सुविधाओं को प्रदान करने सम्बन्धी कार्य को स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन होने से पहले ही दे दी गई थी; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक अनुमति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और उनको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में नमक आयुक्त/विभाग की भूमि

3226. श्री गुरुदास कामत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में उस भूमि का पता लगाया है जो मूलतः नमक आयुक्त/विभाग की थी और जिसे केन्द्रीय सरकार के अधिपत्य में रखा जाना था और महाराष्ट्र सरकार को सौंपा जाना था;

(ख) यदि हां, तो यह भूमि किन क्षेत्रों में है और प्रत्येक स्थान पर भूमि का आकार क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या जिनके लिये केन्द्रीय सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने भूमि को मंजूरी दी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) लगभग 1080 हैक्टेयर भूमि जो बम्बई में नमक उत्पादकों के लिए फालतू पड़ी है, की शिनाख्त मन्डूप और कन्जूर में की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इस भूमि पर नमक उत्पादन के लिए लाइसेंसों के तृतीय पार्टी अधिकारों को समाप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की है। अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, उपलब्ध भूमि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के आपसी समझौते के अनुपात में बांटी जायेगी।

(ग) भारत सरकार का भूमि के अपने हिस्से पर सामान्य पूल आवास का निर्माण करने का प्रस्ताव है, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनका इस भूमि का उपयोग विश्व बैंक द्वारा सहायतित बम्बई शहरी विकास परियोजना और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर करने का विचार है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहायक निगमों के प्रबन्ध निदेशकों
के कार्यालयों के जीर्णोद्वार पर हुआ व्यय

3227. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने विभिन्न सहायक निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के कार्यालयों का भारी लागत से जीर्णोद्धार कराने की अनुमति दी है;

(ख) क्या विभिन्न स्थानों के प्रबन्ध निदेशक अपने वर्तमान कार्यालयों का कुछ हिस्सा भारी लागत से आवास में परिवर्तित करा रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एन० टी० सी० (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) लि० के कलकत्ता स्थित तकनीकी विभाग के कार्यालय को इसके अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के लिए कार्यालय-सह-आवास में परिवर्तित किया गया है और तकनीकी विभाग को एन० टी० सी० (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) लि० के पास उपलब्ध खाली बिल्डिंग में ले जाया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

3228. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री डी० बशीर } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का विचार है ताकि इसे उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक प्रभावशाली और उपयोगी बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य को मजबूत करने तथा सुप्रवाही बनाने की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे प्रणाली के तहत अधिक वस्तुओं का वितरण करें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में लगे विभिन्न अभिकरणों के बीच कारगर तालमेल बनाए, विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता सलाहकार/सतर्कता समितियां गठित करें, उचित दर की दुकानों की आर्थिक आत्मनिर्भता में सुधार करें, प्रवर्तन तथा निरीक्षण व्यवस्था को कड़ा बनाएं, जहां आवश्यक हो वहां अधिक उचित दर की दुकानें खोलें, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए चलती-फिरती दुकानें चलाएं, आदि

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में होम्योपैथी की दवाए उपलब्ध न होना

3229. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की होम्योपैथी औषधालयों/यूनिटों में कई आवश्यक दवाएं और मदर टिंचर्स उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये दवाएं कब से उपलब्ध नहीं हैं, और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली के औषधालयों में सभी दवाओं और मदर टिंचर्स उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ख) जी, नहीं। अधिकांश आवश्यक औषधें और मदर टिंचर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दिल्ली स्थित होम्योपैथिक औषधालयों/यूनिटों में उपलब्ध हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन

3230. **श्री लोकनाथ रथ** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान बाजार स्थितियों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करना वांछनीय नहीं समझा जाता।

लुप्त हो रहे वन्यजीवों और वनस्पतियों का संरक्षण

3231. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने-अपने प्राकृतिक क्षेत्रों में लुप्त हो रहे वनस्पतियों और जीवों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में काले मृग लुप्त होने की स्थिति में हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके संरक्षण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत में स्तनपाइयों की 16 प्रजातियां, पक्षियों की 5 प्रजातियां, सरीसृपों की 3 प्रजातियां खतरे में पड़ी हैं। उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने पौधों की 427 दुर्लभ प्रजातियों का पता लगाया है जिनमें से 109 पौध प्रजातियां खतरे में पड़ी मानी जाती हैं। इन प्रजातियों के नाम संलग्न विवहण-2 में दिए गए हैं।

(ख) पौधों और पशुओं की खतरे में पड़ी प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में काले मृगों के लुप्त होने का खतरा नहीं है। काला मृग वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में दर्ज एक पशु है और सम्पूर्ण देश में इसके शिकार पर प्रतिबन्ध है। उड़ीसा सरकार ने काले मृग की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है।

विवरण-I

अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक की खतरे में पड़ी प्रजातियों की सूची में शामिल किए गए पशुओं और पक्षियों की सूची

क्र० सं०	सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	देश का क्षेत्र जहां वे पाए जाते हैं
1	2	3	4
क-स्तनपायी			
1.	सिंहपुच्छी बन्दर	मकाका साइलेनस	पश्चिमी घाटों में सदाबहार वन
2.	सुनहरा लंगूर	प्रेसबाइटिस गीई	असम, भूटान के साथ हिमालय की मादगिरियां
3.	दृढ़लोमी खरगोश	केप्रलेगस हिसपिडस	हिमालय की पादगिरिया, असम
4.	भारतीय डोलफिन	प्लेटेनिस्टा इन्डी	गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां
5.	मालाबार बड़ा घारीदार मुश्कबिलाव	विवेरा मेंगास्पिला साइवेटिना	केरल का तटवर्ती क्षेत्र
6.	एशियाई सिंह	पैंथरालियो पर्सिका	गिर राष्ट्रीय उद्यान
7.	तेंदुआ	पैंथरा पार्डस	सम्पूर्ण भारत में।
8.	बाघ	पैंथरा टाइग्रिस	सम्पूर्ण भारत में।
9.	हिम तेंदुआ	पैंथरा अमिया	लद्दाख से सिक्किम तक उच्च हिमालय में।
10.	भारतीय हाथी	एलिफास मेक्सिमम	उत्तर प्रदेश से मेघालय तक हिमालय की पादगिरी, बिहार, उड़ीसा और दक्षिण के चार राज्य।
11.	भारतीय जंगली गधा	इक्वस हेमियोनस खुर	कच्छ का रन।
12.	पिगमी सूअर	सस सल्वानस	मानस बाघ रिजर्व तथा उसके आसपास का क्षेत्र।

1	2	3	4
13.	दलदली हिरण	सरवस डयूवासेली	उत्तर प्रदेश से असम तक उत्तरी और पूर्वी भारत के तराई और दूआर क्षेत्र और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश में बस्तर तक ।
14.	हंगुल	सरवस एलेफस	कश्मीर घाटी का उत्तरी भाग ।
15.	मणिपुरी ब्रो एंटलर्ड हिरण	सरवस एल्डी एल्डी	काइबुल लामजाओं राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर ।
16.	जंगली एशियाई जल भैंसा	बुबालिस बुबालिस	असम, अरूणाचल प्रदेश, मध्य, प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी उड़ीसा के तराई क्षेत्र ।
ख.	**पक्षी**		
1.	सफेद पंखों वाली जंगली बत्तख	केरिना स्कुटूलाटा	असम के पूर्वी जिले और अरूणा चल प्रदेश का कुछ भाग ।
2.	चीर फीजेन्ट	केट्रेयस वलिची	कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़ वाल और कुमाऊं ।
3.	वेस्टन ट्रेगोपान	ट्रेगोपान मेलानोसेफेलस	कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़-वाल और कुमाऊं ।
4.	भारतीय सोहन चिड़िया	अर्डोटिस नाईग्रिसेप्स	राजस्थान के मरू क्षेत्र ।
5.	जोर्डन कर्सर	कर्सोरियस बिटो•वेटस	आंध्र प्रदेश ।
ग.	**सरीसृप**		
1.	एच्युरियन घड़ियाल	क्रोकोडायलस पोरासस	भारत का पूर्वी समुद्र तट और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह ।
2.	घड़ियाल	गेविथालिस गंगेटिकस	गंगा, महानदी और ब्रह्मपुत्र ।
3.	रिवर टेरापिन	बटागुर बास्का	दक्षिण-पश्चिम बंगाल ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, शीत ऋतु के दौरान भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों की दो प्रजातियों को भी खतरे में पड़ी प्रजाति के रूप में माना गया है । ये हैं : साइबेरियन क्रेन (गुस ल्यूको-जेरानस) और ब्लैक-नेक्ड क्रेन (गुस नीगरी-कोलिस) । पहली प्रजाति शीत ऋतु में केवलदेव घाना

राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में आती हैं और दूसरी प्रजाति लद्दाख और अरूणाचल प्रदेश के कुछ भागों में आती हैं।

विवरण-2

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा भारतीय पौधों की रेड डाटा बुक में अब तक प्रकाशित संकटापन्न भारतीय पौधों की सूची

1	2	3
1.	ऐसर हूकेरी वार माजूस	सिक्किम और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला।
2.	ऐसर ओबलोंगम वार मेंम्ब्रानासियम	मंसूरी की पहाड़िया, उत्तर प्रदेश।
3.	ऐसर ओबलोंग वार माइक्रोकेपरम	मिशमी पहाड़िया, अरूणाचल प्रदेश।
4.	ऐसर ओस्मासटोनी	पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला।
5.	ऐसर सिक्किमनीज वार सेरूलेटम	मिशमी पहाड़िया, अरूणाचल प्रदेश।
6.	एण्टिनोडेफन बर्निया	मदुराई जिला, तमिलनाडु।
7.	एण्टिनोडिफन लटाना	नीलगिरी, तमिलनाडु।
8.	एडिनन्द्रा ग्रिफिथी	मेघालय (खासी पहाड़ियां)।
9.	अनाफैलिस बारनेसी	इडुक्की केरल।
10.	एनोएक्टोचिलस निकोबारीकस	ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह।
11.	अरेनारिया कर्वीफोलिया	गढ़वाल पहाड़िया, उत्तर प्रदेश।
12.	अरेनारिया फरूंगिनिया	कुमाऊं पहाड़िया, उत्तर प्रदेश।
13.	अरेनारिया थंगोइनसिस	सिक्किम।
14.	अथाईरियम अट्राटम	मणिपुर
15.	बेलोसाइनेप्सिस केवेनसिस	कन्या कुमारी, तमिलनाडु और तिनवेली, केरल।
16.	बेनटिनकिया निकोबारिया	निकोबार द्वीप समूह।
17.	बरबेरिस लैम्बीरटी	कुमाऊ पहाड़ी, उत्तर प्रदेश
18.	बुचानानिया बारबेरी	केरल, दक्षिण भारत में त्रेवेंकोर।
19.	कालान्थे अन्योपोफोरा	गारो पहाड़ी, मेघालय
20.	कालान्थे पेकिण्टालिक्स	शिमला, हिमाचल प्रदेश, मंसूरी, उत्तर प्रदेश।
21.	सिरोपेगिया बारनेसी	नीलगिरी, तमिलनाडु और कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़।

1	2	3
22.	सिरोपेगिया बेडोमेई	त्रिवेन्द्रम, तमिलनाडु और इडुक्की और केरल।
23.	सिरोपेगिया फंटास्टिका	कर्नाटक में दक्षिण कन्नड और गोवा।
24.	सिरोपेगिया हूकेरी	सिक्किम
25.	सिरोपेगिया लावी	कोंकण, महाराष्ट्र।
26.	सिरोपेगिया महाबली	पुणे जिला, महाराष्ट्र।
27.	सिरोपेगिया ओडोराटा	पावागढ़, गुजरात और मेलघाट, महाराष्ट्र।
28.	सिरोपेगिया ओमिसा	तमिलनाडु।
29.	सिरोपेगिया पंचगनेसिस	पंचगनी, सतारा, महाराष्ट्र।
30.	क्लेमेटिस एपिकुलाटा	खासी पहाड़ी, मेघालय
31.	क्रोटालारिया क्लेवाटा	कोयम्बतुर, मदुराई और सालेम तमिलनाडु
32.	क्रोटालारिया फाइसोनी वार ग्लेब्रा	मदुराई जिला, तमिलनाडु।
33.	क्रोटालारिया कोडईनेसिस	कोडयकनाल, तमिलनाडु
34.	क्रोटालारिया लोंगीपेस	नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु।
35.	क्रोटालारिया सेंडुरेनसिस	बेल्लारी, कर्नाटक
36.	क्रिप्टोकोरिन टेरटुओसा	महाबलेश्वर, महाराष्ट्र
37.	साईथिया नीलगिरेनेसिस	दक्षिण भारत
38.	सिम्बीडियम हुवाईटी	सिक्किम
39.	डेकाश्किस्टिया रूफा	प्रयद्वीपीय भारत
40.	डेन्ड्रोबियम औरांटियाकम	असम
41.	डेन्ड्रोग्लोसा मिनुटुला	खासी पहाड़ी, मेघालय
42.	डेस्मोस विरिडीफलोरस	कोयम्बत्तूर और इडुक्की।
43.	डिक्लीपटेरा एबुएनसिस	माउन्ट आबू, राजस्थान
44.	डिडिसिया कुनिनघामी	सिक्कम (लाचनी घाटी) और गढ़वाल उत्तर प्रदेश
45	डिपकाडी माइनर	दक्षिण का पठार
46.	एलाफोग्लोसम नीलगिरीकम	नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु
47.	यूगेनिया डिस्कीफेरा	त्रिवेन्द्रम (केरल) कामराज (तमिलनाडु)
48.	यूलोफिया निकोबारिका	निकोबार द्वीपसमूह

1	2	3
49.	यूनिमस अंगुलाटस	नीलगिरी (तमिलनाडु) कूर्ग (कर्नाटक) और केरल।
50.	यूनिमस ऐसेमिकस	असम
51.	यूनिमस सेराटीफोलियस	नीलगिरी, तमिलनाडु
52.	फलीचिगेरिया हेसपेरिस	कुमाऊं, उत्तर प्रदेश
53.	फेरिया इण्डिका	पुणे, महाराष्ट्र
54.	हम्बोल्डटिया ब्रोर्डीलोनी	केरल और तमिलनाडु
55.	हम्बोल्डटिया लौरिफोलिया	केरल
56.	हम्बोल्डटिया यूनिजुगावार यूनिजुगा	ट्रावनकोर और तिरूनेलवेली, केरल और तमिलनाडु।
57.	इम्पेटीएन्स नियो-बारनेसी	नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु
58.	इम्पेटीएन्स नीलगिरिका	नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु
59.	इलसिया मालाबारिका	शांत घाटी, पालघाट जिला, केरल।
60.	लेक्टूका बेन्थामी	कश्मीर
61.	लेक्टूका कूपेरी	सिक्किम
62.	लेक्टूका फिलिसिना	कुमाऊं पहाड़ी, उत्तर प्रदेश
63.	लेक्टूका अन्डुलाटा	कश्मीर
64.	स्यूकास मुकेरजियाना	विशाखापतनम, आंध्र प्रदेश
65.	लिन्डसेया मालाबारिका	पश्चिमी घाट
66.	लिलियम मेकलिनी	मणिपुर
67.	मेलिओला अण्डामानिका	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
68.	मिट्रास्टेमोन यामामोटोई	मेघालय
69.	नोथोपेगिया ओरियो-फुलवा	तिरूनेलवेली, तमिलनाडु
70.	ओयान्थस डेक्कानेन्सिस	पुणे, महाराष्ट्र।
71.	ओफीओरहिजा हिसपिडा	मेघालय और असम
72.	ओफीओरहिजा इनकारनाटा	केरल
73.	ओफीओरहिजा सबकापीटाटा	खासी-तथा जयंतिपहाड़िया, मेघालय
74.	ओफीओरहिजा वाट्टी	मेघालय, नागालैंड तथा मणिपुर
75.	पार्फीपेडीलम फैरीएनम	सिक्किम, भूटान तथा अरूणाचल प्रदेश
76.	पापीहीपेडीलम वारही	लोहित जिला, अरूणाचल प्रदेश
77.	फालेनोपसिस स्पेकीओसा	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

1	2	3
78.	फैलबोफाइलम जयपोरेन्स	मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश
79.	फैलेनथस नारायणास्वामी	ई० गोदावरी तथा विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश
80.	पिम्पाईनेला तीरूपेटनेसिस	जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश
81.	पिम्पिनएला वालीची	सिक्किम
82.	पिम्पइनएला टोंगलोएनसिस	दार्जिलिंग तथा सिक्किम तथा हिमालय
83.	साइकोटिरिया आरबोरनेसिस	अबोहर पहाड़िया, अरूणाचल प्रदेश
84.	साइकोटिरिया ग्लोबीकेपहाला	कोराटुलम (तमिलनाडु)
85.	रेनथेरा इम्स्कूतिमाना	मणिपुरम, नागालैंड तथा मिजोरम
86.	सगरिया ग्रांडीफलोरा	क्वीलोन, केरल
87.	सालाकिया जेनकिनसी	असम
88.	सालाकिया मालाबारिका	कुर्ग, कर्नाटक, ट्रावनकोर हिल्सा
89.	संतापौवा मदुरेनसिस	मदुराई, मुडुकोट्टी, तानजूर जिला तमिलनाडु
90.	ससूरिया कॉसटस	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश
91.	सिला विरीहिस	महाराष्ट्र
92.	सेलागीनेला आडुका	उत्तर पश्चिम हिमालय
93.	सेलागीनेला काटाकटम	दक्षिण भारत
94.	सेनीको कुंडाईकस	नीलगिरि पहाड़िया, तमिलनाडु
95.	स्पेहरोपटेरिस क्रिनिटा	तमिलनाडु में नीलिगिरि तथा केरल में अन्नामलाई
96.	स्ट्रोबिलएनथिस हालबारगी	माउण्ट आबू, राजस्थान
97.	साइजाइगियम कोर्टालेनसी	कोर्टालिम पहाड़िया, तमिलनाडु
98.	साइजाइगियम गेम्बलियनभ	कन्याकुमारी, तमिलनाडु
99.	साइजाइगियम ट्रावनकोरियम	क्वीलोन, केरल
100.	टेनीफाइलम अंडामानीकम	बरानटंग द्वीप, अण्डमान
101.	टोक्सोकारपस लोंगीस्टीगिमा	ई० गोदावरी तथा विशाखापतनम, आंध्र प्रदेश

1	2	3
102.	गिवलवारिया कनजीलाली	मेघालय
103	उरगिना कॉगस्टा	दक्षिण भारत
104	क्वारिया सूथीनकटा	जिला गंजाम, उड़ीसा
105.	वरनोनिया मल्टीकार्टीएटा	इदुक्की केरल
106.	वरनोनिया पलनेनसिस	पलनी हिल्स, केरल
107.	वरनोनिया रेकुरवा	अन्नामलाई पहाड़िया तमिलनाडु
108.	वेडडलानडिया अंडामानिका	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
109.	युबानगिया नीलगिरिएनिसा	नीलगिरि पहाड़िया, तमिलनाडु

विवरण-3

"पौधों और पशुओं की दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय"

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के तहत खतरे में पड़ी प्रजातियों के शिकार व इन प्रजातियों से बनी वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
2. वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत पौधों और पशुओं के संकटापन्न प्रजातियों और उनसे बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।
3. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए आधारभूत ढांचों को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।
4. वन्यप्राणिजात और वनस्पतिजात के संरक्षण के लिए भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत भाग को शामिल करके 398 अभयारण्यों और 68 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।
5. बाघों की सुरक्षा एव संरक्षण के लिए बाघ परियोजना स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है।
6. गैंडों के संरक्षण के लिए एक नई स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।
7. चोरी-छिपे शिकार को रोकने के उपाय के लिए स्तर पर पुलिस के साथ और भारत सरकार के स्तर पर सीमा शुल्क विभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, तटरक्षकों और सेना के साथ निकटतम सहयोग बनाए रखा जाता है।
8. चोरी-छिपे शिकार करने वालों और गैर-कानूनी व्यापारियों के बारे में सूचना देने के लिए नकद पुरस्कार देने की एक प्रणाली शुरू की गई है।

श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

3232. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** क्या श्रम मन्त्री श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए पेंशन के बारे में 1 मार्च, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह दल अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस दल ने अपनी रिपोर्ट में सुझाई गई अनेक वैकल्पिक पेंशन योजनाओं में से एक को प्रारम्भ करने की सिफारिश की है। एक पेंशन योजना को प्रारम्भ करने के उद्देश्य से सबसे पहले क०म०नि० अधिनियम में समुचित उपबन्ध जोड़ना आवश्यक है। तदनुसार इस मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में शारदा घाटी की चौलीगंगा चरण-एक परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

3233. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में शारदा घाटी की चौलीगंगा, चरण-एक परियोजना को पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यक मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सिब्बतउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। परियोजना को अप्रैल, 1989 में मंजूरी दे दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना-पार क्षेत्र, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि/पार्कों पर अवैध कब्जा किया जाना

3234. **श्री राम भगत पासवान** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना-पार क्षेत्र, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि और पार्कों पर भारी संख्या में अवैध कब्जों के मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि का अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में नई उचित-दर-दुकानें

3235. **श्री राम भगत पासवान** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में उचित-दर-दुकानों की संख्या बढ़ाने तथा गरीब लोगों के लिए इन दुकानों में मिलने वाली मदों की संख्या में भी वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : दिल्ली प्रशासन द्वारा जब कभी आवश्यक समझा जाता है, नई उचित दर की दुकानें खोली जाती हैं। इस समय दिल्ली में कार्य कर रही उचित दर की दुकानों की संख्या मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दुकान के निर्धारित प्रतिमान के अनुरूप हैं। दिल्ली प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा आबटित मदों को वितरित कर रहा है और फिलहाल मदों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विस्कोस फाइबर के मूल्य में वृद्धि

3236. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारतीय कम्पनियों द्वारा निर्मित विस्कोस फाइबर के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मूल्य वृद्धि रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) स्वदेशी विस्कोस स्टेपल फाइबर की कीमतों पर नियंत्रण रखने और घरेलू सप्लाई को पूरा करने के उद्देश्य से वास्तविक प्रयोक्ताओं को खुले सामान्य लाइसेन्स के तहत फाइबर आयात करने की अनुमति दी गई है।

विवरण

मै० ग्रेसियन इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा मार्च, 1987 से जुलाई, 1989 तक विनिर्मित विस्कोस स्टेपिल फाइबर और एच डब्ल्यू एम फाइबर की कीमतें :

(रुपए/किग्रा०)

महीना	विस्कोस स्टेपिल फाइबर (औसत)	एच डब्ल्यू एम फाइब पालीनोसिक (औसत)
1	2	3
मार्च, 1987	25.98	32.59
दिसम्बर, 1987	27.81	36.75
मार्च, 1988	27.57	38.25
जून, 1988	29.16	36.68
सितम्बर, 1988	30.36	3×.24
दिसम्बर, 1988	30.36	38.24
जनवरी, 1989	30.36	38.24
फरवरी, 1989	30.36	38.24
मार्च, 1989	33 43	38.24
अप्रैल, 1989	33.43	38.24
मई, 1989	33.43	38.24
जून, 1989	34 50	38.24
जुलाई, 1989	34.50	38.24

सरकारी अस्पताल के बाहर से खरीदे गए रक्त के लिए प्रति पूर्ति

3237. **श्री राम भगत पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के बाहर से खरीदे गए रक्त के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने लाभार्थियों को प्रति-पूर्ति की गई;

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने लाभार्थियों के दावों का निपटान नहीं किया जा सका है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके दावों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को रक्त की लागत की प्रतिपूर्ति के संबंध में अलग से

कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, ऐसे दावों को शीघ्र निपटाने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

महाराष्ट्र को खाद्य तेल की सप्लाई में कमी

[हिन्दी]

3238. **श्री केशवराव पारधी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य को सप्लाई की जाने वाले आयातित खाद्य तेल (पामोलीन) की मात्रा में दिसम्बर, 1988 से अचानक कमी कर दी गई है;

(ख) क्या इस कटौती और पैकिंग की समस्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह प्रति कार्ड आधा किलोग्राम पामोलीन की सप्लाई करने में भी कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का राज्य सरकार को सप्लाई की जाने वाली आयातित खाद्य तेल की मात्रा में वृद्धि करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) चूंकि देश में खाद्य तिलहनों के अच्छे उत्पादन के कारण देशीय खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार आया है अतः तेल के आयात को काफी कम कर दिया गया है तथा दिसम्बर, 1988 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल हैं, आयातित खाद्य तेलों का आबटन अनुपालिक रूप से कम कर कर दिया गया है। पैकिंग करने की कोई समस्या नहीं है क्योंकि बम्बई में हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन के पास पर्याप्त पैकिंग क्षमता उपलब्ध है। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए राज्य को जुलाई 1989 के महीने के लिए आयातित खाद्य तेलों के आबंटन को यथासम्भव सीमा तक बढ़ा दिया गया है। तथापि सरकार के पास आयातित खाद्य तेल का सीमित भण्डार होने के कारण आबंटन में पिछले वर्ष की इसी अवधि के स्तर तक वृद्धि करना सम्भव नहीं हो पाएगा।

सोवियत संघ में आयुर्वेदिक केन्द्र

[अनुवाद]

3239. **श्री पी० एम० सईद**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ सरकार ने सोवियत रिसर्च सेन्टर फार प्रिवेन्टिव मेडिसिन और महर्षि महेश योगी आयुर्वेद फाउन्डेशन आफ इन्डिया द्वारा सोवियत रूप में संयुक्त उद्यम के रूप में एक आयुर्वेद केन्द्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) मास्को में यह केन्द्र किन लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

कृत्रिम रंग के प्रयोग पर प्रतिबंध हेतु कार्यवाही

3240. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री खाद्य सामग्रियों में रंग और सुगंध मिलाने पर प्रतिबन्ध के बारे में 12 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य सामग्रियों में कृत्रिम रंग और सुगंध का प्रयोग करने, विशेषकर जब कि इनसे खाद्य पदार्थ की पौष्टिकता में कोई वृद्धि नहीं होती है, पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में अब तक क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई हैं; और

(ख) इस समय इस मामले पर किस स्तर पर किस स्थिति में विचार हो रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार, इस समय विशिष्ट खाद्य वस्तुओं में 11 सिन्थेटिक रंजकों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इनमें से तीन सिन्थेटिक रंजकों नामत: (1) अमरांथ (2) फास्ट रेडई और (3) ग्रीन एस पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत प्रतिबंधित सुगन्धों के नामों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

कपड़ा आधुनिकीकरण निधि

3241. **डा० वी० एल० शैलेश** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपडा आधुनिकीकरण निधि के कार्यकरण की समीक्षा की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अर्थश्रम और अन्य लघु तथा कमजोर एककों को अपनी मशीनरी आदि को नवीनतम बनाने के लिए निधि से कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) गठन के समय इस निधि में कितनी धनराशि थी और इसमें से कितनी धनराशि अब तक अर्थक्षम एककों और कमजोर लकिन सक्षम एककों की सहायता के लिए अलग-अलग, प्रदान की गई;

(घ) क्या यह सच है कि कुछेक अर्थक्षम एककों को इस निधि से अधिक धनराशि दी जा रही है; जबकि कमजोर लेकिन सक्षम एकक जो कि विशेष ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने के पात्र हैं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री कुमारी सरोज खापर्डे : (क) और (ख) सरकार समय-समय पर वस्त्र आधुनिकीकरण निधि के कियान्वयन की समीक्षा करती है। पिछली समीक्षा 6 जून, 1989 को की गई थी तथा आई डी बी आई को सलाह दी गई थी कि वह यह सुनिश्चित करें कि कमजोर एककों के सभी वैध आवेदन पत्रों पर सहायता दी जा रही है।

(ग) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि का सृजन 750 करोड़ रु० की राशि से 1 अगस्त, 1986 शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। 31.5.1989 की स्थिति के अनुसार 135 एककों को 375.14 करोड़ रु० की राशि वितरित की गई है जिसमें 24 कमजोर एककों को दिया गया 9.05 करोड़ का विशेष ऋण भी शामिल है।

(घ) और (ङ) हालांकि अधिकांश सहायता स्वस्थ एककों को दी गई है और रुग्ण एककों के आवेदन पत्रों के मामलों में अस्वीकृति/बन्द करने/वापिस लेने का प्रतिशत अधिक है, फिर भी आई डी बी आई द्वारा पात्र कमजोर मिल के आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने/नकारने का कोई विशेष मामला अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

भूमिगत जीवाश्मी (फोसिल) ईंधन भण्डारों से कुष्ठ रोग

3242. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार महाद्वीपों से कुष्ठ रोग की घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करके भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ा ही आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकाला है कि कुष्ठ रोग का भूमिगत जीवाश्मी ईंधन के भण्डारों से सम्बन्ध है;

(ख) क्या इन अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, कुष्ठ रोगियों को बलपूर्वक अलग रखने तथा उन्हें एक साथ रखने की प्रथाओं एवं उनमें समरक्तता से इस रोग को फैलने में सहायता मिलती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने कुष्ठ रोग के मामलों सम्बन्धी इस विश्लेष का अध्ययन किया है और यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों को रोगक्षम बनाने तथा कुष्ठ रोग को फैलने से रोकने हेतु क्या उपाय किए गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) इस मत का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है क्योंकि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति की जीवन रक्षा हेतु प्राथमिक उपचार दिए जाने से सम्बन्धित प्रशिक्षण

3243. **श्री आर० एम० भोये :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हार्ट केयर फाउन्डेशन आफ इन्डिया दिल के दौरे अथवा एकाएक धड़कन बन्द हो जाने से पीड़ित व्यक्ति को जीवन रक्षा के लिए किए जाने वाले प्राथमिक उपचार की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करता है;

(ख) क्या सरकार का ग्रामीण लोगों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का विचार है, ताकि ऐसे रोगियों को चिकित्सा संबंधी सहायता मिलने तक मौत से बचाये रखा जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्कूलों और कालेजों में प्राथमिक उपचार विधियों की शिक्षा द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है।

वन संरक्षण संशोधन अधिनियम का प्रभाव

3244. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेय जल आपूर्ति सिंचाई, सड़क, दूरसंचार और बिजली की तारें बिछाने जैसी विकास योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक वृक्षों की कटाई के बारे में विशेष ध्यान तथा अनुमति देने के सम्बन्ध में कोई रियायत दी गई है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की रियायत दी गई है और इस सम्बन्ध में क्या मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसी रियायतें दिये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचाए बगैर परियोजनाओं के मंजूरी देने में विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों को संशोधित किया गया है जिसके तहत वन संरक्षण के मामले में 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर मंजूरी देने के लिए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को तथा 0 हेक्टेयर तक के मामले में सलाहकार समिति को भेजे बिना पर्यावरण और वन मंत्रालय को मजूरी देने की शक्तियां दे दी गई है।

(ग) और (घ) मार्गदर्शी सिद्धान्त संशोधित कर दिए गए हैं तथा इसकी मुख्य विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

भारत सरकार, लोगों के पुनर्वास के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं देती है। लेकिन वन भूमि को उपयोग में लाने के ऐसे विशेष मामलों पर विचार किया जा सकता है यदि वह ऐसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य लोगों के पुनर्वास के लिए जरूरी हो, जिन्हें राष्ट्रीय पार्क या रिजर्व के कोर क्षेत्र से स्थानांतरित किया जाना है।

अन्य इमारतों के निर्माण के लिए वन भूमि का उपयोग करने के बारे में भी सामान्यतया विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन स्कूल की इमारत, अस्पताल/डिसपेंसरी, सामुदायिक भवन, सहकारिताओं, पंचायतों, सरकार का लघु ग्रामीण औद्योगिक शेड इत्यादि के निर्माण के लिए इस तरह की वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाए जो उस क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए होगा, लेकिन

ऐसे मामलों में वन भूमि का उपयोग वास्तविक जरूरत के अनुसार होना चाहिए तथा हर मामले में इसकी अधिकतम सीमा एक हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पहाड़ी जिलों में और ऐसे अन्य जिले में, जिनमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50% से अधिक भाग में वन हों, गैर-वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए जोर नहीं दिया जाएगा बल्कि जितनी वन भूमि प्रयोग मे लाई गई है उससे दुगनी अवक्रमित वन भूमि पर इसकी अनुमति दे दी जाएगी बशर्ते इस प्रकार उपयोग में लाई गई वन भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो और इस वन भूमि का उपयोग निम्नलिखित में से किसी एक के लिये किया गया हो : सम्पर्क सड़कों को निर्माण, पानी की छोटी योजनाएं, लघु सिंचाई कार्य, स्कूल-भवन औषधालय, अस्पताल, सरकारी लघु ग्रामीण औद्योगिक शेड या ऐसे ही अन्य कार्य, जिनमें उस क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हो।

राज्यों की राजधानियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियां

3245. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के अन्त तक सभी राज्यों की राजधानियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियां खोल दी जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों के नाम क्या हैं जहां अभी तक एक भी ऐसी डिस्पेंसरी नहीं है; और

(ग) ऐसी राजधानियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियां कब तक खोली जाएंगी;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की आबादी के आधार पर शेष राजधानियों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं चरणबद्ध रूप में प्रदान की जाएंगी।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, लागू नहीं है के नाम	राजधानियों	जिनमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
1	2	3
1. असम		गुवाहाटी
2. हरियाणा		चण्डीगढ़
3. हिमाचल प्रदेश		शिमला
4. जम्मू व कश्मीर		श्रीनगर
5. केरल		त्रिवेन्द्रम
6. मध्य प्रदेश		भोपाल

1	2	3
7.	मणिपुर	इम्फाल
8.	मेघालय	शिलांग
9.	नागालैंड	कोहिमा
10.	पंजाब	चण्डीगढ़
11.	सिक्किम	गंगटोक
12.	त्रिपुरा	ईटानगर
13.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
14.	अरुणाचल प्रदेश	इत्तनगर
15	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
16	दादरा व नगर हवेली	सिलवासा
17.	गोवा, दमण व दीव	पणजी
18.	लक्षद्वीप	क्वारट्टी
19.	मिजोरम	ऐजवाल
20.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन/दूरसंचार सुविधाओं के लिए योजना

3246. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास योजना में इस क्षेत्र में द्रुत परिवहन और दूर-संचार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं की योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना तैयार करते समय और उसे कार्यान्वित करते समय दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य नगरों/कस्बों में द्रुत परिवहन प्रणाली को ध्यान में रखा जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र—2001 के लिए परिवहन योजना में निम्नलिखित योजनायें तथा नीतियों पर विचार किया गया है :—

(1) कुशल तथा प्रभावी परिवहन नेटवर्क सहित क्षेत्रीय केन्द्रों को एक दूसरे तथा दिल्ली के साथ परस्पर जोड़ना।

(2) दिल्ली, दिल्ली महानगरीय क्षेत्र और शेष क्षेत्र में सड़क तथा रेल नेटवर्क प्रणाली का एकीकरण।

(3) अधिकतम यातायात आकर्षण को अन्तसम्बद्ध करने और शहरी नोडों को तैयार करने के लिए छोटे से छोटे तथा तीव्रतम नेटवर्क की व्यवस्था करना।

(4) बाई-पास हो सकने वाले यातायात को परिवर्तित करके दिल्ली की सड़कों तथा टर्मिनलों में भीड़भाड़ कम करना और

(5) उचित तीव्र उपनगरीय परिचालन प्रणाली की व्यवस्था।

रूपरेखायें

सड़कें : इन नीतियों को प्राप्त करने के लिए तीन एक्सप्रेस मार्ग नामत: दिल्ली-मेरठ, सोनीपत-पानीपत और फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाद, का निर्माण करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 8, 24, 10, 2 को सुदृढ़ तथा चौड़ा करने का भी प्रस्ताव है, आन्तरिक ग्रिड तथा बाह्य ग्रिड का विकास करने का भी प्रस्ताव है।

आन्तरिक ग्रिड : (1) मरथल से बागपत को जोड़ने के लिए नई सीधी सड़क के निर्माण पर।

(2) रोहतक-सोनीपत-मूरथल, बागपत-मेरठ तथा झज्जर-गुड़गांव-फरीदाबाद सीमाओं पर वर्तमान सीधी सड़कों को सुदृढ़ बनाना तथा चौड़ा करना।

बाह्य ग्रिड : —पलवल-सोना-रिवाड़ी-झज्जर, रोहतक-गोहाना-पानीपत मेरठ-हापुड़-बुलन्दशहर-खुर्जा-पलवल, खुर्जा-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा (दक्षिण) मेरठ-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा (उत्तर) और भिवाड़ी-तिजारा-किशनगढ़-अलवर सीमाओं पर विद्यमान सीधी सड़कों को सुदृढ़ बनाना तथा चौड़ा करना।

रेलवे :—निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल हैं :—

(1) यात्री गाड़ियों की क्षमता को डिब्बों की संख्या बढ़ाकर पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है।

(2) बाहर से गुजरने वाली कतिपय गाड़ियों के रास्तों में परिवर्तन करके दिल्ली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता सृजित करना।

(3) पंजाब/हरियाणा के लिए माल यातायात के आवागमन का योक्तिकरण ताकि इस समय दिल्ली में उनके जमघट को समाप्त किया जा सके।

(4) अतिरिक्त सुविधायें मुहैया कराके छोटे मार्गों की वर्तमान कमियों की जांच करना, जैसे कि :—

—पलवल-फरीदाबाद-दिल्ली भाग में अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था,

—दिल्ली-रिवाड़ी-अलवर के मध्य एकल चौड़ी लाइन बिछाना।

—मुरादनगर और मेरठ छावनी के मध्य एकल लाइन के साथ एक और लाइन और सम्पूर्ण भाग का विद्युतीकरण, और

— दिल्ली-गाजियाबाद और खुर्जा के मध्य अतिरिक्त लाइनें।

(5) दिल्ली-2001 की वृहत योजना के अनुसार, चार स्थानों पर टर्मिनल सुविधाओं का विकास।

(6) मेरठ-हापुड़-बुलन्दशहर-खुर्जा-पलवल-रिवाड़ी-रोहतक और पानीपत को जोड़ने वाली लगभग 205 किलोमीटर का क्षेत्रीय रेल बाई-पास।

दूरसंचार

इस योजना में निम्नलिखित पर विचार किया गया है :—

(1) दूरभाष सेवा का पूर्णत स्वचालन,

(2) बहुत पुराने दूरभाष केन्द्रों तथा सम्बद्ध उपकरणों को बदलना,

(3) व्यवहारिक मांग पर टेलीफोन तथा टैलेक्स सुविधाओं की व्यवस्था,

(4) दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा प्राथमिकता नगरों के लिए उपभोक्ताओं को डायल करने की सुविधाओं का विस्तार,

(5) विश्वसनीय केबलों तथा रेडियो मीडिया द्वारा प्राथमिक तथा दिल्ली महानगरीय क्षेत्र को दिल्ली से जोड़ना।

(6) प्राथमिक नगरों तथा दिल्ली महानगरीय क्षेत्र के नगरों में सीधी डायलिंग या मांग सेवा के माध्यम से विश्वसनीय ट्रंक सेवा की व्यवस्था।

(7) जैसा भी उचित हो सभी नगरों में टेलीग्राफ कार्यालय का विस्तार।

(8) दिल्ली तथा क्षेत्र के अन्य नगरों में मानव तथा यंत्रों द्वारा चालित दूरभाष केन्द्रों को बदलना।

(ग) जी, हां।

महिलाओं द्वारा धूम्रपान

3247. **श्री एन० डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस तरह का कोई सर्वेक्षण किया गया है कि महिलाओं को धूम्रपान के कारण कैंसर अधिक पैदा होता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) (क) और (ख) इस बात का पता लगाने के लिए कि धूम्रपान के कारण महिलाओं को कैंसर अधिक होता है कोई अधिकृत देश व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

तथापि, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्टरी परियोजना के आंकड़ों के अनुसार प्रति एक लाख महिलाओं में से 12-14 महिलाएं प्रतिवर्ष तम्बाकू के कारण होने वाले कैंसरों से पीड़ित होती हैं।

"स्वामीनाथन टु स्टडी नर्मदा प्लान"
शीर्षक से समाचार

3248 **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जुलाई 1989 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार नर्मदा परियोजना की पर्यावरणीय दृष्टि से पुनरीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस पुनरीक्षा के पूरा होने तक परियोजना का कार्य बन्द रहेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पारिस्थितिक दृष्टि से नर्मदा परियोजना की समीक्षा करने के बारे में सरकार को प्रो० स्वामीनाथन से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि परियोजना प्राधिकारी अभी नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाएं तैयार कर रहे हैं, इसलिए प्रो० स्वामीनाथन और अन्य विशेषज्ञों के सुझावों का स्वागत किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रस्तावित अध्ययन के ब्यौरे, यदि कोई हों, ज्ञात नहीं हैं।

दक्षिणी दिल्ली के गांवों में दिल्ली विकास
प्राधिकरण की भूमि की अवैध बिक्री

3249. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर भूमि की अवैध बिक्री का पता लगा है;

(ख) क्या दक्षिण दिल्ली में जसौला गांव में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि की भी अवैध बिक्री की गई है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस बिक्री को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसी कोई घटना उनके ध्यान में नहीं आयी है।

(ख) इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण को कई आरोप प्राप्त हुए हैं तथा दिल्ली पुलिस उनकी जांच कर रही है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण समय समय पर जनता को समाचारपत्रों तथा सार्वजनिक सूचना द्वारा अनैतिक कालोनाइमरों से सचेत रहने की चेतावनी देता रहता है तथा जनता को सलाह देता रहता है कि इनके झांसे में न आयें। जब कभी भी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जाती है तो उसे तारों से घेर लिया जाता है तथा जनता के सूचनार्थ उस पर बोर्ड लगा दिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की सम्पूर्ण भूमि पर अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माण से बचाव के लिए निगरानी स्टाफ भी तैनात किया जाता है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची "वाई" के प्रावधानों का प्रभाव

3250. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची 'वाई" के प्रावधानों का लघु क्षेत्र के औषधीय निर्माताओं पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी है;

(ख) क्या भविष्य में अनुसूची "वाई" के प्रावधानों से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े घरानों को बाजार में एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा; और

(ग) यदि हां तो देश में दवाओं का मूल्य निर्धारण करने तथा नई औषधियों को प्रयोग में लाने पर अनुसूची 'वाई" के प्रावधानों का समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची "वाई" देश में एक नई औषध के आयात और विनिर्माण तथा नई औषधों की क्लिनिकल जांच करने के लिए पहले जारी किए गए दिशा-निर्देशों का एक कानूनी पाठ है। इन दिशा-निर्देशों का इनके औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची "वाई" के क्षेत्राधिकार में शामिल किए जाने से पहले से ही आवेदकों द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित था। चूंकि विभिन्न राज्य औषध नियंत्रक इन दिशा-निर्देशों को भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतिपादित कर रहे थे और इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में एकरूपता नहीं थी, इसलिए इन दिशा-निर्देशों को अधिनियम के अन्तर्गत शामिल करने की आवश्यकता पड़ी। अनुसूची "वाई" का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही औषध के भिन्न-भिन्न ब्रांड मानव इस्तेमाल के लिए समान रूप से प्रभावकारी और सुरक्षित हैं।

अनुसूची "वाई" को लागू करने से न तो फार्मास्यूटिकल विनिर्माताओं के लिए विपणन पैटर्न में कोई परिवर्तन होगा और न ही इससे सरकार के मूल्य निर्धारण मानदण्डों पर प्रभाव पड़ेगा।

खाद्य तेलों का उत्पादन

3251. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न तेलों का आयात किया गया;

(ख) क्या आयातित तेलों का विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक वितरण किया जाता है;

(ग) देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किए गए केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के लिए इन परियोजनाओं हेतु निर्धारित परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान खाद्य तेल की कुल 10.89 लाख मी० टन मात्रा आयात की गई है।

(ख) जी नहीं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल के आवंटन के लिए जनसंख्या मुख्य कसौटी नहीं है। यह अधिकांशत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांगों, उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य तेल को अपनाए जाने, देशीय तेलों की उपलभ्यता और मूल्यों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले आवंटित किए गए तेलों के उठाए जाने की गति पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दो केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—(1) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (एन०ओ०डी०पी०) और (2) "ऑयलसीड्स प्रॉडक्शन थ्रस्ट प्रोजेक्ट (ओ०पी०टी०पी)। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और ऑयलसीड्स प्रोडक्शन थ्रस्ट प्रोजेक्ट योजनाओं के लिए 1989-90 के दौरान क्रमश: 30.08 करोड़ रुपए और 33.44 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है। पहले के लिए 16.09 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र द्वारा और शेष 13.99 करोड़ रुपए की राशि राज्य द्वारा दी जानी है, जबकि दूसरी योजना के लिए 100% आवंटन केन्द्र द्वारा किया जाना है। उपर्युक्त दो योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों में नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके प्रति वर्ष 1989-90 के दौरान 1.45 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त पॉम ऑयल इण्डिया लि० भी, केरल में तेल-ताड़ पौध के विकास और ताड़ तेल के संसाधन से सम्बन्धित एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके प्रति वर्ष 1989-90 के लिए एक करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ङ) चूंकि केरल तिलहन फसल के लिए महत्वपूर्ण राज्य नहीं है, अत: तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए उपर्युक्त दो योजनाओं के तहत यह राज्य नहीं आता है। तथापि, वर्ष 1989-90 के लिए नारियल विकास बोर्ड को किए गए 1.45 करोड़ रुपए के आवंटन में से 35.54 लाख रुपए की राशि केरल में विभिन्न परियोजनाओं, जैसे नारियल के तहत अधिक क्षेत्र लाने की परियोजना अच्छे किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण करना तथा नारियल का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में नारियल की उत्पादकता में सुधार लाने की परियोजना के लिए है। इसके अतिरिक्त आयल पाम इण्डिया लि० द्वारा तेल ताड़ पौध के विकास और ताड़ तेल के संसाधन से सम्बन्धित जो योजना कार्यान्वित की जा रही है वह केवल केरल से संबंध रखती है।

विवरण

एन०ओ०डी०पी० (50:50 के आधार पर) तथा ओ०पी०टी०पी०
(100% केन्द्रीय सहायता) के मुख्य घटकों के तहत
1989-90 के दौरान वित्तीय आवंटन

(लाख रु० में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना योग	एन ओ डी पी		ओ पी टी पी
			भारत सरकार का अंश	राज्य सरकार का अंश	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	452.40	238.70	213.70	452.70
2.	असम	78.05	41.27	36.78	40.50
3.	बिहार	58.65	30.63	28.02	60.70
4.	गुजरात	433.78	225.64	208.14	354.60
5.	हरियाणा	41.75	22.93	18.82	35.25
6	हिमाचल प्रदेश	8.25	4.27	3.98	—
7.	जम्मू व कश्मीर	4.95	2.73	2.22	12.90
8.	कर्नाटक	357.25	194.25	163.02	365.5
9.	मध्य प्रदेश	315.50	173.35	142.15	409.80
10	महाराष्ट्र	267.82	146.41	121.41	359 20
11.	उड़ीसा	126.10	69.30	56.80	179.20
12.	पंजाब	46.25	24 37	21.88	109.45
13.	राजस्थान	224.25	118.37	105.88	287.50
14.	सिक्किम	6.96	3.58	3. 8	4.50
15.	तमिलनाडु	308.65	161.83	146.82	289.40
16.	उत्तर प्रदेश	208.10	113.45	94.65	340.40
17.	पश्चिम बंगाल	69.27	37.73	31.54	35.90
18	त्रिपुरा	—	—	—	4.50
	राज्यों का योग :	3007.98	1608.79	1399.19	3343.50

एन०ओ०डी०पी० = नेशनल ऑयलसीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
ओ०पी०टी०पी० = ऑयलसीड्स प्रोडक्शन थ्रूस्ट प्रोजेक्ट

गुजरात में नगरों हेतु आवास योजना

[हिन्दी]

3252. **श्री छोटूभाई गामित :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, बडोदरा, राजकोट और सूरत नगरों के निर्धन लोगों के पुनर्वास की एक आवास योजना केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नागपुर में भारतीय चिकित्सा पद्धति का औषधालय

[अनुवाद]

3253. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागपुर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर के अधीन दो आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक यूनिट पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

(ग) देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधि की उपलब्धता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के और अधिक औषधालय/यूनिट खोले जाएंगे।

अन्य देशों द्वारा भारत को चिकित्सा उपकरणों को दान के रूप में दिए जाने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना

3254. **श्री कमल नाथ**
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को चिकित्सा उपकरण दान में देने के इच्छुक भारतीय अमेरिकी चिकित्सकों के सामने अनेक बाधाएं हैं तथा उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां तो इस प्रक्रिया में समय अधिक लेने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक सम्भावित चिकित्सकों ने उपकरण दान में देना स्थगित कर दिया है; और

(ग) क्या सरकार का भारत में एक क्लेयरिंग हाउस स्थापित करने और भारत को चिकित्सा उपहार भेजने में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने हेतु मार्गनिर्देशों में संशोधन करने का भी विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) (क) अमेरिका में कार्य कर रहे भारतीय चिकित्सकों द्वारा भारत में चिकित्सीय उपहारों को भेजने में भारत सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं है।

(ख) और (ग) चूंकि अमेरिका में भारतीय चिकित्सकों से चिकित्सीय उपहारों को स्वीकार करने की योजना पिछले कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी, इसलिए अब यह प्रक्रिया आसान कर दी गई है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। एक पुस्तिका निकालने का भी प्रस्ताव है जिसमें दाता और प्राप्त करने वाली संस्था के लाभ के लिए प्रक्रिया संबंधी ब्यौरा दिया जाएगा।

गुजरात और महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भण्डारण क्षमता

3255. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या गुजरात में भण्डारण क्षमता कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1-6-1986 को स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अपनी और किराये की दोनों को मिलाकर कुल भण्डारण क्षमता गुजरात में 8.57 लाख मीटरी टन और महाराष्ट्र में 13.95 लाख मीटरी टन थी।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रवार की गई समीक्षा के आधार पर गुजरात क्षेत्र में लगभग 1.63 लाख मीटरी टन की किराये की क्षमता को खाली करने का निर्णय किया है क्योंकि यह क्षमता खाद्यान्नों के स्टाक की मात्रा कम हो जाने के कारण उनकी आवश्यकता से फालतू हो गई है।

पार्कों के लिए निर्धारित भूमि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट्स

3256. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्कों के लिए निर्धारित भूमि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का निर्माण किए जाने के बारे में मयूर विहार, दिल्ली के निवासियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मयूर विहार में भूमि के एक टुकड़े पर जो आवास के लिए उदिष्ट था, मध्यम आय वर्ग के 88 मकानों और निम्न आय वर्ग के 88 मकानों का निर्माण किया था। निवासी सम्भवत इस गलतफहमी में थे कि इनका निर्माण पार्कों के लिए उदिष्ट स्थल पर किया गया है। उन्होंने तदानुसार एक अभ्यावेदन दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की थी। यद्यपि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी थी, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पार्क के लिए अधिक क्षेत्र की व्यवस्था करके विन्यास नक्शे को संशोधित किया है।

मायापुरी और मयूर विहार में उद्यानों का रख-रखाव

3257. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूर विहार और मायापुरी के उद्यानों का दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग द्वारा भलीभांति रखरखाव किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फलों की लकड़ी की पेटियों में पैकिंग

3258. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वन संसाधनों के संरक्षण के लिए फलों की लकड़ी की पेटियों में पैकिंग पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) सरकार वन संरक्षण के एक उपाय के रूप में फलों को पैक करने के लिए लकड़ी के डिब्बों के विकल्प को बढ़ावा दे रही है।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के अस्पताल

3259. **डा० फूलरेनु गुहा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कितने अस्पताल चल रहे हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में ऐसे और अधिक अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : 1 जनवरी, 1987 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में केन्द्रीय सरकार के 34 अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल में और अस्पताल खोलने के किसी प्रस्ताव पर इस मन्त्रालय में विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण

3260. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन के बारे में 19 जुलाई 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के निर्माण कार्य में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान फ्लैटों के निर्माण की कार्यवाही योजना की समीक्षा तथा भारी मांग को पूर्ति के लिए फ्लैटों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले चार वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों की संख्या इस प्रकार है :—

1985-86	—	16,519
1986-87	—	8,828
1987-88	—	18,758
1988-89	—	23,931

इस प्रकार केवल वर्ष 1986-87 के दौरान ही गिरावट आयी थी।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान 26,489 फ्लैटों के निर्माण का प्रस्ताव है जो पिछले चार वर्षों में किसी भी वर्ष के दौरान निर्मित फ्लैटों की अपेक्षा अधिक होंगे।

नई दिल्ली नगर पालिका की दुकानों का दुगना किराया

3261. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका की अपनी दुकानों के पट्टेदारों द्वारा अपने व्यापार में परिवर्तन करने पर दुकानों का किराया दुगना करने की नीति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका अपनी दुकानों को किसी विशिष्ट दुकान में किसी विशिष्ट व्यापार को चलाने हेतु किराये पर नहीं देती है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पट्टेदारों ने अपने व्यापार में परिवर्तन किया है तथा दुगना किराया देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की तथा कितने मामले विवादग्रस्त हैं; और

(ङ) किराये को दुगना करने की प्रणाली समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : नई दिल्ली नगर पालिका (एन.डी.एम.सी.) दुकानों का आवंटन लाइसेंस आधार पर करती है न कि किराया अथवा पट्टा के आधार पर। लाइसेंस रहित से किसी लाइसेंस वाले व्यवसाय में परिवर्तन करने के मामले में लाइसेंस शुल्क में 50% तक की वृद्धि की जाती है और लाइसेंस वाले व्यवसाय से लाइसेंस रहित व्यवसाय में, अथवा किसी लाइसेंस रहित व्यवसाय से किसी अन्य लाइसेंस रहित व्यवसाय में परिवर्तन करने के मामले में कोई वृद्धि नहीं की जाती है बशर्ते कि वे निर्धारित समूहिकरण के अन्तर्गत आते हैं। एक बार बढ़ाए गए लाइसेंस शुल्क की पूर्व-वृद्धि लाइसेंस शुल्क वाले व्यवसाय पर प्रत्यावर्तन के कारण से कम नहीं किया जाता है।

(ग) जी, हां। नई दिल्ली नगर पालिका किसी विशिष्ट व्यवसाय दुकान को चलाने के लिए विशिष्ट दुकान का आवंटन करती है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा से खाड़ी के देशों में गये श्रमिक

3262. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा देश वार कितने श्रमिक खाड़ी के देशों में गए हैं;

(ख) कितने श्रमिकों ने खाड़ी के देशों में भारतीय दूतावासों में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायतें दर्ज की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) भारत तथा खाड़ी के देशों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है तथा कितनी शिकायतें लम्बित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं तथा इन शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए क्या उदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) उत्प्रवासियों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान खाड़ी के देशों से 14,672 कर्मकारों ने भारतीय दूतावासों के पास शिकायतें दर्ज कीं तथा उनमें से अधिकतर शिकायतों को निपटा दिया गया है और शेष शिकायतों के बारे में तत्परता से कार्रवाई की जा रही है।

(ग) भारत में वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान 984 खाड़ी के देशों में—वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान 14,672।

(घ) 14,220 शिकायतों का निपटान कर दिया गया। 1436 शिकायतें लम्बित पड़ी हैं। इन शिकायतों को सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

निर्यातोन्मुख परिधान (गारमेंटस) एकक

3263. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख परिधान (गारमेंटस) एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव उनके मन्त्रालय के समक्ष निर्णयाधीन पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इन शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख परिधान एककों को स्थापित करने का विचार है;

(ग) ये एकक किन-कन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक योजना के अन्तर्गत सिलेसिलाए परिधान एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त सभी आवेदन-पत्र निपटाए जा चुके हैं और इस मन्त्रालय के पास कोई आवेदन-पत्र बकाया नहीं है।

जबलपुर नगर के लिए हुडको सहायता

3264. **श्री अजय मुशरान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान विभिन्न एजेंसियों ने जबलपुर नगर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु "हुडको" को प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त प्रस्तावों/योजनाओं के लिए कितना धन/ऋण आवंटित किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी हां, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(7.8.89 के अनुसार)

जबलपुर नगर के लिए वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान प्राप्त हुई योजनाओं के ब्यौरे

क्र०सं०	योजना का नाम	प्राप्त की तारीख	अभिकरण	परियोजना लागत (रु० लाख में)	ऋण राशि (रु० लाख में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	1987-88					
1.	जबलपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना	2-4-87	मध्य प्रदेश आवास बोर्ड	15.31	10.88	24-6-87 को स्वीकृत योजना संख्या-5213
2.	मिश्रित आवास योजना, जबलपुर	2-4-87	—वही—	26.16	17.22	24-6-87 को स्वीकृत योजना संख्या-5214
3.	किराया आवास योजना, लार्डगंज, जबलपुर	1-2-88	म.प्र. पुलिस आवास निगम	30.61	20.92	26-3-88 को स्वीकृत योजना संख्या-5671
	1988-89					
4.	सुलभ परिसर का निर्माण, जबलपुर	30-11-88	नगर निगम, जबलपुर	74.07	36.50	18-2-89 को स्वीकृत योजना संख्या-6392
5.	सड़कों तथा नालियों का निर्माण, जबलपुर	30-11-88	—वही—	233.25	103.67	21-2-89 को स्वीकृत योजना संख्या-6396
6.	मिश्रित आवास योजना, जबलपुर	26-10-88	जबलपुर विकास प्राधिकरण	76.00	62.78	8-3-89 को स्वीकृत योजना संख्या-6410
7.	स्तम्भ उन्नयन योजना, जबलपुर	30-11-88	जबलपुर नगर निगम	276.32	139.16	10-3-89 को स्वीकृत योजना संख्या-6414

1	2	3	4	5	6	7
8.	जबलपुर में अर्धसंरचनात्मक सेवाओं की वृद्धि	30-11-88	जबलपुर विकास प्राधिकरण	235.86	117.93	ब्याज की दर के बारे में विचार हेतु 27-7-89 को हुई बोर्ड की बैठक को भेजा गया।
9.	जबलपुर में अर्धसंरचनात्मक सेवाओं की वृद्धि	30-11-88	जबलपुर विकास प्राधिकरण	283.77	141.88	बोर्ड ने ब्याज की 15 प्रतिशत की दर और 5 वर्ष के पुनर्भुगतान की अवधि का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। अधीकरण की सहमति की प्रतीक्षा है।
10.	सामाजिक अर्धसंरचनात्मक के अधीन स्कूल भवनों का परिवर्धन/परिवर्तन	30-11-88	जबलपुर नगर निगम	27.00	13.50	बोर्ड ने 28-3-89 को सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया है। दिनांक 11-4-89 और 28-7-89 के अनुस्मारकों के बावजूद तकनीकी और वित्तीय सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
	1989-90					
11.	जबलपुर के 22 मलीन व बस्तियों में मलीन बस्ती उन्नयन योजना	5-6-89	जबलपुर नगर निगम	259.61	130.00	तकनीकी ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। हुडको द्वारा 12-7-89 को अन्तिम पत्र भेजा गया।
12.	जबलपुर में मध्यम आय वर्ग/उच्चआय योजना	26-10-88	जबलपुर विकास प्राधिकरण	68.13	42.12	योजना संख्या-6735 दिनांक 3-8-89 को स्वीकृत ही।

जबलपुर शहर की भूमिगत जल निकासी योजना

3265. **श्री अजय मुशराम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य और पर्यावरण इन्जीनियरी संगठन की टिप्पणियों के अनुरूप जबलपुर शहर के लिए भूमिगत जल निकासी सम्बन्धी योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गये है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जो योजना हाल ही में प्राप्त हुई थी, उसकी तकनीकी अनुमोदनार्थ जांच की जा रही है ।

दिल्ली जल आपूर्ति और जल मल व्ययन संस्थान की आय

3266. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल आपूर्ति और जल मल व्ययन पानी के बिलों पर विज्ञापन छपवाकर धन अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986, 1987 1988 के दौरान तथा जून, 1989 तक इस प्रकार की वर्ष-वार आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली जल आपूर्ति और जल मल व्ययन संस्थान ने अपने बिलों के भुगतान की वसूली के लिए कुछ बैंकों को प्राधिकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे बैंक कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या दिल्ली जल आपूर्ति और जल मल व्ययन संस्थान का उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अपने बिलों पर इन बैंकों के नाम अंकित करने हेतु इनमें इनके लिए कुछ जगह उपलब्ध कराने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख)

वर्ष	राशि
1986	48,380/-रुपये
1987	17,675/-रुपये
1988	21.170/-रुपये
1989	15,400/-रुपये

शेष, किन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक।

(ङ) और (च) फरवरी, 1989 तक भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के नाम बिल फार्मों पर अंकित किए जा रहे थे। भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के नाम फार्मों पर कभी-कभी उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए अंकित किए जाए।

चिकित्सा प्रमाण पत्र और स्वस्थता प्रमाण-पत्र जारी करना

3267. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी चिकित्सक को, सरकारी कर्मचारी को पहली बार चिकित्सा हेतु आने पर उसकी बीमारी के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने तथा कितने दिन का अवकाश चाहिए दोनों ही तथ्यों के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करना होता है:

(ख) क्या सरकारी चिकित्सकों द्वारा सामान्यतः यह परम्परा अपनाई जाती है वह दोनों चिकित्सा और स्वस्थता प्रमाण-पत्र एक साथ ही जारी करते हैं जिससे नियमों को बनाने का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सरकारी चिकित्सकों को सरकारी कर्मचारी के पहली बार चिकित्सा हेतु आने पर और आवश्यक होने पर चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने और स्वस्थता प्रमाणपत्र देते समय चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी न करने के निर्देश देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) सामान्यतः सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी के पहले दिन चिकित्सा के लिए आने पर अथवा उपचार की अवधि के दौरान चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसमें उपचार की सम्भावित अवधि का उल्लेख किया गया होता है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, रोग की प्रकृति के कारण कुछ मामलों में तथा ऐसे मामलों में जहां क्लनिकल परीक्षणों की आवश्यकता होती है, रोगी के स्वस्थ हो जाने पर चिकित्सा और स्वस्थता प्रमाण पत्र एक साथ दिए जा सकते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नकली दांत लगाने की सुविधा

[हिन्दी]

3268. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नकली दांत लगाने की सुविधा प्राप्त है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कुछ विशेष चिकित्सकों को नियुक्त किया है अथवा मान्यता दी है और यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं;

(ग) क्या इस विभागीय व्यवस्था के न होने की स्थिति में किन्हीं विशिष्ट गैर-सरकारी चिकित्सक से नकली दांत लगवाने के मामलों में प्रतिपूर्ति की जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी नियमों में क्या प्रावधान किए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नकली दांत लगवाने की सुविधा देने हेतु ऐसी व्यवस्था करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) नकली दांत एक कृत्रिम यन्त्र है और न तो यह सरकार द्वारा सप्लाई किया जाता है और न ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को इसकी लागत की प्रतिपूर्ति ही की जाती है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसन्धान परिषद का साहित्य प्रतीक

[अनुवाद]

3269. **श्री ओ० एम० बनातवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 और 8 जुलाई, 1989 को एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) क्या उसमें भाग लेने वालों को भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी पद्धति, केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसन्धान परिषद, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसन्धान परिषद, केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान परिषद, फार्मा-कोपियल लेबोरेटरी आफ इण्डियन मेडिसन्स (पी. एल आई एम.) और होम्योपैथिक फार्माकोपोसिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद के कार्यों के बारे में एक पुस्तिका बांटी गई थी;

(ग) क्या इस पुस्तिका पर केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसन्धान परिषद का प्रतीक छापा गया है और राष्ट्रीय प्रतीक नहीं छापा गया है और इस पुस्तिका के पीछे के पृष्ठ पर छापा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि इसके लिए कोई कर्मचारी दोषी हैं, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, 'भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी" शीर्षक से एक स्मारिका का विमोचन किया गया। इस स्मारिका पर प्रतीक के रूप में "आयुष" अंकित है। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्मोपैथी की विभिन्न पद्धतियों का द्योतक है जैसाकि नीचे दिया गया है।

ए=आयुर्वेद

वाई=योग

यू=यूनानी

एस=सिद्ध

एच=होम्योपैथी

उपर्युक्त प्रतीक उस समय निर्दिष्ट किया गया था जब वह एक संयुक्त निकाय था जिसे केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद के रूप में जाना जाता था। यह परिषद अक्तूबर, 1969 में स्थापित की गई थी। परन्तु इस संयुक्त निकाय को चार विभिन्न अनुसन्धान परिषदों—प्रत्येक पद्धति के लिए अलग-अलग—में बांट दिया गया था। चूंकि "आयुष" सभी पद्धतियों का द्योतक है, इसलिए इस प्रतीक को स्मारिका के लिए अपनाया गया। जहां तक राष्ट्रीय प्रतीक का सम्बन्ध है, यह पुस्तिका के पहले पृष्ठ और आखिरी कवर दोनों पर है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

3270. जी०एम० बनातवाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और बम्बई स्थित केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसन्धान परिषद की परिवार नियोजन अनुसन्धान इकाई के कर्मचारियों को उनका वेतन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्धारित तिथि को वेतन दिये जाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस गलती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई अथवा की जाने वाली है तो उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम : (क) और ख) जी हां। केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसन्धान परिषद हैदराबाद और बम्बई की परिवार नियोजन यूनिटों के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में कुछ देरी हुई। उन्हें मई, 1989 माह तक का

वेतन दे दिया गया है। उन्हें जून और जुलाई, 1989 के महीनों का वेतन देने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जसोला विहार में मकानों का गिराया जाना

3271. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जुलाई, 1989 में दिल्ली में जसोला विहार और ओखला विहार में बडी संख्या में रिहायशी मकान गिराये थे।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इसके कारण कितने लोग बेघर हो गये;

(घ) कितने व्यक्ति मरे तथा कितने घायल हुए;

(ङ) क्या कोई मुआवजा दिया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) उन बेघर व्यक्तियों के पुनर्वास का यदि कोई प्रस्ताव है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 350 चारदीवारी तथा 485 अर्द्ध पक्के कमरे, जो कि जसोला विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्मित किये गये थे, अतिक्रमण को हटाने के लिए गिराये थे।

(ग) कमरों को गिराने से 57 परिवार प्रभावित हुये।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) कोई मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि दखलकार गैर-कानूनी ढंग से दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर रह रहे थे।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फैक्टरी निरीक्षण के बारे में केन्द्रीय कानून

3272 **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत सरकार को श्रमिकों की सुरक्षा के लिए फैक्टरी के निरीक्षण के बारे में एक नया केन्द्रीय कानून बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कानून कब तक तक बनाए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियन्त्रण पद्धति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम

संगठन परियोजना के अधीन भारत में प्रतिनियुक्ति औद्योगिक प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियन्त्रक के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया है कि भारत में सामान्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विधान की आवश्यकता है ताकि विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक कतिपय जोखिमपूर्ण पदार्थ पर, जिसमें पृथक भण्डार जैसे स्थान शामिल हैं जहां कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही है, व्यापक नियन्त्रण पद्धति लागू की जा सके।

(ग) इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

चावल का भंडार

3273. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में केन्द्रीय पूल में चावल का भण्डार पुनः कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय खाद्य निगम के पास केन्द्रीय पूल में 1989, 1988 तथा 1987 के वर्षों की पहली जुलाई को क्रमशः 29.06 लाख मीटरी टन, 36.06 लाख मीटरी टन और 74.89 लाख मीटरी टन चावल का स्टाक होने का अनुमान था।

(ग) सरकार की नीति का मुख्य जोर पैदावार में वृद्धि करने पर है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार उपलब्धता और सरकारी एजेंसियों के पास स्टाक की उपलब्धता सन्तोषजनक बनी रहे। इसके अतिरिक्त, देश के अन्दर अधिकतम वसूली करने, स्टाक का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने और आयात द्वारा स्टाक की भरपाई करने जैसे उपाय किए गए हैं।

पिछड़े समुदाय के लोगों को रोजगार देने की योजना

3274. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े समुदाय के लोगों को रोजगार देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के कल्याण के अन्तर्गत इन समुदायों की शिक्षा, आर्थिक विकास इत्यादि के लिए कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं जवाहर रोजगार योजना, जिसे चालू वर्ष में आरम्भ किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक मुख्य रोजगार कार्यक्रम है।

दिल्ली में अनिवासी भारतीयों को भूखण्डों का आवंटन

3275. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूखण्डों के आवंटन के लिए वर्ष 1979 में अनिवासी भारतीयों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है और प्रत्येक व्यक्ति ने कितनी-कितनी धनराशि जमा की है;

(ग) क्या उन्हें इस बीच भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आवेदकों को उनकी धनराशि वापस कर दी गई है; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम द्वारा भर्ती हेतु स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम डिप्लोमा को मान्यता दिया जाना

[हिन्दी]

3276. **डा० मनोज पांडे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम द्वारा भर्ती हेतु किन-किन संस्थानों के स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम डिप्लोमा को मान्यता दी जाती है;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम भर्ती हेतु उन लोगों की उम्मीदवारी भी स्वीकार करते हैं जिनके पास अन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका की क्या-क्या नीति हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जन स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रौद्योगिकी सम्बन्धी डिप्लोमा पाठ्यक्रम

[अनुवाद]

3277. **डा० मनोज पांडे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ एण्ड हाइजिन एक वर्ष का जन स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रौद्योगिकी का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा है;

(ख) क्या इस संस्थान ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार के उद्देश्य से अपने उक्त डिप्लोमा को मान्यता प्रदान किए जाने के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड चिकित्सा और जन स्वास्थ्य विभाग तथा दिल्ली प्रशासन के स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग को आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्माण में मितव्ययिता सम्बन्धी रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

2278. **श्री राम धन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा निर्माण में मितव्ययिता बरतने सम्बन्धी वर्ष 1968 में तैयार की गई रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सिफारिश की गई हैं; और

(ख) इन सिफारिशों पर मन्त्रालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में फोटोग्राफी विभाग के कर्मचारी

3279 **श्री गंगाराम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में फोटोग्राफी विभाग/अनुभाग के कर्मचारियों के बारे में 16 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7823 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदोन्नति के उद्देश्य से और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उच्चतर पदों, विशेषकर सीनियर फोटोग्राफर के पद पर आरक्षण देने के लिए सीनियर फोटोग्राफर, फोटोग्राफर और डार्करूम असिस्टेंट के पदों को अन्य इसी प्रकार के पदों के साथ समायोजित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार समायोजित किए गए पदों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के अस्पतालों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति

3280. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल और गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल तथा बिजली प्रशासन के अधीन अन्य अस्पतालों में पृथक-पृथक कुल कितने सीनियर फोटोग्राफर और आर्टिस्ट फोटोग्राफर कार्यरत हैं;

(ख) उपरोक्त में से प्रत्येक अस्पताल में इन श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक-पृथक कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

धागे का उत्पादन

3281 **श्री एन० डेनिस** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1987-88 के दौरान सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में कुल कितनी मात्रा में धागे का उत्पादन हुआ; और

(ख) यदि धागे का निर्यात किया गया है तो वह कितना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) वर्ष 1987-88 में देश में लगभग 1555 मिलियन किग्रा० यार्न का उत्पादन हुआ था ।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान 92.09 मिलियन किग्रा० यार्न (सूती मानव-निर्मित तथा ऊनी सहित) का निर्यात किया गया ।

लोदी कालोनी में सरकारी मकानों को खाली कराना

3282. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने सेवा-निवृत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं जो अपनी सेवानिवृति के पश्चात् एक वर्ष और दो वर्ष के बाद भी लोदी कालोनी में टाइप-चार सामान्य पूल के मकानों में अभी तक रह रहे हैं;

(ख) इन सेवानिवृत कर्मचारियों में से कितनों के पुत्र/पुत्री को अपने माता-पिता के आवंटित मकान के बदले सरकारी मकान आवंटित किये जा चुके हैं;

(ग) नियमों के अन्तर्गत दो सरकारी मकानों को कितने समय तक रखा जा सकता है और मकान पर वास्तविक कब्जा रखने की अवधि तक कितना लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है और ऐसे प्रत्येक मामले में कितना लाइसेंस शुल्क वसूल किया गया है;

(घ) क्या सरकारी मकान किराये पर दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन ऐसे अप्राधिकृत अधिभोगियों से सरकारी मकान खाली न कराने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) :

(क) एक वर्ष से अधिक — दो
दो वर्षों से अधिक — एक

(ख) एक

(ग) सरकारी वास का आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 के एस०आर० 317-बी-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत, सेवानिवृत्ति की तारीख से वास को रखने के लिए चार महीने की रियायती अवधि की अनुमति है। उसके पश्चात्, लाइसेंस फीस के फ्लैट रेट के दुगने या वह लाइसेंस फीस जिसे अधिकारी भुगतान कर रहा था, के दुगने, इसमें जो भी अधिक हो, के भुगतान पर चिकित्सा/शैक्षिक आधार के अनुरोध पर अन्य चार महीनों के लिए वास रखने की अनुमति है। यदि, जहां आश्रित को अन्य वास का आवंटन किया जाता है, वहां पूर्व आवंटिती को अधिवास के लिए तब तक हरजाने का भुगतान करना होता है, जब तक वह सरकारी वास को खाली नहीं करता है।

(घ) और (ङ) रिकार्ड के अनुसार उपकिरायेदारी का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

गेहूं की खरीद में बिचौलिया

[हिन्दी]

3283. श्री सरफराज अहमद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खरीद-प्रक्रिया से बिचौलिये को हटाने का है ताकि यह सुनिश्चित हो कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में कमीशन एजेंटों के माध्यम से गेहूं खरीदा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) वसूली परिचालनों से बिचौलियों को यथासम्भव हटाने की केन्द्रीय सरकार की नीति है। भारतीय खाद्य निगम पंजाब और हरियाणा को छोड़कर, जहां किसानों के पास अपने उत्पाद को राज्य के कानूनों के अधीन कच्चा आढ़तियों के जरिये विनियमित मण्डियों में बेचने का वैकल्प है सभी राज्यों में किसानों से खाद्यान्नों की सीधी वसूली करता है। गेहूं की अधिकतम वसूली करने की दृष्टि में, वर्तमान रबी विपणन मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कच्चा आढ़तियों की सेवाओं का उपयोग किया गया था। किसानों से कच्चा आढ़तियों को किसी प्रकार की कमीशन अदा करने की कोई अपेक्षा नहीं की जाती है।

केरल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सालय

[अनुवाद]

3284. **श्री टी० बशीर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सालय कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल के अन्य स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सालयों में कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पंजीकृत हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) केरल के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अब तक किसी भी नगर तक नहीं पहुंचाया गया है । फिलहाल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को किसी नए नगर तक पहुंचाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बाढ़ग्रस्त राज्यों के लिये खाद्यान्न

3285. **श्री टी० बशीर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने हाल की बाढ़ से प्रभावित राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को सप्लाई किए गए खाद्यान्न का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) बाढ़ से प्रभावित राज्यों में खाद्यान्नों के स्टाक की आपूर्ति करने के लिए पहले से ही पर्याप्त प्रबन्ध विद्यमान हैं । अतः इन राज्यों को स्टाक भेजने की आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं हुई ।

केरल में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि

3286. **श्री टी० बशीर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करल राज्य में उन स्थानों पर जहां आदिवासी लोग रहते हैं कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि केरल में कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ रही है । वर्ष 1986-87

और 1987-88 में पता लगाए गए 9385 नए कुष्ठ रोगियों की तुलना में वर्ष 1988-89 में केवल 8836 नए रोगियों का पता लगा।

(ख) राज्य के 14 में से 10 जिले कुष्ठ स्थानिकमारी वाले जिले हैं जहां व्याप्तता दर 5+000 है। अल्लपी और त्रिचूर नामक दो जिले एम.डी.टी. के अन्तर्गत पहले ही शामिल किए जा चुके हैं और पूलांन तथा अर्नाकुलम नामक 2 अन्य जिलों को वर्तमान वर्ष के दौरान एम.डी टी. के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है तथा शेष 6 जिले वर्ष 1992 तक चरणवार ढंग से एम.डी. टी. के अन्तर्गत कवर कर लिए जाएगे।

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम की निश्चित मात्रा नीति

3287. **श्री गंगा राम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में चल रही अपनी शराब की दुकानों पर "निश्चित मात्रा नीति' अपनाई है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं;

(ख) क्या इस नीति के कारण ग्राहक को अपनी रुचि के ब्राण्ड की भारत निर्मित विदेशी शराब की बोतल नहीं मिल पाती और उसे दूसरे ब्राण्ड की शराब खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है;

(ग) क्या उपभोक्ता पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबन्धों के विपरीत है; और

(घ) यदि हां तो सरकार का उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वह अपनी रुचि के ब्राण्ड का माल खरीद सके ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

डी०आई०जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी मकानों को उप किराये पर देना

3288. **श्री गंगा राम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के गोल मार्किट के डी. आई. जैड क्षेत्र, में यह पता लगाने के लिए घर-घर जाकर कोई सर्वेक्षण किया गया है कि टाइप-II और टाइप-III के क्वार्टरों में कितने आवंटी वास्तव में क्वार्टर में रह रहे हैं और उनमें से कितने क्वार्टरों को पूरा अथवा आंशिक रूप से उप किराये पर दिया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सर्वेक्षण कब तक किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सरकारी रिहायशी वास के अनधिकृत किरायेदारी के मामलों का पता लगाने के लिए शिकायतें प्राप्त होने पर तथा स्वेच्छा से सम्पदा निदेशालय ने डी आई जेड क्षेत्र, गोल मार्किट, नई दिल्ली के क्वार्टरों की मौके पर जांच की है। अप्रैल से जुलाई, 1989 तक की अवधि के दौरान, डी. आई. जैड. क्षेत्र, गोल मार्किट नई दिल्ली में 80 क्वार्टरों का मौके पर निरीक्षण किया गया। 25 मामलों में, जहां आवंटन नियमों का उल्लघन करके क्वार्टरों को किराये पर दिया गया था, वहां वास का आवंटन रद्द कर दिया गया है।

पंजाब में "शहरीमूल सेवा योजना"

3289. **श्री कमल चौधरी** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान "शहरी मूल सेवा योजना" के अन्तर्गत कितने शहरों का विकास किया गया है; और

(ख वर्ष 1989-90 के दौरान इस योजना को लागू करने के लिए पंजाब में चुने गये शहरों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पंजाब में शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत दस नगर शामिल हैं, वे हैं (1) लुधियाना, (2) खन्ना (3) जगरांव, (4) राजकोट (5) समराला, (6) मच्छीवाड़ा, (7) हल्लनपुर ढाका, (8) दो राहा, (9) पायल और (10) हापुर।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इतने ही नगरों का विकास किया जाता रहेगा। इस योजना के अन्तर्गत 80.00 लाख रुपये के प्रावधान में से 5.70 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार के अंश के रूप में 1989-90 के दौरान पंजाब सरकार को देय हैं, जो कि शहरी मूलभूत सेवा योजना का अन्तिम वर्ष है।

वन-ग्रामों को राजस्व-ग्रामों में बदलना

[हिन्दी]

3290 **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वन-ग्रामों को राजस्व-ग्रामों में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण और लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत इन ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या अनुदेश जारी किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में राजस्व ग्रामों के समान वन ग्रामों का विकास करने की व्यवस्था है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण और लघु सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत इनके विकास के लिए अलग से कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

पंचायती राज और स्थानीय निकायों के बारे में मुख्यमंत्री सम्मेलन

3291. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह**
प्रो० के०पी० थामस } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंचायती राज और स्थानीय निकायों के बारे में दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मन्त्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था;

(ग) क्या कुछ मुख्य मन्त्रियों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने और पंचायती राज निकायों तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य अन्तरापृष्ठ से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए हाल ही में मुख्यमन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्यमन्त्रियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल के मुख्यमन्त्रियों ने भाग नहीं लिया।

(घ) संघ सरकार ने उनकी अनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया।

विवरण

7 जुलाई, 1989 को मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्यमन्त्रियों की सूची

1. श्री गेयांग अपांग
   मुख्यमन्त्री
   अरुणाचल प्रदेश
2. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा
   मुख्यमन्त्री
   बिहार
3. श्री प्रताप सिंह रावजी राने
   मुख्यमन्त्री
   गोवा
4. श्री वीरभद्र सिंह
   मुख्यमन्त्री
   हिमाचल प्रदेश
5. डा० फारुख अब्दुल्ला
   मुख्यमन्त्री
   जम्मू और कश्मीर
6. श्री पी० वेंकटसुब्बैया
   राज्यपाल
   कर्नाटक
7. श्री मोती लाल बोहरा
   मुख्यमन्त्री
   मध्य प्रदेश
8. श्री शरद पवार
   मुख्यमन्त्री
   महाराष्ट्र
9. श्री पी०ए० संगमा
   मुख्यमन्त्री
   मेघालय
10. श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह
    मुख्यमन्त्री
    मणिपुर
11. श्री एस०सी० जामिर
    मुख्यमन्त्री
    नागालैण्ड
12. श्री अमर सिंह चौधरी
    मुख्यमन्त्री
    गुजरात
13. श्री जे०बी० पटनायक
    मुख्यमन्त्री
    उड़ीसा
14. श्री एस०एस० रे
    राज्यपाल
    पंजाब
15. श्री शिवचरण माथुर
    मुख्यमन्त्री
    राजस्थान
16. श्री नर बहादुर भण्डारी
    मुख्यमन्त्री
    सिक्किम
17. श्री सुधीर रंजन मजुमदार
    मुख्यमन्त्री
    त्रिपुरा
18. श्री एन०डी० तिवारी
    मुख्यमन्त्री
    उत्तर प्रदेश
19. श्री जे० लालसनगोला
    मन्त्री (वित्त और योजना)
    मिजोरम

संघ राज्य क्षेत्र

1. लेफ्टिनेंट जनरल टी•एस• ओबराय
   उप राज्यपाल
   अण्डमान तथा नीकोबार द्वीप समूह

2. श्री रोमेश भण्डारी
   उपराज्यपाल
   दिल्ली

3. श्रीपी• कन्नान
   स्वास्थ्य मन्त्री
   पाण्डिचेरी

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात एक-एक करके सुनूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन लूंगा, आपकी बात, लेकिन ऐसे नहीं। आप अब बैठ जाइये, अपने टाइम पर बोलिएगा। मैं आपको जब कहूं, तब बोलिएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बगैर एक भी शब्द कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात एक-एक करके सुनूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, मैं पहले खड़ा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। मुझे मालूम है क्या करना है। मैं आपकी भी सुनूंगा यह मेरा वादा है लेकिन संक्षिप्त में।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये, एक मिनट।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन अहमद (मंगलदाई) : असम सरकार ने मुझे लोक सभा से त्यागपत्र देने के लिए एक आदेश भेजा और इससे सन्तुष्ट नहीं होने पर उन्होंने मेरे घर पर कुछ शरारती तत्व भेजे। (व्यवधान)

श्री गोकुल सैकिया (लखीमपुर) : गृह मन्त्री यहां मौजूद हैं। उन्हें इस सम्बन्ध में कहने दीजिए कि क्या संसद सदस्य के जीवन की रक्षा की जायेगी। (व्यवधान) यदि वह एक संसद सदस्य के जीवन की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो वे असम के लोगों को कैसे बचा सकेंगे? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात तो सुन लेने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात तो सुन लेने दीजिए, क्या करते हैं आप?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे लिखकर दिया है।

[अनुवाद]

मैं गृह मन्त्री को सदस्यों की सुरक्षा पर गौर करने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे बात कर लेने दीजिए, आप क्यों बीच में दखल दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनके लिए भी लिखा है और मैं आपके लिए भी लिख दूंगा क्योंकि सदस्यों के जीवन की रक्षा करना इस सभा की जिम्मेदारी है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम आपके अनुदेशों का पालन करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय मुझे आपका विशेषाधिकार का प्रस्ताव मिल गया है। मैं इस पर गौर कर रहा हूं और मैं इस पर तुरन्त कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बारी-बारी से।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है। आपने माननीय सदस्य का पत्र सरकार को भेजा है लेकिन केवल आगे भेजना ही काफी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। मैंने माननीय गृह मन्त्री से भी सदस्यों की सुरक्षा पर गौर करने के लिए कहा है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आपको इन माननीय सदस्य की जीवन-रक्षा के लिए सरकार को निदेश देने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि हम सदस्यों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। मैं पहले ही गृह मन्त्री से कह चुका हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, हम आपके अनुदेशों का पालन करेंगे।

श्री अजय मुशरान : महोदय, मैंने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर आपको एक ध्यानाकर्षण नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह मुझे मिल गया है।

श्री अजय मुशरान : आपने आश्वासन दिया था कि इसे इस सप्ताह शामिल कर लिया जायेगा लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : इस सप्ताह के अभी दो दिन बाकी है।

श्री अजय मुशरान : हमारे पास आज का, कल का तथा परसों का कार्यक्रम मौजूद है। एक ध्यानाकर्षण जिसके लिए दो साल तक इन्तजार किया जा सकता था को शामिल कर लिया गया लेकिन मेरे वाले ध्यानाकर्षण को नहीं लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कर्नल साहब, मैं तथ्य मांग रहा हूं। मैं उनका इन्तजार कर रहा हूं और यह जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी किया गया है उसे शामिल कर लिया जायेगा। मैं प्रत्येक चीज को शामिल नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्य प्राप्त करने हैं।

श्री अजय मुशरान : इसमें कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं लेकिन इसमें समय लगेगा। यहां तक कि जल्दी करने में भी समय लगता है। इस सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर मुझे चर्चा नहीं करनी है बल्कि आपको सन्तुष्ट करने के लिए, मैं कह रहा हूं कि मैं पहले ही बहुत अविलम्बनीय कदम उठा रहा हूं और मैं आपको कल या परसों बताऊंगा कि स्थिति क्या है। आप भी इसे जारी रख सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, आप इस बात की सराहना करेंगे कि यह बहुत विषम स्थिति है, श्री लंका के सम्बन्ध में हो रही बातचीत का क्या हुआ जहां तक इसके बारे में प्रस्तावों की बात है हमें श्री लंका की ससद की रिपोर्टों से जानकारी मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय आज, कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक है। मैंने पहले ही इसे सूचीबद्ध किया हुआ है। मैं नियम 193 के अन्तर्गत उस प्रस्ताव को पहले ही मंजूर कर चुका हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : प्रस्ताव यथासमय आ जायेगा लेकिन उन्हें अब एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी चर्चा कार्य मन्त्रणा समिति में कर सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : ऐसी रिपोर्ट है कि भारतीय शान्ति सेना की वापसी समझौते के कार्यान्वयन से सम्बद्ध नहीं है। यह बातें हमें श्री लंका की संसद की रिपोर्टों से पता चल रही हैं। कैसी विकट स्थिति है। आज कम से कम एक वक्तव्य दिया जा सकता है। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे।

श्री हकमाई मेहता (अहमदाबाद) : मैंने नियम 193 के अन्तर्गत कुदाल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले उसे मंजूर कर चुका हूं। कार्य मन्त्रणा समिति इसके लिए समय देगी।

श्री तरुण कान्ति घोष (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि मुझे यह मामला संसद में लाना पड़ा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारसाट में जोकि बोन गांव उप मण्डल में हैं, बहुत आतंक छाया हुआ है यहां तीन कांग्रेसी सदस्यों की पिछले पाक्षिक में नृशंस हत्या कर दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : आप मुख्यमन्त्री को लिखें। राज्य सरकार इसके लिये जिम्मेदार है।

श्री तरुण कान्ति घोष : यह स्थिति न केवल बोनगांव उपमण्डल में हैं बल्कि मेरे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में है विशेष रूप से देगान्गा थाना में जहां आतंक छाया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार का विषय है।

श्री तरुण कान्ति घोष : मैं सबसे पहले इसे आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आपके जरिये प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री के ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार का विषय है।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है....

अध्यक्ष महोदय : आप जिद्द क्यों करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा, बोल नहीं सकते हैं।

....**(व्यवधान)**....

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा पूर्वक पिछले सप्ताह हमारे निवेदन को मान कर इस बात का आश्वासन दिया था कि इस सप्ताह सदन में बछावत रिपोर्ट पर बहस की जाएगी। कालिंग स्टेशन भी आपने स्वीकार किया था। हमने नियम 193 के अधीन डिसकशन मांगा है। कालिंग स्टेशन दिया हुआ है।....**(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : आज बीएसी में बैठ कर फैसला करेंगे कि हमारे पास कितना टाइम है और कालिंग स्टेशन के लिए कितना टाइम दे सकते हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने बीजनेस एडवाइजरी कमेटी के मैम्बर्स से बात करें।

....**(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : आपका कल कालिंग स्टेशन है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : धन्यवाद।....(**व्यवधान**)....

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, देश के बड़े-बड़े बीड़ी ठेकेदारों के कारण ... (**व्यवधान**)....देश के छोटे-छोटे बीड़ी मजदूर बेकार हो गए हैं। यह बहुत ही कठिन समस्या है। ....(**व्यवधान**)....

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

....(**व्यवधान**)....

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय, हाल ही में वस्त्र विशेषज्ञता के प्रश्न पर सरकार ने उत्तर दिया था। मैंने आधे घटे की चर्चा के अन्तर्गत कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 में दीजिए, एलाउ करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आज 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिवस पर संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में बाबा बी०आर० अम्बेडकर जी * चित्र का अनावरण करके आपने एक महान कार्य किया है। इससे निश्चित रूप से देश के करोड़ों दलितों की भावनाओं के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। इसके लिये आप बधाई के पात्र है और पूरा देश आपका आभार व्यक्त करता है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर बहुत ही खतरनाक स्थिति खड़ी हो रही है। वहां के मुख्यमन्त्री और जनता दल के अध्यक्ष के द्वारा इन्डस्ट्रियलिस्टों पर दबाव डाल कर उनसे जबरदस्ती पैसे की वसूली की जा रही है। जमीनों के भारी....**....किए जा रहे हैं। उनमें से एक....++....यहीं पर पालम के नजदीक जो महत्वपूर्ण स्थान है, उस जमीन के बहुत भारी भाग को पंजाब के भूतपूर्व मख्यमन्त्री,.....*.....के लड़के को एलाट किया गया है और उसमें ..*....के लड़के का शयर है। दो सौ करोड़ रुपए से भी ज्यादा का....++....है।.... (**व्यवधान**)....

अध्यक्ष महोदय : मेरे बस की बात नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

...(**व्यवधान**)....

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : यह बहुत गम्भीर मामला है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कर सकता हूं।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शान्ता राम नायक (पणजी) : महोदय, कुछ विपक्षी दलों के सदस्य जो त्याग पत्र दे चुके हैं अपनी सार्वजनिक सभाओं में यह कहते हुए संसद पर प्रहार कर रहे हैं कि संसद निरर्थक, अनावश्यक हो गयी है। वे सार्वजनिक रूप से इस देश की संसद पर ऐसे वक्तव्य देकर इसका अपमान कर रहे हैं जो कि लोकतन्त्र में असहनीय है। वे कहते हैं कि उनके त्याग पत्र देने के बाद संसद निरर्थक, अनावश्यक हो गयी है तथा यह तो अब संसद ही नहीं रही।

इस तरह के वक्तव्य दिये गये····**(व्यवधान)**

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये साहब, मैं तो हाथ जोड़ कर सभी से प्रार्थना करता हूं कि इसकी गरिमा रहने दीजिए····

(व्यवधान)

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : मेरी बात भी सुनिए जनाब। हरियाणा के अन्दर रोजाना ····+····का खुल्लम····++ ····**(व्यवधान)** इसका इन्तजाम करेंगे या नहीं। लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को तबाह कर रहे हैं। पंचायतों को छीन करके, बेच रहे हैं। सब से घूंस ले करके उनको नोंच रहे हैं। **(व्यवधान)** आप कुछ करेंगे या नहीं? ऐसा कब तक चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट की बात है साहब। मैं कुछ नहीं कर सकता।

चौधरी राम प्रकाश। मैंने ऐसी गवर्नमेंट कभी नहीं देखी। आप इसके लिए जांच कमीशन बैठाओ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहां बैठा सकता हूं। मैं यहां से कुछ नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

मैं राज्य विषयों को नहीं ले सकता हूं और उन पर यहां चर्चा नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट की जिंदगी सेफ नहीं है तो और किसकी हो सकती है। **(व्यवधान)**

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : एम०एल०ए० का स्टेटमेंट है कि हरियाणा के अन्दर मुख्य मन्त्री के सपूत····+····इंडस्ट्रियलिट्स को बुला कर के उनसे पैसा ऐंठते हैं, आफिशियल मशीनरी के द्वारा। बी०जे०पी० के एम०एल०ए० वहां गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। दिल्ली में बुला करके यह सब करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह उनको वहां की असेम्बली में उठाना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : स्वीकर साहब, यह बड़ा गंभीर मामला है।

++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

+ कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं। मैं इस मामले में कुछ सहायता नहीं कर सकता। हमें राज्यों के मामले का जिक्र नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं क्या कर सकता हूं ?

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर): लद्दाख में हमेशा से ही सांस्कृतिक सद्भाव रहा है। लद्दाख प्रदेश में कभी कोई सांप्रदायिक मसला नहीं उठा। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में, जहां हमेशा ही से शांति रही है, अब संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं यहां इस पर चर्चा नहीं कर सकता।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल को कश्मीर के दौरे पर जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है कि संसद को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और संसद के एक प्रतिनिधि मण्डल को लद्दाख जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। हम ऐसा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

मैं साहब, इसमें कुछ नहीं कर सकता, यह तो गवर्नमेंट करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय अब बस हो गया।

श्री मानकू राम सोडी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, बस्तर में एक नवयुवती की नेकड फोटो लेने का मामला मैंने कल उठाया था, वह रिकार्ड में नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा था कि लिख कर दीजिये।

श्री मानकू राम सोडी : मैंने लिख कर दे दिया है। हम तो आपके दरबार में ही कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करवा लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस अब खत्म हो गया। सारे दिन थोड़े ही चलता है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : हरियाणा के चीफ मिनिस्टर एक कानून बना रहे हैं कि लड़कियों को प्रापर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिले। प्रापर्टी में लड़कियों को हिस्सा मिलने का एक सेंट्रल कानून है। वे उस कानून में लड़कियों के अधिकार छीन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिये साहब, जितने उनके अधिकार है, जितने अधिकार आपने उनको दिये हैं, वे उनका इस्तेमाल करेंगे। यह उन पर निर्भर करता है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

कुमारी ममता बनर्जी : यह लड़कियों के साथ अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं । अब आप बैठिये ।

[अनुवाद]

बहुत हो चुका ।

(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी (कांगड़ा) : यह स्त्री के अधिकारों का प्रश्न है; उन्हें सम्पत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ।

महोदय, मैंने सेना कार्मिकों को 'एक रैंक, एक पेंशन' दिए जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था । मेरा अनुरोध है कि आप इस पर विचार करें । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, अभी आई आई टी हिन्दी का मामला निपटा ही नहीं है कि दिल्ली की एक बीमा कम्पनी ने अंग्रेजी अनिवार्य करते हुए ए स्टेट्स में अंग्रेजी का पेपर होगा, इसका विज्ञापन भर्ती के मामले में निकाला है । **(व्यवधान)** अगर कोई विभाग इस तरह का विज्ञापन निकालता है तो उसको निरस्त करना चाहिए, यह भारतीय भाषा और राष्ट्रभाषा का अपमान है, यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं संस्कृत और हिन्दी के विद्वान हैं आपके निर्देश जीवन बीमा निगम को जाने चाहिएं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब तो निर्देश जाते-जाते मेरे ख्याल से गट्ठा बन गया होगा, मुझे पता नहीं कि निर्देश जाते कहां हैं ।

[अनुवाद]

क्या हुआ है ?

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, आदेश जाने के बाद उनका पालन क्यों नहीं होता, संसद तो सबसे ऊंची है अध्यक्ष महोदय ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं के बारे में पहले ही बता चुका हूं और इस सभा में इसका आश्वासन दे चुका हूं ।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला बैरागी जी ने उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, मुझे कहने दीजिए जो आप कहलवाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। मि० पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर. आप ऐसा करिए कि यह देखिए, हाउस के सेंटीमेंट्स पहले भी बताए गए हैं और फिर अब बताए जा रहे हैं। यह बहुत गलत बात है कि हाउस द्वारा कही गई बात की अवमानना की जाए, यह बहुत गलत बात है। आप बतला दीजिए, कौनसी मिनिस्ट्री का काम है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इतने दिनों के बाद भी इस तरह से काम न होना, यह बहुत गलत बात है।

[अनुवाद]

इसका अनुसरण क्यों नहीं किया जाता ?

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर): अभी-अभी आपने यह विनिर्णय दिया कि राज्य के विषय पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे माननीय सदस्य, श्री राम प्रकाश, मधुमेह और उच्चरक्तचाप आदि रोगों से पीड़ित हैं। उन्हें मारा-पीटा गया है। हरियाणा की पुलिस और जनता ने एक सांसद की पिटाई की है। उनके जीवन और सम्पत्ति की रक्षा कैसे की जा सकती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हरियाणा वाले हरियाणा वालों को ही पीटेंगे।

डा० कृपासिंधु भोई : आप तो सामने देख रहे हैं।

चौधरी राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा वाले दुखी हैं, इस सरकार से सब दुखी हैं, सब हरियाणा सरकार से तंग हो रहे हैं। **(व्यवधान)**

डा० कृपासिंधु भोई : अध्यक्ष महोदय इसकी सी०बी०आई० से जांच करवाएं।

चौधरी राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, देखिए वहां पर क्या हालात हो गए हैं। आज तो मेरा हाथ तोड़ा है कल को गोली मार देंगे, मेरी गर्दन तोड़ देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह ला एण्ड आर्डर का मामला है।

चौधरी राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेंबर आफ पार्लियामेंट की जिंदगी सेफ नहीं है, तो और किसी की नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया है।

चौधरी राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, इसका इंतजाम करिए नहीं तो सब लोग वहां पर मारे जाएंगे, सब तंग हो रहे हैं, देखिए मेरा हाथ टूटा हुआ है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस में नहीं है, आप गवर्नर के पास जाइए।

चौधरी राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया है कि मेरा हाथ टूट गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे बस में यह चीज नहीं है। यह ला एण्ड आर्डर प्राब्लम है।

[अनुवाद]

कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप किस नियम के तहत मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं ? मैं ऐसा नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बताइए कि मेरे पास कौन सी ताकत है जिससे मैं कुछ कर सकता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : आप ही के आदेश से मैंने नियम 193 के तहत दो प्रस्ताव रखे हैं। एक प्रस्ताव कुदाल आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे स्वीकृति दे दी है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : दूसरा प्रस्ताव बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के बारे में है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास भेज दीजिए। बी०ए०सी० बैठेगी और फैसला करेगी।

[अनुवाद]

हम इसे देखेंगे। मैं यहां कोई निर्णय नहीं दे सकता। वे प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा है कि वह इस सभा में चर्चा के लिए तैयार हैं। राज्य सभा में भी चर्चा हुई है। हम इस पर यहां चर्चा करना चाहते हैं। मैंने नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है कहने की।

[अनुवाद]

मैं पहले ही इसे स्वीकृति दे चुका हूं। इसका निर्णय कार्य मन्त्रणा समिति करेगी।

प्रो० पी०जे० कुरियन (इडुक्की) : किसी सांसद की सुरक्षा का प्रश्न राज्य की कानून और व्यवस्था के प्रश्न से एकदम भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : वह भी इसी देश के नागरिक हैं और उसी कानून के तहत उनकी सुरक्षा होती है। इस सम्बन्ध में अलग-अलग कानून लागू नहीं होते।

प्रो० पी०जे० कुरियन : फिर कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

12.20 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, गाजियाबाद का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : अपने सहयोगी श्री राम निवास मिर्धा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्, गाजियाबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्, गाजियाबाद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8151/89**]

वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) (संघ राज्य क्षेत्र) संशोधन नियम, 1989; जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 1989 और खतरनाक रद्दी (प्रबन्ध तथा उठाई-धराई) नियम, 1989

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 53 की उपधारा (2) के अन्तर्गत वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संघ राज्यक्षेत्र) संशोधन नियम, 1989, जो 29 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 651 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8152/89**]

(2) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) संशोधन नियम, 1989, जो 27 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 717 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8153/89**]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत खतरनाक रद्द (प्रबन्ध तथा उठाई-धराई) नियम, 1989, जो 28 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र से अधिसूचना संख्या का० आ० 594 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8154/89]

आयात और निर्यात के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1277 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : खाद्यान्नों के आयात और निर्यात के बारे में श्री क० प्रधानी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1277 के 26 जुलाई, 1989 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8155/89]

केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण समीक्षा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, फर्नीचर फोम से स्वास्थ्य के खतरे के बारे में अतारांकित प्रश्न सख्या 3760 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय योग अनुसन्धान सस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8156/89]

(2) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8157/89]

(4) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 8158/89]

(5) (एक) फर्नीचर फोम से स्वास्थ्य को खतरे के बारे में श्री पी०आर०एस० वेंकटेशन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3760 के 29 मार्च, 1989 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 8159/89]

(6) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 1988 जो 24 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 371 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 20 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 47 (अ) में प्रकाशित इसके हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी० 8160/89]

वित्त अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 51 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 552 (अ), जो 16 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय पड़ौसी तथा अन्य देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में विदेश यात्रा-कर की दर में वृद्धि करने की तारीख 1 जून 1989 नियत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8161/89]

(2) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 601 (अ) जो 8 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय अन्तर्देशीय हवाई यात्रा-कर के सम्बन्ध में वित्त अधिनियम, 1989 के अध्याय 5 के उपबन्धों को 1 जुलाई, 1989 से प्रवृत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 42 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 602(अ), जो 8 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रत्येक ऐसे वाहक को, जो यात्रियों को अन्तर्देशीय यात्रा कराते हैं, अन्तर्देशीय हवाई यात्रा-कर वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8162/89]

(4) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 603 (अ), जो 8 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे कैंसर रोगियों, जब वे अपने इलाज के लिए यात्रा कर रहे हों, शिशुओं, नेत्रहीन व्यक्तियों तथा अशक्त यात्रियों (स्ट्रेचर मामले) को विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन अन्तर्देशीय हवाई यात्रा-कर के संदाय से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 8163/89]

(दो) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा-कर नियम, 1989, जो 27 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 646 (अ) में प्रकाशित हुये थे तथा जिनमें कर का संग्रहण करने के तरीकों कर का प्रतिदाय तथा वाहकों, आदि द्वारा दी जाने वाली विवरणियों के बारे में ब्यौरा दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8164/89]

(तीन) सा० का० नि० (अ), जो 30 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय राजनयिक प्रास्थिति धारण करने वाले भारत में राजनयिक मिशनों के सदस्यों और उनके कुटुम्बों, भारत में विदेशी कौंसलेट के कैरियर कौंसलीय अधिकारियों और उनके कुटुम्बों और भारत में संयुक्त राष्ट्र या भारत में संयुक्त राष्ट्र के किसी विशिष्ट अभिकरण के अधिकारियों और उनके कुटुम्बों, जो भारत के राष्ट्रिक नहीं हैं या भारत में स्थाई निवासी नहीं हैं, को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 662 (अ), जो 30 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे यात्रियों को अन्तर्देशीय हवाई यात्रा-कर से छूट देना है जो किसी ऐसी उड़ानों पर यात्रा करते हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम द्वारा भाड़े पर लिया जाता है

और जहां किसी यात्री से अलग से किराया नहीं लिया जाता तथा उड़ान सरकारी प्रयोजन के लिए होती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 663 (अ), जो 30 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यात्रियों को उस स्थिति में अन्तर्देशीय हवाई यात्रा-कर के भुगतान से छूट देना है जब वे विनिर्दिष्ट मार्गों पर देश के दुर्गम भागों में यात्रा कर रहे हों तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एस०टी० 8165/89]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 533 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल पर सहायक सीमा शुल्क की प्रभावी दरें विहित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 534(अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर सहायक सीमा शुल्क से पूर्ण छूट विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 535 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे कतिपय माल पर सहायक सीमा शुल्क से पूर्ण छूट विहित की गई है जिन्हें मूल शुल्क से पूर्णतः या अंशतः छूट प्राप्त है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 536 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर मूल्यानुसार 5% से अधिक सहायक शुल्क से आंशिक छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 537 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसी कतिपय वस्तुओं, जिन्हें मूल शुल्क से आंशिक छूट प्राप्त है, पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक सहायक शुल्क से आंशिक छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा० का० नि० 538 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक सहायक शुल्क से आंशिक छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि 539 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय वस्तुओं पर, जिन्हें मूल शुल्क से आंशिक छूट प्राप्त है, मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक सहायक शुल्क से आंशिक छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 540 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वायुयानों इत्यादि के अनुपूरकों के संघटक हिस्सों पर सहायक शुल्क का स्तर नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 541(अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उद्भासित चलचित्र फिल्मों पर सहायक शुल्क से आंशिक छूट देना है तथा एक व्याख्यात्कक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 542 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैडिकल इलैक्ट्रोनिक उपस्करों के संघटक हिस्सों पर सहायक शुल्क की दर नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 543 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट मशीनरी के प्रारंभिक स्थापन के लिए आयातित मशीनरी के संघटक हिस्सों पर सहायक शुल्क का स्तर नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 544 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पहले से निर्यातित तांबे के रिबटों से उत्पादित तांबा तार छड़ों पर सहायक शुल्क का स्तर नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० का० नि० 545 (अ), जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा समस्त आयातित माल पर विशेष उत्पादन शुल्क से छूट प्रदान की गई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 581 (अ), जो 31 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 54 मदों को अधिसूचित किया गया है ताकि जब इन मदों का निर्यात किए जाने वाले उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाये तो इन्हें 1 जून, 1989 से लागू प्रतिअदायगी की दरों का निर्धारण करने के लिए पूर्ण रूप से आयात किया गया समझा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 584 (अ), जो 1 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 77/86-सी० शु० तथा 136/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० का० नि० 656 (अ) तथा सा० का० नि० 657 (अ), जो 30 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अपतट तेल खोज/अपतट तेल विदोहन के प्रयोजनों के लिए आयात किए गए विनिर्दिष्ट माल पर 25 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क तथा 5 प्रतिशत सहायक सीमा शुल्क निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्म ज्ञापन।

(सत्रह) सा० का० नि० 677(अ) तथा सा० का० नि० 678 (अ) जो 4 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अगरबत्ती के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्री जिगात पर, मूल्यानुसार 35 प्रतिशत सीमा शुल्क की रियायती दर की व्यवस्था करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8166/89]

पटसन विनिर्मित विकास परिषद् कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) पटसन विनिर्मिति विकास परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पटसन विनिर्मिति विकास परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8167/89]

12.21½ म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

68वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम अवध प्रसाद (बस्ती) : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अड़सठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12.21½ म०प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

60वां और 64वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में साठवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौसठवां प्रतिवेदन।

12.22 म०प०

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) विधेयक*

कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए, विशेष न्यायालयों का उपबन्ध करने के लिए और ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए, विशेष न्यायालयों का उपबन्ध करने के लिए और ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं :

---

*दिनांक 9-8-1989 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

12.23 म. प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट एक औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर (उ०प्र०) उद्योग विहीन है। मिर्जापुर जिले का विभाजन होकर एक नया जिला सोनभद्र बन गया है। शेष मिर्जापुर जिला एवं वाराणसी जिले का ज्ञानपुर और भदोही क्षेत्र तथा इलाहाबाद जिले का मेजा क्षेत्र उद्योगों से रहित रहा है और इस समय भी है। मिर्जापुर जिले के सारे उद्योग सोनभद्र जिले में आ गए हैं। मिर्जापुर शहर तथा आसपास के लोग जीविका की तलाश में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, दक्षिणांचल इत्यादि स्थानों में भाग रहे हैं। मिर्जापुर शहर तथा आसपास का क्षेत्र उद्योगों के अभाव में उजड़ रहा है। मैंने अनेक बार मांग की है कि मिर्जापुर शहर के आसपास एक बड़ा उद्योग लगाया जाए। किन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे अवगत हुआ है कि उ० प्र० के औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों और क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केन्द्र (इण्डस्ट्रीय ग्रोथ सेन्टर्स) खोले जा रहे हैं। इन केन्द्रों में तथा उनके आसपास सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में या सहकारी क्षेत्र में अनेक उद्योगों की स्थापना की जावेगी।

मेरा भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि मिर्जापुर शहर के आसपास एक औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना की जाए, जिससे मिर्जापुर, भदोही, ज्ञानपुर एवं इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील भी औद्योगिक रूप से विकसित हो सके और इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया हो। आशा है, इस ओर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

(दो) उड़ीसा खनिज विकास कम्पनी लिमिटेड, ठकुरानी का राष्ट्रीयकरण किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री हरिहर सोरन* (क्योंझर) : उड़ीसा मिनरल डेवलेपमेंट कम्पनी लिमिटेड, ठकुरानी की लोह अयस्क और मेंगनीज खानों में कार्यरत लगभग 2 हजार कर्मचारी नियमित रूप से वेतन, बोनस तथा नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं न पाने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस कम्पनी के कई व्यापारिक संगठन हैं जिन्हें देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया गया है। उड़ीसा में बारबिल के समीप स्थित ठकुरानी लौह अयस्क और मेंगनीज खानों को छोड़कर सभी अन्य वाणिज्यिक संगठन जो कि पहले कम्पनी के थे उनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। कम्पनी, कर्मचारियों के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इन कर्मचारियों में अधिकतर अनुसूचित जातियों, जन-जातियों या कमजोर वर्ग के लोग हैं। इन कर्म-

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चारियों की यहां तक कि न्यूनतम मजदूरी भी नियमित रूप से नहीं दी जा रही है। इन्हें हर वर्ष बोनस भी नहीं दिया जा रहा है। कम्पनी खान संबंधी वर्तमान तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रही है और खानों का आधुनिकीकरण करने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए मैं मांग करता हूं कि उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, ठकुरानी का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

(तीन) मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाना स्थापित किए जाने की मांग

[हिंदी]

श्री कालीचरण सकरगयेन (खण्डवा) : भारत सरकार के निर्देशानुसार भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने मध्य प्रदेश में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है। तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए 2-3 स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है उसमें मध्य प्रदेश का खण्डवा जिला भी है।

खण्डवा जिले में आवश्यक सुविधायें जैसे-2000 एकड़ से अधिक की कम उपजाऊ जमीन, प्रचुर मात्रा में पानी, बिजली एवम् देश के सभी भागों को जोड़ने वाली ब्राडगेज व मीटरगेज रेलवे लाइनें हैं, जिनसे सीधे बम्बई, कलकत्ता, बेंगलौर, मथुरा, दिल्ली, अजमेर, जयपुर तथा सिकन्द्राबाद के लिए यातायात सुविधायें उपलब्ध हैं।

तेल उत्पादक क्षेत्र बाम्बे हाई, गुजरात से खण्डवा जिला सबसे निकट है। विशेष बात यह है कि निमंदा नदी पर निर्माणाधीन इन्दिरा सागर बांध परियोजना के कारण डूब से प्रभावित करीब 80,000 लोगों के पुनर्वास का प्रश्न शासन के समक्ष है। ऐसी स्थिति में खण्डवा जिला तेल शोधक कारखाने को स्थापित करने हेतु न केवल सर्वाधिक उपयुक्त है, वरन् डूब से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को हल करने के लिए परमावश्यक है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने को मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में ही स्थापित करने के आदेश भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन को दे।

(चार) खेतड़ी तांबा परियोजना का माल लाने ले जाने के लिए डाबरा और सिंघाना के बीच चलने वाली मालगाड़ी में कुछ सवारी डिब्बे जोड़े जाने की मांग

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनू) : मेरे क्षेत्र झुंझुनू की जनता की एक बहुत पुरानी मांग डाबरा-सिंघाना रेल रूट पर जो मालगाड़ी खेतड़ी प्रोजेक्टर के लिए सामान ले जाती है, उसमें सवारी डिब्बे जोड़ने की चली आ रही है। इसके अभाव में उस क्षेत्र की जनता अपने को बहुत असहाय स्थिति में समझ रही है। उस रेल ट्रैक पर प्रतिदिन मालगाड़ी प्रोजेक्ट का सामान लाने ल जाने के लिए चलती ही है इसलिए यदि उसमें कुछ सवारी डिब्बे भी जोड़ दिये जायें, तो उस क्षेत्र के मजदूरों को तथा आम जनता को इससे रेल की एक बड़ी सुविधा मिल सकती है इसमें खर्च भी बहुत कम आयेगा क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो वहां मौजूद ही है और गाड़ी पहले से चलती ही है। सिर्फ उसमें एक-दो सवारी डिब्बे जोड़ने की आवश्यकता है।

मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र की जनता की इस पुरानी और लम्बित मांग की तरफ ध्यान देते हुए डाबरा-भिंडाना रेल लाइन पर जो माल गाड़ी चलती है, उसमें सवारी डिब्बे जोड़ने की अनुमति प्रदान करें।

(पांच) उड़ीसा में पारादीप और गोपालपुर में पोत विघटन प्रांगण (शिप ब्रेकिंग यार्ड्स) स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : यद्यपि उड़ीसा का तट काफी लम्बा है और यहां पारादीप में एक बड़ी तथा गोपालपुर में एक छोटी बन्दरगाह है परन्तु पिछले पांच वर्षों के दौरान यहां कोई भी शिप ब्रेकिंग यार्ड स्थापित नहीं किया गया। भारी औद्योगीकरण और राज्य में कुछ स्पोंज लोहे के कारखाने की स्थापना किये जाने के बाद स्क्रैप धातुओं की यहां पर्याप्त मांग है। इसको देखते हुए पारादीप और गोपालपुर में 6 नये शिप ब्रेकिंग यार्ड स्थापित किये जाने चाहिए। तदनुसार उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय इस्पात और खान मंत्री से पारादीप और गोपालपुर, प्रत्येक में तीन-तीन शिप ब्रेकिंग यार्ड स्थापित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव लम्बे समय से केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन पड़ा है और उसे अब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

उड़ीसा में शिप ब्रेकिंग यार्डों की स्थापना की मांग करना बहुत ही न्यायोचित है। ऐसे शिप ब्रेकिंग यार्डों की स्थापना के लिए पारादीप और गोपालपुर बहुत ही उपयुक्त स्थान हैं। इसीलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि पारादीप और गोपालपुर में शिप ब्रेकिंग यार्डों की स्थापना के प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति प्रदान करने में और विलम्ब न करे।

(छ) दिल्ली परिवहन निगम के बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): सभापति जी, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि दिल्ली परिवहन निगम के हजारों कर्मचारी कुछ कर्मचारी संगठनों के अदूरदर्शी निर्णय तथा शासन के अव्यवहारिक कठोर बर्ताव के कारण अपनी रोजी-रोटी से वंचित हुए पड़े है सैंकडों ऐसे कर्मचारी भी सेवा से निकाले गये जिनका कोई दोष नहीं था। आज इन कर्मचारियों के बच्चों के सम्मुख भूखों मरने की नौबत आ गयी है।

मेरा परिवहन मंत्री से अनुरोध है कि इन समस्त निकाले गए कर्मचारियों को शीघ्र नौकरी पर लिया जाये।

(सात, विदर्भ क्षेत्र में कतिपय रेल सुविधाएं प्रदान किये जाने की मांग

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : सभापति जी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बम्बई-हावड़ा 29 डाउन/30 अप एक्सप्रेस में, जो कि नागपुर होती हुई चलती है, ए० सी० स्लीपर की एक बोगी लगाने वास्ते काफी दिनों से मांग है। मैंने इस वास्ते लोकसभा में तथा माननीय रेल मंत्री से कई बार अनुरोध किया है लेकिन अभी तक ए० सी० स्लीपर कोच नहीं लगाई गई। वह तुरन्त लगाने के आदेश दिये जावें। गोन्दिया से नागपुर लोकल गाड़ी चलती है। उसमें कोयले का इंजन लगता है जो कि काफी पुराने हो गये हैं। गोन्दिया से नागपुर 130 कि० मी० तकरीबन 6 घण्टे से ऊपर लग जाता है, जिससे काम पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। इसमें डीजल इंजन लगाया जाये। महाराष्ट्र एक्सप्रेस में जोड़ने हेतु एक बोगी सैकेण्ड क्लास थ्री टायर की भी लगाई जाये।

गीतांजली एक्सप्रेस में जो यात्रा का प्रतिबंध है वह गोन्दिया से नागपुर के बीच यात्रा प्रतिसमाप्त करने वास्ते मैं पहले भी माननीय रेलमंत्री जी से तथा सदन में निवेदन कर चुका हूं। महाराष्ट्र एक्सप्रेस गोन्दिया से चलाने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक विशेष रूप से गोन्दिया-नागपुर के बीच का प्रतिबन्ध गीतांजली एक्सप्रेस में समाप्त करने के आदेश दिये जावें।

6 अप विदर्भ एक्सप्रेस जो कि नागपुर से बम्बई चलती है, उसमें गोन्दिया तिरोड़ा तुमसर भण्डारा कामठी के लिये सैकेन्ड क्लास थ्री टायर में कोटा दिया जाए। यह गाड़ी विदर्भ के लिये चलती है किन्तु विदर्भ के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन्हें कोटा नहीं दिये जाने से निराशा है।

मेरा माननीय रेलमंत्री जी से अनुरोध है कि मेरी उपरोक्त विदर्भ की आवश्यक मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनके निराकरण हेतु आवश्यक पहल करने का कष्ट करें।

12.32 म० प०

संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक और संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम संविधान और (चौंसठवां संशोधन) विधेयक और संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक पर और आगे विचार करेंगे।

डा० फूलरेणु गुहा।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टाई) : मैं इन दोनों संशोधन विधेयकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं इन दोनों विधेयकों को सभा के समक्ष रखने के लिए अपने प्रधान मंत्री को मुबारकबाद देती हूं।

पंचायती राज का विचार महात्मा गांधी का बुनियादी विचार था। उन्होंने महसूस किया था कि लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर फूले फले। उनका बुनियादी विचार था कि पंचायतों को स्वयं प्रशासन करना चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था :—

> "वास्तविक परिवर्तन, वास्तव में गांवों के अन्दर से, गांवों में रहने वाले लोगों से आता है और यह बाहर से आरोपित नहीं किया जाता है। यह स्व-शासन और आत्म-निर्भरता की प्रक्रिया है। बाहर के लोग केवल थोड़ी सहायता कर सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन कर देते हैं।" कुछ यहां वहां जानकारी देते हैं।

प्रधान मंत्री ने सम्पूर्ण देश में इन विधेयकों के माध्यम से पचायती राज और नगर पालिका स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कदम उठाया है हमारे संविधान का मूल विचार लोकतंत्र है। इन कदमों से सबसे निचले स्तर पर वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। जनता केवल राजनीतिक सत्ता से सन्तुष्ट नहीं है। वे धन संबन्धी अधिकार भी चाहते है। इन विधेयकों के माध्यम से कुछ धन सम्बन्धी अधिकार भी दिए गए हैं लेकिन शेष राज्यों के लिए छोड़ दिए गए हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि राज्य सरकारों को वित्त आयोग बनाने चाहिए।

दोनों ही विधेयकों में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों तथा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। कुछ कहते हैं कि 30 प्रतिशत उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा विचार ही गलत है। जब महिलाएं अपना उत्तरदायित्व जानेगी तो वे उसके लिए आगे आएगी। मैं यह कहना चाहती हूं कि महिलाओं को जब जिम्मेदारी सौंपी गई है चाहे यह घर की हो अथवा जीवन के किसी अन्य क्षेत्र की हो वे कभी भी उसमें असफल नहीं रही हैं।

इन विधेयकों से पांच वर्षों की निश्चित अवधि सुनिश्चित की गई है। इन दोनों विधेयकों पर चुनाव आयोग का नियंत्रण रहेगा। यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यदि एक नगरपालिका अथवा एक पंचायत को अपने कार्यकाल की अवधि के समाप्त होने से पहले भंग किया जाता है। तो उसके भंग किये जाने के छः महीने के अन्दर चुनाव कराये जाने की व्यवस्था की गई है। यह राज्य विधान सभाओं और लोकसभा के संबंध में की गई व्यवस्था जैसी है। विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि नगरपालिका की राज्य को संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में संसाधन दिए जाएंगे। इस विधेयक में उन कारणों को भी स्पष्ट किया गया है जिसमें कोई व्यक्ति सदस्यता से वंचित हो जाएगा। इन विधेयकों में यह भी व्यवस्था की गई है कि क्षेत्र के परिसीमन और स्थानों के आवंटन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

मैं यह बताना चाहती हूं कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बात का बहुत ही सावधानी से ध्यान रखा जाना चाहिए कि पचायतें और नगरपालिकाएं सरकारी विभाग बनकर न रह जायें। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अधिकारियों के बीच के संबन्ध स्पष्ट किये जाने चाहिए।

कुछ लोग कहते हैं कि ये विधेयक आगामी चुनावों के लिए हैं। यद्यपि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं, तर्क की खातिर, एक क्षण के लिए मैं यह मान लेती हूं कि ये आगामी चुनावों के लिए हैं। लेकिन मूल्य मुद्दा यह देखना है कि क्या ये विधेयक देश के लिये तथा लोगों के लिए अच्छे हैं अथवा नहीं हैं। इन्हें इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये विधेयक संविधान के मूल सिद्धान्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डालते हैं और राज्यों की शक्तियों को किसी प्रकार कम तो नहीं करते है। परन्तु इन विधेयकों की जांच करने पर यह देखा गया है कि इस प्रकार का सन्देह करने का कोई आधार नहीं है।

संसाधनों की समस्या हो सकती है। इसीलिए यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को वित्त आयोग बनाने चाहिए। पंचायती राज की स्थापना से ग्रामीणों को अपने संसाधनों का पता चलेगा तथा वे अपने गांवों की आवश्यकताओं के बारे में प्राथमिकताओं का निर्णय कर सकेंगे। धीरे-धीरे गांव आत्म-निर्भर हो जाएंगे।

इन विधेयकों के द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्वरूप को लोकसभा तथा विधान सभाओं के समान लोकतांत्रिक बनाये जाना सुनिश्चित किया गया है तथा उन्हें लोक संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए संविधानिक सुरक्षा प्रदान की गयी है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपने प्रधान मंत्री को मुबारकबाद देती हूं। और इन दोनों संशोधन विधेयकों का तहेदिल से समर्थन करती हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) महोदय, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये ये दो संविधान (संशोधन) विधेयक, जिन्हें पंचायती राज और नगरपालिका विधेयकों के नाम से जाना जाता है, ऐतिहासिक और आमूल परिवर्त्तन लाने वाले विधेयक हैं। हमारे स्वतन्त्रता के बयालिस वर्षों बाद इस देश के लोग स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ जान पायेंगे। इन संशोधन विधेयकों को लाकर हमारे प्रिय प्रधानमन्त्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समन्वित विकास में लोगों को शामिल कर लिया। उन्होंने एक मजबूत निर्वाचित स्थानीय सरकार बनाने के लिये, भ्रष्टाचार और सत्ता के दलालों के खिलाफ लड़ने के लिये लोगों को अन्तिम रूप से अधिकार देने के लिये एक साहसिक कदम उठाया है। अत: लोगों को दो बुराईयों से लड़ने का अधिकार दिया जायेगा। इन दो विधेयकों को लाकर हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के स्वप्न को ईमानदारी से पूरा किया है।

जहां तक कमजोर वर्ग और महिलाओं का सम्बन्ध है, उन्हें अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। राजीव जी ने सही कहा है और जिसे मैं दोहराता हूं "जहां तक महिलाओं के आरक्षण का सम्बन्ध है कोई भी राज्य हमारी आधी आबादी के साथ न्याय बरतने का दावा नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक महिलाओं के लिये कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं।

व्यवहार में यह देखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिये दिये गये वित्तीय संसाधन कम और सीमित हैं। बारम्बार इन निकायों के चुनाव स्थगित हुए है। इन संस्थाओं के चुनाव ही सिर्फ स्थगित नहीं हुए हैं बल्कि स्थानीय निकायों को भंग किया जाना भी आम बात है। उच्च स्तर पर लोकतन्त्र का आधार कमजोर हो जाएगा जब तक कि स्थानीय स्तर पर इसके व्यवहार की आदत नहीं होगी। इसका एकमात्र उद्देश्य इन संस्थाओं को संवैधानिक समर्थन देना, लोगों को वास्तविक अधिकार प्रदान करना और इनके अनिवार्य चुनाव का प्रावधान करना है। संविधान के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत निम्न स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन प्रदान करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है।

आपकी अनुमति से अब मैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में दिये गये प्रासंगिक मुद्दे आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। संविधान का अनुच्छेद 40 के अनुसार,

> "40 राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

मूल अधिकार के अन्तर्गत भाग-III में परिभाषा 12 के अनुसार :

"इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मण्डल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।"

इस प्रकार यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि इन विधेयकों को पारित करने का संसद को कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर यह संसद का कर्त्तव्य बनता है कि वह भारत के संविधान में ऐसे संशोधन करें जो कि बहुत पहले ही हो जाने चाहिये थे। यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरित किये जाने का मुद्दा बहुत समय से विलम्बित है। जिला स्तर पर योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इससे अधिकतम लोकतन्त्र और हमारे देश में अधिकतम आबादी को अधिकतम अधिकार प्राप्त होगा। अधिकारों के हस्तांतरण के सन्दर्भ में पचायती राज और नगर-पालिका विधेयक दो बातों की गारंटी देता है।

सर्वप्रथम, पंचायतों द्वारा योजनाएं तैयार किया जाना प्रक्रिया में मूल योगदान होगा। दूसरे, सामाजिक न्याय की योजनाओं के साथ आर्थिक विकास के लिये प्रत्येक पंचायत अपनी योजना के कार्यान्वियन में तेजी लायेगी। इन विधेयकों को प्रस्तुत किया जाना सही दिशा में लिया गया कदम है। महोदय, ये दोनों संशोधन अर्थात् 64वां और 65वां संवैधानिक संशोधन अधिकारों के हस्तांतरण के लिये आवश्यक है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विपक्ष के सदस्यगण अपनी बातों को सभा में कह सकते थे लेकिन सभा से बाहर नहीं। यदि वे समझते हैं कि संशोधनों में कुछ त्रुटियां हैं तो वे सुझाव दे सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जनता के लिये उनके मन में कोई आदर नहीं है और उन्होंने सभा से त्यागपत्र दे दिया है। निम्न स्तर पर लोकतन्त्र को मजबूत बनाने वाले विधेयक की पूरे देश में सराहना की गयी है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। ग्राम सभाओं में इस बात से बहुत ही उत्साह है कि कम से कम 40 वर्षों बाद यह सरकार सम्पूर्ण राष्ट्र को, सत्ता और अधिकार सौंप कर, विशेषकर कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं को अधिकार प्रदान कर, उन्हें अपने विश्वास में ले सकी। नगरपालिकाओं और पंचायतों की योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाना निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। जिले के लिये सारी योजनाये निम्न स्तर से ही बनायी जायेगी न कि दिल्ली या राज्य मुख्यालयों से थोपी जायेगी।

[हिन्दी

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, 15 मई, 1989 को हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज विधेयक लोक-सभा में प्रस्तुत करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। दिनांक 7-8-89 को नगरपालिकाओं के कायाकल्प करने के लिये और उनमें सुधार करने के लिये जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, उसके लिये उन्होंने 65-वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। हम इन दोनों विधेयकों का स्वागत करते हैं।

मुझे बड़ा दुःख है कि इस प्रजातन्त्र में अपोजिशन का भी महत्व होता है और इस विधेयक में जबकि अपोजिशन वाले जानते थे कि यह प्रस्तुत होना वाला है, और पंचायती राज विधेयक तो पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था तो उनको इसमें भाग लेना चाहिये था, क्योंकि ये दोनों विधेयक सारे देश के ग्राम और नगर की जनता के भाग्य का फैसला करेंगे।

महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम-राज्य और पंचायती राज स्थापित करने का, उसको श्री राजीव गांधी साकार करने जा रहे हैं। ग्राम पचायतों को अधिकार मिलने चाहियें और वे अधिकार इस विधेयक के द्वारा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि ग्राम पंचायतों के चुनाव 10, 10 वर्षों तक नही होते थे। हमारे राजस्थान में भी 12 वर्ष तक ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हुए और दूसरे प्रदेशों में भी यही स्थिति है, और इस कारण ग्राम पंचायतों के और ग्रामीण जनता के जो अधिकार थे उनसे वे वंचित रहे, और स्थिति यह होती थी कि नगरपालिकाओं को भग कर के नौकरशाही शासन करती थी। उस शासन को समाप्त करने के लिये ग्राम पंचायतों को मजबूत करना आवश्यक था। इसलिये जो कदम उठाया गया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार लोक-सभा और विधान-सभाओं के चुनाव 5 वर्ष में होते हैं। उसी प्रकार ग्राम पंचायतों के चुनाव भी समय पर होंगे और उस समय का निर्धारण 5 वर्ष होगा। हम यह चाहते हैं कि वे चुनाव भी इलैक्शन कमीशन के द्वारा होने चाहियें ताकि उनकी निश्चितता पूरी तरह से कायम रहे। इस संबंध में अब यह सोचा गया है कि इलैक्शन कमीशन के द्वारा ही चुनाव कराये जायें। हम यह नही चाहते हैं कि राज्य सरकारें अपनी स्टेट के जरिये ये चुनाव कराये क्योंकि इलैक्शन कमीशन द्वारा कराये गये चुनाव निष्पक्ष होंगे और उससे मतदाता अपने मतों का सही प्रयोग कर सकेंगे।

पंचायती राज और नगरपालिकाओं में जो राज्य स्थापित होंगे वे बिल्कुल निष्पक्ष होंगे।

अब प्रश्न यह होता है कि उनके अधिकार तो हम दें और उसके बाद उनके पास फाइनेंशियल पावर्स न हों तो वे इस तरह से शक्तिवान नहीं हो सकते हैं इस सम्बन्ध में पूरी तरह से सोचा गया है। ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया जाये और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत की जाये। फाइनान्स कमीशन के बारे में जो सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं मैं चाहता हूं कि स्टेट्स के अलग-अलग फाइनान्स कमीशन बनें और वे अपने बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा प्रयास किया जाये जिससे कि उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो। इसका नतीजा यह होगा कि ग्राम पंचायतें और नगरपालिकायें अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे।

जिला विकास अभिकरण के चेयरमैन कलेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं मेरा स्ट्रांग तरीके से यह सुझाव है कि इनके अध्यक्ष प्रमुख जिला परिषद होने चाहिये। ऐसा निर्णय आपको तुरन्त ले लेना चाहिये। हमारे प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनको यह निर्णय लेना चाहिये। ऐसा निर्णय लेकर हम जिला परिषदों को मजबूत कर सकेंगे और वे विकास कार्यों में विशेष रुचि लेकर जनता का कल्याण कर सकेंगी। डी० आर० डी० ए० के बारे में यह कदम उठाना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि प्रमुख जिला परिषद का स्टेटस मिनिस्टर आफ स्टेट के बराबर होना चाहिये और प्रधानों का स्टेट्स डिप्टी मिनिस्टर के बराबर होना चाहिये। इसी तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव

आफिसर जो जिला परिषद के हैं वह आई० ए० एस० आफिसर होने चाहियें। उनको बलशाली बनाने के लिये यह कदम उठाना आवश्यक है।

सबसे बड़ी बात इस में यह है कि हमने महिलाओं के लिये 30 परसेंट स्थान सुरक्षित रखे हैं। महिलाओं को पंचायतों और नगरपालिकाओं के अन्दर जो अधिकार दिये गये हैं उनसे उनका स्तर ऊंचा उठेगा। इसमें मेरा सुझाव है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के अन्दर जो निर्वाचन क्षेत्र बनें पांच साल के बाद उनका रोटेशन होना चाहिये। एक ही निर्वाचन क्षेत्र बराबर महिलाओं का और शेड्यूल्ड कास्ट्स व शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होता है तो उसका प्रभाव ठीक नहीं रहता है। इससे असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिये रोटेशन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण हो जिससे महिलायें सही तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।

जिस प्रकार जवाहर रोजगार योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने का निर्णय लिया गया है उसी प्रकार से नगरीय क्षेत्रों की गरीबी मिटाने के लिये इसी तरह की कोई योजना चलायी जानी चाहिए। इस प्रकार की योजना बनेगी तो नगरीय क्षेत्रों की स्थिति सुदृढ़ और मजबूत होगी। इस बारे में ठोस कदम तुरन्त उठाने की आवश्यकता है।

यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो प्रस्तुत किया गया है वह संविधान की मंशा के अनुसार है यह संविधान की मंशा को कतई भंग नहीं करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को जानकर ही हमने यह निर्णय लिया है। हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर और वहां की स्थिति का अवलोकन करके ही यह कदम उठाया है। सेमिनार के अन्दर पूरा डिसकसशन हुआ है। डिसकसशन करने के बाद ही यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया है। हमने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इससे हम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 63वें और 64वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गए संविधान संशोधन विधेयकों का मैं समर्थन करता हूं। वास्तव में ये दोनों विधेयक आमूल परिवर्तन लाने वाले हैं क्योंकि पंचायती राज के दूरगामी प्रभाव होंगे। इसमें निहित मूल विचार विभिन्न स्तरों पर स्थानीय स्वायत्त शासन को मजबूत बनाना है। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार के कदम का विरोध क्यों किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने इस नाजुक समय पर सभा का बहिष्कार कर बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया है।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य हमारे गांवों का विकास करना है। हमारे देश में पंचायतों का कार्यकरण प्रभावी नहीं रहा है क्योंकि अपने कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उन्हें कभी पर्याप्त धनराशि नहीं मिली। पंचायतों की इस स्थिति का उत्तरदायित्व राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को लेना चाहिए। यद्यपि स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने का संवैधानिक दायित्व केन्द्र सरकार का है तथापि न तो केन्द्र सरकार ने और न ही राज्य सरकारों ने इस मामले में कोई

गहरी रुचि ली। अत: इसका श्रेय प्रधान मन्त्री जी को जाना चाहिए और मैं उन्हें इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस विषय में पहल की है और इस प्रकार यह विधेयक हमारे समक्ष आया है।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य बहुत ही अच्छा है। भारत जैसे विशाल देश में दिल्ली में स्थित केन्द्रीय कार्यालय ग्रामीण जनता की सभी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख सकते हैं। एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में विगत 42 वर्षों के हमारे अनुभव से यह बात स्पष्ट हो गयी है। संविधान में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है और राज्य तथा संघ दोनों अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्य करते हैं सत्ता का विकेन्द्रीकरण संविधान की मूलभूत योजना है। हमने इसमें केवल देरी की है। राज्यों को और अधिक शक्तियां देने की मांग विद्यमान है और स्थानीय निकायों के लिए और अधिक शक्तियों की मांग एक अत्यन्त वास्तविक मांग है। आज देश के विभिन्न भागों से इन मांगों को उठाया जा रहा है. यह तथ्य यही दर्शाता है कि कहीं पर शक्ति का केन्द्रीकरण है। आखिरकार, सरकार ने सरकारिया आयोग की नियुक्ति राज्यों और केन्द्र के बीच शक्ति का वितरण करने के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए की थी। यह आवश्यक हो गया था क्योंकि यह भावना उत्पन्न हो गई थी कि केन्द्र अधिक से अधिक आर्थिक शक्तियां ले रहा है और राज्यों के पास अधिक नहीं बचा है। अनेक राज्यों के पास विकास के लिए कोई धनराशि नहीं है और उन्हें केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति के कारण केन्द्र तथा राज्यों के बीच टकराव उत्पन्न हो गया। मेरा अभिप्राय यह है कि यदि वास्तव में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाता तो राज्य आज अपने मामले निपटाने के लिए बेहतर स्थिति में होते। इसलिए जब हम पंचायतों को शक्तियां दे रहे है तो हमें राज्यों की वित्तीय समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए। निःसदेह मैं इससे सहमत हूं कि वित्त आयोग कर इत्यादि में हिस्सेदारी के बारे में समय-समय पर निर्णय करता रहता है। लेकिन वास्तव में केन्द्र अपनी आर्थिक शक्तियों को राज्यों में बांटने से कुछ हिचकिचाता है। यह हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमें केन्द्र, राज्यों तथा स्थानीय निकायों के बीच विकेन्द्रीकरण की एकमुश्त व्यापक योजना के बारे में सोचना चाहिए। मैं इस संबंध में सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर ले। मुझे अफसोस है कि सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक निर्णय नहीं लिया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय ले।

इन विधेयकों की कुछ अच्छी विशेषताएं है। चुनावों से संबंधित उपबन्ध स्वागत योग्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय निकायों में इन उपेक्षित वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। इसी प्रकार महा-लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि, अब पचायतों के पास अधिक धनराशि आ रही है तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि धनराशि का दुरुपयोग न हो।

महोदय, मुझे विश्वास है कि सारे देश द्वारा इन दो विधेयकों का स्वागत किया जाएगा। वास्तविक लोकतन्त्र की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं एक बार फिर इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, क्या हम आज मध्याह्न भोजन के समय भी कार्यवाही जारी रखेंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय मैं कहना चाहूंगा कि सभा मध्याह्न भोजन के दौरान भी कार्यवाही जारी रखे क्योंकि अनेक सदस्यों को बोलना है।

सभापति महोदय : क्या यह सभा की सर्वसम्मति है कि मध्याह्न भोजन अवधि को छोड़ दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है। सभा सहमत है कि मध्याह्न भोजन-अवधि को छोड़ दिया जाए। इसलिए आज कोई मध्याह्न भोजन-अवधि नहीं है।

1.00 म प०

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र (भिर्जापुर) श्रीमन् महात्मा गांधी जिस प्रकार की कल्पना करते थे, उनके लिए स्वराज्य का अर्थ था देश में देश की जनता का राज, राज्यों में राज्य की जनता का राज्य नगर में नगर की जनता का राज्य और गांवों में गांव की जनता का राज्य। महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था उसमें उनके स्वराज्य का यही अर्थ था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी प्रकार के स्वराज्य की स्थापना के लिए 957 में मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 62 में बहुत से राज्यों में पंचायती राज की स्थापना की थी। लेकिन संविधान में पचायती राज व्यवस्था का स्थान न होने के कारण पंचायतें राज्यों की कृपा पर हो गयीं। जब चाहे उन्होंने पचायती राज व्यवस्था को लागू किया, जब चाहे लागू नहीं किया।

हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने संविधान में पचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करने का निर्णय करके गांवों में महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया है। प्रधान मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उसका सारे देश की जनता स्वागत कर रही है। अब ग्रामों की जनता को मालूम होगा कि उनके ग्राम में शासन उनके हाथ में है, उनके विकास का काम, उनके भाग्य निर्माण का काम अब उनको सौंपा जा रहा है।

श्रीमन् इस सम्बन्ध में थोड़े से हमारे सुझावों को सुनें। जब शहरों में और गांवों में पचायती राज व्यवस्था लागू की जाए तो प्रत्येक पद का चुनाव सीधे जनता के द्वारा हो। हम लोगों को अनुभव रहा है कि छोटे निकायों में जब चुनाव होते हैं तो वहां बाहुबल और धनबल हावी हो जाता है। बाहुबल वाले गुंडा तत्व और जो पैसे वाले धनी लोग हैं वे अपने गुंडई के बल पर और अपने धन के बल पर स्थानीय निकायों पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए किसी भी पद का चुनाव हो, चाहे अध्यक्ष का हो, चाहे उपाध्यक्ष का हो, सारे चुनाव आम जनता के द्वारा सीधे कराये जाने चाहिएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के निकायों में जो पीकर सेक्शन और कमजोर वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात कही गयी है, साथ ही महिलाओं के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गयी है यह अत्यन्त स्वागत योग्य है। क्योंकि महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग उनके मुकाबले में सफल नहीं हो पाते थे। यह जो व्यवस्था सरकार की ओर से की गयी है इसका मैं हृदय से स्वागत कर रहा हूं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को और महिलाओं को भी शासन में अपना हाथ बटाने का अधिकार प्राप्त होगा।

श्रीमन् एक निवेदन यह है कि पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सीधे पंचायतों को धनराशि देने का प्रबन्ध किया गया है। इसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम पंचायतें ग्रामों में, क्षेत्रीय समतियों क्षेत्रों में और जिला परिषदें जिलों में विकास का कार्य करेंगी। इसलिए क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों को भी आर्थिक साधन देने आवश्यक हैं।

एक मेरा यह भी निवेदन है कि जिले में जो ग्रामीण विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं उनको बनाये रखा जाए। जिले में जो जिला समितियां हैं, सिंचाई विभाग हैं या गांवों के विकास से सम्बन्धित अन्य विभाग हैं उनमें आपस में कोआरडिनेशन रहे समन्वय रहे, इसके लिए डी आर डी ए का होना आवश्यक है। यहां से जो वहां के विकास के लिए धनराशि जाए वह डी आर डी ए के पास जाए। उसके बाद डी आर डी ए ग्राम पंचायतों की, क्षेत्रीय समितियों की, सिंचाई विभाग की या अन्य सम्बधित विभाग की क्षमता को देखकर के उस धनराशि का आवंटन करे। डी आर डी ए में जन-प्रतिनिधियों का, विशिष्ट लोगों का, विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस प्रकार से डी आर डी ए द्वारा जो क्षेत्रीय समितियां है, ग्राम पंचायतें हैं, उनको सलाह भी मिल सकेगी और आपस में समन्वय भी हो सकेगा।

हम देख रहे हैं कि गांवों में पैसा जाता है लेकिन ग्राम पंचायतों के सदस्य और प्रधान समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा काम करें। हालांकि ग्राम सभाओं की बैठक बुलाकर निर्णय ले लिए गए हैं, लेकिन उनको टेक्नीकल सहायता की जरूरत है। प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम दो पचायतों में एक आदमी होना चाहिए जो जाकर उनको टेक्नीकल सलाह दे सके, निर्माण कार्यों में टेक्नीकल सलाह दे सके।

इन सुझावों के साथ-साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं और प्रधान मन्त्री जी को बधाई देता हूं। विपक्ष के लोगों ने जनता को अधिकार देने की बात का विरोध किया है, इस देश के विपक्ष ने लोकतंत्र का विरोध किया है, जनता के कल्याण का विरोध किया है, अधिकारों के जनता को हस्तांतरण का विरोध किया है जो कि लोक सभा से त्यागपत्र दिया है। इसकी मैं निंदा करता हूं, सारी जनता निंदा करती है, उनकी इस बात का विरोध करती है। उन्होंने पंचायती राज विधेयक और नगरपालिका विधेयक का विरोध किया है, इसी तरह से उनकी जो राज्य सरकारें हैं वे भी भ्रष्ट हैं, चाहे वह बंगाल की सरकार हो, तेलगू देशम की सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, सब भ्रष्ट सरकारें हैं। इन सरकारों के पास केन्द्रीय सहायता पहुंचती है लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता। वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसलिए विपक्ष के लोगों को

जनता के अधिकारों का और हितों का जो विरोध किया है, उसकी मैं निंदा करता हूं और प्रधान मन्त्री जी के इस कदम का हार्दिक समर्थन करता हूं।

चौधरी रघुनाथ प्रकाश (अम्बाला) : सभापति महोदय इस मुल्क के इतिहास में प्रधानमन्त्री जी ने पंचायती राज और म्युनिसपेलटीज का जो विधेयक रखा है, उसके लिए सारा देश और देश के गरीब आदमी आभारी हैं यह पार्लियामेंट उनकी आभारी है कि 41 वर्ष के बाद जब उन्होंने महसूस किया कि गरीब आदमी की जो जिंदगी है, पंचायतों की जो जिंदगी है यह वैसी ही है जैसे पहले थी। इससे गरीब आदमियों और हरिजनों को जो फायदा होगा, जो सहूलियतें उनको दी गई हैं, यह सब काबिले तारीख हैं। इससे गांधी जी का, नेहरू जी का स्वप्न पूरा होगा, देहात के आदमी का स्टैंडर्ड आफ लिविंग सुधरेगा, जिस चीज की गांधी जी ने कल्पना की थी, वह कल्पना पूरी होगी।

सभापति महोदय इसमें कोई शक नहीं कि इस बिल से देश के करोड़ों आदमियों को और मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान की सारी आबादी को फायदा मिलेगा, इसके साथ-साथ राज्य सरकारों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी आएगी।

पहले क्या होता था कि पैसा यहां से राज्य सरकारों को दिया जाता था लेकिन वह पंचायतों तक पहुंचते-पहुंचते रुपए में से एक-दो आने ही रह जाता था। आफिसर्स और ब्यूरोक्रेसी उस पैसे को खा जाती थी, यह हमारा तजुरबा है। जब प्रधान मन्त्री जी ने महसूस किया, जगह-जगह दौरे कर जाकर देखा कि गरीब आदमी उसी झोपड़ी में रहता है, उसकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वही झोपड़ियां हैं, वहीं गन्दी बस्तियां हैं उन्होंने जब पूछा कि पैसा कहां गया, आपको पैसा नहीं मिलता तो बताया गया कि यहां पर तो रुपए में एक दो आने ही पहुंचता है। पूछ तो बहुत लोग आते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं इसलिए हमारी बुरी हालत है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रधान मन्त्री जी ने महसूस किया कि हम अरबों खरबों रुपया देहात में खर्च कर रहे हैं सुधार के लिए भेजते हैं, गरीबों के लिए भेजते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है तब यह बिल यहां पर लाया गया। यह बिल यहां पर आया है यह बिल्कुल ठीक है।

आज आप शहरों के अन्दर देखिए, मेरे क्षेत्र अम्बाला सिटी में, छावनी में उसके साथ कालका और जगाधरी में क्या हालत है, बरसात के मौसम में इतनी बदबू होती है कि लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। इस बिल के आने से केन्द्र सरकार से मुनासिब पैसा नगर पालिकाओं को मिलेगा और वहां की हालत सुधरेगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।

जहां तक आपने गरीब आदमी और हरिजनों पर अहसान किया है, पंचायतों और जिला परिषदों में हरिजनों के लिए रिजरवेशन रखा है, इससे गरीब आदमियों को बहुत फायदा होगा। ये वर्ग काफी कमजोर हैं, उनके लिए रिजरवेशन से काफी उनको लाभ होगा। इससे कुछ न कुछ उनकी हालत में सुधार अवश्य होगा। आज गरीब आदमी और हरिजन शोषण का शिकार हैं, इसका बयान मैं आपको नहीं कर सकता। इस सब में सुधार होगा।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों हरियाणा में चुनाव हुए, लेकिन वहां पर इतनी शराब चली कि इस शराब के जोर पर ही सरपंचों का चुनाव हुआ। इसलिए मैं निवेदन

करूंगा कि इस बिल के आने के बाद देश के अन्दर नए सिरे से आम चुनाव कराइए जिससे ईमानदार और सच्चे लोगों को महसूस हो कि उनकी भी तरक्की हो सकती है। इसलिए सारे देश के अन्दर नए सिरे से आम चुनाव कराए जाए तो देश का ज्यादा भला होगा। इस पार्लियामेंट के चुनाव के साथ-साथ अगर पंचायतों के चुनाव भी करा दिए जाएं, असेंबलियों के चुनाव भी करवा दिए जाएं तो यह देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

पहले यह था कि सरकार जब चाहती थी पंचायतों को तोड़ देती थी और 4-5 सालों तक पंचायतों के चुनाव नहीं होते थे। मैंने सुना है कि पिछले दिनों एक राज्य में 12 साल के बाद नगरपालिकाओं के चुनाव हुए हैं। इस बिल के जरिए यह बहुत अच्छी बात की गई है कि पंचायत या नगरपालिका को तोड़ने के बाद 6 महीने के अन्दर चुनाव कराना लाजमी कर दिया गया है। इससे लोगों को नुमाइंदगी मिलेगी और लोगों की उन्नति होगी, लोगों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। यह बहुत सराहनीय कदम है।

एक बात और देखनी चाहिए कि जो फण्ड्स यहां से दिए जाएंगे पंचायतों को या नगरपालिकाओं को, इसकी चैकिंग कौन करेगा। कौन इस बात को देखेगा कि इनका ठीक ढंग से इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। इसके लिए आपको विशेष प्रबन्ध करना होगा, ताकि यह पैसा ठीक ढंग से इस्तेमाल हो। यह जरूरी नहीं है कि सारी पंचायतों में पैसे का सदुपयोग हो, कई जगह पैसे का दुरुपयोग भी हो सकता है, लोग घोटाला भी कर सकते हैं, सारे सरपंच अच्छे नहीं हो सकते, इसलिए इसकी चैकिंग अवश्य होनी चाहिए, जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि कहां पर काम ठीक हो रहा है और कहां पर पैसा खाया जा रहा है या घोटाला किया जा रहा है। सरकार सख्ती से चलती है, नर्मी से सरकार नहीं चल सकती। जो भी सरपंच बेइमानी करे, उसको सरपंची से बरखास्त करने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। इस काम को आप जरूर कर दीजिए।

मैं समझता हूं कि यह जो ऐतहासिक बिल पास करने जा रहे हैं, इससे करोड़ों गरीब आदमियों को फायदा होगा, सही मायने में सोशलिजम आएगा। पहले सोशलिजम नहीं था, ब्यूरोक्रेसी मनमानी करती थी, सही मायने में सोशलिजम अब आएगा। इससे लाखों करोड़ों गरीबों का फायदा होगा। इसलिए सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारा मुल्क प्रधान मन्त्री जी को धन्यवाद देता है।

अपोजीशन यहां से चली गई है, उसने बहुत गलत किया है। वह इस वास्ते चली गई है कि असली जो जड़ थी, बीमारी की जो जड़ थी उसको ही पार्लियामेंट दूर करने जा रही है, पंचायत और नगरपालिका बिल, जवाहर रोजगार योजना जब यह सब लागू हो जाएंगे तो उनका भट्ठा बैठ जाएगा, उनको, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, इसलिए वे यहां से भाग गए। इसलिए कि उन्होंने समझ लिया कि उनकी अब यहां पर कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ करना था वह तो कांग्रेस सरकार कर रही है, हमारे करने के लिए कुछ रहा नहीं है इसलिए वे भाग गए और बाहर जाकर तरह-तरह के इलजाम लगा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमन्त्री जैसे चरित्रवान आदमी पर यह इलजाम लगाए जा रहे हैं, इन्होंने चोरी की है, जबकि सारी दुनिया में उनका नाम रोशन हो रहा है, उनके ऊपर दुनिया भर के इलजाम लगाए जा रहे हैं, उन्होंने करप्शन

किया है, यह कहा जा रहा है। उन्होंने क्या करप्शन किया है। इन लोगों का यह कहना है कि प्रधान मन्त्री ने बोफोर्स सौदे में पैसा लिया है। क्या प्रधान मन्त्री के पास पैसे की कमी है जो इस सौदे में पैसे लेंगे। कितने घटिया किस्म की बात इन लोगों ने की है। मैं तो यह चाहता हूं कि इस हाऊस को आप एक साल के लिए एक्सटेंड कर दें या छह महीने के लिए एक्सटेंड कर दो तो फिर उनको पता चलेगा कि हमारी पोजीशन कहां है। अपोजीशन के लोग अभी पछता रहे हैं कि हमने क्या किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गोपेश्वर (जमशेदपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसमें केवल 40 वर्षों की देरी हुई है। संविधान बनाते समय लोकतन्त्र के इस तत्व का ध्यान रखा जाना चाहिए था। हमने केन्द्र और राज्यों पर काफी समय लगाया है लेकिन निचले स्तर के लि ऐसा नहीं किया। मैं श्री राजीव गांधी को लोकतांत्रिक तन्त्र के कार्य में इस खामी को ढूंढने का श्रेय देता हूं। इसलिए, यह विधेयक सही समय पर आया है। यह संशोधन आवश्यकता के मुताबिक ही है। शहरी स्थानीय निकाय अनेक कारणों से कमजोर तथा अप्रभावी हो गए थे जिनमें नियमित रूप से तथा समय-समय पर चुनाव कराने में विफलता, दीर्घ काल तक स्थगन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, वित्तीय संसाधनों की कमी तथा उन पर शक्ति तथा दायित्व का अपर्याप्त अन्तरण शामिल है। इसलिए शहरी स्थानीय निकायों को ऐसी शक्तियां तथा अधिकार देने की आवश्यकता थी, जिससे वह स्थानीय स्व-शासन की इकाईयों के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। मुझे खुशी है कि इन मामलों का ध्यान रखने के लिए अनेक उपबन्ध बनाए गए हैं। आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के साथ-साथ जो शक्तियां तथा दायित्व नगरपालिकाओं को दिए गए हैं, वे व्यापक, विस्तृत तथा अत्यन्त सहायक हैं। मैं केवल एक सुझाव देना चाहूंगा। इस देश में अनेक शहर औद्योगिक उद्यमों के लगने के कारण उभरे हैं। ये शहर अधिसूचित क्षेत्र समिति अथवा नगरपालिका के अन्तर्गत नहीं आते। मुझे आशा है कि ऐसे शहर इस विधेयक के अन्तर्गत आ जाएंगे। ये शहर बढ़ रहे हैं। स्थिति काफी पेचीदा होती जा रही है। यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को काफी शिक्षा दी जाए।

मैं सुझाव देता हूं कि इस स्तर पर कोई राजनीति न रहे और कोई भी राजनैतिक दल नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवार खड़े न करे। यह व्यक्तिगत आधार पर हों, राजनैतिक स्तर पर न हों। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है प्रधान मंत्री ने कहा है कि सहकारिता के दूसरे मुद्दे पर बाद में विचार किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं का कार्य सुचारू रूप से चलने से क्षेत्रों का विकास होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और यह कानून लाने के लिए मैं प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं सबसे पहले देश के प्रधान मन्त्री को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस सदन में पंचायत बिल और नगर पालिका बिल प्रस्तुत किया है। यह ऐति-

हार्दिक उपलब्धि आठवीं लोक-सभा के इस सत्र में इस बिल के रूप में हुई है। आज 9 अगस्त है, जो हमारे देश में एक क्रांतिकारी तारीख है। इसी दिन 1942 में हमारी आजादी की लड़ाई में हमारे नेतागण ने स्लोगन दिया था 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' आज उसी 9 अगस्त हम लोग जब कांग्रेस पार्टी की ओर से पंचायती बिल और नगर पालिका बिल लाये है, देश की जनता को अधिक शक्ति देने के लिए तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग आज पंचायती बिल और नगर पालिका बिल पर भाग नहीं ले रहे हैं। वह तो सिर्फ रोड़ पर जाकर राजीव हटाओ का शोर मचा रहे हैं। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि हमारी पार्टी नगर पालिका और पंचायती बिल लेकर आई है जनता को अधिक अधिकार देने के लिए, तो विरोधी पक्ष के लोगों का एक ही पाइंट है वह है कांग्रेस की सरकार को हटाना। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं तो वहां वे कहते हैं कि हमारे पास पावर होनी चाहिए, जनता के पास नहीं होनी चाहिए। यहीं हमारा उनसे मतभेद है। इसीलिए मैं आज के ऐतिहासिक दिन पर यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश की जनता विरोधी पक्ष को समझेगी और उनकी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देगी। क्योंकि वे पंचायती बिल और नगर पालिका बिल पर भाग नहीं ले रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक बिल है। पण्डित नेहरू जब प्रधान मंत्री थे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी लोकतंत्र को स्थाईत्व देना, इन्दिरा गांधी जब प्रधान मंत्री थीं उनकी उपलब्धि थी गरीब जनता को ऊपर उठाना और राजीव जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो उन्होंने 18 साल के नौजवानों को मतदान देने का अधिकार दिया है महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया है और इसी प्रकार हरिजनों को आरक्षण दिया है और यह पंचायती बिल और नगर पालिका बिल लेकर आये हैं, यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस बिल पर दो तीन बातों पर बोलना चाहती हूं हमारे राज्य में हमने देखा है कि वैस्ट बंगाल में सिली-गुड़ी म्युनिसिपेलिटी इलेक्शन में मैं गई थी तो वहां जो टी लेबर है उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं और उनको इसमें मतदान का मौका नहीं मिला। वह पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। वह भी हमारे देश के नागरिक हैं इसलिए उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एक बात और कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए। कई जगहों पर चुनाव में झगड़े होते हैं। हावड़ा में जब हाल ही में चुनाव हुआ था तो वहां टोटल बूथ केपचरिंग हुई थी। इससे जनता क्या सोचेगी कि हमें चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं मांग करती हूं कि लोकतंत्र को सुरक्षा देने का अधिकार सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे प्रधान मंत्री जी ने नगर पालिका बिल हाउस में प्रस्तुत किया जनता को अधिक पावर देने के लिए तो हमारे राज्य में सिविक बोर्ड की एक म्युनिसिपेलिटी में कांग्रेस की जो थी, उसमें 19 सदस्य हमारे थे और अल्पमत में सी० पी० आई० (एम) वाले थे। तो कोई नोटिस दिये बिना एस० डी० ओ० वहां जाकर हमारे चेयरमैन को बोला कि तुम कुर्सी से हट जाओ, हम बैठेंगे। आप सोचें कि क्या यही लोकतंत्र है? उसका समय 1991 तक का था, फिर उसकी क्या गलती थी। उसकी यही गलती थी कि जब प्रधान मन्त्री जी ने एक कान्फ्रेंस बुलाई थी नगर पालिकाओं की तो इसमें सी० पी० आई० (एम) वाले नहीं आये, और वह वहां आये थे इसीलिए उसको डिसमिस कर दिया उन्होंने। क्या हमारे देश में कोई कानून नहीं है कि जो कानून के खिलाफ काम करे उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाये। कर्नाटक में जब राज्यपाल महोदय ने विधान सभा को भंग किया था तो वहां उनका बहुमत नहीं था

हमारे अपोजीशन का लोग बहुत हल्ला किया था और चिल्लाया था। अपोजीशन के लोग कोई एक टी आर का बात है, देवी लाल कुछ बोल सकता है, असम का चीफ मिनिस्टर कुछ बोल सकता है, मधु दंडवते कुछ बोल सकता है, किधर गया वीपी सिंह, ज्योतिबसु के साथ जुड़े हुए हैं, यह एक डैमोक्रेटिक इन्स्टीचूशन है इस इन्स्टीचूशन को ऐसा तोड़ दिया है। अपोजीशन का लोग दोस्ती बनाता है, क्या दोस्ती है, किसका दोस्ती है, आइडियोलॉजी क्या है, उसका सिम्बल क्या है और उसका ओपीनियम क्या है। इसमें हम जाना नहीं चाहता है। नगरपालिका का यह बिल सदन में आया है, हम अपने मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट करेगा कि आप गवर्नर को रिपोर्ट करिए कि वेस्ट बंगाल सरकार ने जो डिसमिस किया है वह इल्लिगल है अनकांस्टीचूशनल है, इसमें आप इन्टरवीन कीजिए और डैमोक्रेटिक इन्स्टीचूशन को प्रोटैक्शन दीजिए। नहीं तो आदमी सोचेगा कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा है या चीफ मिनिस्टर बड़ा है। हम कोई प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की लड़ाई में नहीं जाना चाहता हूं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत गलत बात होगी। वह नौकरी क्या सी पी एम दिया है, नौकरी तो जनता ने दिया है। जनता का म्यूनिसिपैलिटी है। इसलिए यदि आप इन्टरवीन करेंगे तो देश आपका बहुत आभारी होगा। यह सिर्फ एक म्यूनिसिपैलिटी का बात नहीं है। आज एक को किया है, और कल दूसरी म्यूनिसिपैलिटी को तोड़ देगा। ज्योतिबसु कोई हिटलर नहीं है, जो भी मर्जी कर सकता है। जैसे आज हम देवी लाल जी का मामला उठाया था। वहां प्रापर्टी में लड़की लोगों का हिस्सा नहीं रहेगा, ऐसा वह कोई आईन बना रहा है। ये क्या है—एक-एक चीफ एक-एक चीज सोचता है, जो हमारे कानून के खिलाफ है। और हमारे देश के खिलाफ है। ऐसा वे नहीं कर सकता है। हमारा जोरुल्स और संविधान है वह उनको मानना चाहिए।

अब मैं सिविक अमेनिटीज की ओर मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यह बहुत ही दुःख और अफसोस की बात है। हमारे कलकत्ता में सल्म्स एरियाज को डवेलपमेंट करने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट बाजुरिया, फतेहपुरिया और बड़ा-बड़ा बिजनिसमैन को मल्टी स्टोरी बनाने के लिए दे दिया। वहां एक महीना पहले क्या हुआ, वहां एक पारी, गिर जाने से दो बच्चा मर गया। कोई प्लान नहीं था। बगैर प्लानिंग के कलकत्ता सरकार सैंक्शन किया था। वहां दस बच्चा लोग मर गया। आदमी, के जान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे कलकत्ता में 27 न्यू-बॉर्न बेबीज हास्पिटल में मर गया मिनिस्टर बताया, होस्पिटल की नैगलीजेंस की वजह से, वहां कोई सिविक एअमेंनीटीज नहीं है। कोई आदमी के जिन्दा रहने के लिए कुछ नहीं है। टैक्स बढ़ाता है और बड़े-बड़े बीजनैस मैन को सारा कुछ हो रहा है। कोई आईन नहीं है। आप अगर नगरपालिका की ओर से थोड़ा ध्यान देगा तो हमारे देश का आदमी बड़ा आभारी होगा। पंचायती राज लाने के पहले हम लोग जवाहर रोजगार योजना पर थोड़ा ध्यान दिया है। जवाहर रोजगार योजना में ऐसा कोई सर्वे अभी तक नहीं हुआ है कि हमारे देश में पावर्टी लाइन के नीचे कितने आदमी है और इस वजह से जवाहर रोजगार योजना में कितने आदमी को गांवों में काम पर लगाता है, इसका कोई रिकार्ड सरकार के पास नहीं रह सकता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप जवाहर योजना का सर्वे कीजिए। कितनी आदमी हमारे देश में पावर्टी लाइन के नीचे है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस बारे में क्लीयर गाइड लाइन्स स्टेट को नहीं दी गई है। जो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी होता है, वह करता है। इसलिए आप जवाहर रोजगार योजना के बारे में कोई क्लीयर गाइड लाइन्स स्टेट गवर्नमेंट को भेजिए। कलकत्ता में बहुत सालों से पावर नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोगों को पंडित जवाहर

लाल नेहरू और इन्दिरा जी के लिए और राजीव गांधी जी के लिए बहुत सिम्पैथी है। कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली बड़ा-बड़ा शहर है। उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, यदि करेगी भी तो पोलिटिकली मोटिवेटिड होकर करेगी इसलिये मैं सैन्ट्रल गवर्नमेंट से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि यह वर्ष हम पण्डित जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी के रूप में मना रहे हैं, इन्दिरा जी ने काफी समय पहले सोचा था कि हम आल इण्डिया इंसटीट्यूट ऑफ मैडिकल साईंसेज की एक शाखा कलकत्ता में स्थापित करें, लेकिन वे अपने समय में इस कार्य को कार्यान्वित नहीं कर पायीं, मैं चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार पण्डित नेहरू जन्म शताब्दी के अवसर पर ए० आई० आई० एम० एस० की एक शाखा कलकत्ता में स्थापित करे। उससे हमारे ईस्टर्न रीजन के लोगों को बहुत लाभ होगा क्योंकि आज जब वहां किसी को हार्ट का ट्रबल होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है, किडनी की आवश्यकता होती है तो उसे मद्रास, वैलूर, दिल्ली, या बम्बई जाना पड़ता है, जो उनके लिये बहुत बड़ी प्रौब्लम होती है। मैं चाहती हूं कि इन्दिरा जी की भावनाओं को पण्डित नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में पूरा करते हुए आप कलकत्ता में ए० आई आई० एम० एस० की एक शाखा स्थापित करने के निर्णय की घोषणा करें इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, सम्मुख रखे गए विधेयकों पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए प्रारम्भिक भाषण सहित अन्य भाषणों को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है।

महोदय, मुझे बाध्य होकर कहना पड़ रहा है कि अत्यन्त जटिल तथा तकनीकी मुद्दों पर केन्द्रित होने की बजाय भाषणों की भाषा तथा विषय राजनीति से प्रेरित रही है। जो सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं है उन पर आक्षेप लगाना तथा छींटाकशी करना उचित नहीं है। उन्होंने अपने समझ के अनुसार अपने तरीके से देश की सेवा करने के लिए अपनी सीटों से त्यागपत्र देना चुना है और निश्चित रूप से वे लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं।

मैं यहां पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं हूं और मैं प्रधान मन्त्री की वाक्पटुता का सामना नहीं कर सकता। मेरे पास कोई कल्पित लेखक नहीं हैं. मैं उनकी वाक्पटता का सामना नहीं कर सकता, लेकिन यहां तो मानसिक रूप से भी घोघों की तरह चिपके हुए व्यक्ति हैं और या तो उनका मस्तिक है ही नहीं और यदि है भी तो वह उसका प्रयोग नहीं करते है और ऐसे घोंघों की तरह चिपकने वाले व्यक्ति संसद के एक सत्र को भी वाह वाह पार्टी के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में तबदील कर देते हैं।

प्रधान मन्त्री हमारे सम्मुख एक दूसरे कोलम्बस के रूप में आए हैं। कोलम्बस ने अमरीका की खोज की और राजीव गांधी ने पंचायती राज की खोज की है। जिस प्रकार कोलम्बस के आने से पूर्व भी अमरीका विद्यमान था उसी प्रकार इस देश में पंचायती राज हजारों वर्षों से है और स्वर्गीय प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से 1959 में इसका उद्घाटन किया गया था। मैं आपके समक्ष पण्डित जवाहर लाल नेहरू का एक उद्धरण उद्धृत करता हूं जो उन्होंने 2 अक्तूबर, 1959 को कहा था :

'हम अपने देश में लोकतन्त्र अथवा पंचायती राज की नींव डालने जा रहे हैं। सरकार···"

वह राजस्थान सरकार का उल्लेख कर रहे थे।

"...सरकार ने विधान मंडल के माध्यम से दायित्व लोगों को सौंप दिए हैं। यह एक एतिहासिक घटना है। यह अच्छी बात है कि पंचायती राज के कार्यक्रम का उद्घाटन महात्मा गांधी के जन्मदिन पर किया गया...."

आगे उन्होंने कहा :

"सात वर्ष पहले हमने सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के माध्यम से इस महान आंदोलन को शुरू किया था ···लेकिन हम अपेक्षित कार्य नहीं कर पाए हैं···· लोगों से केवल सलाह ही नहीं ली जानी चाहिए थी बल्कि उन्हें प्रभावी शक्ति भी सुपुर्द की जानी चाहिए थी।"

उन्हें शक्ति दी गई लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इस शक्ति का उपयोग नहीं किया है।

पंचायती राज और स्थानीय शासन को मजबूत करने की वांछनीयता के बारे में देश में कोई विवाद नहीं है जिनकी इसकी तथा स्थानीय सरकार की परम्पराएं हमारे देश में कम से कम एक सौ वर्ष पुरानी है। इन संस्थाओं को प्रभावी, सक्रिय, प्रतिनिधित्व पूर्व उत्तरदायी और जिम्मेवार तथा उन्हें पर्याप्त संसाधन वित्तीय शक्तियां और प्रशासनिक प्राधिकार देने के बारे में देश में कोई विवाद नहीं है परन्तु हमारे समक्ष, दुर्भाग्य से ये विधेयक राजनैतिक मजबूरियों की देन हैं। ये जल्दबाजी में तैयार कर के पेश किए गए हैं। सिद्धांत मैं विधेयक की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। पन्चायतों एवं स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत संवैधानिक संशोधन असंगत या अवांछनीय कदम नहीं है। यदि इन संस्थाओं से उद्देश्य प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है तो इन्हें सहायता प्रदान की जानी चाहिए और इनके कार्यों में नियमितता एवं आवर्तिता होनी चाहिए। परन्तु यदि ऐसा नहीं होता है तो महोदय, हमें यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि दोषी कौन हैं। मेरे पास समय नहीं है, परन्तु मैं चाहता हूं कि सभा के सदस्य विचार करें कि उनके राज्यों में ग्राम पंचायतों के चुनाव पिछली बार कब हुए थे और उस चुनाव और आगामी चुनाव के बीच कितना अंतराल था तथा उन राज्यों में कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ थी। मैं चाहता हूं कि वे स्वयं इसका उत्तर तलाश करें।

महोदय, विधेयक में कुछ भारी कमियां है। इसमें ब्यौरा दिया गया है जिसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए। संविधान सभा ने इस प्रश्न पर विचार किया था और जानबूझ कर एकरूपता के सिद्धान्त को नहीं अपनाया था। महोदय, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति, अध्यक्षों के निर्वाचन की पद्धति निर्धारित करने का कार्य विधायकों पर छोड़ा जा सकता था। संशोधन और अन्य विधान में इस मामले में भेद किया जा सकता है। महोदय, इसका ब्यौरा विधेयक में शामिल किया गया है। हमारे संविधान में अन्य संस्थाओं की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, परिषद्, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निरीक्षक-महालेखापरीक्षक। इन सभी के मामलों में, पृथक

रूप से विस्तृत नियम बनाने की व्यवस्था की गई है। हमने तत्सम्बन्धी ब्यौरा संविधान में नहीं दिया है।

महोदय आज गांवों का जीवन अत्यन्त दयनीय है। भारत के गांवों ने उन 40 वर्षों में खामोशी से दुख सहे हैं। हमारे गांवों में आज तक आजादी की हवा नहीं चली। ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय और समानता का अभी सूत्रपात किया जाना है। आज भी वहां के लोगों की निर्णय सम्बन्धी मामलों में कोई भूमिका नहीं है। संसाधन मनमाने और अनियमित रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। प्राथमिकताएं निर्धारित करने में जनता की कोई भूमिका नहीं है। लोगों का उनके लिए चल रही संस्थाओं के संचालन में कोई हाथ नहीं है। स्थानीय अवसरशाही, दारोगा, ग्राम सेवक पटवारी, इंजीनियर, डाक्टर और अब बैंक के रूप में उन पर हुक्म चलाती है। वे पूर्णतया ग्रामीण भारत के नियंत्रण से मुक्त एवं स्वतन्त्र हैं। वे ऐसी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं जो बाहर से अधिकार एवं सम्मान प्राप्त करती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर राज करती है। स्थानीय बनिए होते हैं जो आज उचित मूल्य की दुकानों के मालिक हैं। स्थानीय महाजन होता था जिसने आज स्थानीय सहकारी समितियों का रूप ले लिया है। उनकी कोई स्थानीय जवाबदेही नहीं है। यदि विधेयक का उद्देश्य ऐसी स्थिति में परिवर्तन लाना होता तो मैं उसका स्वागत करता।

गरीबी बहुत अधिक है। महोदय, क्या हम यह महसूस करते हैं कि आज शहरों और गांवों में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रतिदिन भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। वे एक आजाद देश के नागरिक हैं जो भूखे मर रहे हैं तथा दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उनका ध्यान करने वाला कोई नहीं है। विडम्बना यह है कि हमारे मन में भारत के गांवों की तस्वीर एक आदर्श स्वर्ग की है। नहीं महोदय, ग्रामीण भारत के निहित स्वार्थ हैं। यहां भी सत्ता के दलाल हैं। डा० अम्बेडकर ने ग्रामीण भारत को अज्ञानता, संकीर्ण मनोवृत्ति, साम्प्रदायिकता और मैं कहूंगा कि जातिवाद की खान कहा था। उनके कथन का कोई कारण अवश्य रहा होगा। हमें इस तस्वीर को बदलना होगा। इसी तस्वीकार को दृष्टिगत रखते हुए, हमें एक विधान बना कर एक तरीका निकालना पड़ेगा।

महोदय, ग्राम राज और ग्राम सरकार आत्म निर्भर होनी चाहिए। इससे जनता के आर्थिक विकास और उसे सामाजिक न्याय प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु इसका आशय है कि निचले स्तर से योजनाएं बनाई जाएं तथा लाभार्थियों द्वारा उनका कार्यान्वयन किया जाए। संसाधनों और दायित्व का सही तालमेल होना चाहिए। महोदय, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के इसी तरीके से शक्तियां केन्द्र से राज्यों को अन्तरित होती है। राज्यों से शक्तियां जिलों को दी जाएं और जिलों से पंचायतों को हमने सभी स्तरों पर स्वायतता की यही तस्वीर बनाई है।

महोदय, विकास सम्बन्धी योजनाएं एवं विकास कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संसाधन, प्रशासनिक अधिकार यथा कर्मचारियों पर नियंत्रण अपेक्षित है। विधेयक में हमने सार्वजनिक सेवाओं का प्रबन्ध स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण से पूर्णतया बाहर रखा है। अफसरशाही की क्या स्थिति है? हाल ही में मेरे साथी श्री डी० पी० यादव ने अफसरशाही के कुप्रबन्ध के बारे में कहा था। क्या आप अफसरशाही हटा रहे हैं? नहीं, मुझे डर है कि अफसरशाही को और बढ़ाया जा रहा है।

अब मैं संसाधनों पर आता हूं। इस विधेयक में ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है कि राज्य के कुल संसाधनों का पचास प्रतिशत भाग पंचायतों को दिया जाएगा। मेरा यह भी सुझाव है कि इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, राष्ट्रीय संसाधनों का पचास प्रतिशत भाग राज्यों को दिया जाना चाहिए।

विधेयक में कुछ बातें ऐसी है जो कि अधूरी है। मैं महिलाओं के विरुद्ध नहीं हूं। मैं माननीय शहरी विकास मंत्री से क्षमा चाहता हूं परन्तु मेरे विचार में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात जिस ढंग से इस विधेयक में कही गई है, उससे सही परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। यह कुछ भी नहीं मात्र ऊंची जातियों, विशिष्ट वर्गों तथा निहित स्वार्थों द्वारा हारी हुई बाजी जीतने की एक चाल है। महोदय, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए परन्तु आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के कोटे में से ही होना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। पांच वर्ष की निर्धारित अवधि बहुत अधिक है। सत्ता का वर्तमान ढांचा इस लम्बे समय में नहीं टटेगा। पंचायत स्तर पर हम प्रत्येक दो वर्ष बाद तो चनाव करा ही सकते हैं। अन्य कमजोर वर्गों के लिए कोई संरक्षण नहीं है पंचायतों में जाति का माला बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अल्पसंख्या वर्ग मैं धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा हूं—या प्रत्येक सामाजिक वर्ग, जो ग्राम स्तर पर संख्या की दृष्टि से कमजोर है उसे गांव के बहुसंख्या वर्गों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में सही आरक्षण मिलना चाहिए।

इस विधेयक में ग्राम सभा—उस गांव के सभी वयस्क मतदाताओं की सभा की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं किया गया गया है। उनके पास प्रत्यक लोकतन्त्र के रूप में शक्ति होनी चाहिए। जनता को उन्हें वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। पंचायत को प्रत्येक निर्णय के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए।

निर्वाचन आयोग और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने के कोई भी विरुद्ध नहीं है। ये मात्र केन्द्रीय संस्थाएं ही नहीं हैं। ये क्रमशः चुनाव सम्पन्न कराने और लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। परन्तु उनकी रिपोर्टें उचित प्राधिकरण के पास जानी चाहिए। पंचायत चुनावों पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

जहां तक योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, मुझे डर है कि इन दो विधेयकों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों से अधिकार क्षेत्र और दायित्व सम्बन्धी गम्भीर विवाद पैदा हो जाएगा। इसीलिए, मैं वार्ड समिति और क्षेत्रीय समिति का विरोध करता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सभा से लेकर नगरपालिका तक उस जिले के सभी प्राधिकरणों के लिए जिला परिषद् एक ऐसा मन्च होना चाहिए जहां वे सभी बैठ कर शहरी एव ग्रामीण योजनाओं पर चर्चा कर सकें, जिसके बारे में प्रधानमन्त्री महोदय ने कहा है और जिले के लिए एक मांझी योजना तैयार करें। जिला परिषदों का सम्बन्ध केवल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं बल्कि समूचे जिले से होना चाहिए।

अन्त में मैं जनता के हाथ में सत्ता सौंपे जाने के प्रश्न पर आता हूं। यह एक पुराना नारा एक पुराने ग्रामोफोन रिकार्ड की तरह लगता है। बहुत से लोगों ने पहले भी यह नारा लगाया है। ये बहुत अच्छे शब्द हैं। परन्तु हमारी यह सरकार तो अपने मंत्रियों पर भी विश्वास नहीं करती है। वे जनता के हाथ में सत्ता सौंपने जा रहे हैं! हमारी सरकार सत्ता के दलालों और कमीशन एजेंटों के माध्यम से काम करती है। और वे सत्ता के दलाल समाप्त करने जा रहे हैं! जो सरकार पूंजीपतियों के आदेशों पर चलती है, वह उनका प्रभाव समाप्त करने की बात कैसे कह सकती है। जो पार्टी ऊंची जातियों द्वारा चलाई जाती है वह पंचायतों से जाति का मसला कैसे समाप्त कर सकती है? नहीं महोदय, विधेयक का मूल प्रयोजन ग्राम राज की स्थापना करना और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना नहीं बल्कि एक आकर्षक चुनावी नारे की सत्तारूढ़ दल की आवश्यकता को पूरा करना है ताकि वे जनता को सत्ता सौंपने का श्रेय ले सकें। और यदि यह नारा कारगर सिद्ध नहीं होता तो उन्हें कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि वे वहां नहीं होंगे जहां कि वे इस समय हैं। एक वर्ष के भीतर वर्तमान संरचना समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वे तो होंगे नहीं और हमें शून्य का सामना करना पड़ेगा।

उनके स्थान पर कुछ रखे बगैर मौजूद ढांचा टूट जायेगा। और शायद आप उन विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के दिन प्रतिदिन के काम में वित्तीय रूप से और साथ ही साथ प्रशासनिक रूप से हस्तक्षेप करना चाहते हैं।

प्रधान मन्त्री ने विपक्ष द्वारा शासित कतिपय राज्यों में पंचायती राज के कार्यकरण की स्वयं सराहना की है; और फिर भी सम्पूर्ण उद्देश्य उन सरकारों को अस्थिर करना है।

महोदय विधेयक में लोगों को शक्ति प्रदान करने की गारंटी नहीं दी गई है। इस विधेयक में पंचायतों या नगरपालिकाओं को वित्तीय रूप से सक्षम करने, प्रशासनिक रूप से स्वायत्तता देने, आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने, राजनैतिक रूप से प्रगतिशील बनाने या सामाजिक एक रूप देने की बात नहीं है। यही कारण है कि मुझे इन विधेयकों को प्रस्तुत किए गए रूप में स्वीकार करने में दिक्कत होती है। मैंने कई संशोधन पुरःस्थापित किये हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इनमें से कुछ संशोधनों को स्वीकार करेगी।

अपने आप ही स्वयं को शाबासी देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां कतिपय राजनैतिक चिन्ताओं से प्रेरित होकर अपने राजनैतिक लाभ के लिए की जाने वाली चालबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं प्रधान मन्त्री से उनकी अनुपस्थिति में अपील करता हूं। राजनीतिज्ञ और राजनेता के बीच के अन्तर के बारे में एक पुरानी कहावत है। एक राजनीतिज्ञ अगले चुनाव की सोचता है। एक राजनेता अगली पीढ़ी की सोचता है। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मन्त्री एक राजनेता बनेंगे और रजनीतिज्ञ ही नहीं बने रहेंगे।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं अपने प्रधान मन्त्री को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देती हूं जोकि लोगों को शक्ति प्रदान करता है और जिसका एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोण है। भारत में पंचायती राज की अवधारणा पूर्ण स्वराज या ग्राम स्वराज की संकल्पना का हिस्सा थी जो कि

स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान बनी थी। संविधान-निर्माताओं ने सबसे निचले स्तर पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं के महत्व को माना था और इस अवधारणा को संविधान में अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिया गया था।

आजादी के बाद के इन वर्षों के दौरान कोई भी निश्चित रूप से यह देख सकता है कि विकास का लाभ सभी वर्गों में नहीं पहुंचा है। सात पंचवर्षीय योजनाओं कई गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के बावजूद आम जनता को, ग्रामीण लोगों को इस विकास से फायदा नहीं हुआ है। इसके अलावा, भारतीय लोकतन्त्र अधिक औपचारिक होता जा रहा है और यह लोगों के भाग लेने वाले लोकतन्त्र से काफी दूर होती जा रही है।

विकास के लाभ तब तक लोगों को नहीं मिल सकते हैं जब तक कि वे विकास में भाग नहीं लेते हैं और यह तब तक असंभव है जब तक कि संवैधानिक रूप से बनाई गयी संस्थाओं के जरिये लोगों के हाथ में शक्ति के राजनैतिक विकेन्द्रीकरण द्वारा आर्थिक विकास हासिल नहीं कर लिया जाता है।

इस पृष्ठ भूमि में संविधान संशोधनों, जैसे 64 वां और 65 वां संविधान संशोधन लाये गये हैं जिन्होंने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और निचले स्तर पर आयोजना के प्रति हमें काफी आशावान कर दिया है। इसलिए स्थानीय स्व-शासनों और पंचायती राज को संविधान में नया अध्याय जोड़कर इसे मान्यता देने, सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है।

यह स्पष्ट है कि संविधान के 40 वर्ष कार्य करने के पश्चात् भी नियमित पंचायती राज तथा नगरपालिका चुनावों के लिए एक संवैधानिक उपबन्ध की निश्चित रूप से आवश्यकता है। और इस विधेयक के जरिये संविधान में स्वयं इन नियमित, सार्वधिक चुनावों की बात को शामिल की गयी है।

पंचायती राज और नगरपालिकाओं की दूसरी कमजोरी कभी समाप्त न होने वाले निलम्बन और इसे भंग किये जाने की प्रवृत्ति है। इस विधेयक में इस प्रवृत्ति को खत्म करने की भी बात है।

अब तक जैसे कि ढांचे मजबूत रहे हैं और नींव कमजोर रही है, हमारे यहां 8000 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व केवल लगभग 6000 व्यक्ति ही कर रहे हैं। इसलिए मतदाताओं की संख्या और चुने गये व्यक्तियों की थोड़ी संख्या के बीच के अन्तराल पर सत्ता के दलालों ने कब्जा कर लिया है। सत्ता के दलालों की प्रणाली को समाप्त करने के लिए इस विधेयक में पचायती-राज और नगर पालिकाओं के सदस्यों के सीधे चुनाव की व्यवस्था है।

इसे निर्वाचन आयोग करवायेगा। यह एक स्वागत योग्य बात है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देने का प्रयोजन सत्ता के दलालों को निकालना है और जन प्रतिनिधित्व की संस्थाओं को गरीब और वंचित लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना है। सामाजिक न्याय इस संस्था का महत्वपूर्ण घटक हो गया है और इस तरह यह सभी योजनाओं को क्रियान्वित करके सामाजिक न्याय हासिल करने हेतु आर्थिक विकास को प्रभावी बनाने के लिए है।

इन वर्षों में और अब भी आप देखते हैं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है तथा महिलाओं की सदियों से उपेक्षा की गई है। महिलाओं और कमजोर वर्गों की स्थिति और भी खराब रही है। इन वर्षों में महिलाओं का पंचायती राज संस्थाओं में भाग लेना सामाजिक आर्थिक अड़चनों के कारण बहुत कम हो रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला सदस्यों के नामांकन और सहयोजन से अब तक महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में शामिल करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हमारे प्रधान मन्त्री ने बहुत सोच विचार कर जो 40% आरक्षण किया है इससे महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं में भाग लेने के लिए निश्चित रूप से अवसर प्रदान होगा। यह निश्चित रूप से समाज में समान स्थान और महिलाओं के विकास का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक कदम होगा। अतः प्रस्तावित संशोधित विधेयक में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की बात का सारे देश की महिलाओं ने स्वागत किया है। 15 मई का दिन जब माननीय प्रधान मन्त्री ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया था इस देश की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि संसद में वह इस विधेयक को लाये और 30% आरक्षण दिया। इसी के साथ-साथ संसद के बाहर भी उन्होंने एक लाख से अधिक महिलाओं की एक बड़ी सभा को सम्बोधित किया और उन्हें 30% आरक्षण का यह उपहार दिया।

हाल ही में प्रधान मन्त्री द्वारा बनाई गयी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में लोकतान्त्रिक संस्थाओं में निचले स्तर पर महिलाओं की प्रभावी भागेदारी और शक्ति सम्पन्न होने पर जोर दिया गया है। महिलाओं के लिए एक व्यापक सामाजिक चेतना कार्यक्रम चलाने की आवश्यता है तथा जो मापदण्ड इसके लिए निर्धारित किये जायें उन्हें उन सामाजिक और आर्थिक अड़चनों से पूरी तरह निपटना पड़ेगा जो कि उनकी राजनैतिक प्रक्रिया में भागेदारी में रुकावट डालते हैं। पंचायती राज में महिलाओं के औपचारिक प्रतिनिधित्व से लाभदायक प्रभाव पड़ सकते हैं बशर्ते इसे अन्य कार्यक्रमों द्वारा आगे बढ़ाया जाये जैसे कि जागरूकता अभियान के जरिये तथा अन्तर व्यक्तिगत सम्पर्क से महिलाओं को संघटित करना और इन्हें ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करके पूरा कर सकते हैं जो उनके घरों के पास शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल करने में मदद करें।

हस्तान्तरण तभी सार्थक हो सकता है जब शक्तियों और दायित्वों का हस्तान्तरण वित्तीय हस्तान्तरण से मिलता-जुलता हो। पंचायती राज और नगरपालिका को पर्याप्त वित्त व्यवस्था देने के लिए राज्य की सचित निधि में से पंचायती राज और नगरपालिकाओं को सहायतानुदान देने का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग की स्थापना करना भी एक सराहनीय कदम है। इस समय पंचायती राज व्यवस्था के बाहर चलाये जाने वाली आयोजना तथा विकास को इस नई संशोधित पंचायती राज व्यवस्था में मिला लेना चाहिए। यह गलत धारणा है कि स्थानीय आयोजना से राष्ट्रीय प्राथमिकतायें गडबडा जाती है तथा यह बहुत थोथी बात है और स्थानीय आयोजना राष्ट्रीय आयोजना का विरोध नहीं कर सकती है। इसी तरह, राष्ट्रीय आयोजना भी स्थानीय आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के विरुद्ध नहीं जा सकती हैं। हमें निश्चत रूप से आयोजना की सारी अवधारणा में आवश्यक परिवर्तन करने की जरूरत है।

राज्यों को, पंचायती राज संस्थाओं से व्यापक रूप से परामर्श करना चाहिए और योजना आयोग को राज्य योजना की विस्तृत रूप रेखा देनी चाहिए जो कि राष्ट्रीय योजना का अंग बनें।

नगरपालिका विधेयक में भी हमने शहरी आवास और गरीबी विरोधी योजनायें रखी हैं। मुद्दा यह है कि हमें शहरी भूमि उच्चतम सीमा अधिनियम पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। प्रधान मन्त्री पहले ही कह चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक संयुक्त समिति होनी चाहिए। लोकतन्त्र हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का एक उपहार है। प्रधान मन्त्री ने कहा है कि इस प्रणाली से इस देश में एक बड़ी क्रान्ति आ जायेगी तथा लोकतन्त्र लोगों तक पहुंच जायेगा।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्डोल) : सभापति महोदय मैं शुरू में ही आप से अनुरोध करूंगा कि घन्टी पांच मिनट से पहले नहीं बजायें क्योंकि कल मेरा नाम पहला था लेकिन मैं लोक लेखा समिति की बैठक की वजह से नहीं आ सका। यद्यपि मैं अपने भाषण को छोटा कर दूंगा फिर भी मैं दस मिनट बोलना चाहूंगा।

मैं अपने विद्वान मित्र श्री शाहबुद्दीन का भाषण बहुत शान्ति से सुन रहा था। निःसंदेह वह अच्छे वक्ता हैं लेकिन जल्दबाजी में और यहां सदस्यों को भ्रमित करने के प्रयास में वह स्वयं भ्रम में पड़ गये।

श्री सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : क्या मैं उन्हें बुलाऊं ?

श्री विजय एन० पाटिल : जी हां, यह ठीक रहेगा। मैं उन्हें यह कहना भूल गया था। मैं बाद में उन्हें यह बताऊंगा।

हम सब जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है। यह संसार भर में सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। यदि लोकतन्त्र से हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचना चाहिए, और यदि हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी के सपने सच हों तो सारी आयोजना ऐसी होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति को उसका लाभ मिले तथा यह उस दिशा में एक कदम है और यह कदम हमारे नेता स्वतन्त्रता मिलने के समय से ही उठाने आ रहे हैं।

श्री शाहबुद्दीन ने कहा है कि पचायती राज हजारों वर्षों से विद्यमान है। मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन मुख्य अन्तर यह है कि वर्तमान सदी का पचायती राज दो श्रेणियों वाला है। एक नौकरशाह है और एक लोकतन्त्री है। स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद हमारे यहां सरपंच हुआ करते थे जो इतने पढ़े-लिखे नहीं थे और ग्राम सेवक अच्छे शिक्षित थे। इसलिए कभी-कभी सरपंच को ठुकरा लिया जाता था, उनसे छल किया जाता था। लेकिन हम अब क्या देखते हैं ? हम देखते हैं कि कई ग्राम पचायतों में जो सरपंच चुने जाते हैं वो काफी पढ़े-लिखे होते हैं और वह भी ऐसे समय में जबकि हम उन्हें स्वयं पचायत में अधिक से अधिक शक्तियां सौंपने जा रहे हैं।

हम सब जानते हैं कि 20 वर्ष पहले पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन नहीं थे। लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के फैसले से और महात्मा गांधी की दूरदर्शिता से प्रति व्यक्ति लगभग 8 रुपये दिये गये थे और छोटी पंचायत को खर्च करने के लिए 1000 रुपये और बड़ी पचायत को 30,000 रुपये तक दिये गये हैं।

हमारे प्रधान मन्त्री की गतिशील आयोजना द्वारा, उनके सारे देश का भ्रमण करने के बाद, जहां उन्होंने कई लोगों से प्रशासकों, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ-साथ गांव के लोगों के साथ भी परामर्श किया, वह पंचायती राज पर एक बहुत अच्छा विधेयक लाये हैं।

मैंने कुछ समाचार पत्रों में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का वक्तव्य पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा कि वह एक सही पंचायती राज विधेयक बनायेंगे और कहा है कि 'वह उसे लेकर आयेंगे।" मुझे अभी तक उनके पंचायती राज विधेयक और पंचायती राज में सुधार करने के लिए उनके सुझावों का इन्तजार है।

2.00 म० प०

जब सरकार कोई भी अच्छा कदम उठाती है तो ऐसा ही होता है। जब सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की पिछली बच रही रिक्तियों को भरने का निर्णय लिया तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की पिछली बच रही रिक्तियों को भरने के लिए मोर्चा लाएंगे लेकिन हमने राजधानी या किसी राज्य में कोई मोर्चा नहीं देखा।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में औरतों के लिए 30% आरक्षण एक बहुत अच्छा कदम है। यह इसलिए नहीं कि वे कमजोर लिंग से सम्बद्ध है बल्कि प्राकृतिक रूप से महिलायें अधिक संकीर्ण रवैया रखती हैं और पुरुष फुजूल खर्च होते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखते हैं कि सेवारत लोगों को अपना वेतन प्रत्येक महीने की पहली तारीख को मिल जाता है। पहले सप्ताह में तो उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होती है, दूसरे सप्ताह में उसके पास कुछ रुपये रह जाते है तीसरे सप्ताह में उसकी हालत तंग होती है और चौथा सप्ताह तो कंगाली का सप्ताह होता है। वेतन मिलने के बाद वह पंच सितारा होटल में जाता है और वहां बैरे को पचास रुपये का नोट या बीस रुपये का नोट बख्शीश में दे देता है। जब वह दूसरे सप्ताह में होटल जाता है तो वह कुछ सिक्के ही बख्शीश में देता है। तीसरे सप्ताह में वह सड़क के किनारे के ढाबे में जाता है और कुछ पैसे ही बख्शीश में देता है। और चौथे सप्ताह में तो वह कंगाल हो जाता है। लेकिन यदि कोई अच्छी गृहणी उसकी जेब से उसके वेतन का प्रमुख भाग निकाल लेती है तो वह इसे महीने के आखीर तक बिलों के भुगतान के लिए रखी है। इस तरह का रवैया इन पंचायतों में उस वक्त अच्छा रहेगा जब हम उन्हें अधिक धन राशि देंगे। अतः मेरा सुझाव है कि प्रत्येक पचायत में यदि सरपंच पुरुष है तो उप-सरपंच महिला होनी चाहिए और यदि सरपंच महिला है तो उप-सरपंच पुरुष होना चाहिए..... (व्यवधान)

प्रो० संफुद्दीन सोज : संकीर्ण की जगह मितव्ययी कहिये।

श्री वजय एन० पाटिल : इस सुझाव के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, श्री सैयद शाहबुद्दीन की एक बात से मैं सहमत हूं कि गांवों में केन्द्र सरकार राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों के कई कर्मचारी होते हैं और सरपंच का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं होता है। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लें कि पचास या पच्चीस लाईनों वाले एक टेलीफोन एक्सचेंज का लाईन मैन अपना

कार्य ठीक ढग से नहीं कर रहा है और यदि परपंच उसे ठीक ढंग से काम करने के लिए कहता है तो वह कहेगा कि वह केन्द्र सरकार का कर्मचारी है और सरपंच उसे इस तरह आदेश नहीं दे सकता है। यही बात राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों के मामले में लागू होती है जो ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इन व्यक्तियों पर पंचायत द्वारा नियंत्रण की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, इस विधेयक में यह उपबन्ध कि चुनाव हर पांच वर्ष में होने चाहिए, स्वागत योग्य है। यद्यपि महाराष्ट्र में हम पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से करा रहे हैं लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। दूसरे, सरपंच को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकेगा जैसे कि पहले किया जाता था। यदि जिला परिषद का चेयरमैन या स्थायी समिति का चेयरमैन या उनका मित्र गांव विशेष के सरपंच को पसन्द नहीं करते हैं तो वह उसे साधारण से बहाने पर हटाने की कोशिश करते हैं। विधेयक के उपबन्धों की वजह से और राज्यपाल को दी गई शक्ति से इस तरह की बातें अब नहीं होंगी।

सभापति महोदय, समाचार पत्रों के कारण हम शहरों में अधिक विकास के बारे में सोचते हैं। ग्रामीण लोगों के लिए हम बातें अधिक करते हैं लेकिन करते कम हैं। इस विधेयक तथा जवाहर रोजगार योजना की वजह से—प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देना—हम ग्रामीण लोगों के लिए कुछ ठोस काम कर पायेंगे। इससे हम ग्रामीण प्रतिभा का शहरों में आना तथा झुग्गी झोपड़ियों में बढोतरी रोक सकेंगे। अन्यथा रोजगार के लिए हजारों बेरोजगार शहरों में आने की कोशिश कर रहे हैं। यह पंचायती राज विधेयक तथा जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन से रुक जायेगा।

अन्त में मैं कहूंगा कि हमें अपने ग्रामीण लोगों की बुद्धि पर संदेह नहीं करना चाहिए। वे भले ही शिक्षित नहीं हों लेकिन वे बुद्धिवान होते हैं वे अमीर नहीं हों लेकिन वे राजनैतिक रूप से परिपक्व हैं। उनके कपड़े मेले हो सकते हैं लेकिन वे समझदार होते हैं और उनमें कर्त्तव्य की भावना होती है। अपनी बुद्धिमता से वे पंचायतों को ठीक ढंग से चला सकते हैं। अपनी राजनैतिक परिपक्वता से वे सही आयोजना कर सकते हैं।

अपनी समझदारी से वे ठीक ढंग से पैसा खर्च कर सकते हैं। इस तरह हम उन्हें जो भी शक्तियां सौंपेंगे। वह एक स्वागत योग्य कदम होगा। मैं युवा प्रधान मन्त्री को इस क्रान्तिकारी विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं और—इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं।

2.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : इन दो विधेयकों पर बोलने से पहले मैं अनुच्छेद 370 से सम्बन्धित बात कहना चाहता हूं मेरे एक साथी ने कुछ विवाद पैदाकर दिया है। मैं नहीं समझता कि कोई विवाद है। जब संविधान (64वां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, उस समय माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा था—और मैं उस स्थिति से सहमत हूं—कि जब कभी यहां विधेयक

पारित किया जाता है तो यह स्वत: ही जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा। वहां सत्तारूढ़ सरकार से विचार-विमर्श किए बिना यह लागू नहीं होगा। अत: मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री चर्चा का जवाब देते समय यह बतायेंगे कि ऐसा कोई विवाद नहीं है और इस प्रावधान को राज्य सरकार की सिफारिश से वहां लागू किया जायेगा।

मैं यह महसूस करता हूं कि ये दोनों संशोधन यानि 64वां और 65वां संशोधन बहुत ही प्रगतिशील उपबन्ध है। परन्तु मेरा कथन केवल तभी युक्ति संगत होगा जब मैं इन विधेयकों में अपने संशोधन के अन्तिम भाग यानि राज्यपाल की स्थिति पर आऊंगा। अब मैं 64वें संशोधन विधेयक उद्देश्यों का अध्ययन करने के बाद यह महसूस करता हूं कि यह एक प्रगतिशील उपाय है। इसलिए मैं दोनों संशोधनों का स्वागत करता हूं।

यह बहुत ही सही कथन है कि कई राज्यों में पंचायतें बहुत कमजोर हो गई हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ राज्यों की सूची बनाई है जहां पचायतें व्यवहार्य नहीं हैं वहां पचायत कमजोर है। यह एक सही कथन है कि कई राज्यों में पंचायतों के नियमित चुनाव नहीं कराये गये और वहां कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। इसलिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही सराहनीय उपबन्ध है और पूरे देश में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मैं नहीं जानता कि जिले में तीन स्तरों पर पंचायतों में 30% महिलाओं को कैसे लिया जायेगा। मैं कल्पना करता हूं कि यदि वे पंचायत स्तर पर नहीं आ पाती हैं तो संसद में ये कैसे आ सकती हैं। परन्तु यह एक क्रांतिकारी उपाय है। मैं नहीं जानता कि क्या भारत सरकार ऐसा प्रयास करेगी जिससे महिलायें आगे आयें और सामाजिक परिवर्तन के इस महान प्रयास में भाग लें।

मैं इस प्रावधान का स्वागत करता हूं परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि यह बहुत महत्वाकांक्षी है। एक समय होना चाहिए जब सभी संस्थाओं में चाहे वह संसद हो, विधान सभा हो या पंचायत हो महिलाओं की संख्या 50% होगी। परन्तु अब यह एक सपना है। परन्तु 30% मुझे ऐसा लगता है, इसे क्रियान्वित किए जाने के बाद, क्या यह एक महान कार्य होगा। मैं भारत सरकार की सलामति चाहता हूं परन्तु इसे स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और पचायतों में 30% महिलाओं को लाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना चाहिए।

यह भी एक सही कथन है कि पंचायतों को सत्ता का हस्तान्तरण कभी नहीं किया गया है। यहां तक कि उन राज्यों में भी नहीं जहां पंचायत संस्थाओं के रूप में व्यवहार्य हैं, जैसे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गुजरात में है। परन्तु अब इस विधेयक में पंचायत स्तर पर शक्तियों का हस्तांरण करने की कोशिश की गई है और यह एक बहुत अच्छा प्रावधान है।

पंचायतों के पास वित्तीय संसाधन होंगे। मेरे दोस्त सैयद शाहबुद्दीन ने कहा है कि उनके पास वित्तीय व्यवहार्यता नहीं होगी। हम देखेंगे कि भारत सरकार इसे कैसे कार्यान्वित करेगी क्योंकि यह बहुत ही सराहनीय बात है कि पचों के पास योजना विकास की शक्ति होगी और अधिकारियों से, जिन्हें प्रधान मन्त्री ने सत्ता के दलाल कहा है, विचार-विमर्श किये बिना उस विकास कार्य पर पैसा खर्च करने का अधिकार होगा। अत: विधेयक सत्ता के दलालों को हटाना चाहता है। हमें केवल इस प्रावधान के सार्थक कार्यान्वयन का इन्तजार करना चाहिए।

विधेयक में कहा गया है कि यह तीन स्तरीय प्रणाली देश भर में एक आदर्श प्रणाली होगी पर उन राज्यों में जहां जनसंख्या 20 लाख होगी केवल दो स्तरीय प्रणाली होगी। उन राज्यों के लिए यह कोई रियायत नहीं है। यदि हम एक समान प्रणाली चाहते हैं तो कोई अपवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको पूरे देश में एक ही प्रणाली रखनी चाहिए। अत: कम जनसंख्या वाले राज्यों के सम्बन्ध में अपवाद का प्रावधान अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं समझता कि यह एक बहुत अच्छा प्रावधान है।

विधेयक में एक अन्य प्रावधान सीधे चुनाव का है। यह एक बहुत अच्छा प्रावधान है। इसकी अवधि पांच साल की होगी। यदि एक पंचायत को भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के अन्दर उन्हें पंचायत का पुनर्गठन करना होगा। यह भी एक बहुत अच्छा प्रावधान है।

राज्य विधान सभा से पंचायतों की शक्तियों का हस्तांतरण भी एक प्रजातान्त्रिक कदम है और इससे प्रजातन्त्र निचले स्तर तक जायेगा। इसलिये मैं इस प्रावधान का स्वागत करता हूं। महोदय, राज्य वित्त आयोग की स्थापना एक बहुत सराहनीय कदम है।

अब मैं भारत के चुनाव आयोग पर आता हूं। चुनाव कराने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग के पास होगा। सभा के बाहर पहले भी एक स्तर पर इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। मैंने आपत्ति की थी क्योंकि चुनाव आयोग के पास पहले ही बहुत अधिक कार्य है इसके पास पूरा कार्य है और यह और अधिक काम नहीं ले सकता। परन्तु भारत के चुनाव आयोग से हमारा क्या अभिप्राय है? राज्यों में इसके एजेंट हैं यानि मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। परन्तु इस विधेयक में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा दूसरे एजेंट यह कार्य करेंगे बेशक, मुख्य चुनाव अधिकारी एक आई० ए० एस० अधिकारी होता है। निरपवाद रूप से वह अखिल भारतीय सेवा से होता है। वह केन्द्रीय सेवाओं से होता है। अत: हम उन पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते और हमें केवल भारत का चुनाव आयोग ही क्यों कहना चाहिए? कुछ एजेंट नियुक्त क्यों नहीं कर दिये जाते जो इस कार्य की देखभाल कर सकें? इस विधेयक में इस बात की ओर संकेत नहीं किया गया है। अब, पचायतों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक करेगा। मैं यह महसूस करता हूं कि हमें राज्यों में महालेखाकारों की ईमानदारी पर सन्देह नहीं करना चाहिए। वे भी केन्द्रीय सेवाओं से आते हैं। पंचायतों की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी भारत के महालेखाकार क्यों नहीं लेते? हम शक्तियों का हस्तांतरण करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम भारत के चुनाव आयोग में शक्तियां केन्द्रित करना चाहते हैं। मैंने इसका उल्लेख मेरे द्वारा रखे गये संशोधन में किया है। हम यह क्यों नहीं कहते कि लेखा परीक्षा राज्यों के महालेखाकार करेंगे? हम यह क्यों कहें कि लेखा परीक्षा नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक करेंगे? 40वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन के बारे में जो बात सही है वही 64वें और 65वें संविधान संशोधन पर भी लागू होती है।

महोदय, नगरपालिकाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में अथवा चाहे राज्य विधान मण्डल इसे किसी भी नाम से पुकारें, इसकी कोई बात नहीं है परन्तु मैं राज्यपाल से सम्बन्धित प्रश्न करना चाहता हूं। मैं राज्यपाल की स्थिति पर चर्चा करना चाहता हूं। अब मैं इस विधेयक से सहमत नहीं

हूं और मैं माननीय प्रधान मन्त्री के पास जाना चाहता हूं और इस बात पर उनसे चर्चा करना चाहता हूं। यह एक रिवाज बन गया है कि हमें उन्हें 'हां' कहनी चाहिए जो 'हां' कहते हैं और 'हां' के पक्ष में निर्णय होगा। परन्तु कुछ संशोधन बहुत आवश्यक हैं। किसी को निहितार्थ अवश्य समझना चाहिए। अतः मैं उन मंत्रिगणों से निवेदन करता हूं जो यहां बैठे हैं कि वे मेरे सुझाव माननीय प्रधान मन्त्री तक अवश्य पहुंचायें। इस सम्बन्ध में मैं अपना संशोधन पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। विधेयक में जहां कहीं भी आपने 'राज्यपाल' शब्द का उल्लेख किया है उसके स्थान पर राज्य प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि राज्यपाल वह व्यक्ति नहीं है जो अधिकारों का प्रयोग करे। वास्तव में भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि मैंने राज्यपाल की भूमिका देखी है, राज्यपाल के रूप में उसकी नियुक्ति देखी है, उसकी कार्यकारी शक्तियां देखी हैं और यह बड़ी अद्भुत बात है कि राज्यपाल न तो राज्य विधान मण्डल के प्रति जवाबदेह होता है और न ही वह संसद के प्रति जवाबदेह है। वह बहुत ही अद्वितीय स्थिति में है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है भारत के प्रधानमन्त्री और लोक सभा अध्यक्ष पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है परन्तु राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता और हम उन्हें अधिकार दे रहे हैं और यहां इस सम्बन्ध में मैं अपने संविधान-निर्माताओं से सहमत नहीं हूं। हमारे सामाजिक अस्तित्व के लिए संविधान हमारे लिए "बाइबिल" है। मैं इस पुस्तक का सम्मान करता हूं। परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति और उसके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों के सम्बन्ध में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। इस समय इस विधेयक के अनुसार राज्यपाल ही वह प्राधिकारी होगा जो सबसे निचले स्तर पर पंचायतों को लोकतन्त्रामक बनायेगा और इस विधेयक के अनुसार राज्यपाल को असीमित अधिकार दिये गये हैं न कि राज्य-सरकार को। अतः मैंने एक संशोधन पेश किया है कि जहां कहीं भी "राज्यपाल" शब्द आता है, इसके स्थान पर "राज्य सरकार" रखा जाये। मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी का ध्यान सरकारिया आयोग की टिप्पणियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं राज्यपाल के प्रश्न पर सरकारिया आयोग के सम्बन्धित भाग को उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि सरकारिया आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया है। मैं उद्धृत करता हूं :—

> राज्यपाल की भूमिका पर इस आधार पर आक्षेप लगाया गया कि कुछ राज्यपाल निष्पक्षता और दूरदर्शिता जिसकी उनसे अपेक्षा की गई थी, के गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाए। उन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने आवश्यक विषय निष्ठता के साथ या तो अपने विवेक का उपयोग करके या संघ और राज्यों के बीच महत्वपूर्ण सम्पर्क के रूप में अपनी भूमिका निभाकर कार्य नहीं किया। बहुत से लोगों ने मुख्य रूप से उस तथ्य का पता लगाया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनके ही प्रसादपर्यन्त यह पद धारण करता है (वस्तुतः संघ की मंत्रिपरिषद)। कुछ राज्यपालों द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में और राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधेयक को आरक्षित रखने में निभाई गई भूमिका से जबरदस्त विद्वेष उत्पन्न हुआ।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस विधेयक के बारे में कह रहे हैं अथवा राज्यपाल की भूमिका के बारे में ?

प्रो० संकुहीन सोज : अतः सरकारियां आयोग की सिफारिशों के कारण ही हमें वे असीमित शक्तियां राज्यपालों को नही देनी चाहिए जो राज्य-विधान सभाओं और संसद के प्रति जवाबदेय नहीं हैं और जिन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है अतः मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी से पुरजोर आग्रह करता हूं कि इन दोनों विधेयकों में जहां कहीं भी "राज्यपाल" आता है इसके स्थान पर "राज सरकार" रखा जाए।

***डा० पी० वल्लल पेरुमन (चिदम्बरम)** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज और नगरपालिका विधेयकों का हार्दिक समर्थन करता हूं जो सबसे निचले स्तर पर प्रजातन्त्र का सूत्रपात करते हैं।

ये संविधान संशोधन विधेयक महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के सपनों को साकार करने के लिए हैं। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि इस राष्ट्र का जीवन गांवों में है। ये विधेयक राष्ट्र को नया जीवन देने के लिए लाये गये हैं।

जबकि हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी ने गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक सुविधाएं देने के लिए ही इन विधेयकों को प्रस्तुत किया है, वहां विपक्षी दलों ने लोकसभा से अपने इस्तीफे देकर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्त्तव्यों में मुंह मोड़ लिया है। उनके इस कर्त्तव्य-त्याग पर मुझे खेद है।

डा० अम्बेडकर, जो एक महान देश भक्त थे, ने संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। आज हमारे बीच हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी हैं जिन्होंने ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों नगरपालिकाओं और नगर निगमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या में उनके अनुपातानुसार निश्चित किया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा उनके केवल इसी लोकतांत्रिक कार्य को हमेशा याद किया जाता रहेगा। श्री राजीव गांधी ही देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मसीहा और एक मात्र नेता हैं। 17 अप्रैल 1986 को मैंने गैर-सरकारी विधेयक पुरः स्थापित किया था जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से आरक्षण करना था। वह अभी भी लम्बित है।

अभी तक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य बन सकता है। वह किसी राज्य का मुख्यमन्त्री भी हो सकता है। वह आई० ए० एस० अथवा आई० पी० एस० अधिकारी भी हो सकता है। परन्तु वह पंचायत अध्यक्ष नहीं हो सकता है। ये विधेयक इस प्रकार की असंगति समाप्त करने के लिए लाये गये हैं।

अस्पृश्यता, जो सबसे खराब सामाजिक अपराध है, अभी भी गांवों में प्रचलित है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उन निकायों में कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है जिनका गांव प्रशासन में प्रभाव है। अभी भी कुछेक गांव ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं ले सकते। अभी भी

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

कई गांवों में बन्धक मजदूर हैं। मैं आशा करता हूं कि इस विधान से उन पर हो रहे सामाजिक अत्याचारों और अपराधों को दूर किया जा सकेगा।

अभी तक यह चला आ रहा था कि हरिजन भीख मांगकर ही अपना गुजारा करते थे। इस विधान से वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकेंगे। हमें खुशी होती है जब हम गांवों में उस स्थिति की कल्पना करते हैं जब वहां हरिजन और जनजातियां ही स्वयं अपना शासन चलाएं और योजना बनाने के कार्यों में हिस्सा लेंगी तथा गांव के वित्तीय प्रशासन की जानकारी रखेंगी। अतः ये विधेयक अब तक उपेक्षित हरिजनों और दूसरी जातियों को सामाजिक शिक्षा देते हैं।

श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में इस सरकार ने हरिजनों के रहन-सहन में सुधार करने के लिए अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है। इन विधेयकों का उद्देश्य उनके सामाजिक स्तर को उठाना है।

कृपया मुझे कांग्रेस संगठन और इसके सक्रिय नेता श्री राजीव गांधी की कुछ उपलब्धियों का बखान करने दें।

श्री राजीव गांधी ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है।

श्री राजीव गांधी ने आदेश जारी किये हैं कि तीन महीनों के अन्दर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सारी बकाया रिक्तियां भरी जानी चाहिये। उन्होंने अनारक्षण की नीति को भी समाप्त कर दिया है।

उत्तर प्रदेश (लखनऊ) में 110 करोड़ रुपये की लागत से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

आज उन्होंने स्थानीय निकायों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया है।

वह ऐसा विधान भी लाये हैं जिससे हरिजनों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। माननीय मन्त्री श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने आज लोकसभा में यह विधेयक पुरः स्थापित किया है।

वह हरिजनों और आदिवासियों पर हुए अत्याचारों के मामलों के निपटान के लिए "विशेष न्यायालय" की स्थापना का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

आज केन्द्रीय कक्ष में उन्होंने डा० अम्बेडकर के चित्र का भी अनावरण किया है।

जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन से उन्होंने गांवों में हरिजनों और आदिवासियों का रोजगार दिया है।

ये इन कार्यों से और उनकी अनेक अन्य उपलब्धियों से माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी और कांग्रेस दल के उन सतत प्रयासों का प्रमाण मिलता है जो उन्होंने निर्धन और दलित, हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिए किए हैं।

मैं इस देश के सभी हरिजनों और आदिवासियों का आह्वान करता हूं कि वे जागें और श्री राजीव गांधी के दोष रहित नेतृत्व और कांग्रेस के हरिजनों और आदिवासियों के प्रति की गई सेवाओं के रिकार्ड को देखें जो कि दिन के प्रकाश के समान है। मुझे पूरा यकीन है कि देश के हरिजन और आदिवासी नमकहलाल हैं। वे राजीव गांधी के नेतृत्व में देंगे और आगामी कांग्रेस का साथ चुनावों में उन्हें और उनके दल को भारी बहुमत से विजय दिलायेंगे।

जबकि मैं इस विधान का पूरे हृदय से स्वागत करता हूं, मैं कुछ सुझाव और मांगें रखना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों के लिए पक्की इमारतें और स्टाफ दिए जाने के लिए गम्भीरता से प्रयत्न किए जाने चाहिए।

पंचायतों के सभी स्तरों पर सीधे चुनाव कराने के लिए प्रावधान होना चाहिए। यदि वर्तमान प्रावधान के अनुसार तुरन्त ही निचले स्तर पर पंचायत अध्यक्षों द्वारा माध्यमिक और जिला स्तरों पर पंचायतों के चुनाव कराए जाते हैं तब तो बहुत अधिक भ्रष्टाचार होने जा रहा है। धीरे-धीरे वे सामंतवादी और अल्पतन्त्रवादी लोगों के हाथों में चली जायेंगी। ऊंचे आदर्शों की प्राप्ति नहीं हो पायेगी। जातीय-दंगे, साम्प्रदायिक दंगे और दूसरी कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। ये सब बातें भी हरिजनों और दलित वर्गों को अपना उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेंगी।

वित्तीय समस्या भी है। कुछेक राजस्व वाले क्षेत्रों में, और अधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। कुछ दूसरे क्षेत्रों में राजस्व-प्राप्ति कम है। संसाधनों के इस असंतुलन को तभी ठीक किया जा सकता है जबकि राज्यों के वित्त आयोग इस बात को ध्यान में रखें और वितरण की प्रतिशतता निर्धारित करें। इसके अलावा, राजस्व क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः निर्धारण करने की भी आवश्यकता है।

कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, उदाहरणार्थ 154 गांवों वाले मेरे निर्वाचन क्षेत्र का कल्वरायन पहाड़ी क्षेत्र, जहां कोई पंचायत नहीं है। अतः इस विधेयक के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में पचायतें बनायी जानी चाहिए।

विपक्षी दलों ने अपने निर्वाचनों को निराश किया है, जबकि इस सभा में अधिक लोकतंत्रीकरण पर चर्चा हो रही थी। हरिजनों और आदिवासियों के सबसे बड़े शत्रु वे ही लोग हैं और इस देश की जनता उनके इस विश्वासघात को नहीं भूलेगी। वे चुनाव हार जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० पी० सिंह देव। कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, मैं संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा। मैं दोनों अर्थात् 64वें और 65वें संवैधानिक संशोधनों का समर्थन करता हूं जिनमें भारत की जनता को वे शक्तियां वापस दिलाने का प्रस्ताव किया गया है जो वास्तव में उन्हीं की है। मैं जो कह रहा हूं कि यह भारत की जनता को वापस दिया गया है क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत के मानस, संस्कृति और परम्परा में पंचायत के संस्थान थे जो विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा व्यापारीकरण की विचार

धारणा लाने से बुरी तरह समाप्त हो गई। व्यापारी, सैनिक और धर्म प्रचारकों ने उन उत्पादन केन्द्रों और स्वायत शास्त्री पंचायतों को तोड़ दिया जो पहले भारत के प्रत्येक ग्राम में थे। राजस्व इक्ट्ठा करने वाले आए जिन्हें केवल वाणिजिक पहलू और राजकोष में दिलचस्पी थी, और आज स्वतन्त्रता के 42 वर्ष पश्चात् हमारे गतिशील युवा प्रधान मन्त्री भारत की जनता को वही लौटा रहे हैं जो उनके पाए बहुत पहले था।

महोदय, गांधी जी ने स्थानीय स्वशासन का विचार किया था और स्वप्न देखा। पण्डित नेहरू ने हमें पंचायती राज संस्थान दिया और इससे हमें मिले राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, विकास खण्ड और पंचायत समिति खण्ड, जो दुर्भाग्यवश आज दूसरे चरण में हैं और प्राय: मृत हैं। उनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं और वे या तो राज्यों अथवा केन्द्र की खैरात पर निर्भर हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने समाज को कमजोर वर्गों के उत्थान के कार्यक्रमों में जनता की साझेदारी का विचार किया। ये दो संवैधानिक संशोधन विधेयक—पंचायतों के लिए 64वां संशोधन और नगरपालिकाओं और नगरीय क्षेत्रों के लिए 65वां संशोधन अपने उद्देश्य और कारणों में अत्यन्त स्पष्ट है।

महोदय, मैं अधिक विस्तार पूर्वक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आपने पहले ही मुझे समय की कमी के बारे में कहा है। पंचायती राज संस्थानों के सम्बन्ध में विधेयक में राज्यों के लिए त्रिपक्षीय प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी स्तरों पर सीधे चुनाव के द्वारा स्थानों को भरना अनिवार्य है क्योंकि लोकतन्त्र के लिए चुनाव आवश्यक है। हमारे प्रधान मन्त्री ने शहरी निकायों और पंचायतों के लिए इस व्यवस्था का प्रस्ताव किया है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को संसद और राज्य विधान मण्डलों का दर्जा दिया जाए। इन्हें संविधान और संवैधानिक सुरक्षा की पवित्रता देने के लिए और न्यायालयों के क्षेत्र से चुनाव और पंचायत के अन्दर किसी विवाद को निपटाने के लिए लाया जा रहा है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए एक निर्धारित कार्यविधि निश्चित करना अच्छा है। राज्य विधान मण्डलों द्वारा शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण की व्यवस्था करना उचित ही है। आज हम जनता के प्रतिनिधियों के तौर पर जानते हैं कि किसी दल का, किसी राज्य का ध्यान किए बिना किस प्रकार नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र सम्मितियां, अधिसूचित क्षेत्र परिषद् और पंचायतों राजनीतिक स्वार्थ के लिए बलि दे दी जाती है। अत: इन दोनों संवैधानिक संशोधन विधेयकों में सत्ता के दलालों के हाथों हानि को मिटाने का प्रस्ताव करते हैं जिसके बारे में हमारे प्रधान मन्त्री ने न केवल इस मंच पर परन्तु उनको उपलब्ध सभी मंचों पर यह कहा है, चाहे ये राष्ट्रीय विचार गोष्ठियां हों, सभी राज्यों में होने वाले राष्ट्रीय वाद-विवाद है, विभिन्न क्षेत्रों में, इस सदन में जो हमारे लोकतन्त्र का उच्चतम विधान मण्डल इन दो विधेयकों में सुदृढ़ वित्तीय स्थिति की व्यवस्था के लिए सहायक अनुदान के लिए राज्य विधान मण्डलों से स्वीकृति राज्य वित्त आयोगों का गठन; चुनावों का निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश तथा नियन्त्रण, भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखा परीक्षा और कुछ ऐसे राज्यों को छूट देना जिनकी अलग पद्धति है। का प्रस्ताव किया गया है।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इस विधेयक में योजना के लिए निम्न स्तर से ही कार्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। महोदय, पिछले दो दशकों से बहुत से माननीय सदस्यों ने बार-

बार हमारी योजना प्रणाली के सम्बन्ध में प्रश्न उठाए हैं अथवा शंका प्रकट की हैं क्योंकि क्षेत्रीय विशेषताओ, क्षेत्रीय संसाधनों—मानवीय और भौतिक ससाधनों और विशेष स्थितियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। और नई कृषि नीति में नई प्रौद्योगिकी और हमारे देश के नए प्रौद्योगिकी और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों के सम्बन्ध में विचार किया गया है जो 35 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अतः इतने वर्षों बाद हमने देखा है कि योजना से राज्यों के बीच विषमता और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा ही है। इन दो संविधान (संशोधन) विधेयकों में इस त्रुटि को दूर करने का प्रस्ताव किया गया है और पहली बार हम निम्न स्तर से, ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर से योजना बना रहे हैं, जो प्राथमिकताएं, समस्याएं बताएंगे जो फिर राज्यों और राष्ट्रीय आर्थिक विकास योजनाओं में दूर होंगी। इसके लिए मैं अपने प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं जिन्होंने चार वर्ष की थोड़ी-सी अवधि में इस देश के प्रत्येक कोने, प्रत्येक आदिवासी झुण्ड और प्रत्येक पिछड़े क्षेत्र का दौरा करके उनकी समस्याओं का पता लगाने का प्रयास करके न केवल अपने नाना और माता का अनुकरण किया है। उन्होंने हमें राष्ट्रीय वाद-विवाद के पश्चात् एक व्यापक कानून दिया है जिसका हमें समर्थन करना चाहिए क्योंकि हम अपनी जनता की ओर से इसी की मांग करते रहे हैं। यह देखते हुए हमें दुःख हो रहा है कि हमारे कुछ साथी इस समय सदस्य नहीं हैं जो जनता को वह शक्ति दिलाने के इन क्रांतिकारी उपायों में साझीदार होते जो वास्तव में उन्हीं की है अर्थात अपने लिए निर्णय लेना, अपने लिए योजना बनाना, अपने व्यवसाय की देखभाल करने की शक्ति, अपना सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और स्वतन्त्रता के समय जिन अन्य बातों के लिए हम लड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इन दोनों आईनी तरमीमों पर मुझे अपने ख्यालात इजहार करने का मौका दिया।

जनाबे वाला, डायरेटिव प्रिंसिपल्स का क्लाज 40 इस बात को लाजमी करार देता है कि स्टेट्स को, पंचायतों को इतनी ताकत देनी चाहिये कि वे हमारी हुकूमत की बुनियादी कड़ी बनें, सैल्फ गवर्नमैंट बनें एट दी लोएस्ट लैवल। आज 39 बरस के बाद राजीव गांधी ने इस जरूरत को महसूस किया और इसको पूरा किया इसके लिए मैं राजीव जी को दिली-मुबारक बाद देता हूं।

जब यह सिलसिला शुरू हो गया था, उस वक्त हमारे अपोजिशन के लोगों ने कहा कि यह फ्राड आन दी कांस्टीट्यूशन है, यह सबवर्शन है हमार फैडलिज्म का। उन्होंने कहा कि इससे हम स्टेट्स के अख्तियारात में मदाखिलत करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस किस्म के जितने भी खदशात इजहार कर रहे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने खुद अच्छी तरह से इन आईनी तरामीम को पढ़ा नहीं है। इसकी तफसील को स्टडी नहीं किया है या समझ कर भी आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। एक साहब ने कहा कि राजीव गांधी कोलम्बस बन रहे हैं। यह कोई नई दरियाफ्त नहीं थी, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, 1977 में जब वे सत्ता में थे और जयप्रकाश नारायण उनके लीडर थे, उस वक्त वे इस काम को करते और कोलम्बस बनते फिर भी उनका एक बहुत बड़ा अहसान होता। पहले जो पंचायती राज का ढांचा था, उसमें कोई जान नहीं थी। आज पहली बार यह महसूस किया गया कई सालों से, खासतौर जब से राजीव गांधी जी सत्ता में आए,

उन्होंने मुल्क की नब्ज को पहचाना, जो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद है, उसको सियासी ताकत के सिलसिले में नजर अन्दाज किया गया है उन्हें अपनी आबादी को नैगलैक्ट, इग्नोर्ड और डिप्राइव किया जा महरूमियत का अन्दाजा है. उनकी बहबूदी के लिए पावर को डिसैन्ट्रलाइज किया जाए, शहरों में और गांवों में। उनके लिए बहुत बड़ा एक तारीखी कदम उठाया जा रहा है। क्या हम यह नहीं जानते कि कई सालों से पंचायतों के इलैक्शन नहीं हुए, क्या हम यह नहीं जानते कि नई सालों से नगर-पालिकाओं के इलैक्शन नहीं हुए और इसमें नौकरशाही में मुदाखलत होती थी। चाहे किसी स्टेट में हमारी सरकार हो या मुख्तलिफ सरकारें हों, इन संस्थाओं को अच्छी तरह से चलने का मौका नहीं दिया जाता था। इसलिए महसूस किया गया कि संविधान में एक अलग चैप्टर कायम रखा जाए, ताकि हम इस हक की हिफाजत करें आने वाली नस्लों के लिए एक राता बनें। एक साहब ने फरमाया कि साहब राजीव गांधी एक पोलिटिशियन हैं, स्टेटस्मैन लाइक नहीं है। मुझे अफसोस है, यह कहते हुए कि हमारे आईने पर जमहूरियत की बुनियाद है उसमें हम तरमीम ला रहे हैं, उसका तरमीम कर रहे हैं और एक नया रास्ता मुतैय्यन कर रहे हैं पंचायती राज के लिए और नगर पालिकाओं के लिए एक रास्ता नया दे रहे हैं. आज से चालीस सालों के बाद जब जम्हूरियत की बुनियाद मजबूत हो जाएगी, हमारी डैमोक्रेसी के आज के इस शानदार कदम को याद किया जाएगा जो इन्कलाबी कदम उठाया गया, यह कदम राजीव गांधी जी के वक्त में उठाया गया था। मादरे हिन्दुस्तान के एक सच्चे सपूत राजीव गांधी ने लोगों की नब्ज को अच्छी तरह से पहचाना और उसके मुताबिक जो तारीख के तकाजे को पूरा किया गया है। अभी एक साहब ने कहा कि यह मदाखलत है स्टेट्स की, क्योंकि ये उसके अख्तियारात हैं। यह भी इस वजह से है कि शायद उन्होंने इसको पढ़ा भी है या हम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह कहा जा रहा है। मेरी गुजारिश है उनसे कि वे बुनियादी तरमीम बिल को देखें, जो कि आपके सामने है। उसको आप आर्टिकल 243 में देखें—

[अनुवाद]

अनुच्छेद 243 (ख) में लिखा है।"

"इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना के लिए उपबन्ध कर सकेगा।"

[हिन्दी]

इस पर अमल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो करेगी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक ब्राड फ्रेम वर्क दिया है कि इसकी यह आईनी शक्ल होगी। इसको किस तरह से अमल में लाया जाएगा यह भार स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया गया है। आप देखें कि आर्टिकल 243 में क्या बातें दी गयी हैं—

[अनुवाद]

अनुच्छेद 243 (ङ) में कहा गया है :

"राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा पंचायत को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायत को, उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं।"

अनुच्छेद 243 (च) में भी ऐसा ही कहा गया है।

अनुच्छेद 243 (ञ) में उपबन्ध है "कि किसी राज्य का विधान-मंडल, समय-समय पर विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से सम्बन्धित या संसक्त सभी विषयों की बाबत उपबन्ध कर सकेगा।"

इन उपबन्धों में केन्द्र द्वारा किसी दुर्व्यवहार का संकेत नहीं मिलता है, अपितु, राज्य के स्वायत शासन के प्रति शालीन और विवेकशील सम्मान व्यक्त किया गया है।

[हिन्दी]

ये बातें कही जाती हैं कि हम आज यह कदम क्यों उठा रहे हैं। यह उनकी बदकिस्मती है यह कदम राजीव गांधी जी की तरफ से उठाया जा रहा है। उनकी दूसरी बदकिस्मती यह है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। इसलिए बदहवास होकर कभी वे इसकी हिमायत करते हैं कभी हिमायत नहीं करते। उनका कोई भी स्टैंड वाजेह नहीं है। वे कहते हैं कि जब वे पावर में आयेंगे तो इसको तब्दील करेंगे। ये जो तमाम तरमीम राजीव गांधी लाये हैं इनको खत्म करेंगे।

मैं उनको मशिवरा देता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कदम है। यह हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं कि इसके लिए हमें हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जायेगा।

मुझे अफसोस है कि उधर की बैंचें खाली हैं। ये लोग देखते हैं कि रोशनी फैलने वाली है उससे घबराकर भाग गये हैं। वे रोशनी को देख नहीं सकते इसलिए भाग खड़े हुए हैं। उनको सोचना चाहिए कि आज लोग क्या कह रहे हैं।

मैं उनको कहना चाहता हूं कि यह जो लोगों तक जम्हूरियत पहुंचाने की बात है, लोकराज में लोगों को पावर देने की बात है इसमें हमारा साथ न देने के लिए इन्हें पछताना पड़ेगा। अब गांव-गांव तक यह चीज जाएगी और वहां लोगों को आप अपने फैसले करने होंगे। आज ये लोग लोगों की नब्ज पर हाथ रखकर उन लोगों के दिलों की धड़कनों को महसूस नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं।

जनाब محمد ایوب خاں (اودھم پور) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب! میں آپ کا شکرگذار ہوں کہ آپ نے ان دونوں آئینی ترمیموں پر مجھے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا۔

جنابِ والا ڈائریکٹوز کا پرنسپلس کلاز ۴۰ اس بات کو لازمی قرار دیتا ہے کہ اسٹیٹس کو پنچایتوں کو اتنی طاقت دینی چاہیئے کہ وہ ہماری حکومت کی بنیادی کڑی بنیں۔ سیلف گورنمنٹ بنیں" ایٹ دی لوایسٹ لیول" آج ۳۹ برس کے بعد راجیو گاندھی نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اس کو پورا کیا۔ اس کے لئے میں راجیو جی کو دلی مبارک باد دیتا ہوں۔

جب یہ سلسلہ شروع ہوگیا تھا اس وقت ہمارے اپوزیشن کے لوگوں نے کہا کہ یہ" فراڈ آن دی کانسٹی چیوشن ہے" یہ سبورزن ہے ہمارے فیڈرلزم کا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہم اسٹیٹس کے اختیارات میں مداخلت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے خود اچھی طرح سے ان آئینی ترامیم کو پڑھا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کو اسٹڈی نہیں کیا ہے۔ یا سمجھ کر بھی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ راجیو گاندھی کولمبس بن رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی دریافت نہیں تھی۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ۱۹۷۷ء میں جب وہ اقتدار میں تھے اور جے پرکاش نارائن ان کے لیڈر تھے اس وقت وہ اس کام کو کرتے اور کولمبس بنتے پھر بھی ان کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا پہلے جو پنچائتی راج کا ڈھانچہ تھا اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ آج پہلی بار یہ محسوس کیا گیا۔ کئی سالوں سے خصوصاً جب سے راجیو گاندھی جی اقتدار میں آئے۔ انہوں نے ملک کی نبض کو پہچانا جو ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اس کو سیاسی طاقت کے سلسلے میں نظر انداز کیا گیا ہے اور انہیں اپنی محرومیت کا اندازہ ہے۔ آبادی کو نیگلیکٹ اگنور ڈ اور ڈپرائیو کیا۔ ان کی بہبودی کے لئے پاور کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے شہروں میں اور گاؤں میں۔ ان کے لئے بہت بڑا ایک تاریخی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے

کہ کئی سالوں سے نگر پالیکاؤں کے الیکشن نہیں ہوئے اور اس میں نوکر شاہی میں مداخلت ہوتی تھی۔ چاہے کسی اسٹیٹ میں ہماری سرکار ہو یا مختلف سرکاریں ہوں ان اداروں کو اچھی طرح سے چلنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا اس لئے محسوس کیا گیا کہ آئین میں ایک الگ چیپٹر قائم رکھا جائے تاکہ ہم اس حق کی حفاظت کریں۔ آنے والی نسلوں کے لئے ایک راستہ بنے۔

ایک صاحب نے فرمایا کہ صاحب راجیو گاندھی ایک پالیٹیشین ہیں اسٹیٹسمین لائق نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے آئین پر جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اس میں ہم ترمیم لا رہے ہیں۔ اس کی ترمیم کر رہے ہیں اور ایک نیا راستہ متعین کر رہے ہیں پنچائتی راج کے لئے اور نگر پالیکاؤں کے لئے ایک ساتھ نیا رے رہے ہیں۔ آج سے چالیس سالوں کے بعد جب جمہوریت کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی ہماری ڈیموکریسی کے آج کے اس شاندار قدم کو یاد کیا جائے گا جو انقلابی قدم اٹھایا گیا یہ قدم راجیو گاندھی جی کے وقت میں اٹھایا گیا تھا۔

مادرِ ہندوستان کے ایک سچے سپوت راجیو گاندھی نے لوگوں کی نبض کو اچھی طرح سے پہچانا اور اس کے مطابق جو تاریخ کے تقاضے کو پورا کیا گیا ہے۔

ابھی ایک صاحب نے کہا کہ یہ مداخلت ہے اسٹیٹس کی کیوں کہ یہ اس کے اختیارات ہیں۔ یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ شاید انھوں نے اس کو پڑھا بھی ہے یا ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لئے یہ کہا جا رہا ہے۔ میری گذارش ہے ان سے کہ وہ بنیادی ترمیم بل کو دیکھیں جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو آپ آرٹیکل ۲۴۳ میں دیکھیں۔

Article 243(B) says. "Subject to the provision of this Part, the Legislature of the State may by law make provision with respect to the composition of the Panchayats"

اس پر عمل سینٹرل گورنمنٹ خود تو کر سکتی نہیں۔ سینٹرل گورنمنٹ نے تو ایک براڈ فریم ورک دیا ہے کہ اس کی یہ آئینی شکل ہوگی۔ اس کو کس طرح سے عمل میں لایا جائے گا یہ بہار اسٹیٹ گورنمنٹ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آرٹیکل ۲۴۳ میں کیا باتیں کہی گئی ہیں۔

Article 243(E) says, "it empowers and enables the Legislature of a State to endow the Panchayats with such power and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of Self-Government and such law may contain provisions for the devolution of power and responsibilities upon Panchayats at proper level, Subject to su h conditions as may be specified therein." Article 241 (F) again speaks in the same tenor. Article 243 (J) provides "that the Legislature of a State may, from time to time, by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections to the Panchayats "These provisions do not evidence any riding roughshod by the Centre instead they show a decent and discreet defenence to State autonomy."

یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ ہم آج یہ قدم کیوں اٹھا رہے ہیں۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے یہ قدم راجیو گاندھی جی کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کی دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشن نزدیک آ رہے ہیں۔ اس لئے بدحواس ہو کر کبھی وہ اس کی حمایت کرتے ہیں کبھی حمایت نہیں کرتے۔ ان کا کوئی بھی اسٹینڈ واضح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو اس کو تبدیل کریں گے۔ یہ جو تمام ترمیم راجیو گاندھی جی لائے ہیں ان کو ختم کریں گے۔ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیشنل ورک ہے۔ یہ ہم ایک ایسا قانون بنانے جا رہے ہیں ایک ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں کہ اس کے لئے ہم کو ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کہ ہم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔

مجھے افسوس ہے کہ ادھر کی بینچیں خالی ہیں۔ یہ لوگ اس سے جو ملک میں روشنی پھیلنے والی ہے اس سے گھبرا کر بھاگ گئے ہیں۔ وہ روشنی کو دیکھ نہیں سکتے اس لئے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیئے کہ آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔

میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں تک جمہوریت پہنچانے کی بات ہے لوک راج میں لوگوں کو پاور دینے کی بات ہے۔ اس میں ہمارا ساتھ نہ دینے کے لئے انہیں پچھتانا پڑے گا۔ اب گاؤں گاؤں تک یہ چیز جائے گی اور وہاں لوگوں کو آپ اپنے فیصلے کرنے ہوں گے۔ آج یہ لوگ لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ان لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں رہے ہیں۔

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, मैं श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। ये दोनों ऐतिहासिक हैं जिनके द्वारा निचले स्तर की जनता को सत्ता दी जा रही है। इन विधेयकों से गांधी जी के स्वराज का सपना साकार होगा। इन विधेयकों के माध्यम से श्री राजीव गांधी ने गांधी जी के स्वप्न को साकार किया है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस शुभ अवसर पर विपक्ष संसद से भाग गया। जनता ने हमें देश के शासन के लिये बहुमत दिया है। इसी प्रकार उसने विपक्ष को संसद में बैठकर अपनी सहमति व्यक्त करने तथा अपने सुझाव देने के लिये अल्पमत में भेजा है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष अपने कर्तव्य से भाग गया है। यह विपक्ष की तरफ से अत्यन्त गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। उन्होंने इन कार्यों से लोकतांत्रिक संस्था का अपमान किया है और उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है जिन्होंने उन्हें चुना था।

संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है :

"राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों :"

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 12 में कहा गया है।

" 'राज्य' के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मण्डल.....।"

इसका क्या अभिप्राय है ! इन दोनों अनुच्छेदों का तात्पर्य यह है कि केन्द्र और राज्यों की पंचायतों में स्वायत्तशासी सरकार बनाने की समान जिम्मेदारी है। श्री राजीव गांधी इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा केन्द्र की यह संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

यदि हम अपनी पंचायतों की वर्तमान स्थिति की तरफ ध्यान दें तो यह संतोषजनक नहीं है। इन संस्थाओं में बहुत खामियां, दोष और कमियां हैं। वे स्वायत्तशासी सरकार के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं उनके पास वित्तीय अधिकार या अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये मशीनरी नहीं है। इन संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का केन्द्र समझा जाता था, राज्य सरकारों ने कस्बों की पूरी तरह उपेक्षा कर दी है और उनके स्थान पर सत्ता के दलाल पैदा हो गये हैं। इसलिये जनता की स्थिति सुधारने के लिये पंचायतों की इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। श्री बलवन्त राय मेहता समिति ने पंचायतों की वर्तमान स्थिति के इन सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है।

हम विगत सात पंचवर्षीय योजनाओं से ग्रामीण विकास के लिये बहुत-सी धनराशि खर्च करते रहे हैं परन्तु इसके लिये एक रुपये में से केवल 50 पैसे खर्च किये गये हैं। शेष धनराशि या तो प्रशासन पर खर्च की जाती है या बिचौलियों और सत्ता के दलालों द्वारा हड़प कर ली जाती है। ऐसी स्थिति में हम अपनी जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाये हैं। शहरों और गांवों के

बीच व्यापक अन्तर है। इस विधेयक से यह सुनिश्चित होता है कि जनता पंचायतों के विकास संबंधी कार्यों की स्वयं देख-रेख करेगी और इन कार्यों पर खर्च की गयी प्रत्येक पाई का अधिकतम लाभ उठायेगी।

हमारे प्रधानमन्त्री ने अपना पद ग्रहण करने के तुरन्त बाद इस समस्या की गम्भीरता का अनुभव किया। उन्होंने सम्पूर्ण देश का दौरा किया। उन्होंने हरिजन तथा आदिवासी बस्तियों और जनजाति क्षेत्रों का दौरा किया और इन क्षेत्रों के लोगों से प्रत्यक्ष रूप में परस्पर बातचीत की। इस बातचीत के कारण उन्होंने हमारे समाज को प्रभावित करने वाले रोग का सही निदान किया। इसलिये वह इस समस्या के लिए यह सर्वोत्तम औषध-सर्वोत्तम समाधान-निर्धारित कर रहे हैं। यह समाधान क्या है? इसमें सत्ता जनता को दी जा रही है और इन निकायों से सत्ता के दलालों और बिचौलियों को हटाया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को हमारे गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों का अल्पज्ञान भी है तो मुझे विश्वास है कि वह इन विधेयकों पर आपत्ति नहीं करेगा।

मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि विपक्ष इन विधेयकों पर आपत्ति कर रहा है। मैं नहीं जानता कि वे जनता का सामना किस प्रकार करेंगे। विपक्षी लोग इन विधेयकों का विरोध करना चाहते हैं इसलिये वे अनेक बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि ये विधेयक जल्दबाजी में प्रस्तुत किये गये हैं। उनका कहना है कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है बल्कि राजनैतिक इच्छा की आवश्यकता है। वे यह भी कहते है कि राज्यों के अधिकारों को कम किया जा रहा है। वे ये सब बातें कैसे कह सकते है? वे यह भी प्रचार करते हैं कि यह एक राजनैतिक चाल है। वे यह सब कैसे कह सकते हैं? इनमें से कोई एक बात भी समर्थन योग्य नहीं है।

देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इन विधेयकों को जल्दबाजी में प्रस्तुत नहीं किया गया है जैसा कि विपक्ष कह रहा है। यह प्रक्रिया 1986 के बाद, जब प्रधान मन्त्री ने जनजातिय क्षेत्रों और देश के दूरस्थ इलाकों का दौरा शुरू किया था, शुरू हुई थी। यह प्रक्रिया करीब तीन वर्ष पहले शुरू हुई थी। तदोपरान्त व्यापक रूप से मशविरा किया गया। सेमिनार और बैठकें हुई। केवल कांग्रेस दल में ही विचार-विमर्श नहीं किया गया बल्कि सरकारी स्तर पर भी हुआ था। जिला परिषदों के अध्यक्षों नगर निगमों के सभापतियों आदि से सलाह ली गयी थी। तत्पश्चात मुख्यमंत्रियों के स्तर पर विचार-विमर्श हुए। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात ये विधेयक बनाये गये और पुरःस्थापित किये गये। इस लिये विपक्ष का यह आरोप पुष्टि योग्य नहीं है कि इस विधेयकों को जल्दबाजी में प्रस्तुत किया गया है।

वे कहते हैं कि यह एक राजनैतिक चाल है वे ऐसा क्यों कहते हैं? वे जानते हैं कि जनता इसका समर्थन करेगी। इसलिये वे जनता का सामना करने से डर रहे हैं। जनता इन संशोधनों का निश्चित रूप से समर्थन करेगी क्योंकि वह वास्तविक स्थिति को जानती है। विपक्ष का यह कहने का क्या अभिप्राय है कि ऐसे अच्छे उपाय संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने चाहिए? चुनाव वर्ष में भी चुनी हुई सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे कानूनों को पारित करे और ऐसे उपाय चालू करे जो जनता के लिये अच्छे हैं। एक चुनी हुई सरकार जनता की सहायता के लिये अच्छे उपाय करे बिना नहीं रह सकती। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है परंतु हम जनता के प्रति वचनबद्ध

हैं। इसलिये हम ये उपबन्ध करेंगे। हम इस सामान्य आलोचना से हतोत्साहित नहीं हो सकते कि इन कानूनों को कार्यान्वित करने पर यह आरोप लगाया जायेगा कि ऐसा वोट लेने के लिये किया गया है। इसका निर्णय जनता करेगी कि यह राजनैतिक चाल है या नहीं। इसका निर्णय कुछ ही महीनों में हो जायेगा। वे इस देश में इन विधेयकों के पक्ष में निर्णय करेंगे। जनता श्री राजीव गांधी और उनके दल को, इस संसद में बहुमत के लिये, वोट देगी।

विपक्ष राजनैतिक इच्छा का प्रश्न किस प्रकार उठा सकता है ? संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करने हेतु नेतृत्व के लिये अधिकतम राजनैतिक इच्छा की आवश्यकता होती है। हमारी राजनैतिक इच्छा है। इसलिये हमने ये संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये हैं। विपक्ष की राजनैतिक इच्छा नहीं है इसलिये वे इनका विरोध कर रहे हैं। तर्क के लिये यदि उनकी राजनैतिक इच्छा भी है तो वे उचित प्राधिकार के बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं ? यदि राज्यों की पंचायतीराज को कार्यान्वित करने की राजनैतिक इच्छा होगी तो ये विधेयक उन्हें पंचायती राज को लागू करने के लिये प्राधिकार और कानूनी स्वीकृति देंगे।

3.00 म०प०

इसलिए यह कांग्रेस पार्टी और श्री राजीव गांधी की राजनीतिक इच्छा है जिस कारण ये दो विधेयक लाये गए हैं। वे राज्य की शक्तियों को कम करने के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। राज्य की शक्तियां कहां कम की गई हैं ? चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव किये गये हैं। अतः राज्य की शक्तियां कैसे कम हो सकती हैं ? उसी चुनाव आयोग के तत्त्वाधान में कराए गए चुनावों के परिणाम स्वरूप राज्य सरकारें चुनी गई हैं।

फिर, यदि पंचायतें भंग हो जाती हैं तो छः महीने बाद चुनाव कराने पड़ेंगे। यह सच है कि राज्य सरकार अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार पंचायतों के चुनाव स्थगित नहीं करा सकती। उन्हें छः महीनों के अन्दर चुनाव कराने पड़ेंगे। विपक्ष इन उपायों को पसन्द नहीं करे लेकिन भारत के लोगों ने उन उपायों का स्वागत किया है। यह भी जानना जरूरी है कि विपक्ष पहले नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पंचायत के लेखों की लेखा परीक्षा किये जाने की आलोचना कर रहा था। उस समय वे कह रहे थे कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार के हाथों की कठपुतली है। अब वे इस सम्बन्ध में अपनी बात बदल रहे हैं।

एक समय, विपक्ष पंचायती राज संस्थाओं का स्वागत कर रहा था। अशोक मेहता समिति, जिसे 1978 में नियुक्त किया गया था, ने इसकी सिफारिश की थी और आज के बहुत से जनता दल नेताओं ने इसका समर्थन भी किया था। केवल जनता दल के नेताओं ने इसका समर्थन नहीं किया बल्कि अनुभवी मार्क्सवादी नेता, श्री नम्बूदरिपाद ने भी पंचायती राज संस्थाओं और इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन का भी समर्थन किया था। आज वे अपने सिद्धांत बदल रहे हैं और वे अपना निश्चय बदल रहे हैं। केवल विपक्ष ही ऐसा है जो आज किए गए निश्चय को कल बदल देता है। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। कांग्रेस की सुसंगत नीतियां हैं और हम गांधी जी, पण्डित नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा निर्धारित नीतियों के प्रति दृढ़ संकल्प है। हम उनके द्वारा दर्शाये गये मार्ग का अनुसरण करते हैं इसके विपरीत विपक्ष जब-तब अपनी नीतियां बदलता रहता है।

मैंने विपक्ष द्वारा की गई बहुत चर्चाओं और उनके द्वारा लगाये गये आरोपों को सुना कि सारी शक्ति केन्द्र के पास है। वे इस सदन में तर्क दे रहे थे कि शक्ति का और अधिक विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए और यहां जो विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं यह शक्तियों का वास्तविक विकेन्द्रीकरण करते हैं और लोगों को वास्तविक शक्ति देते हैं। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसका क्या अर्थ है? विकेन्द्रीकरण से अभिप्राय यह है कि उन्हें अधिक शक्ति दी जानी चाहिए और शक्ति उन राज्य मुख्यालयों को दी जानी चाहिए जहां वे शासन में हैं। वे उन राज्य मुख्यालयों में, जहां विपक्ष की सरकार सत्ता में है अपने पास अधिकार रखना चाहते हैं जिनका इस्तेमाल वे सत्ता के दलालों और बिचौलियों के माध्यम से करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि लोग इस पर पुनः विचार करेंगे और उन्हें उचित उत्तर देंगे।

वे इन विधेयकों में किस बात का विरोध कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा खण्ड है जिसका वे विरोध कर सकते हैं? क्या वे पाँच वर्षों पश्चात चुनाव कराने का या हरिजनों, आदिवासियों तथा महिलाओं के लिए किये गये आरक्षण का या भंग किये जाने के बाद समिति के पुनः चुनाव कराने का या समूचे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? ईमानदारी से कहूं तो कोई व्यक्ति इन विधेयकों में निहित उपबन्धों का विरोध नहीं कर सकता। मैं महसूस करता हूं कि विपक्ष अन्दर से तो इन विधेयकों का स्वागत कर रहा है। लेकिन, राजनीतिक स्वार्थ के लिए वे इसका विरोध कर रहे हैं।

अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वे संसद छोड़कर चले गये हैं। संसद चल रही इस चर्चा की उन्होंने उपेक्षा की है। अन्ततः वे लोगों से भागेंगे में या लोग स्वयं उन्हें संसद के प्रांगण से भगा देंगे।

ये विधेयक ऐतिहासिक हैं। ये विधेयक स्वतन्त्र भारत और ग्रामीण जीवन में और नगर-पालिकाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाएंगे। लोगों को वास्तविक शक्तियां दी जा रही हैं और वे अपने भाग्य के स्वयं मालिक होंगे। ये विधेयक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करते हैं। श्री राजीव गांधी ने इन सपनों को पूरा किया है।

इन शब्दों के साथ मैं इन विधेयकों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय युवा प्रधान मन्त्री ने 15 मई, 1989 को पंचायती राज विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया था, उससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गयी थी। वैसे ही आज से दो दिन पूर्व उन्होंने इसी सदन में जो नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को सशक्त बनाने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, उसका सर्वत्र स्वागत हुआ है। इस सदन में प्रस्तुत संविधान के 64वें और 65वें संशोधन विधेयकों की महत्ता इसी से प्रामाणित होती है कि उनका सारे देश में स्वागत हुआ है। दोनों विधेयक महत्वपूर्ण हैं। ये विधेयक ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी ही नहीं, हमारी प्रगति में एक मन्जलस्टोन हैं और इनका उल्लेख भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में किया जायेगा। इनके पास होने के बाद देश में निश्चित तौर से एक स्वर्णिम अध्याय आरम्भ होने जा रहा है, अतः मैं दोनों विधेयकों का तहेदिल से समर्थन करती हूं। दोनों विधेयकों की रूपरेखा तैयार करने में हमारे नगर विकास मन्त्री, पंचायती राज और

कृषि मन्त्री तथा कृषि राज्य मन्त्री जी ने जितना परिश्रम किया है, योगदान दिया है, उसकी मैं प्रशंसा करती हूं और उन्हें बधाई देती हूं क्योंकि इन विधेयकों द्वारा हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने जा रहे हैं, इन विधेयकों में अनेक उल्लेखनीय बातें शामिल हैं, जनता को सत्ता हस्तांतरित करने की दिशा में क्रान्तिकारी बिन्दुओं का समावेश है, मैं उन प्रावधानों का हृदय से समर्थन करती हूं। जब तक हमारा भारत वजूद में रहेगा, इन दोनों बिलों की इतिहास में अमिट छाप बनी रहेगी। मुझसे पहले अनेक माननीय सदस्यों ने इन दोनों विधेयकों का समर्थन किया है। कल मैं यहां माननीय श्री डी० पी० यादव की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। जिस तरह आज हर जिला मुख्यालय में पैसे की बन्दर बांट हो रही है, हमारा तीस चालीस करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हर किला मुख्यालय में प्रशासनिक खर्च के रूप में व्यर्थ जा रहा है, आई० ए० एस० अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक, हर जिला मुख्यालय में 15-16 हजार की संख्या में नौकरशाह हैं, उनकी तनख्वाहों पर हमें भारी राशि प्रतिवर्ष खर्च करनी पड़ती है, वह वास्तव में जनता के हित में नहीं था। गत 31 अक्तूबर को श्रीमती इन्दिरा गांधी की बरसी के अवसर पर हमारे युवा प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था कि जितना पैसा हम केन्द्र से जनता के कल्याण के लिये, जन-समस्याओं के निराकरण के लिए देते हैं, उस पैसे की लूट हो रही है। हमें अपनी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। मैं कहना चाहती हूं कि जैसा उन्होंने कहा था, वह क्रान्तिकारी परिवर्तन इन विधेयकों के जरिये लाया जा रहा है नगरपालिका विधेयक और पंचायती राज विधेयक एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि हमारे देश की एक-चौथाई जनसंख्या शहरों में निवास करती है, उनके विकास को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा सत्ता हस्तांतरण का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम नगर पालिकाओं की तरफ भी ध्यान नहीं देते, उनका उल्लेख भी इसमें नहीं आता। इसलिए इन विधेयकों के जरिये सरकार जो कदम उठाने जा रही है वे स्वागत योग्य हैं। इन बिलों में अनेक उल्लेखनीय बातें शामिल हैं। आपने साफ कहा है कि हम सत्ता के दलालों का खात्मा करेंगे, निचले स्तर तक लोगों को सत्ता में भागीदार बनाया जाएगा। ग्राम पंचायतें हमारे शासन की सबसे छोटी इकाई हैं। बलवन्त राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी ने काफी विचार-विमर्श के बाद पंचायती राज को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में अनेक अनुशंसाएं की थीं परन्तु उन अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में हमारी नौकरशाही, जातिवाद और भ्रष्टाचार आड़े आ रहा था और हम उनके हाथ का खिलौना बनकर रह गये थे। पहले मुखिया ब्लाकों में दौड़ता रहता था कलैक्टर और एस० पी० उसका सलाम तक नहीं लेते थे लेकिन अब हमने संविधान के अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत ग्राम-पंचायतों को संविधान का दर्जा प्रदान कर दिया है। अब हम थ्री-टियर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने जा रहे हैं अतः यह बहुत बड़ा और क्रान्तिकारी परिवर्तन है। जब पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने लोक सभा में ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज विधेयक प्रस्तुत किया था, उस समय भी अनेक लोगों ने उसका विरोध किया था। आज भी जब हमारे प्रजातन्त्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने जा रहा है तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन विधेयकों के पास होने से राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन होगा परन्तु मैं साफ कहना चाहती हूं कि इन दोनों विधेयकों में संविधान की पांचवीं अनुसूची को छुआ तक नहीं गया है इसलिये राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कहीं किसी राज्य सरकार के अधिकारों को इन विधेयकों के

प्रावधानों से बाधा नहीं पहुंचती । इसके विपरीत इन दोनों संविधान संशोधन विधेयकों के द्वारा राज्य सरकारों को मदद मिलने जा रही है । आखिर राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार, ये लोक सभा और विधान सभाएं किसके लिए हैं, जनता के लिए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस बात की जानकारी होगी कि अभी एक-दो महीने में जवाहर रोजगार के अन्तर्गत हर ग्राम पंचायतों को 30 हजार से लेकर दो-दो लाख रुपए तक दिए गए हैं और काफी काम भी हुआ है और लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि वास्तव में पैसा सही हाथों में पहुंच रहा है कई लोग कहते हैं कि मुखिया अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, लेकिन मुखिया के लिए भी व्यवस्था की गई है कि ग्राम सभा को बुलाया जाएगा । अभी मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी में गई थी वहां मुझे बताया गया कि ग्राम सभा को बिना बुलाए मुखिया ने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन गांव के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए ही वह पैसा खर्च हुआ है । हमारे पंचायत मन्त्री और कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, वे इस बात को देखेंगे कि जो पैसा गांवों में जाए, उसका सही उपयोग हो । अगर इसके लिए, कलैक्टरों को जिम्मेदार बना दिया जाएगा, तो सत्ता फिर उन्हीं के हाथों में चली जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि कलैक्टरों आदि के अधीन यह काम नहीं होना चाहिए । इस काम के लिए तो आप निगरानी समितियां बना दीजिए । गांवों में एक्स सर्विसमैन हैं, स्वतन्त्रता सेनी भी हैं, जिनमें ईमानदारी और देश प्रेम तथा निष्ठा दोनों चीजें हैं, उनकी कमेटी बना दें और वे इस काम को देखें कि वास्तव में ठीक ढंग से काम हो रहा है या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हो रहा है कि पंचायतों को संविधान का दर्जा दिया जा रहा है । बीस-बीस साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं । इसलिए यह बहुत अच्छा है कि आपने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि 5 साल में चुनाव होंगे । इन ग्राम पंचायतों को आप सत्ता हस्तांतरण कर रहे हैं, इनके माध्यम से आप विकास के कार्यक्रमों को नया रूप देंगे जिससे न केवल भारत का भविष्य बनाएंगे बल्कि दुनिया में हमारा नाम होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों का किसी कारण से सुपरसैशन हो जाए, मुखिया मर जाए, तो छः महीने में चुनाव जरूर करवा लिए जाएं क्योंकि इन पंचायतों के द्वारा हम गांधी जी के स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं । गांधी जी का जो स्वप्न था उसको आज हम राजीव जी के राज में पूरा कर रहे हैं—

दैहिक दैविक भौतिक तापा
राजीव गांधी राज काहु नहीं व्यापा ।"

उपाध्यक्ष महोदय, इनके निर्वाचन निष्पक्ष होने चाहिए और ठीक ढंग से होने चाहिए । मैं एक और बात नगरपालिकाओं के बारे में कहना चाहती हूं कि आपने जो 10 हजार से 20 हजार तक नगर परिषद् होंगी और 20 हजार से 3 लाख तक नगरपालिका तथा 3 लाख से ऊपर महानगर परिषद् की बनाने की जो व्यवस्था आपने की है, यह तो आपकी अच्छी कल्पना है, लेकिन वहां भी आप ऐसी व्यवस्था करें कि इनका सुपरसैशन न हो और ये कलैक्टर तथा अफसरशाही की मुंह-

ताज न हों। अगर नगरपालिकाएं सिम्पल मैजोरिटी से सुपरसीड हो जाती हैं और नगरपालिकाएं ठीक तरह से काम करें आप यह चाहते हैं, तो गवर्नर के निरीक्षण में, विधान सभाओं में और उनकी देखरेख में इनके कार्य, वसूली और वित्तीय व्यवस्था अच्छी होगी, यह हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध है कि आपने इसमें प्रावधान किया है कि 2/3 की मैजोरिटी अगर नहीं होगी, तो नगरपालिकाओं और नगर निगमों के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अगर ऐसा होगा, तो इनके चेयरमैन के खिलाफ हर छः महीने या साल भर बाद अविश्वास प्रस्ताव आएगे। आप इनके मरोसे चेयरमैन को मत रखिए। जैसे लोक सभा का चुनाव होता है उसी प्रकार से इनका भी चुनाव हो और इनके चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए जिससे निष्पक्ष रूप से वे काम कर सकें। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों तथा महिलाओं के लिए जो 30% आरक्षण किया है। हमारी पार्टी ने हमेशा अच्छा काम किया है इसलिये हम जीतकर आए हैं और आते भी रहेंगे। देश में ऐसी बहुत-सी पिछड़ी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी बहुत-सी सड़कें भी नहीं देखीं और नेशनल हाई वे भी नहीं देखा। अभी नदी के किनारे राजहंस जी आप जानते हैं कि वहीं डेरा के किनारे शादी हुई, वहीं पालकी में बैठकर गई, वहीं बटी और वहीं मर भी गई। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके लिए आपने व्यवस्था की हमारे हाथों। हमारे आपने पूरे चम्पारन जिले में चार सौ पंचायतें हैं लेकिन एक ही मुखिया महिला हैं और वे भी पढ़ी-लिखी नहीं हैं। इसके द्वारा कम से कम तीस प्रतिशत महिलाएं भी तो होंगी, महिला प्रधान भी होंगी, महिला प्रमुख भी होंगी। मैं इसका स्वागत करती हूं और अनुरोध करती हूं कि जिस ध्येय से और जिस आदर्श की कल्पना करके आपने गांधी जी के स्वराज को रामराज्य लाने की कल्पना की है, वह साकार होगा और मैं साफ कहना चाहती हूं कि किसी तरह से भी राज्य सरकारों का उल्लंघन नहीं होने जा रहा है और 340क, 340ख और 347ज के द्वारा आप हरेक तरह की सुविधाएं और संविधान का दर्जा पंचायतों को जो देने जा रहे हैं, मैं इन सभी का स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि इसके कार्यान्वयन से सही दिशा मिलेगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा और सत्ता से दलालों की हमेशा-हमेशा के लिए समाप्ति होगी। ऊंचे स्तर से जो लूट-खसोट हो रही थी जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जातिवाद का बोलबाला था भ्रष्टाचार था, वह खत्म होगा और गलत सही करते-करते ग्राम पंचायतें सही दिशा में, सही मार्ग को लेकर अग्रसर होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत भावुकता के साथ पंचायत संविधान संशोधन विधेयक और नगरपालिका संविधान संशोधन विधेयक 64 और 65 का स्वागत करती हूं, अभिवादन करती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जनार्दन पुजारी बोल सकते हैं।

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन संविधान संशोधन विधेयकों पर इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं बोल रहा हूं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

मैं माननीय सदस्यों का, इस संशोधन विधेयक का समर्थन देने पर धन्यवाद देता हूं। विशेषतया मैं अनुभवी माननीय सांसद जो सदन के सम्मानित उप-नेता हैं, प्रो० रंगा को इन संविधान संशोधन विधेयकों को पूरा समर्थन देने पर धन्यवाद देता हूं। सत्ताधारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव भी दिये है। विशेषतया इस वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए विपक्षी दलों के कुछ माननीय सदस्यों की उपस्थिति के बारे में मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य श्री शाहबुद्दीन का भी आभारी हूं जो इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के बाद मेरा उत्तर सुनने के लिए उपस्थित हैं। उन्हों कहा है कि प्रधानमन्त्री जी ने दावा किया है कि उन्होंने भारत में एक नई चीज प्रस्तुत की है और उन्होंने यहां तक भी कहा है कि यह कदम जल्दी में उठाया गया है और इससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन हो रहा है और यह कानून बनाना संविधान के संघीय ढांचे के हित में नहीं होगा।

शुरू में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये राज्य के कानून नहीं है जिनमें हम सुधार करने जा रहे हैं लेकिन, ये संवैधानिक संशोधन हैं जो यहां किये गये हैं और किस उद्देश्य के लिए ये संशोधन किए गए हैं? क्या इससे मूल ढांचे में परिवर्तन होगा, या इससे संविधान का मूल ढांचा मजबूत होगा? यह विवाद का विषय है जिस पर इस महान् सदन द्वारा विचार किया जाना है।

विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा की गई आलोचना के गुण दोष की चर्चा करने से पहले, मैं उस संशोधन की मुख्य विशेषताओं को, मुख्यत. पंचायती राज के बारे में, इस महान सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। पचायतों के उपबन्धों की मुख्य विशेषताएं यह हैं; प्रथम, सभी राज्यों में पंचायतों को गांव खण्ड व जिला स्तरों पर स्थापित किया जायेगा। इन विशेषताओं को बताने से पूर्व इस बात पर महान सदन को विचार करना है, चाहे कोई भी विशेषता हो, जो कुछ मैं बता रहा हू क्या उससे संविधान के मूल ढाचे में परिवर्तन हो जायेगा या इससे राज्य प्रशासन को बल मिलेगा और राज्य पंचायत संस्थाओं को बल मिलेगा जो अब राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हैं।

दूसरा, तीनों स्तरों पर पंचायतों में सभी स्थान प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा भरे जायेंगे। तीसरा, सांसद और विधायक खण्ड पचायतों या जिला पंचायतों के सदस्य बन सकते हैं; लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सभी पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जायेंगे और महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की जायेंगी।

अगला मुद्दा प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। अगर किसी कारण से पंचायत जल्दी भंग हो जाती है, तो चुनाव छः महीनों के अन्दर किये जायेंगे या पंचायतों को पुनः गठित किया जायेगा और पुनः गठित पंचायतें पांच वर्षों में से बचे समय तक कार्य करेगी। इसका कारण यह है कि प्रत्येक पांच वर्षों में गांव-खण्ड व जिला स्तरों पर सभी पंचायतों के एक साथ चुनाव किये जायेंगे।

अगला मुद्दा, एक चुनाव आयोग होगा, जो सभी स्तरों पर पंचायतों के चुनावों पर नियन्त्रण व निगरानी रखेगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने

के लिए पंचायतों की विशेष जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, मुख्य जिम्मेदारी पचायतों को सौंपी जाएगी। पंचायतों को अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त धन दिया जायेगा। राज्य सरकारों के अनुदान धन के मुख्य स्रोत होंगे लेकिन हम अपेक्षा करते हैं राज्य सरकारें कुछेक कर लगायेंगीं। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग स्थापित किया जा रहा है जो यह निर्धारित करेगा कि किन सिद्धांतों के आधार पर, पंचायतों की स्थिति मजबूत सुनिश्चित की जा सकती है। भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक लेखों की निगरानी करेंगे और निर्णय लेंगे हिसाब-किताब रखने के लिए लेखों का उचित तरीके से रखरखाव कैसे किया जाना चाहिए।

आपने संविधान के (64वें संशोधन) विधेयक की प्रमुख विशेषताओं के बारे में सुना है। वह कौनसा उपबन्ध है जिसे राज्य सरकारें नहीं चाहतीं? माननीय सदस्य श्री शाहबुद्दीन यह बता सकते हैं। क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण प्रदान करने से संविधान के मूल ढांचे पर असर पड़ेगा जो कि संविधान में कोई नई बात नहीं है? इसे राज्य-सरकार द्वारा मान्यता दी गयी है, इसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्या यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगा? इस बारे में विचार करना यहां बुद्धीजीवियों का काम है विशेषकर शाहबुद्दीन जी का।

यदि यह महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, तो क्या इससे इसके मूल ढांचे में परिवर्तन होगा या इससे इसका मूल ढांचा और मजबूत होगा? इसका उत्तर आलोचक ही देंगे। यदि हम राज्य पंचायती राज संस्थाओं को अधिक धन प्रदान करें तो क्या इससे इसके मूल ढांचे में परिवर्तन होगा? इस सम्बन्ध में मात्र संविधान के विशेषज्ञ ही कुछ कह सकते हैं। यहां कुछ माननीय सदस्य कानूनी विशेषज्ञ हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी राज्य में चुनाव पर निगरानी रखने के लिए, हमारे द्वारा चुनाव आयुक्त उपलब्ध कराने पर यह कहेगा कि इससे मूल ढांचे में कोई परिवर्तन होता है। इससे कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके विपरित इससे इसका मूल ढांचा मजबूत होगा। यह किसके द्वारा पता लगाया गया है? माननीय प्रधानमन्त्री जी ने देश में कहीं भी यह नहीं कहा है कि उन्होंने नई चीज की खोज की है। उन्होंने जो भी कहा है वह यही है। उन्होंने यह भी नहीं कहा है कि उन्होंने यह किया है। उनका वक्तव्य क्या है? उन्होंने कहा है कि हम लोग एक महान् क्रांति के कगार पर खड़े हैं; उन्होंने इसमें "मैं" का उल्लेख नहीं किया है। हम लोग एक महान् क्रांति के कगार पर खड़े हैं। यह ऐसी क्रांति है जिससे लोकतन्त्र को करोड़ों लोगों तक ले जाया जाएगा। इस वक्तव्य में क्या गलत है? ये विपक्षी दल हर स्तर पर गलती ढूंढना चाहते हैं।

3.27 म.प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

वे सोचते हैं कि इस उपाय का विरोध करके वे संविधान को या प्रजातन्त्र को मजबूत बना रहे हैं। श्री शाहबुद्दीन जी ऐसा नहीं है। आप अपने मित्रों को जो संसद से बाहर हैं उन्हें इस सम्बन्ध में बतलाएं। मैं आपको संसद के समक्ष आने और इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिये और अपने मुद्दे को दर्शाने तथा महत्वपूर्ण सुझाव के लिये, धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप अपने मित्रों को, जो संसद से बाहर हैं, उन्हें बतलाइए की यदि वे लोगों के पास जाएंगे तो उन्हें कोई भी नहीं सुनेगा।

इसके विपरीत लोग उनसे प्रश्न करेंगे; लोकतंत्रीय व्यवस्था में ग्रामवासी ऐसे बर्ताव को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह देश का सर्वोच्च लोकतंत्रीय संस्था है। अब, आप क्या करने जा रहे हैं? आपके अनुसार यह एक चुनावी हथकंडा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में आज ऐसा कहा है—श्री शाहबुद्दीनजी चुनावी हथकन्डे क्या होते हैं? चुनावी हथकन्डे का मतलब है कि मात्र वोट हासिल करने के लिये अस्थायी रूप से कोई उपाय करना, जिसे मात्र वोट पाने के उद्देश्य से किसी विशेष समय पर लाया जाता है और बाद में वे इससे पिछे हट जाते हैं। लेकिन यह व्यवस्था संविधान संशोधन द्वारा लायी गयी है। विधेयक के तहत इस उपबन्ध को लाना यह दर्शाता है कि यह उपाय स्थाई रूप से किया जा रहा है। इसमें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत का आरक्षण, धन का हस्तांतरण चुनाव आयोग का गठन और वित्त आयोग का गठन करना शामिल है। जैसा कि आपने सोचा है, यह उपाय थोड़े समय के लिए नहीं किए जा रहे। ये दिर्घकालिक उपाय हैं। आप ऐसा समझते हैं कि हमारी सरकार वोट प्राप्त करने के लिये यह अस्थायी उपाय कर रही है, व्होत पाने के उद्देश्य से हम इसे लागू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह स्थायी उपाय है और इसमें यह पता चलता है कि हमारे प्रधान मन्त्री जी, हमारी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार और यह संसद क्या करना चाहती है। यह स्पष्ट है कि हम चुनावी हथकन्डे नहीं अपना रहे, चुनावी हथकन्डे उन्हें पता है। हम लोगों का यह काम नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री विपक्ष के मुख्य मन्त्री और कर्नाटक के प्रथम मुख्य मन्त्री चुनावी हथकंडे अपनाने में माहिर हैं। हम कांग्रेसी लोग, कांग्रेसी सरकार और हमारे प्रधान मन्त्री चुनावी हथकंडे अपनाने के पीछे नहीं हैं। हमारे प्रधान मन्त्री जी के मन में राष्ट्रीय हित का महत्त्व है और राष्ट्रीय हित हम लोगों को विपक्ष के लोगों की अपेक्षा ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। प्रशासन में हम कैसे कुछ बदलाव ला सकते हैं? हमारे क्या विचार हैं? हम निचले स्तर पर प्रशासन मे कैसे परिवर्तन लाने जा रहे हैं? पंचायती राज व्यवस्था मे जनता के सम्मिलित होने के कारण वह स्वयं अपनी योजना को अमल में लाएगी नई योजनाओं का चुनाव किया जाएगा और वे स्वय अपने भविष्य का निर्णय करेंगे, न कि हम लोग, वे लोग जो दिल्ली में बैठे है या अधिकारी लोग उनके बारे में निर्णय लेंगे।

पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? यदि गाँव में एक सड़क की आवश्यकता होती थी तो लोग क्या करते थे? गांव के लोग खण्ड विकास अधिकारी के पास जाते थे। यदि खण्ड विकास अधिकारी सड़क की स्वीकृति दे देता तो लोग उसे उस अधिकारी द्वारा दिया गया उपहार समझते थे। लोगों में ऐसी भावना थी। कभी-कभी एसा हुआ करता था। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि यदि गांव के लोग किसी विशेष योजना को नहीं चाहते तो भी अधिकारी लोगों द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता था। अब ऐसी बात नहीं है। अधिकार और शक्ति लोगों को प्रदान की गयी है। राज्य प्रशासन का वहां कोई दखल नहीं है।

पंचायती राज व्यवस्था राज्य प्रशासन का अभिन्न अंग है। राज्य के नियन्त्रण में रहने से क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा? मैं ऐसा नहीं समझता। अब गाँवो में निचले स्तर तक यह आधार मूल परिवर्तन लाया गया है और अब लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसिलिये, मैं कहता हूं कि यह निर्भरता से आत्म-निर्भरता की

ओर एक कदम है इस परिवर्तन का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और जैसा कि मैंने कहा है कि पहले हर चीज अधिकारियों की मर्जी पर छोड़ दी जाती थी वह नौकरशाही पर आधारित विकास था। अब ऐसा नहीं होगा यह परिवर्तन प्रधान मन्त्री लाए हैं। अब लोकोन्मुखी विकास होगा। यह एक खोज है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमन्त्री जी को जाता है। आपके अनुसार इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें क्या नया नहीं है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि पचायती राज व्यवस्था को मात्र कुछ धन और शक्तियां प्रदान की गयी हैं? इसमें एक नई विचारधारा लायी गयी हैं यहां, हमें यह देखना है कि क्या यह परिवर्तन बिना किसी बात को ध्यान में रखते हुए लाया गया है या जल्दबाजी में किया गया है।

शाहबुद्दीन जी प्रधान मन्त्री पांच वर्ष से कम अवधि से सत्ता में हैं और इन पांच सालों के दौरान कुछ लोग यह प्रश्न कर रहे हैं—क्या हुआ है? कुछ समय लेते हुए मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इन पांच साल के दौरान क्या हुआ। क्या परिवर्तन लाए गये और क्या यह विधेयक बिना किसी बात को ध्यान में लिये हुए किया गया है।

राष्ट्र का प्रधानमन्त्री पद संभालने के बाद एक युवा प्रधान मन्त्री, दिल्ली में ही नहीं बैठे रहे। वे एकांत में या वातानुकूलित कक्ष में ही नहीं बैठे रहे जैसा कि आपके कर्नाटक के प्रथम मुख्य मन्त्री द्वारा किया गया था, वह व्यक्ति जो कर्नाटक में कभी नहीं रहे। मैंने अभी कुछ दिन पहले, उनके सत्ता में रहने पर कर्नाटक में मौजूद रहने के दिनों का ब्यौरा दिया था। लेकिन यहां एक प्रधान मन्त्री है जिन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों का दुःख देखकर, प्रशासन में परिवर्तन लाने की दृष्टि से, समूचे देश का दौरा किया।

आप पहले संसद के अंदर और बाहर शोर शराबा कर प्रशासन में कुछ परिवर्तन लाने आवश्यकताओं का जिक्र कर रहे थे। अधिकारी वर्ग के काम करने के तरीके और दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन होना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन विकास कार्यों का लाभ कमजोर वर्ग के लोगों तक पहुंचे विशेषकर उन लोगों तक जो गांवों में और जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं।

प्रधान मन्त्री जी देश के प्रत्येक दूर-दराज के इलाके में गये। महीनों तक लोगों के साथ रह कर, उन्होंने उनकी कठिनाईयों का अध्ययन किया। वह उन्होंने उनसे दूर से ही बात नहीं की बल्कि वह उनके घर के भीतर भी गये। उन्होंने उन लोगों से बात की और ग्रामवासियों से भी बातचीत की। और गांव वालों ने उन्हें सूचित किया है कि हमें कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं। यह जल्दी में नहीं किया गया है। उन्होंने स्थिति का अध्ययन किया था। उनके बाद उसने जिला स्तर पर अधिकारियों, जिला समाहर्ताओं और प्रशासकों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने न केवल मुख्य सचिवों से बल्कि ग्रामीण विकास मन्त्रियों शहरी विकास मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया था। जहां तक पंचायती राज का सम्बन्ध है 15,000 से अधिक लोगों से परामर्श किया गया है। परामर्श की अवधि एक वर्ष अथवा दो वर्ष नहीं, यह चार वर्ष है। यह सभी परामर्शों का परिणाम है। इन लोगों के साथ परामर्श करने के बाद वह यह मौलिक परिवर्तन लाये हैं। ये प्रगतिदायी कदम हैं, ये क्रांतिकारी कदम हैं जोकि एक तानाशाह के रूप में नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से लाए गए हैं। इन लोगों की

मांग क्या थी ? आपके नेताओं ने ही नहीं बल्कि सबसे निचले स्तर पर आपकी पार्टी के लोगों सहित इन लोगों ने कहा है हमें अधिक अधिकार दो हमें अधिक धन दो हमें कुछ अधिकार दो, कई वर्षों से पंचायती राज संस्थाओं के होते हुए भी हमें उपेक्षित किया गया है और हमें अलग रखा गया है।' प्रधान मन्त्री ने वही किया है। उसने अधिकार दिया है। उसने शक्ति दी है। उसने धन दिया है श्री शाहबुद्दीन जी, एक कार्यक्रम अर्थात जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत हमने इन पंचायती संस्थाओं को पहले ही 1000 करोड़ रुपए दिए हैं और थोड़े समय के अन्दर संभवतः बहुत शीघ्र ही हम 1623 करोड रुपए की दूसरी किश्त देने जा रहे हैं देश के इतिहास में इसमें पहले ऐसी बात कभी नहीं हुई है। इसी बात का उल्लेख हमारे अनुभवी नेता प्रो० रंगा जी ने किया था। केवल यही एक हमारा कार्यक्रम ही नहीं होगा। इसके अलावा अन्य कई कार्यक्रम हैं जोकि पचायती राज सस्थाओं द्वारा शुरू किये जायेंगे। आप ये सभी बातें नहीं चाहते हैं। क्या इसमें बुनियादी ढांचे में परिवर्तन होने जा रहा है ? क्या इसमें सघीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं बनाया जा रहा है ? यह अब बद्धिजीवियों पर है कि वह इस पर विचार करे। हम कुछ समय के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। हम हमेशा सभी लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन आपके प्रथम मुख्य मन्त्री ने कर्नाटक में ऐसा करने का प्रयास किया था और अब वह अपने किये को भुगत रहे हैं। यहां हमें यह पता लगाना होगा कि विपक्ष का रवैया क्या है और उनका दृष्टिकोण क्या है ? या आप लोगों के पास जा कर कह सकते हैं कि हम संविधान सशोधन का विरोध करते हैं हम ससद से भाग गए हैं क्योंकि वे महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लाए हैं, क्योंकि वे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लाए हैं और आपको अधिक अधिकार दिए हैं' क्या आप यह कह सकते है ? आप नहीं कह कह सकते। आप क्या करने जा रहे हैं ? आप मतदाताओं का सामना नहीं कर सकते राज्य सभा में आपके लोगों द्वारा इस संविधान संशोधन विधेयक को असफल करने दीजिए। इसके बाद हम लोगों के पास जाएंगे और चाहेंगे, 'हम आपको और अधिक अधिकार देना चाहते हैं, हम आपके लिए विकास लाना चाहते है हम महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं, हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहते हैं लेकिन इन लोगों ने राज्य सभा में इसका विरोध किया है, इसीलिए आप हमें आदेश दीजिए।" जैसाकि प्रो० रंगा ने उस दिन उसे ऐतिहासिक दिन बताया था कि यह एक जनमत होगा। आज 9 अगस्त, 1989 को भारत छोड़ो दिवस है। स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान मैं वहां नहीं था, तब मैं एक युवा बालक था। हमारे अनुभवी स्वतन्त्रता सैनानी यहां बैठे हैं। देश की सबसे उच्चतम लोकतांत्रिक संस्था में विपक्षी दलों के कार्य निष्पादन को देख कर आज वह दुःखी होंगे। लकिन वह इन दो दस्तावेजों अर्थात 64 वां और 65 वां संशोधन विधेयक, को देखने के बाद सबसे अधिक प्रणाम होंगे। देश में लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए ये दस्तावेज पवित्र दस्तावेज हैं। अब तक हमारा सविधान पूर्ण नहीं था। इस महान सभा में इन दो विधेयकों को पारित करने के बाद, हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने भारत को पूर्ण सविधान दिया है और आप प्रधान मन्त्री के कार्य निष्पादन को कम समझ रहे हैं। इसके बजा, आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए।

यह पूछा जाता है: गत पांच वर्षों के दौरान उन्होंने क्या किया है ? जब उन्होंने सत्ता संभाली, तो स्वर्गीय प्रधान मन्त्री का मृतक शरीर उनके आंगन में था।

हर जगह दंगे हो रहे थे। पंजाब और असम में ज्वलंत समस्या थी। इन सब पुरुष ने क्या किया ? उन्होंने इन सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। भारत 1.5 देशों का नेता था। बाहर के देश यह महसूस करते थे कि इसके बाद भारत का नेतृत्व न हीं रहेगा। सत्ता में आने के बाद, उन्होंने नेतृत्व का विश्वास दिखाया था। यह बात पुजारी ने नहीं कही है बात 'न्यू यार्क टाइम्स' ने कही है कि युवा प्रधान मन्त्री जोकि लगभग 40 वर्ष के हैं, उन्होंने नेतृत्व सिद्ध कर दिया है। यहां तक कि हमारी पार्टी के अन्दर भी कलह करने वाले लोग थे। वह नहीं जानते थे कि पार्टी में कौन-कौन हैं क्य कि वह राजनीति में नहीं आना चाहते थे। अपने भाई की मृत्यु के बाद, अपनी माता की सहायता करने के लिए, उन्हें लाया गया था और उन्हें महासचिव बनाया गया। तीन वर्षों के अन्दर उ हें प्रधान मन्त्री के पद का प्रभार लेना पडा। इससे पहले उ हें मन्त्रिमण्डल का कोई अनुभव नहीं था। वह नहीं जानते थे कि मन्त्रिमण्डल क्या है। वह नहीं जानने थे कि प्रशासन क्या है। उन्हें थोड़ समय के अन्दर यह सब समझना पड़ा। इतने थोड़े समय के अन्दर अपने बुद्धि कौशल और क्षमता से, उन्होने प्रशासन पर नियंत्रण किया और उन्होने कुशलतापूर्वक देश पर शासन करना शुरू किया।

देश के लिए वह क्या नई चीज लाये हैं ? उन्हें ने देश को नई शिक्षा नीति. महिलायों को भागीदारी आयात नीति मे छूट आदि दी। इसमें पहले सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा हो रहा था। उनकी नीतियो से सार्वजनिक क्षेत्र से लाभ कमाना शुरू कर दिया। खाद्य उत्पादन 172 मिलियन टन तक पहुंच गया है। क्या यह एक छोटी उपलब्धि है ? आप कहते हैं कि ये सभी बातें जल्दी में की गई हैं। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जोकि इस देश के इतिहास में कभी नहीं उठाए गए। उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल, क्षमता और एक राजनेता के गुणों को दिखाया है। जैसा कि आपने कहा है वह एक राजनीतिज्ञ नहीं हैं लेकिन वह एक राजनेता हैं। यदि वह एक राजनीतिज्ञ होते तो उन्ह ने पंजाब में चुनावों की घोषणा नहीं की होती। उन्होंने अपनी पार्टी की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव जीते. चाहे वे विपक्षी दल ही क्यों न हो, लेकिन चुनाव होने चाहिएं। यही बात असम के मामले में हुई थी। उन्होंने वहां अपनी पार्टी की जीत की परवाह नहीं की।। उन्होने कहा था :

"राष्ट्रीय हित में चुनाव कराने में हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें भी जीतने दीजिए यह केवल हमारा दृष्टिकोण नहीं है " श्री शाहबुद्दीन, क्या यह किसी राजनीतिज्ञ द्वारा किया जा सकता है ?....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब बहुत हो गया है। उनका क्या होगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि इस वाद-विवाद को पूरा करने के लिए इस विधेयक पर दोबारा बोलने के लिए मुझे अवसर मिलेगा।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, आप उनके मुद्दों को उत्तर दे सकते हैं लेकिन अपने भाषण में आप सम्बोधित सभापति को ही कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैंने आपकी बात समझ गया। लेकिन जब मैं उनके चेहरे को देखता हूं तो मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है।

सभापति महोदय : अपने भाषण में उन्हें सम्बोधित न कीजिए।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैंने आपकी बात समझ ली है। अत: महोदय, हम बिना किसी पूर्वाग्रह के इस पर चर्चा करें। क्या इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति है जोकि इस भद्रपुरुष का अर्थात् वर्तमान प्रधान मन्त्री का विकल्प हो सकता है?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरे विचार में नहीं है। यह मेरी स्वयं की बात नहीं है; यह बात विपक्षी नेताओं की भी है। वे कहते हैं कि देश पर शासन करने के लिए उनके पास इतना लक्ष्य नेता नहीं हैं (व्यवधान) हम इस तथ्य को स्वीकार करें (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पुजारी, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, विपक्षी नेता प्रधान मन्त्री जी को हटाना चाहते हैं क्यों? मनुष्य की मूल विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता है। इस गरिमा पूर्ण सभा में आने के पहले, आने के बाद और प्रधान मन्त्री पद स्वीकार करने के बाद वह एक सम्माननीय प्रधान मन्त्री के रूप में माने जाते हैं और उनमें आदर्श प्रधान मन्त्री के सभी गुण मौजूद हैं। उन्हें 400 से अधिक संसदीय सदस्यों के लिए जनता का अभिदेश प्राप्त है। लोगों ने उन्हें भारी बहुमत दिया है। इसके क्या कारण हैं? यह उनके चरित्र सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के फलस्वरूप है। विपक्षी नेताओं ने सोचा कि यदि उन्हें पांच साल के बाद सत्ता में आना है तो उन्हें सर्व प्रथम उनके चरित्र और सत्यनिष्ठा पर आक्रमण करना होगा। उन्होंने सोचा कि यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो चरित्रवान और ईमानदार है और यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे पांच साल के बाद सत्ता पाने में असमर्थ होंगे अत: उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने चालीस सालों में अपना व्यक्तित्व बनाया है, उसे एकाएक नहीं बदला जा सकता है, महोदय, आप यहां बैठे हैं। आप भी अपने चरित्र के लिये जाने जाते हैं। चालीस या पैंतालिस सालों के बाद हम अपने मूल चरित्र में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ये विपक्षी दल गैर-कानूनी लाभ उठाना चाहते हैं। यह राष्ट्र को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत दंडनीय है। ये लोग प्रधान मंत्रीजी का चरित्रहनन करना चाहते थे लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाये। हालांकि उन्होंने कई घोटालों का भी उल्लेख किया लेकिन वे कहीं भी सफल नहीं हुए और वे सफल हो भी नहीं सकेंगे। इस देश में सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्षी दलों ने पहले उनकी माता के साथ भी यही चाल खेलने की कोशिश की थी। ऐसी ही चाल उन्होंने उनके दादाजी के साथ भी चलने की कोशिश की थी। आज हम लोग पंडित जवाहर लाल नेहरूजी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। यह डा० अम्बेडकर जी का भी शताब्दी वर्ष है। महोदय, इस तरीके से, किसी व्यक्ति का चरित्र हनन कर कोई सत्ता में नहीं आ सकता है। यह आने वाले चुनावों में स्पष्ट हो जाएगा विशेषकर नेहरू

परिवार के चारित्रिक गुणों के बारे में मैंने पिछले दिनों एक अनुभवी नेता श्री फ्रैंक एंथोनी का भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि उन्हें यह दुःखद समाचार सुनकर बहुत दुःख पहुचा था। इन्दिराजी के समय, जब जनता पार्टी, वर्ष 1977 में सत्ता में आयी थी, तो इन लोगों ने इंदिराजी के चरित्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके ऊपर धन अर्जन करने का आरोप लगा कर उनके घर पर छापा डलवाया। लेकिन क्या हुआ? इतना ही नहीं। उन्होंने उन्हें कारागार में बन्द कर दिया। उन्होंने उनको संसद से निष्कासित कर दिया। प्रति दिन इन्दिराजी का चरित्र हनन किया गया। लेकिन देश ढ़ाई साल तक चुपचाप दुखीमन से सब कुछ सहता रहा। लेकिन जब लोगों ने चुनावों में भाग लिया तो उन्होंने शासकदल से बदले की भावना से इन्दिराजी को पुनः सत्ता सौंप दी। इसीलिये मैं यहां यह कह रहा हूं कि इस देश और राष्ट्र के लोग इसका कभी भी विश्वास नहीं करेंगे चाहे वे सैकड़ों बार यह कहें कि नेहरू परिवार भ्रष्ट है। अब, यदि उनके पास प्रधान मन्त्री के खिलाफ कुछ तथ्य हैं तो वे खुले तौर पर कहें और यदि वे ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो गलत हैं तो आने वाले चुनावों में वे बुरी तरह पराजित होंगे। लेकिन प्रधान मन्त्री जी पुनः सत्ता में आएंगे और विपक्षी सदस्यों के सारे सपने नष्ट हो जाएंगे। अतः, मैं विपक्षी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने मित्रों के पास जाएं और उन्हें कहें कि यह एक ऐसा विधेयक है जो लोकतन्त्र को मजबूत करेगा। शहर या दिल्ली में लोकतन्त्र से कुछ नहीं हो सकता है। गांवों में लोकतन्त्र से ही हमारे देश के लोगों को लाभ मिलेगा और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतन्त्र रहे तो देश में आर्थिक विकास होगा। इन शब्दों के साथ, मैंने कुछ मुद्दे का उल्लेख किया है और कुछ अन्य मुद्दों पर मेरे वरिष्ठ साथी जवाब देंगे।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों की पुष्टि ही की है।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : माननीय चेयरमैन साहब, माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इस सदन में जो संविधान में संशोधन हेतु चौंसठवां और पैंसठवां विधेयक प्रस्तुत किया है, वह ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी कदम है। इस विषय पर अब तक काफी चर्चा हो चुकी है और मैं भी इसमें भाग लेते हुए अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

अभी मैं गौर से पुजारी जी की बातें सुन रही थी। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने इन विधेयकों को दिल्ली के एअर-कण्डीशन्ड कमरों में बैठकर नहीं बनाया है, बल्कि वे इससे पहले देश के गांव-गांव घूम कर आये हैं, वहां उन्होंने लोगों से खुद बातें की, उनकी समस्याओं का अध्ययन किया। मैं स्वयं गुजरात के गांवों के दौरे के समय उनके साथ रही, जब उन्होंने मेरे कच्छ क्षेत्र के सूखा पीड़ित गांवों का व्यापक दौरा किया था। कड़ी धूप के बावजूद हमारे प्रधान मन्त्री जी गांव-गांव गये, उन्होंने गरीब लोगों की बातें सुनीं, उनके दुःख दर्द में शामिल हुए। चाहे महिला हो या बच्चा हो, सभी से वे पूछते थे कि आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। सारा

कुछ देखने सुनने के बाद माननीय प्रधान मन्त्री जी ने इस सदन में जो पंचायती राज विधेयक और नगर पालिकाओं को सुदृढ़ करने सम्बन्धी विधेयक पेश किया है, उसके पीछे उनका अनुभव स्पष्ट दिखायी दे रहा है जो उन्होंने जगह जगह घूम कर प्राप्त किया। इन विधेयकों के लिये मैं प्रधान मंत्री जी, कृषि मन्त्री जी और शहरी विकास मन्त्री जी को धन्यवाद देती हूं। आप लोगों ने इन विधेयकों को प्रस्तुत करके ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिनकी देश भर में चर्चा है और सभी लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं।

मैं आपका धन्यवाद करती हूं। पूज्य महात्मा गांधी, आदरणीय नेहरू जी, सरदार बल्लभ भाई पटेल और विद्वान अम्बेडकर जी ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया था। चुनावों में हिस्सा लेने में महिलाएं पार्टनर तो हुईं; मगर उनका हिस्सा अगर किसी ने दिया है, तो वह हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने दिया है। उन्होंने महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण किया है। इसलिए मैं उनको अपनी तथा महिला होने के नाते देश की महिलाओं की तरफ से उनको धन्यवाद देती हूं। उन्होंने इस सदन में दो विधेयक रखकर हमें बहुत गौरव प्रदान किया है।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों में जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, उससे महिलाओं को ट्रेनिंग भी मिल सकती है क्योंकि देश के विकास के लिए महिलाएं भी अपना योगदान इस प्रकार से दे पाएंगी। इससे महिलाओं को काम सीखने का भी अच्छा मौका मिलेगा। मैं बहुत साल तक सरपंच रही हूं और पंचायत में मैंने बहुत काम किया है। मुझे मालूम है कि पंचायत में रहने से एक हिम्मत भी आती है और मैच्योरिटी भी आ जाती है। इससे लोगों को और उनकी समस्याओं को समझने का ज्ञान बढ़ता है और उनकी समस्याओं को कैसे उठाया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, इस प्रकार की ट्रेनिंग हमें पंचायतों में ही मिल जाती है। मैं पुनः प्रधान मन्त्री राजीव गांधी को महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देकर सत्ता में भागीदार बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण देकर उनमें एक विश्वास पैदा किया है कि वाकई वे इन्दिरा जी के बेटे हैं। जब इन्दिरा जी आई थीं तो उन्होंने इन लोगों को बहुत ऊंचा उठाया और देश के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनकी मृत्यु के उपरान्त हमें कुछ ऐसा एहसास होने लगा था कि अब क्या होगा, किन्तु जब हमारे प्रधान मन्त्री जी ने अपने देश की बागडोर संभाली, तो हम लोगों को इन्दिरा जी का बेटा जो उनकी भावनाओं के अनुसार काम कर सके, वापस मिल गया। उन्होंने महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देकर और अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों का आरक्षण देकर अपने आपको इन्दिरा जी का बेटा साबित कर दिया और उनका नाम सार्थक कर दिया। लोगों में इन्दिरा जी के प्रति और उनके बेटे के प्रति जो विश्वास था, उसको उन्होंने पुनः सार्थक कर दिया।

सभापति महोदय, बहुत सालों से सरपंचों को भी यह महसूस हुआ करता था कि हमें सरपंच तो बनाया गया है, लेकिन कुछ हमारे हाथ में नहीं दिया गया है। तो इन दोनों विधेयकों से सरपंच लोगों को गांवों में और शहरों में अपना काम करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए

उनके विकास में उनको हिस्सेदार बनाया गया है यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। एक गांव में रहने वाले आदमी को ऐसा लगे कि मैं अपने गांव को संभाल सकता हूं, बना सकता हूं। इसके लिए हमारे प्रधान मन्त्री जी ने गांव के लोगो को अपना काम करने का जो मौका दिया है, यह अभूतपूर्व कार्य किया है। इसके लिए मैं उनका पुन: धन्यवाद करती हूं। विपक्ष के लोग यहां से भाग गए, त्यागपत्र देकर चले गए हैं और जो 8 वीं लोकसभा के मेम्बरो को मौका मिला है, उससे वे लोग वंचित रह गए हैं। इस बिल का सपोर्ट करने का जो हम लोगो को मौका मिला है उससे विपक्षी वंचित रह गए हैं। इस बात को ये लोग बाद में समझेंगे, इतने क्रांतिकारी विधेयक का सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने चुनावी हथकंडा अपनाकर, हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को हानि पहुंचाने के लिए सदन से त्यागपत्र दिया है। मगर सत्य की हमेशा विजय होती है, ड्रामा लम्बा नहीं चलता है, सत्य की कसौटी तो सोने की होती हैं, कभी लोहे की नहीं होती है। ये सोने की कसौटी है लोहे की नहीं। मुझे तो यह लगता है कि इस सदन में भी हम इस कसौटी में से निकलेंगे हमारे राजीव जी ने जो गरीबो के लिए चिन्ता की है, उनकी दुआ से विपक्ष के लोगों का भंडा फूट जाएगा और राजीव जी के सत्य का सूरज चमकेगा। विपक्ष के लोगों को तो मैं यही कहती हूं कि गुजराती में एक दोहा है :—

4.00 म०प०

अपनी हस्ती ऐ विदिते विसराई गई
जेम के पानी मां अंगुली निकली और जग्या पुराई गई।

हिन्दी में इसका अर्थ यह होता है कि जब उंगली निकल जाती है तो जगह पुराई जाती है, वह जगह दिखाई नहीं देती है। उसी तरह से आपकी हस्ती को भी लोग भूल जाएंगे कि ऐसे क्रान्तिकारी विधेयक को सपोर्ट करने के बदले विपक्ष के लोग घबराकर इधर से चले गए और उनको ऐसा लगा कि यह जो हम सपोर्ट करेंगे और जब विधेयक पास हो जाएगा तो उनके पास दूसरा कुछ नहीं रहेगा क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमन्त्री जी ने गांव-गांव में जाकर एहसास किया और लोगों के दुख को देखा और उससे चिन्तित होकर वे यह विधेयक लाए हैं और हम इसको सपोर्ट करने के लिए आज खड़े हुए हैं। आपने जो मुझे टाइम दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

***श्री ई एस०एम० पकीर मोहम्मद (मयूरम)** : माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायती राज और नगरपालिका विधेयकों के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस राष्ट्र के अधिकतर लोग गांवों में निवास करते हैं। माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने ग्रामवासियों को अधिकतम लोकतंत्र की सुविधा देकर उनके सपनों को साकार किया है। सबसे बड़े प्रजातन्त्र में गांवो के गरीब और दलितो को भी लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए जाने का श्रेय हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी को जाता है।

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इन विधेयकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान है। इस राष्ट्र के निर्माण में, औद्योगिक और कृषि विकास में हरिजनों का बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने अपना खून और जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित किया है। इस राष्ट्र को महान् बनाने का श्रेय गरीबों और दलितों को जाना चाहिए। लेकिन वे बहुत समय तक पीड़ित रहे थे। वे अभी भी सामाजिक अपराध के शिकार होते हैं। यह विधेयक उनको इससे मुक्ति दिलाएगा और उन्हें मूलभूत लोकतंत्रिय अधिकार प्रदान करेगा। माननीय प्रधान मन्त्री जी के इस कदम के लिये इतिहास साक्षी होगा। इसी तरह, उन्होंने महिलाओं के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था की है।

मैं निर्वाचन आयुक्त द्वारा सीधे चुनाव कराये जाने का स्वागत करता हूं। मैं राज्य में राजस्व वितरण के लिये वित्त आयोग के गठन का भी स्वागत करता हूं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि सीधे चुनाव पचायत के सभी स्तरों के लिये किया जाना चाहिएं। पचायत को दिये जाने वाले राजस्व का निर्धारण करते समय वित्त आयोग को पिछड़े क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। विधेयक में एक विशेष प्रबन्ध और भी किया जाना चाहिए कि केन्द्र की सभी योजनाओं को पचायत द्वारा ज्यादा सक्षमता से और बिना किसी देरी के लागू किया जाये।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि राज्य के लिये प्रस्तावित वित्त आयोग में संसद सदस्यों को विशेष प्रतिनिधि के रूप में लिया जाना चाहिए।

आज विपक्षी दल यहां नहीं हैं। माननीय मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी जी ने ठीक ही कहा है कि विपक्षी दलों ने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को त्याग दिया है। उन्हें लोगों के कल्याण का ध्यान नहीं है। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। न केवल भारतीय लोगों द्वारा ही, अपितु संसार के प्रत्येक प्रजातांत्रिक व्यक्तियों द्वारा इनके इस आचरण की भर्त्सना की जा रही है? मैं उनके आचरण की निंदा करता हूं।

माननीय राजीव गांधीजी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के प्रति बहुत ही इच्छुक हैं। वह इसके लिये अपार धन देने को तैयार हैं। इस विधेयक के द्वारा इन योजनाओं को करोड़ गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह विशुद्धतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। मयूरम मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। मेरा अनुरोध है कि वहां कुछ उद्योग स्थापित किये जाये। माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी निश्चिय ही इस पर ध्यान देंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि इस विधेयक से उनकी इन आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा जायेगा।

मुझे विश्वास है कि जो लोग इस उपाय का विरोध कर रहे हैं वे भी वस्तुतः यह सोचकर खुश होंगे कि इस विधेयक द्वारा लोकतन्त्र मे लोगों की भागीदारी और उनके कल्याण सम्बन्धी बातों को एक साथ लाया है। इस त्यागपत्र के कारण विपक्षी दल अपने लोकतंत्रिय दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं। आज विधेयकों में दिये गये उपबन्धों के कारण गांवों का सम्मान बढ़ा है। गांवों से लेकर पूरा राष्ट्र निश्चय ही कांग्रेस और प्रधान मन्त्री को अपना समर्थन देगा।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दरबार) : सभापति महोदय, मुझे संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने की आपने अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। संविधान के 64-वें और 65वें संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

पंचायती राज और नगरपालिका संशोधन विधेयक लोक-सभा में लाये गये हैं, ये दोनों क्रांतिकारी और ऐतिहासिक हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम राज्य के सपनों को साकार करने वाला यह विधेयक है। इसीलिये मैं प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी का बहुत-बहुत आभारी हूं। इस विधेयक में कार्य की देख-रेख करने के लिये एक अलग से वित्त आयोग बनाने का फैसला किया गया है।

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यह थ्री-टायर सिस्टम भारत में चल रहे हैं, इस विधेयक से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जिला परिषद् के प्रेजीडेंट को प्रशासन से अलग रखा गया है, उनको प्रशासन के भी अधिकार देने चाहियें। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर के पास प्रशासन के पूरे अधिकार हैं, इनमें सुधार करने का जन-प्रतिनिधियों को भी अधिकार होना चाहिये, ऐसी प्रार्थना मैं भारत सरकार से करता हूं।

इस विधेयक के मुताबिक 5 साल में चुनाव होंगे, ऐसी व्यवस्था है लेकिन हमारे महाराष्ट्र में 10 साल हो गए अभी तक चुनाव नहीं हुए। इस तरफ भारत सरकार को ध्यान देना चाहिये।

जिला पंचायत की ओर से सभी योजनाएं कार्यान्वित करनी हैं, जैसे 20-सूत्री कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, जीवन धारा योजना, इन्दिरा आवास योजना, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं, सड़कें, शिक्षा की व्यवस्था, पूरे जिले में स्कूल बनाने और स्वास्थ्य की सुविधा, छोटे-बड़े अस्पताल बनाने, कृषि की योजना, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए खास कार्यक्रम, दुग्ध योजना तथा और भी भारत सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं को कार्यान्वित करना है और गांव तहसील व जिले का विकास करने की जिम्मेदारी है इसलिये जिला ग्रामीण विकास एजेन्सीज को भी भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित करने के लिये आदेश देना चाहिये, ऐसी भी व्यवस्था हो।

मैं नगर पालिकाओं के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूं। इस विधेयक में 10 हजार आबादी से 20 हजार आबादी वाले शहर को नगर पंचायत के नाम से 20 हजार से 3 लाख की आबादी वाले शहरों को नगर परिषद् के नाम से और 3 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों को नगर निगम के नाम से देखा जायेगा। नगरपालिकाओं और पचायतों के चुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में होंगे यह व्यवस्था भी इस संविधान में की गई है। इससे गड़बड़ियां होने में रुकावट आयेगी।

नगरपालिका क्षेत्र में हमें बहुत सुधार करना है। स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था बिजली की व्यवस्था, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिये छोटे-छोटे मकान बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये। शहरों में जो आज गन्दगी है, उसे हटाने की व्यवस्था तुरन्त करनी चाहिये। शहर को

स्वच्छ बनाये रखने की जिम्मेदारी लोगों पर होनी चाहिये। नगरपालिका क्षेत्र में शहर के विकास के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध करानी हों, वह कराई जानी चाहियें।

नगरपालिका क्षेत्र में अच्छी सड़कें हो, अंडर ग्राउन्ड गटर की योजना हो, झुग्गी-झोपड़ी में शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन की पूरी व्यवस्था हो, शापिंग सैंटर की व्यवस्था हो, यह सभी चीजें देखनी चाहियें। इन्दिरा आवास जैसी भी योजना हो। इस लोकतन्त्र में इन दोनों विधेयकों की विकेन्द्रीयकरण करके ग्राम पंचायत और नगरपालिका को गांव के आखिरी आदमी तक ले जाने का कार्यक्रम है। लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि प्रशासन में नगरपालिका मेअर को कोई अधिकार नहीं है।

इन विधेयकों पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ये विधेयक देश के गरीब लोगों और देशवासियों के लिए है। मैं पुनः राजीव गांधी जी को इस देश के गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी भी प्रकार के अनुमोदन या उपलब्धी के लिए किसी न किसी तरह की क्रांति जरूर घटी है। इस संबध में मैं अपने प्रधान मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि वे सही तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रमुख क्रांति लायें है यदि हम अपने इतिहास को देखें तो हम पाते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान हम लोगों के पास कोई राजनैतिक शक्ति या कोई अन्य शक्ति नहीं थी। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने लड़ाई लडकर स्वतन्त्रता हासिल की। जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो हमें राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन यह काफी नहीं था क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि राजनैतिक शक्ति का वास्तविक अर्थ स्वतन्त्रता नहीं होती जब तक हमें आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं मिलती और वास्तविक शक्ति अधिकार गांववासियों को नहीं मिलते तब तक सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता हासिल नहीं हो सकती। यदि लोगों को अधिकार नहीं सौपे गए तो लोकतन्त्र सफल नहीं हो पायेगा। जैसा कि आप जानते हैं स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, हमने प्रशासनिक विकास के एक प्रकार का औपनिवेशिक प्रशासन और औपनिवेशिक ढांचे को अपनाया था। इसी कारण, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गाँधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री बी० आर० अम्बेडकर सहित हमारे संविधान निर्माताओं ने यह ठीक ही सोचा कि पंचायती राज को महत्व देना होगा और तभी भारत में वास्तविक स्वतन्त्रता आ पायेगी। इस दृष्टि से हमारे प्रधान मन्त्री ने पंचायती राज विधेयक और नगरपालिका विधेयक प्रस्तुत किये हैं।

जैसा कि मैंने कहा कि यदि हम जनता को सत्ता नहीं देंगे—केवल राजनैतिक सत्ता ही नहीं बल्कि वास्तविक सत्ता भी—तो विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस पहलू पर विभिन्न समितियों और आयोगों ने बार-बार विचार किया था। जब उस पक्ष और विपक्षी तरफ के लोग इसका विरोध करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि वे इसका समर्थन क्यों नहीं करते अथवा वे इसका विरोध क्यों करते हैं। मैं समझता हूं कि वे केवल इसका विरोध करने के लिये विरोध कर रहे हैं। वे भारत की जनता की आवश्यकताओं को नहीं समझते हैं।

1957 के बाद से ही इस आवश्यकता का अनुभव किया गया था। हमें यह साहसिक कदम उठाने के लिये अपने प्रधान मन्त्री को बधाई देनी चाहिये। यह साहसिक राजनैतिक निर्णय है। मैं कुछ रिपोर्टों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनमें जनता को अधिक शक्तियां देने और निचले स्तर पर अधिक शक्तियों के अन्तरण की सिफारिश की गयी थी वे निम्नलिखित हैं :

श्री बलवन्तराय जी० मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन दल की रिपोर्ट, 1957;

श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट, 1977;

डा० जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये विद्यमान प्रशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा समिति की रिपोर्ट, 1985 और

डा० एल० एम० सिंघवी द्वारा लोकतन्त्र और विकास के लिये पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन सम्बन्धी प्रारूप अवधारणा पत्र, 1986।

इस प्रकार 1957 से एक प्रकार की आम बहस चल रही थी परन्तु कुछ स्पष्ट कारणों से इसे मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सका। अब हमारे युवा प्रधान मन्त्री ने तुरन्त निर्णय लिया है कि जनता को शक्तियों का अन्तरण करने तथा उन्हें अधिक शक्ति देने के लिये मूक क्रान्ति लायी जाए। इसलिये उन्होंने ये विधेयक प्रस्तुत किये हैं।

इन संवैधानिक संशोधन विधेयकों का समर्थन करते हुए मैं अपनी कुछ राय व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अनुभव करता हूं कि अब तक हमारी द्वि-स्तरीय शासन व्यवस्था है। इन विधेयकों में निचले स्तर पर राजनैतिक और विकास शक्तियों के अन्तरण की व्यवस्था की गयी है। परन्तु निचले स्तर पर प्रशासनिक शक्तियों के अन्तरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिये मैं एक कदम बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि इन संवैधानिक संशोधन विधेयकों के पारित होने के बाद हमें इस द्वि-स्तरीय शासन व्यवस्था के बजाए देश में स्पष्ट रूप से त्रि-स्तरीय, अर्थात् केन्द्र, राज्य और जिला प्रशासन व्यवस्था के बारे में विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे राज्यों का प्रशासनिक ढांचा मुख्य सचिव से शुरू होता है वैसे ही जिलों का भी प्रशासन ढांचा होना चाहिये —जो जिला सचिव से शुरू होता है।

वास्तव में हमारे जैसे देश में जहां विभिन्न समुदाय और दुर्गम क्षेत्र हैं वहां हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये मैं अनेक स्थानों पर राजनैतिक शक्तियों के अन्तर को उचित समझता हूं अर्थात जहां भी अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, उनको अधिक से अधिक अन्य संस्थाओं को अन्तरण किया जाना चाहिए। ऐसा करके हम दूरस्थ, घने और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों का वास्तविक विकास करने के लिये एक बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं।

मैं ढांचा और अन्य बातों के सम्बन्ध में कहना चाहता था। चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। इन संवैधानिक संशोधनों को प्रस्तुत करके हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने एक क्रान्ति पैदा कर दी है। विपक्ष ने इन संशोधनों के प्रति जो दृष्टिकोण प्रदर्शित

किया है, मेरे विचार से भारत की जनता ने उन्हें अच्छी तरह समझ लिया है। वे हमें और भारत को नहीं धमका सकते हैं। श्रेष्ठ को हमेशा साधारण का नेतृत्व करना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भान शर्मा (विदिशा) : माननीय सभापति महोदय, संविधान के चौसठवें और पैंसठवें संशोधन के समर्थन मे कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। हमारे देश के नौजवान प्रधान मन्त्री सम्माननीय श्री राजीव गांधी जी ने ये दोनों विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत करके ऐसा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इन विधेयकों के माध्यम से संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि धर्म-निर्पेक्षता और लोकतंत्र को जो कि भारत की नींव है, उसको ग्रासरूट तक पहुंचाएं और पंचायतों के माध्यम से उनको अधिक मजबूत बनाकर, अधिक शक्ति देकर और विकास के कार्यों में लगाकर सही मायने में सत्ता का हस्तांतरण ग्रासरूट लेवल तक, ग्राम पचायत स्तर तक करें। जिस बात की कल्पना राष्ट्र निर्माता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के समय की थी, पचायती राज का जो आह्वान उन्होंने किया था, उस आह्वान को इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है और ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे पूरे राष्ट्र में, ग्रामीण अंचल में एक नई आशा का संचार हुआ है। आज गांवों में पंचायती राज के सम्बन्ध में इतना विश्वास देखने को मिलता है, इससे पहले इसकी कल्पना नहीं की गई थी।

संविधान के चौसठवें संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से निर्वाचित करने, उन्हें अधिकार देने की बात 11वें अनुच्छेद में उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की बात इस विधेयक में कही गई है, जो निश्चित रूप से इन बातों को मजबूत करेगी जिनकी अपेक्षा हमारे गांव के लोग पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं।

सभापति महोदय, पंचायती राज की व्यवस्था और इसकी कल्पना कोई 4-6 महीनों के विचारों का जन्म नहीं है, इस आठवीं लोकसभा के गठन के समय से ही और नई सरकार के गठन के समय से, 984-85 से ही उत्तरदायी प्रशासन बनाने के लिए अधिकारों के विकेन्द्रीकरण और ग्रामोन्मुखी विकास की दिशा में हमारे नौजवान प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने बड़ी कारगर पहल की। देश के कोने-कोने में भ्रमण किया, दूर-दराज ग्रामीण अंचलों में, गरीबों की झोपड़ियों, किसानों के खेतों में और उनके दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। इस बारे में अधिकारियों से चर्चा की, छोटे अधिकारियों से लेकर प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों से लेकर, जो रात-दिन योजनाओं के कार्यान्वयन में काम करते हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी, जिलाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और विकास से सम्बन्धित विकास आयुक्त, उन सभी से प्रधान मन्त्री जी ने अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग, सेमीनार्स में अलग-अलग वर्कशाप्स में चर्चाएं कीं। जो इंटरएक्शन किया उसका परिणाम सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में व ज्यादा अधिकार निर्वाचित लोगों को मिल सकें जिससे एक तरफ गांवों में प्रजातन्त्र मजबूत हो और दूसरी तरफ विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारे चुने हुए सरपंचों को ज्यादा दायित्व हो और ज्यादा जिम्मेदारी उन पर डाली जाए। इस बात पर काफी कुछ कहा जाता था कि विकास योजनाओं पर ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है और निर्वाचित

प्रतिनिधियों को काम नहीं करने दिया जाता। कई अच्छे कामों पर ब्यूरोक्रेसी का अड़गा लग जाता है। जिस तरह से पंचायती राज में इन कानूनों को मजबूत बनाकर संविधान में पंचायतों को सम्मानित दर्जा दिया है, जिस तरह से 65वां संशोधन प्रस्तुत करके नगरपालिकाओं को एक सीमित अवधि में निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक मैनडेट जारी हुआ है और जिस तरह से नगरपालिकाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने के लिए प्रावधान हमारी सरकार ने इस विधेयक में रखा है, इससे यह बात साफ होती है कि शहरी और ग्रामीण विकास दोनों के समन्वित प्रयासों से हम देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। शहरी और ग्रामीण विकास योजनाओं को हम अलग-अलग न रखकर उसकी इंटीग्रेटेड एप्रोच के माध्यम से विकास को नयी गति देना चाहते हैं और देश में लोकतंत्र को ग्रास-रूट तक मजबूत करना चाहते हैं। नगरपालिका परिषद और उससे ऊपर तीन लाख की आबादी पर नगर-निगम बनाने का और अन्य जो प्रावधान इसमें रखे हैं, वे स्वागत योग्य हैं। छोटी-छोटी जगहों में जहां नगरपालिका काम नहीं कर सकती वहां नगर पंचायत का स्वरूप देकर सुविधाएं देने का प्रयास किया है। इसके लिए शहरी विकास मन्त्री जी, ग्रामीण विकास मन्त्री और आदरणीय प्रधान मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा। जिस तरह से आपने यह संशोधन विधेयक पेश किया है, उसी तरह से न्यायपालिका और सहकारिता क्षेत्र में जो खामियां हैं और हमारे मतदाता व गांव के गरीब को झकझोर कर रख देती है उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप देने के लिए भविष्य में ग्रामीण स्तर पर न्याय सुलभ हो और ग्राम पंचायत स्तर पर न्यायपालिका का गठन कर सकें, सहकारिता को और अधिक मजबूत तथा व्यापक बना सकें जिससे भ्रष्टाचार की जड़ें वहां पर खत्म हों, इस दिशा में हमारी सरकार को प्रयास करना चाहिए। मैं आदरणीय राजीव जी को हृदय से बधाई देना चाहूंगा कि आजादी के 42 वर्ष बाद एक ठोस और कारगर कदम उन्होंने उठाया है। इससे लोकतन्त्र मजबूत होगा और अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में और प्रशासन को और उत्तरदायी बनाने की दिशा में दूरगामी परिणाम हमारे देश को प्राप्त होंगे। आपने समय दिया, इसके लिए आभारी हूं।

4.29 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री आर०एस० माने (इचलकरांजी) : सभापति महोदय, हमारे माननीय नेता श्री राजीव गांधी ने संविधान (64वां संशोधन) विधेयक और संविधान (65वां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया है। उन्होंने इन विधेयकों को ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी बताया है। मैं भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को स्वतन्त्रता दी, पंडित नेहरू ने आयोजन की अवधारणा प्रस्तुत की, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20-सूत्री कार्यक्रम चलाया और हमारे महान नेता श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज और नगरपालिका विधेयक प्रस्तुत किये हैं। उनके विस्तृत भाषण से कोई भी समझ सकता है कि ये विधेयक व्यापक हैं और उन्होंने जनता में वास्तविक रूप से पूरा विश्वास व्यक्त किया है। इससे कोई भी उनकी देश और भारत की जनता के प्रति देश भक्ति का अन्दाजा लगा सकता है। देश की स्वतन्त्रता के विगत 40 वर्षों के दौरान हमने महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता के रूप में देखा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आयोजन की अवधारणा प्रस्तुत की थी।

श्री लाल बहादुर शास्त्री को कृषकों और सशस्त्र बलों में अच्छी छवि थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत को एक शक्तिशाली देश बनाया। परन्तु अकेले श्री राजीव गांधी ने भारतीय जनता में पूरे विश्वास और सद्भावना के साथ सच्चा लोकतन्त्र स्थापित किया है। मैं उनमें केवल राजीव गांधी ही नहीं बल्कि महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले, शाह महाराज और डा० अम्बेडकर को जिनके सिद्धांतों का उन्होंने पालन किया है और भारतीय जनता के हितों में कार्यान्वित कर रहे हैं, देखता हूं। विभिन्न राज्यों ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रयास किया परन्तु ऐसा विश्वास और विस्तृत अध्ययन के बिना किया गया। मैं प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को बधाई देता हूं। वह हमारे देश के महान नेता हैं। हम 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्र हुए थे। परन्तु भारतीय जनता को वास्तविक स्वतन्त्रता अभी मिली है जब श्री राजीव गांधी ने पचायती राज और नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में व्यापक और बिना किसी कमी के 65वां और 65वां संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया है। इस देश की 50% जनसंख्या अर्थात महिला वर्ग की अब तक उपेक्षा की गयी है। परन्तु श्री राजीव गांधी ने केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि इस देश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों को पूरा न्याय दिया है। केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के बारे में विचार करने के लिये वित्त आयोग का गठन किया गया है परन्तु प्रधान मन्त्री ने जिला और राज्य के सम्बन्धों के बारे में विचार करने के लिये वित्त आयोग के लिए प्रबन्ध किया है। मैंने पाया है कि इन विधेयकों में भारत की जनता को वास्तविक शक्तियां दी गयी हैं। 9 अगस्त को—भारत छोड़ो दिवस—भारत वास्तविक रूप से स्वतन्त्र हुआ है। इन विधेयकों में अनेक उपबन्धों का उल्लेख किया गया है। लोकतंत्रवासियों को वास्तविक शक्तियां दी गयी हैं। लोकतंत्रवादियों पर नौकरशाहों का कोई नियन्त्रण नहीं है। आज तक भारतीय इतिहास में लोकतंत्रवादी और नौकरशाही दो वर्ग रहे हैं। अब इन विधेयक से वास्तविक लोकतंत्र शुरू किया गया है। हमारे प्रधान मन्त्री ने त्रि-स्तरीय व्यवस्था अर्थात जिला स्तर राज्य स्तर और केन्द्र स्तर के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को सत्ता दी है। भारत में लाखों गांव और हजारों शहर है। इसलिये हमारा देश निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। मैं श्री राजीव गांधी को सच्चा लोकतन्त्र शुरू करने की बधाई देता हूं। मैं कह सकता हूं कि वह भारतीय लोकतन्त्र के वास्तविक और सच्चे निर्माता है।

4.33 म०प०

बोडो आन्दोलन के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : असम के मुख्य मन्त्री आज गृह मन्त्री को उनके कार्यालय में मिले। उन्होंने असम के कुछ भागों में अखिल बोडो छात्र संघ तथा अन्यों द्वारा शुरू किये गये वर्तमान आन्दोलन से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा की। असम सरकार द्वारा अखिल बोडो छात्र संघ, आंदोलन के नेताओं तथा भारत सरकार के बीच दिल्ली में संयुक्त बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से असम के मुख्य मन्त्री गृह मन्त्री को एक पत्र भेजेंगे। मुख्य मन्त्री तथा गृह मन्त्री के बीच भारत के संविधान के ढांचे के भीतर एक समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करने के प्रश्न पर सहमति थी। उन्होंने आंदोलन के नेताओं से हिंसा को रोकने तथा बातों द्वारा समाधान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 1000 घन्टे के बन्द के आह्वान समेत सभी आंदोलनों को वापस लेने की अपील भी की।

4.34 म०प०

संविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक

और

संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक—जारी

[हिन्दी]

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैं जो कुछ कहना चाहता था वह सारी बातें कह दी गई हैं, अब कहने के लिए कुछ नहीं है। मै सिर्फ दो-तीन बातें ही मुख्यतः कहना चाहूंगा। इतिहास श्री राजीव गांधी को और बात के अलावा यह दो महत्वपूर्ण विधेयकों या संशोधनों को लाने के लिए हमेशा याद रखेगा। देश में पचायत राज में जो परिवर्तन हो रहा है और ग्रास रूट पर जो डेमोक्रेसी जा रही है इसके बारे में कितना उत्साह है यह उन्हीं से पता चल सकता है जो गांव-गांव घूमे हैं। पिछले जाड़ों में जब पंचायतों के सरपंच, मुखिया और प्रधान मन्त्री जी और भजनलाल के आग्रह पर दिल्ली आये थे तो यहां से वे बड़े संतुष्ट होकर गये थे। गांवों में जाकर उन्होंने कहा कि राजीव जी ही हमारे सच्चे शुभ-चिन्तक हैं और कोई दूसरा नहीं है। उन्हें उस समय ही यह भान हो गया था कि विपक्ष के लोग इसमें कुछ न कुछ अडंगा जरूर लगायेंगे और आखिरकार उनकी आशंका सही साबित हुई। मैं गर्मियों के दिनों में देहातों में घूमा हूं और मैंने स्वय देखा कि ऐतिहासिक जवाहर रोजगार योजना को लेकर देहात के लोगों में भारी उत्साह है। वहां सब लोगों ने मुझसे एक ही निवेदन किया कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने 15 मई, 1989 को लोक सभा में पंचायती राज बिल इन्ट्राड्यूस करते समय जो भाषण दिया था, उसकी कापियाँ हर ग्राम पंचायत के प्रधान, मुखिया और सरपंच को भिजवाई जायें। माननीय मन्त्री जी शायद आप के पास सरपंचों, मुखिया और ग्राम प्रधानों की लिस्ट होगी, मेरा निवेदन है कि आप प्रधानमन्त्री जी के भाषण की प्रति उन लोगों को भिजवाने की व्यवस्था कर दें क्योंकि गांवों में अखबार जाते नहीं हैं और यदि जाते भी हैं तो उनमें सारी बातें नहीं होतीं। जब उनके पास सारी बातें पत्र के माध्यम से पहुंचेंगी तो उन्हें वे हमेशा-हमेशा के लिये याद रखेंगे और सैंकड़ो-हजारों लोगों को बतायेंगे। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि आप प्रधान मंत्री जी के भाषण की प्रतियां हर सरपंच, मुखिया और ग्राम प्रधान को अवश्य भिजवायें।

मैं एक-दो बातें ही और कहकर समाप्त करूंगा। हिन्दी हार्ट लैंड की असैम्बलियों में आजकल क्रिमिनल्स बहुत आ गये हैं, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। जब मैं गांवों का दौरा कर रहा था तो अनेक लोगों ने मुझसे कहा कि इस बात की सुरक्षा होनी चाहिये कि पंचायतों में क्रिमिनल्स बिल्कुल न आने पायें। लोगों का डर निर्मूल नहीं है। पचायतें बहुत कम लोगों द्वारा चुनी जाती हैं, बहुत कम मतदाता उनके चुनाव में भाग लेते हैं और सरपंच या मुखिया का चुनाव करते हैं। यदि उनमें दो-चार भी दादा-टाइप लोग आ गये, जिनके पास कन्ट्री मेड रिवाल्वर हो, बम हो, तो उससे ग्राम पंचायतों का वातावरण खराब हो जायेगा और गांवों के विकास का हमारा लक्ष्य समाप्त हो जायेगा। सब जानते हैं कि गांवों में पंचायत इलैक्शन्स के दौरान बूथ कंप्चर करना, असैम्बलीज और पालियामेंट के चुनावों के दौरान बूथ कैप्चर करने से आसान है। इसीलिये मुझसे

लोगों ने जो कुछ कहा, उनकी भावनाएं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। लोगों को डर है कि पंचायत इलैक्शन्स में क्रिमिनल्स न आ जायें।

एक बात और है। इन विधेयकों के जरिये आप डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पौलिसी को मूर्त रूप देने जा रहे हैं. आप कोशिश कीजिये कि इन डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पौलिसी के पीछे जो भावनाएं छिपी हैं, उन भावनाओं का पूरा-पूरा सम्मान किया जाये, उन का पालन हो। एक प्रावधान आपने यह किया है कि हर स्टेट अपना फाइनैंस कमीशन बनायेगी जिससे कि डिवौल्यूशन आफ रिसोर्सेज हो सके। मुझे आपसे एक ही गुजारिश करनी है कि स्टेटस में जो भी फाइनैंस कमीशन बने उसमें पब्लिक रिप्रेजैन्टेटिव्ज अवश्य हों, चाहे एम० पी० हो, एम० एल ए० हो, क्योंकि ये लोग ही जनता की भावनाएं अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि रिसोर्सेज कहां से आ सकता है। अन्त में कहना चाहूंगा कि नगर पालिकाओं से सम्बन्धित बिल भी उतना ही अच्छा और प्रभावशाली है जितना महत्वपूर्ण पचायती राज बिल है लेकिन आप कोशिश कीजिये कि नोटिफाइड एरिया कमेटी कम से कम जगह हों। यह ठीक है कि ऐसा राज्य सरकारें कर सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा म्युनिसिपैलिटीज हों जिनमें लोग चुनकर आयें, क्योंकि डैमोक्रेसी को हम सही अर्थों में अब ग्रासरूट लेवल पर ले जा रहे हैं और यह देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है, जिसके लिये देश श्री राजीव गांधी को हमेशा याद रखेगा।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय हम इन दोनों संविधान संशोधन विधेयकों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं। पहला विधेयक सिर्फ पंचायती राज और ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बधित है। दूसरा विधेयक नगरपालिकाओं से तथा कुछ परिवर्ती क्षेत्रों से भी सम्बन्धित है जिनका विधेयक के अन्तर्गत नवीन प्रावधान है।

जहां तक पंचायती राज विधेयक का सम्बन्ध है, इस पर काफी समय से चर्चा हो रही थी क्योंकि यह काफी समय पहले पुरःस्थापित किया गया था। पंचायती राज से सम्बन्धित पहला संविधान संशोधन बिधेयक पुरःस्थापित करते समय, जब विपक्षी दल यहां उपस्थित थे, तब इस सभा की वैधानिक सक्षमता को भी चुनौती दी गई थी। यही मुद्दे माननीय सदस्य श्री सैयद शाहबुद्दीन ने संविधान पैंसठवां सशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करते समय भी उठाए थे। उस समय माननीय मन्त्री श्री शिव शंकर ने इस सभा की वैधानिक सक्षमता को बनाए रखा था और इस अवसर पर विधि मन्त्री श्री शंकरानन्द ने इस आधार पर इसे बनाए रखा था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत इस सभा की वैधानिक सक्षमता विद्यमान है। संविधान का अनुच्छेद 368 इस सभा क संविधान में संशोधन करने की सक्षमता देता है और जैसा कि अनेक अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है जब तक हम संविधान के मौलिक स्वरूप को नहीं बदलते, यह सभा वैधानिक रूप से सक्षम है।

मैं इससे भी अधिक यह कहूंगा कि इस संविधान में निहित नीति निर्देशक सिद्धांत विशेष कर अनुच्छेद 40 राज्यों को निदेशित करता हुआ इस विषय में कहता है :

"राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

यह भी कहा गया है कि राज्य के अन्तर्गत न सिर्फ संसद बल्कि राज्य विधान मण्डल भी सम्मिलित होंगे। यदि पिछले चालीस वर्षों से राज्य विधान मण्डलों ने अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत नीति निर्देशक-सिद्धान्तों को सही तरह से लागू नहीं किया है तो इस सभा का यह कर्तव्य है कि इस नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई उचित व्यवस्था करे यद्यपि ये नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा प्रभावी होने वाले नहीं है, फिर भी इनमें निहित सिद्धांत इस देश के शासन के लिए बुनियादी हैं। संवैधानिक विशेषज्ञ श्री सिब्बई ने कहा है कि 'यह आशा थी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में विफल होने वालों को चुनाव के समय सख्त सबक मिलेगा।" यदि आप निदेशक सिद्धांत लागू नहीं करेंगे तो आपको चुनावों के समय सख्त सबक मिलेगा हम इस संवैधानिक संशोधन में इसे कानून को बना रहे हैं अर्थात हम राज्यों को निर्देश दें कि वे अपने कानूनों में इस विशेष सिद्धांत को निहित करने के लिए कानून पास करें।

इस सभा से बाहर तथा जब विपक्ष यहां मौजूद था तब इस सभा में भी एक प्रश्न किया गया था कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अलावा हम उन्हें निदेश दे रहे हैं कि इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों का अनुसरण करें तथा इनके आधार पर कानून पारित करें जिनमें वे सिद्धान्त निहित हों जो हम संविधान में कर रहे हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो इसके दो परिणाम होंगे। पहला तो यह कि चुनावों के समय उन्हें प्रतिकूल उत्तर मिलेगा। यदि राज्यों में सत्ता में आने वाली राजनैतिक पार्टियां, यदि विपक्षी पार्टियां सत्ता में आ भी जाती हैं, इसका पालन नहीं करती हैं, इसे लागू नहीं करती हैं तो उन्हें भविष्य में मतदाताओं का सामना करना पड़ेगा और स्वयं मतदाताओं से उन्हें अत्यधिक प्रतिकूल उत्तर मिल सकता है।

इस सभा के सम्मुख एक संदेहपूर्ण सम्भावना रखी गई है कि मान लीजिए यदि वे ऐसा नहीं करते तो फिर केन्द्र शायद उस सरकार को बर्खास्त करने में सक्षम हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि उस राज्य में सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल रही थी। संविधान में यह प्रावधान है कि पचायती राज हो; एक नगरपालिका हो और राज्यों द्वारा बनाया गया एक कानून हो। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वह संविधान का अतिक्रमण करेंगे और केन्द्र के लिए उन्हें बर्खास्त करना भी संभव हो सकेगा। उन्हें मतदाताओं का सामना करना पड़ेगा और केन्द्र सरकार अर्थात केन्द्र में मंत्रिमण्डल उनके खिलाफ कदम उठा सकता है। ये मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें हरेक को ध्यान में रखना होगा।

अब मैं नगरपालिका तथा पंचायती राज, दोनों के लिए संविधान में विद्यमान मुख्य विशेषताओं पर आता हूं सर्वप्रथम, पर्याप्त आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण एक अत्यन्त विशिष्ट तरीके से होते हैं। सम्भवतः इन आरक्षणों के सम्बन्ध में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। न केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुसार आरक्षण किया गया है बल्कि उनकी महिलाओं के लिए भी 30% आरक्षण है। जहां तक अनुच्छेद 243ग का सम्बन्ध है, हम

देखते हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। यह कहा गया है कि :

"इस भाग की कोई बात राज्य के विधान-मंडल को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए पंचायत के अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण हेतु उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।"

इस प्रकार यह और अधिक आरक्षण है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण, जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, अनुच्छेद 243ग के खण्ड 2 में है : "कुल स्थानों के 33% के यथा सम्भव निकट" विशेष रूप से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए विशेष रूप से आरक्षित हैं। इस प्रकार, यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपबन्ध है जिस पर इन 40 वर्षों के दौरान कभी भी नहीं सोचा गया और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

दूसरी विशेषता यह है कि चुनाव हर पांच वर्ष बाद कराए जाएंगे। ये चुनाव-चुनाव आयोग के अन्तर्गत होंगे।

महोदय, तीसरे, राज्य वित्त आयोग का गठन नई बात है। हमारे यहां केन्द्रीय वित्त आयोग है, लेकिन अब राज्यों में एक राज्य वित्त आयोग होगा और वे धनराशि का आबंटन करेंगे। कुछ राज्यों में जहां यह शिकायत है कि एक विशेष क्षेत्र में धनराशि व्यय की जाती है और दूसरे विशेष क्षेत्र में इसे व्यय न करने से असन्तुलन रहता है, राज्य वित्त आयोगों की नियुक्ति से उनके द्वारा विभिन्न स्थानीय निकायों अर्थात पंचायतों और नगरपालिओं को धनराशि के वितरण की देख-रेख की जाएगी, और ये सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस प्रकार, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता है।

चौथी विशेषता यह है कि इन पंचायतों, नगरपालिकाओं और निगमों के सम्बन्ध मे महालेखा-परीक्षक इनके लेखों की जांच करेगा।

हम ये चार महत्वपूर्ण विशेषताएं समाविष्ट कर रहे हैं। ये अत्यधिक उपयोगी हैं।

महोदय मैं बम्बई शहर से हूं अब मैं इस संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक के बारे में कुछ विशेष टिप्पणियां करना चाहूंगा, जो कि नगरपालिकाओं अर्थात नगर परिषद तथा नगर निगमों से सम्बन्धित है। नगर पालिका 3 लाख तक की जनसंख्या के लिए और इसके ऊपर नगर निगम होते हैं। विधेयक में एक अत्यन्त नवीन विशेषता रखी गई हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। 34% व्यक्ति शहरों में रह रहे हैं और धीरे-धीरे शहरीकरण बढ़ रहा है। अत: यहां एक नयी बात है। 243ट में यह उपबन्ध किया गया है कि प्रत्येक राज्य में परिवर्ती क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत गठित की जायेगी अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के लिए। अत: शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र आपस में न केवल इस दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं बल्कि विकास मण्डल भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को परस्पर जोड़ते हैं। अत: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक में हम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आकांक्षाओं को परस्पर जोड़ रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे अन्तर को इसके द्वारा कम किया जा सके।

जैसा कि मैं सोच रहा हूं, मैं यह भी इंगित करना चाहूंगा कि कुछेक प्रावधान बलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं। इन पर बहुत सावधानी से विचार करना होगा। उदाहरण के तौर पर, हमने "वार्ड समितियां" बनाई हैं उदाहरण के तौर पर नगर निगम क्षेत्रों में तीन-स्तरीय पद्धति है वहां नगर निगम, क्षेत्रीय परिषदें और वार्ड समितियां भी होंगी। उस दृष्टि से मुझे डर है कि हमें सावधानीपूर्वक इस पर विचार करना होगा क्योंकि हम इतने अधिक सत्ता के केन्द्र बना रहे हैं। नगर निगम पार्षद का चुनाव एक "वार्ड" से किया जायेगा। तत्पश्चात् वहां वार्ड समितियां होंगी। वार्ड समितियों और नगर निगम पार्षद में क्या सम्बन्ध है? इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है। केवल यही नहीं बल्कि वार्ड समितियां पुन: अपना अध्यक्ष चुनेंगी। अत: वार्ड समितियों का अध्यक्ष और नगर निगम पार्षद का चुनाव वार्ड से किया जायेगा। ये दो सत्ता के भिन्न केन्द्र हैं जो हम उसी वार्ड समिति के लिए बना रहे हैं। मुझे डर है कि इससे कुछेक विवाद उत्पन्न होंगे। केवल इतना ही नहीं बल्कि एक और तीसरा सत्ता का केन्द्र है अर्थात् क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष। क्षेत्रीय समितियां भी हैं। क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष को भी वही अधिकार होंगे। उनका आपस में क्या सम्बन्ध होगा? उनमें कौन वरिष्ठ होगा। वे कैसे कार्य करेंगी? पार्षद को वार्ड समिति का अध्यक्ष बनाए बिना वार्ड समितियां कैसे काम करेंगी? मेरे दिमाग में यह सन्देह है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर कुछ प्रकाश डालें।

तत्पश्चात् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आता है। यहां लेखा-परीक्षा किये जाने वाले लेखाओं के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं। उन लेखाओं में न केवल नगरपालिका परिषदों और निगमों के लेखाओं का उल्लेख किया गया है बल्कि वार्ड समितियों और क्षेत्रीय समितियों के लेखाओं का भी उल्लेख किया गया है। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आरम्भिक निकायों से अलग वार्ड समितियों और क्षेत्रीय समितियों के भी भिन्न-भिन्न लेखे होंगे जिससे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उन सभी लेखाओं की जांच कर सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य वित्त आयोग जिनका हम गठन कर रहे हैं क्या वे न केवल नगर निगम और परिषदों को धनराशि आबंटित करेंगे अथवा वार्ड समितियों और क्षेत्रीय समितियों को भी धनराशि आबंटित करेंगे। क्या आप वार्ड समितियों और क्षेत्रीय समितियों के लिए भी धनराशि निर्धारित करेंगे। यदि ऐसा नहीं है—क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, तो राज्य वित्त आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से केवल नगरपालिकाओं को ही धनराशि के आबंटन के सम्बन्ध में सिफारिश करने अथवा राशि देने सम्बन्धी अधिकार दिये गये हैं यदि ऐसा है तो हम ऐसा प्रावधान क्यों कर रहे हैं कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक वार्ड समितियों और क्षेत्रीय समितियों के लेखाओं की जांच करेंगे? क्या आरम्भिक निकायों से पृथक उनके अपने अलग लेखे होंगे और उन्हें अलग धनराशि दी जायेगी? इस बात को भी स्पष्ट किया जाये। इस समय विकास समितियां जिनका आप गठन कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक नगरपालिकाओं की कार्य-प्रणाली का सम्बन्ध है, हम उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक, नगरपालिकाओं का काम शहर का नागरिक प्रशासन देखता था। वे सफाई, पानी और बाजार सम्बन्धी सभी सुख-सुविधाओं और नागरिक प्रशासन का काम देखा करती थीं। हम उन्हें अब और अधिकार जैसे उस क्षेत्र का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सम्बन्धी अधिकार दे रहे हैं। जहां तक उनके कार्यों का सम्बन्ध है। इन दो अतिरिक्त मदों का उल्लेख किया गया है। अत:, अब हम इन नगरपालिकाओं के कार्यों का विस्तार कर रहे हैं। हम स्थायी निकायों के कार्यों का भी विस्तार कर रहे हैं। अभी

तक वे केवल शहर की नागरिक समस्याओं को देख रही थीं। अब वे आर्थिक और सामाजिक समस्यायें अर्थात् शहर में सामाजिक न्याय सम्बन्धी समस्याओं को भी देखेंगी। इस दृष्टिकोण से भी, नि संदेह हम बहुत प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं परन्तु हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि हम इन स्थानीय निकायों को और अधिकार दे रहे हैं और उस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए और अधिक धनराशि देनी होगी। निःसंदेह वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा मैं आशा करता हूं कि यह मामले के इस पक्ष की जांच करेगा और इन नगर निगमों के लिए पर्याप्त धनराशि देगा।

विकास योजना और अन्य गतिविधियां इन निकायों के लिए छोड़ी गयी हैं। इसे समय वहां जिला योजना समितियां भी हैं। मैं नहीं जानता कि क्या वे भी योजनायें बनायेंगी और यदि आर्थिक योजनायें भी बनायी जानी हैं तब हर जगह स्थापित हमारे वर्तमान जिला योजना बोर्डों के स्थान पर जिला योजना समितियां आ जायेंगी और मैं सोचता हूं कि इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया जाना चाहिये।

इस महानगरीय योजना के सम्बन्ध में बोलने से पहले मैं माननीय मन्त्री जी से इन योजना समितियों के बारे में भी स्पष्टीकरण चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय विकास बोर्ड भी हैं। हमारे यहां एक विशेष अधिनियम है जिसके अन्तर्गत विभिन्न नगरपालिका क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्रों की क्षेत्रीय आयोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। वे उन क्षेत्रों की विकास योजनाओं को देखती हैं। क्या अब उन्हें रद्द कर दिया जायेगा। क्या ये अधिनियम सगत नहीं हैं और क्या हमारे पास केवल जिला योजना समितियां ही होंगी जिन्हें हम वर्तमान सवैधानिक संशोधनों के अन्तर्गत गठित कर रहे हैं? अथवा क्या विकास योजनायें बनाने के लिए वहां केवल विभिन्न जिला योजना समितियां हैं जैसे कि योजना आयोग है और यह योजना आयोग पूरे देश के लिए योजनायें बनाता है और राज्यों के लिए हमारे पास विभिन्न योजना निकाय हैं। क्या ये जिला योजना समितियां हमारी वर्तमान योजना निकाय जैसी ही हैं अथवा क्या वे शहरों के लिए ही विकास योजनायें बनायेंगी? यदि शहरों के लिए योजना तैयार करने का विचार है तो उस उद्देश्य के लिए विस्तृत अधिनियम हैं, कम से कम महाराष्ट्र में तो एक विस्तृत क्षेत्रीय योजना अधिनियम है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उनका इन योजना समितियों से टकराव होगा।

इसी प्रकार महानगरीय योजना भी है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से बम्बई शहर में बम्बई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अर्थात् बी. एम. आर. डी. ए. अधिनियम है। वहां एक विशेष अधिनियम है जिसके अन्तर्गत न केवल बम्बई शहर के लिए योजना तैयार की जाती है, बल्कि इसके साथ लगे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी योजना तैयार की जाती है। वे क्षेत्र भी उस महानगर में शामिल हैं, पूरा अधिनियम उस महानगरीय क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित है। इस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 243 (य) के अन्तर्गत जब हम ये महानगरीय योजना निकाय बना देंगे तब क्या इस सबके बाद क्या उन सभी अधिनियमों का कोई औचित्य नहीं रहेगा? इस बात को भी देखना होगा।

5.00 म०प०

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह "बारहवीं अनुसूची" जो हमने बनायी है, उसमें सभी विषयो को नहीं रखा गया है। जहां तक विषयों का सम्बन्ध है। उनका भी सविस्तार उल्लेख नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं कहीं पर भी मार्किट, बूचड़खाना इत्यादि विषय नहीं देखता हूं। जहां तक नागरिक निकायों का सम्बन्ध है, यह उन विषयों में से एक है। वास्तव में, बम्बई नगर निगम में विभिन्न विशेष समितियां हैं। जहां तक इस 'विपणन समिति का सम्बन्ध है. वे पूरे शहर के मार्किट आदि को देखती है। वह विषय मुझे यहां पर दिखाई नहीं पड़ा है और मैं नहीं समझता कि किसी अन्य माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया हो। अतः इस "बारहवीं अनुसूची" को सावधानी-पूर्वक देखना होगा। यदि कोई विषय वहां नहीं हैं तो उन विषयों का उल्लेख करना होगा। कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी देनी होंगी जिनसे सारे नागरिक विषयों को उस अनुसूची में सम्मिलित किया जायेगा।

इन बातों के साथ मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं और इन दोंनों अधिनियमों का स्वागत करता हूं। अभी-अभी मैंने इस अधिनियम के इन प्रावधानों के बारे में काफी विचार किया। जहां तक मुख्य सिद्धांत और पूरे स्वरूप का सम्बन्ध है। मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 40 के नीति-निर्देशक सिद्धान्त और पंचायती राज प्रणाली का विचार सामने लाने का साहसी कदम उठाया और शहरी क्षेत्रों की नगरपालिकाओं को और अधिकार दिये।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : यह दो विधेयक स्वतन्त्र भारत के अत्यन्त शानदार इतिहास में महत्वपूर्ण कानून मान जाएगे। इनका समर्थन तथा स्वागत करते हुए मैं यह कहूंगा कि प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी युगप्रवर्तक और पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे हैं। भारत में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण और निजी थैलियों समाप्त करके आधार उपलब्ध कराया था। आज जब हम 64वें और 65वें सशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन लाकर इस पंचायती राज और नगरपालिका विधेयको पर चर्चा कर रहे हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि हम एक ऐसे प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे रहे हैं जो गांधी जी के समय से स्वतन्त्रता आन्दोलन पंडित जी और इन्दिरा जी के समय से चालू हैं; और अब वर्तमान प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में इस मामले को जारी रखा जा रहा है और यह बहुत जोर पकड़ रहा है।

मेरा सम्बन्ध एक ऐसे क्षेत्र से है जहां यह विधेयक आंशिक रूप में लागू होगा. जहां दोनों संशोधन आंशिक रूप में लागू होंगे। उदाहरण के तौर पर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में पंचायती राज लागू नहीं होगा। किंतु मेरे राज्य मणिपुर में केवल थोड़ा सा अंश ही लागू होगा। शेष पर्वतीय क्षेत्र जहां अनुसूचित जनजातियां हैं वहां लोगों को पंचायती राज का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो पहले ही स्वायत्तशाही पर्वतीय जिला परिषदों के उपबन्ध हैं। अतः इस कानून के आधार पर थोड़ा मतभेद चल रहा है। इसकी ओर प्रधान मन्त्री और सम्बद्ध मन्त्रालय को ध्यान देना चाहिए और सही निर्णय लिया जाना चाहिए। पर्वतीय लोग, अनुसूचित जनजातियों, जिन्हें जिला परिषद् का लाभ मिल रहा है, उन पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। वे ठीक ही कह रहे हैं

कि घाटी में पंचायतों को संविधान की सुरक्षा प्राप्त होगी, जबकि पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय जिले को किसी प्रकार की संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। इस सम्बन्ध में एक मांग की गई है कि छठी अनुसूची मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लागू होनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं कि 1972 में जब मणिपुर को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 1971 में संविधान में संशोधन करने के पश्चात् कानून के द्वारा छठी अनुसूची को मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र पर क्यों लाग नहीं किया गया? मणिपुर में पर्वतीय क्षेत्र और घाटी में भी जनता उसी जातीय समूह की है और त्रिपुरा और मिजोरम तथा असम के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में अन्तर स्पष्ट है। क्योंकि मणिपुर में जहां घाटी अथवा पर्वतीय क्षेत्रों के लोग, अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जाति के लोग सभी एक ही जातीय समूह के हैं। किसी प्रकार से कुछ ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण और घटनाओं के कारण —मैं नहीं कह सकता हूं कि दुर्घटना ों के कारण—घाटी के वे लोग जो मणिपुर बोलते हैं अपने आपको सवर्ण हिन्दू अथवा इसी स्तर के मानते हैं और उन्होंने अपने समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए आवेदन नहीं किये थे। इस प्रकार एक तरह से विभाजन किया गया। अब तो 40 वर्ष से संविधान लागू है। अब घाटी के लोगों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए संविधान में संशोधन करने में बहुत देर हो चुकी है किंतु इस पर अब विचार करना चाहिये जब हम मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों पर छठी अनुसूची लागू करने का विचार करें। श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में यह प्रश्न उठा था कि क्या पर्वतीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची के अन्तर्गत सुरक्षा उपलब्ध की जानी चाहिए। इस पर विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि छठी अनुसूची मणिपुर पर लागू नहीं की जा सकती क्योंकि लोग एक ही जाति-समूह के हैं और छठी अनुसूची में सदा विभाजक प्रवृत्ति है।

इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार किसी अधिनियम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने पर विचार कर सकती है। मणिपुर कोई विभाजन सहन नहीं कर सकता।

नगरपालिका विधेयक के सम्बन्ध में, मेरे राज्य में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भेद करना बहुत कठिन है। किंतु राजधानी नगर इम्फाल में, जो मणिपुर राज्य में एकमात्र नगर माना जाता है, वहां भी बाजार के एक छोटे से इलाके और बाबूपाडा के नाम की अफसरों की कालोनी तथा कुछ अन्य इलाकों को छोड़ कर—जहां नए मकान बने हैं वहां वास्तव में कोई शहरी क्षेत्र नहीं है। किंतु थोड़ी सुविधा के लिए नगरपालिका क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है और इस नगरपालिका में लगभग आठ विधान सभा चुनाव क्षेत्र हैं। किंतु इस नगरपालिका के पास कोई धन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है और यह राज्य सरकार की दया पर निर्भर है। समय-समय पर उस इलाके में सड़कों के छोटे-छोटे खण्डों का रखरखाव सीधे लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाते हैं और सरकार सड़कों के रखरखाव के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए नगरपालिका को राशि देने में संकोच करती है।

तो स्थिति यह रही है। अन्यत्र भी नगरपालिकाओं की यही स्थिति है। यहां राज्य सरकार के केवल नाम के लिए छः नगरपालिकाएं हैं और बहुत सी छोटी कस्बे की समितियां और अधिसूचित क्षेत्र हैं जिनमें घाटी और पर्वतीय क्षेत्रों की तीस जिला राजसमितियां शामिल हैं।

अतः इस क्षेत्र में जब यह दो विधेयक लागू होंगे तो लोग प्रसन्न होंगे; उन्हें नवजीवन प्राप्त होगी परन्तु उन्हें केवल एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सत्ता में हैं वे अपना रवैया बदलें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति विधान सभा सदस्य के रूप में आता है तो वह एक प्रकार से सोचता है और जब वह पंचायत या नगर पालिका अथवा किसी नगर निगम या कस्बे की समिति में सदस्य के रूप में आता है, तो वही व्यक्ति अलग ढंग से सोचता है। अतः अब पंचायत और नगरपालिकाओं के प्रशासन को, विकास और योजना और सामान्य प्रशासन को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने से मेरे विचार में मन्त्री की इच्छा अथवा विधान सभा सदस्य की यह इच्छा सर्वोपरि नहीं होगी कि कुछ राशि, कुछ सुविधाएं हाथ में ही रहें।

अतः यह दो विधेयक वास्तव में ऐसे विधेयक हैं जो देश के ग्रामीण लोगों को नया जीवन देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, संविधान के चौंसठवें और पैंसठवें संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने पिछले पांच वर्षों में प्रगतिशील विधेयक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो आवश्यक कानून, विधि और मान्यताएं प्रस्तुत की हैं, वे प्रख्यात हैं। उन्होंने जो अच्छे कदम उठाए हैं वे संपूर्ण भारत की जनता के लिए कल्याणकारी हैं। इन दोनों विधेयकों के माध्यम से शहरी क्षेत्र की आबादी और 60 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र की आबादी, इन दोनों का समन्वित और सन्तुलित ढंग से आर्थिक और सामाजिक विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूं। यह एक प्रगतिशील और साहसिक कदम है।

मान्यवर, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नगर नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज की बात कही थी और अपेक्षा की थी कि ये नई संस्थाएं ग्रामीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इसके साथ-साथ उनकी कल्पना थी कि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक समता और आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने में ग्राम पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान होगा। यह कल्पना भी की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि 1959 से लेकर 1989 तक इन 30 सालों के अन्दर जिन पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा तैयार किया गया था, पंडित नेहरू ने जिन ग्राम पंचायतों का ढांचा तैयार किया था, जो आकांक्षाएं और आशाएं लेकर उन संस्थाओं की स्थापना की गई थी, 12-12 वर्षों तक उनके चुनाव नहीं कराए गए। कई राज्यों में पंचायतों के चुनाव तक नहीं कराए गए। कई स्थानों पर इन संस्थाओं की स्थापना के बाद ही चुनाव नहीं हुए। इन सारी विषमताओं को प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने दूर किया। केवल दिल्ली शहर में नहीं केवल महानगरों में नहीं, नगरों में नहीं, प्रांतों की राजधानियों में, नहीं बल्कि सुदूरवर्ती राज-

स्थान के बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में, छोटे-छोटे गांवों और ढाणियों में जाकर देखा और उस सामान्य ग्रामीण जीवन को देखने के बाद उनकी समझ में आया और उन्होंने अहसास किया, उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में ग्रामीण जीवन में उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण गांव तक, गांव की आम जनता तक किया जाए। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में जो सूत्र रूप में कहा कि उनका उद्देश्य इन 64वें और 65वें संशोधन से किस प्रकार है, किस प्रकार का तात्पर्य है, मैं उन्हीं के शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा—

[अनुवाद]

मैं उद्धृण देता हूं।

"परामर्श देने की व्यापक प्रक्रिया मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में पूरी हो गई। पंचायती राज के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में 5 मई, 1989 को नई दिल्ली में प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने से एक नई क्रान्ति (परिवर्तन) आरम्भ होगा :"

"यह अधिकतम लोकतन्त्र और अधिकतम हस्तान्तरण पर आधारित क्रान्ति है। यह क्रान्ति जनता को शक्ति सौंपने की है।"....

[हिन्दी]

यह इस बात को जाहिर करता है कि वास्तव में प्रधानमन्त्री जी का जो सकल्प है कि किस प्रकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके आम आदमी को यह महसूस कराया जाए कि वह भी प्रजातन्त्र में बराबर का भागीदार है, कल्याणकारी राज्य का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में उसकी भी सक्रिय भूमिका है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि भारत वर्ष के अन्दर 27300 ग्राम पंचायतें हैं, 5426 पंचायत समितियां हैं, 349 जिला परिषद हैं, इतनी संस्थाओं को पंगु और अशक्त बना दिया गया, इनको क्षीण कर दिया गया, नाममात्र के लिए ये हमारे यहां स्थापित हैं तो फिर किस तरह से इस राज्य को, प्रजातन्त्र को सक्षम बनाने के लिए उनका योगदान हो सकता है। इतनी बड़ी संस्थाएं, जिनसे अपेक्षा की गई थी कि ये संस्थाएं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेंगी, ग्रामीण स्तर पर जहां पर 60 करोड़ आबादी है, उन लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान करेंगी।

5.15 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उनके पीने के पानी की रहन-सहन की, आवास की और किस तरह से भाईचारे की स्थिति पैदा होगी, इस सबकी जो कल्पना की गई थी, उन सब ग्राम पंचायतों को निकम्मा करके इस स्थिति में रखे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की प्रगति कैसे संभव हो सकती है इसलिए हमारे प्रधान मन्त्री जी ने राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी तरह जिला परिषद भी एक

महत्वपूर्ण संस्था है। मैं राजस्थान प्रान्त का उदाहरण देना चाहूंगा। वहां आज जिला परिषद के पास अपने आफिस की व्यवस्था करने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है, कोई वित्तीय सहायता उसको नहीं मिलती है। ऐसी पंगु संस्थाएं राष्ट्र के निर्माण में कितना सहयोग दे सकती हैं, यह कल्पना आप कर सकते हैं। प्रधान मन्त्री जी ने इस संशोधन के माध्यम से राज्य स्तर पर स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना की बात की है वह वास्तव में इन संस्थाओं को सशक्त व सक्षम बनाने के लिए और इन संस्थाओं को एक्टीव बनाने के लिए जो कदम उठाया है वह अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे संविधान के प्रिएम्बल में सोशल, इकोनोमिक और पोलिटिकल जस्टिस की प्राप्ति की बात कही गई है। अभी हमारे बिहार के एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा संभव हो सकता है कि इसमें असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाएं। ऐसे लोग आ सकते हैं जो मनी पावर का इस्तेमाल कर इन पर कब्जा कर लें। गांवों में सोशल सेट-अप को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी फोर्स गांव में आ सकती है। उनका निवारण किस तरह से किया जाए, उनको किस तरह से हटाया जाए, उसके लिए व्यवस्था इसमें की गई है कि एस० सी० एस० टी० का सही प्रतिनिधित्व होगा और इसके साथ-साथ तीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया जायेगा जो कि समाज के लिए बहुत आवश्यक है, समाज में इनको निर्बल कहा गया है। असामाजिक तत्वों की जो शंकाएं थी, उनको निर्मूल कर दिया है। ग्राम पंचायतों का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास और शहरी क्षेत्र के विकास में एक संतुलन रहना चाहिए, एक कोआर्डिनेशन जरूरी है। उस बैलेंस को बराबर रखने के लिए ज्वायंट इवलपमेंट कमेटी बनायी गयी है जो जिला स्तर पर होगी जिसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की आबादी का अनुपात होगा व जिला परिषद के तथा नगरपालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें नुमाइन्दे होंगे और वे उसमें बैठकर पूरे जिले के सामान्य विकास की बात को सोचेंगे। मैं समझता हूं कि जो बहुत सी कमियां हमारे विकास में थी उन सबको दूर करने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम होगा। प्रधान मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को सोचा है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में मिलकर संतुलित विकास करें जिससे उन लोगों को कोई शंका न हो। आज भारत वर्ष के अंदर 3301 अरबन सैटलमेंट्स हैं और उनमें लगभग तीन हजार नोटिफाइड एरिया कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं। मेरे अलवर नगर में म्युनिसिपेलिटी को बारह साल से बन्द किए हुए हो गए हैं। राजस्थान के अंदर कहीं-कहीं पर दस-पन्द्रह साल से नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं। इस तरह की जहां व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए हमारे प्रधान मन्त्री जी 65 वां संशोधन लाए हैं।

इस बात की कल्पना करते हैं, यह अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकारों से कि हर पांचवे वर्ष चुनाव कराये जायें, हर पांचवें वर्ष वहां के अकाउंट चैक हों और वित्तीय व्यवस्थाओं को देखें तो मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के लोगों को इस बात का सहयोग करना चाहिए था। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां का जो विरोध पक्ष है यह अप्रजातंत्रात्मक और अनुत्तरदायित्वपूर्वक है वह इस मायने में कि इन्होंने जो राष्ट्रीय मोर्चा बनाया उसमें पहला कर्त्तव्य यह दिखाया कि ग्राम पचायतों और नगर पालिकाओं को जो सत्ता दी जा रही है, उनको सक्षम बनाया जा रहा है उसमें इन्होंने असहयोग प्रकट किया। 15 मई, 1989 को 64 वां संविधान संशोधन पेश किया गया था यह जो 14 वां सत्र है इस लोक सभा का इसमें यह विचारार्थ लिया गया है। उसके प्रारम्भ से पहले ही सार्वजनिक सभाओं में प्रधान मन्त्री ने एलान किया था कि नगर पालिकाओं को शक्ति देने और

सक्षम बनाने के लिए भी प्रयास किया जायेगा। इन बातों को देखते हुए विरोधी पक्ष ने जानबूझ कर निर्णय किया है कि हम इसमें सहयोग न करें। मतदाताओं ने जिस अपेक्षाओं से और जिस उत्तरदायित्व के साथ उनको वोट दिया था और उनसे अपेक्षा की थी कि राष्ट्र के निर्माण में वे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में योगदान देंगे, वह इससे अब पीछे भाग रहे हैं। आज इनसे पूछो कि जो जनता ने इन्हें कर्त्तव्य सौंपा था उसका निर्वहन करने में ये क्यों गैर-जिम्मेदाराना भूमिका निभा रहे हैं। क्या वे इससे प्रजातन्त्र को मजबूत करना चाहते हैं क्या इसी तरह के आधार पर और इसी दृष्टिकोण के साथ वह देश को बर्बाद करने का प्रयास करने की साजिश नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका कार्य निन्दनीय है। राजीव गांधी ने जो अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, महात्मा गांधी ने कहा था कि शारीरिक शक्ति को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति को किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के अन्दर इच्छा शक्ति है, पोलिटिकल विल पावर है और उसको विरोधी पक्ष अपने असहयोग के माध्यम से किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकता। विजय उनकी ही होगी, क्योंकि विजयी वही होता है जो कल्याणकारी कार्यों के लिए आगे बढ़ता है और वे आगे बढ़ रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से उनकी विजय होगी इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत दी है। आज दो बिलों पर हम समान रूप से चर्चा में भाग ले रहे हैं, एक पचायती राज के ऊपर और दूसरा है नगर पालिकाओं से सम्बन्धित विधेयक। यह ऐसा मुद्दा है जिससे सारे देश को भीतर ही भीतर आन्दोलित किया है। देश के तमाम लोगों के जीवन में जिज्ञासा पैदा हुई है और उनमें एक सुखद एहसास हो रहा है। पहली बार देश में सामूहिक रूप से यह सोचने पर लोग विवश हुए हैं कि आज राष्ट्र के निर्माण में उनकी भी भूमिका है और सामाजिक इंवोल्वमेंट का एक आयाम तैयार हुआ है। हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने हिन्दुस्तान की एक लम्बे अर्से से जो देशवासियों के मन में परिकल्पना थी आजादी के आन्दोलन के जमाने से लेकर आज तक या उन दिनों में देश की आजादी की कल्पना लोग करते थे कि देश की आजादी की कल्पना लोग करते थे कि देश की आजादी के बाद देश में कौन से कदम उठायेंगे तो इस पर चर्चा होती थी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिन मुद्दों को विषय बनाकर अपने उद्देश्य की ओर संकेत किया था उसमें पंचायती राज की जो कल्पना की वह इसलिए की कि देश के चतुर्मुखी विकास और सामूहिक रूप से देश के आर्थिक विकास के लिए जहां सदा के लिए गरीबी मिटाई जा सकती है, जहां चारों तरफ कल्याणकारी राज्य लाया जा सकता है वह पंचायती राज से ही लाया जा सकता है।

5.25 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

काफी दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद जब इस विधेयक के सदन में आने की बात हुई, जिस पर कई वर्षों तक हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी एक्सरसाइज करते रहे तो इस दौरान हमारे

विपक्ष के लोग बड़ी सतर्क नजरों से सब कुछ देखते रहे। इससे उनकी दो बातें स्पष्ट होती हैं; पहले तो उन्होंने पचायती राज विधेयक का विरोध किया, दूसरे इसे राज्यों के मामले में हस्तक्षेप माना। विधेयक के सदन में आने से घबरा कर उन्होंने प्रधान मन्त्री को इन दो आधारों पर आलोचना का केन्द्र बनाया क्योंकि वे समझते थे कि पंचायती राज बिल आने से इस देश में लोकतन्त्र की जड़ें और मजबूत होंगी और देश के विकास में यह विधेयक कारगर कदम सिद्ध होगा। इसी से घबरा कर उन्होंने कई मनगढंत इल्जाम हमारे खिलाफ और प्रधान मन्त्री के खिलाफ लगाने शुरू कर दिये और उन्हें किसी न किसी रूप से विवाद के घेरे में लाने की कोशिश की। इससे यह संकेत मिलता है कि विपक्ष के लोग या तो पंचायती राज बिल लागू किये जाने के विरोधी हैं या इस विधेयक के जरिये हम देश के आम लोगों के हाथ में अपने भाग्य का फैसला खुद करने की जो शक्ति देना चाहते हैं, ताकि उन्हें आर्थिक विकास के सुअवसर प्राप्त हों उसका विरोध वे करना चाहते हैं। शायद वे ऐसा समझते हैं कि इस बिल के पास हो जाने से उनका नुकसान हो जायेगा और देश के आम लोगों को अनेक अधिकार मिल जायेंगे। इसी से घबरा कर वे सदन त्याग कर चले गये। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने इन विधेयकों को लाकर जो ऐतिहासिक कदम उठाया है उस से यह देश मूक क्रान्ति की ओर धीरे-धीरे बढ़ेगा। इसी के विरोध में हमारे विपक्ष के लोग बाहर चले गये और उन्होंने इन मसलों से अपने आप को दूर रखने का निर्णय लिया। इन विधेयकों के द्वारा जहां एक ओर हम पंचायतों को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को उनके स्तर पर ही हल करने का हमने निर्णय लिया है वहीं दूसरी ओर नगर पालिकाओं से सम्बन्धित विधेयक भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर पालिकाओं की भूमिका हमारे नगरीय जीवन में कितनी अहम है, पालने से लेकर श्मशान भूमि तक, हर स्तर पर नगर पालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन हमारा विपक्ष नहीं चाहता कि देश की नगर पालिकाओं की स्थिति में सुधार आये। इस बात से उन्हें परेशानी है। वे नहीं चाहते कि नगर पालिकाओं को ऐसे अधिकार दिये जायें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाये। वे नहीं चाहते कि नगर पालिकाओं की स्थिति सुधर जाने से नगरीय जीवन में किसी तरह का सुधार आये, लोग खुशहाल हों, अपना भाग्य खुद बना सकें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पचायतों को मजबूत करने के लिये इस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं, उनके 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव कराये जायेंगे, यदि कोई पंचायत पहले भंग हो जाये तो उसके चुनाव 6 महीने में होने जरूरी हैं, इनसे हमारी पंचायतें काफी सुदृढ़ स्थिति में आ जायेंगी, और जिम्मेदारी के साथ प्रजातन्त्र की रक्षा करने मे समर्थ होंगी। इस बिल से पचायती ढांचे में आमूलचूल सुधार आयेगा, उनकी सामूहिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे सम्पूर्ण देश का तेजी से विकास करने का मार्ग प्रशस्त होगा। यहां मैं नगर पालिका विधेयक के सम्बन्ध में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। आज नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है, उनकी आय के साधन बहुत कम हैं, जहां से उन्हें आय प्राप्त होती है, वे सोर्स बहुत कम हैं। मामूली टैक्सों से उन्हें बहुत अल्प आय होगी है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें यथेष्ठ फण्डस उपलब्ध करायें ताकि वे अपने खर्चों को स्वयं बर्दाश्त कर सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारें नगर पालिकाओं को आवश्यक मात्रा में धन उपलब्ध करायें, ऐसी आप व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, हमारी ग्राम पंचायत का पुराना नाम 'जनपीठ' था जैसा कि वैदिक काल में इसे कहा जाता था वेदों के कथनानुसार 'वसुदैव-कुटुम्बकम्' है। ग्राम पंचायत की हमारी परम्परा सदियों पुरानी है। पहले किसी निश्चित वृक्ष के नीचे पचायत लगती थी जहां गांव वालों की समस्याओं का समाधान होता था। लोग वहां एकत्र होते थे और सामाजिक तथा अन्य समस्याओं का निपटारा किया जाता था। मैं कहूंगा कि आज यह विधेयक अचानक ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने दो वर्षों पहले ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। वे जिलाधिकारीयों, मुख्य सचिवों, पंचों और सरपंचों से मिले। लेकिन विपक्ष के मुख्य मंत्रियों का क्या खेया था ? उन्होंने कहा, "देश के प्रधान मंत्री को क्या अधिकार है कि वे पंचों और सरपंचों से जा कर बात करें ? देश के प्रधान मन्त्री को क्या अधिकार है कि वे जा करें जिलाधिकारी, लम्बरदार या तहसीलदार से मिलें ? जब प्रधान मन्त्री महोदय ने अपना सम्मेलन बुलाया तो विपक्ष के सदस्यों ने यह रवैया अपनाया था। इन लोगों द्वारा अपनाई गई हमारी संघीय व्यवस्था की यह अवधारणा थी। विगत दो वर्षों से हमारे समक्ष यही चुनौती थी। लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि प्रधान मन्त्री ने मुख्य सचिवों से लेकर पंच तक से बातें की, निष्कर्ष के रूप में हमने यह पाया कि विपक्षी दलों के द्वारा सत्तारूढ़ राज्यों के मुख्य मंत्रीयों ने इन मुद्दों को चुनौती दी है। एक मुख्यमन्त्री द्वारा कही गयी बात हम दोहरा सकते हैं कि हमारी संघीय व्यवस्था में केन्द्र का कोई अस्तित्व नहीं है और केन्द्र सिर्फ एक परिकल्पना है। कुछ मुख्य मंत्रियों द्वारा यह रवैया अपनाया गया था। प्रत्येक तरीके से उन्होंने पंचायत बिल का प्रतिरोध करने की चेष्टा की। मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रहे हैं। मुझे साफ और स्पष्ट शब्दों में यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पंचायत बिल को ले कर श्री राजीव गांधी पर लगाया गया आरोप महात्मा गांधी पर लगाये गये आरोप के समान है। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहूंगा। यदि हमारे प्रधान मन्त्री ने महात्मा गांधी के सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया है तो पंचायत बिल का प्रतिरोध करना महात्मा गांधी के सपनों और लक्ष्यों का प्रतिरोध करना है।

महोदय, एक समय था जब अम्बेडकर जी ने इस सम्बन्ध में कुछ बात चलायी थी कि क्या हमें स्थानीय स्तर पर पंचायतों में आरक्षण करना चाहिए अथवा नहीं। एक समय उन्होंने सोचा था कि गांवों में उच्च जाति के लोग पंचायतों पर आधिपत्य जमा सकते हैं और इसलिये हमें पंचायतों में यह बात नहीं होने देनी चाहिए। शायद कुछ वर्ष पहले यह बात सच थी। आज ग्रामीण लोग जागरूक हो गये हैं और वे लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। इस देश में 40 वर्ष के कांग्रेस के शासन के दौरान प्रत्येक नागरिक प्रत्येक किसान जागरूक हो गया है और इसलिये पंचायतों की ईकाइयों में कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति या एक किसान पर आधिपत्य नहीं जमा सकता। यह आशंका बेबुनियाद है। अतः हमें अपनी पंचायतों को मजबूत बनाना है।

महोदय, यह कहा गया है कि इस विधेयक से संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन हुआ है। मैं यह बात कभी नहीं समझ पाया हूं। केशव भारती के मामले में जब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया उस समय भी न्यायधिशों को यह बात स्पष्ट नहीं हो पायी थी कि संविधान की मूल

संरचना का अर्थ क्या है। इस प्रकार की कुछ भी मूल संरचना नहीं है। यदि कहीं संविधान की कोई मूल संरचना है तो निश्चित रूप से पंचायत ही लोकतन्त्र का अन्तिम सोपान है और इसे ही संविधान की मूल संरचना होनी चाहिए। यदि कहीं कोई मूल संरचना है तो इन विधेयकों द्वारा हम संविधान की मूल संरचना को मजबूत बना रहे हैं। यह तर्क विद्वान कानून विद्रों द्वारा दिया गया है। यदि वे कहते हैं कि हम संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं तो यह कोई तर्क ही नहीं है।

अन्त में मैं विनम्रता पूर्वक एक सुझाव देना चाहूंगा। चूंकि इस विधेयक की अधिकांश बातों का कार्यान्वयन राज्य सरकार करेगी मैं भारत सरकार से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि वह इसमें न्याय पचायत भी शामिल करे। यदि इसमें न्याय पचायत शामिल की गई तो गाँवों में होने वाले छोटे-मोटे अपराध जैसे छोटी-मोटी लड़ाइयां आदि 500 रुपये या 1000 रुपये वसूल कर रोके जा सकते हैं ग्रामीण स्तर पर यह ग्राम पंचायतों द्वारा भी किया जा सकता है ताकि लोगों को न्यायालयों में जाना न पड़े। यदि ग्राम पंचायत कानून में अब न्याय पंचायत की व्यवस्था शामिल कर भी ली जाये तो उनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

5.35 म०प०

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि किए जाने और उनके लिए अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान किए जाने के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महान स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्र निर्माता पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी के वर्ष में 9 अगस्त, 1989 का दिन भारत छोड़ो दिवस की वर्षगांठ है। हम आज 47 वर्ष पूर्व के उस ऐतिहासिक क्षण को याद करते हैं जब महात्मा गांधी ने हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का अंतिम चरण शुरू किया था हमारे महान स्वतन्त्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त अवसर है।

जब वे स्वयं निःस्वार्थ रूप से स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े तो उन्होंने देश को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उनका संघर्ष सिद्धांत के लिए था, न कि भौतिक लाभ के लिए। उनका उद्देश्य महान विचारधारा थी, न कि संकीर्ण-अन्ध-देश भक्ति। उनका लक्ष्य भारत की स्वतन्त्रता एवं सभी भारतीय की स्वतन्त्रता प्राप्त करना था, न कि वैयक्तिक अथवा निजी स्वार्थ-सिद्धि। उनका महानतर उद्देश्य सर्वत्र साम्राज्य समाप्त करना और विश्व के सभी दलित लोगों को स्वतन्त्रता दिलाना था।

उनके बलिदान के लाभग्राहियों के रूप में हमारी पीढ़ी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे मांग न करते हुए जिस सहायता के पूर्णतः हकदार हैं, उन्हें प्रदान की जाए।

स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति हमारी कृतज्ञता, सराहना तथा सम्मान के प्रतीकस्वरूप, मुझे निम्नलिखित घोषणायें करते हुए हर्ष हो रहा है :—

(1) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अधीन स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन स्वतन्त्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं तथा आश्रितो के लिए 14-11-1988 से बढ़ा दी जाएगी। स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनकी विधवाओं के लिए पेंशन की मासिक दर 500/-रु० से बढ़ाकर 750/-रु० कर दी जायेगी। किन्तु, जो स्वतन्त्रता सेनानी भारत से बाहर कम से कम पांच वर्ष तक जेल में रहे थे, उनकी मासिक पेंशन 800/-रु० से बढ़ाकर 1000/-रु० कर दी जायेगी। उनके आश्रितों की पेंशन की दरें भी बढ़ाई जा रही हैं।

(2) स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए रेल द्वारा मुफ्त यात्रा की योजना 18-11-1988 के बाद बढ़ाकर आजीवन कर दी जायेगी।

(3) स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा पहली बार प्रदान की जायेगी।

हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घजीवी होने की शुभकामना करने में पूरा सदन मुझे सहयोग देना चाहेगा।

प्रो० संफुद्दीन सोज (बारामूला) : इतना प्रगतिशील और हितैषी उपाय करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भूतपूर्व सांसदों के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अगले सत्र में भी निर्वाचित होकर आएं और वेतन लें, न कि यह कि उन्हें पेंशन प्राप्त हो।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय आपकी अनुमति से मैं अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन की ओर से तथा उन लाखों स्वतन्त्रता सेनानियों, जो सौभाग्य से आज जीवित हैं तथा उनकी पत्नियां और उनके आश्रितों की ओर से प्रधान मन्त्री तथा सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने आज इस शुभ दिन पर उन्हें कुछ रियायतें और कई सम्मान प्रदान किए हैं।

5.40 म०प०

संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक
और
संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक—जारी

[हिन्दी]

मोहम्मद अयूब खां (झुंझनू) : जनाबे सदरे मौतरम, इस मुल्क का खाका तैयार किया महात्मा गांधी जी ने और इस मुल्क में रूह फूंकने का काम किया पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने और इस मुल्क को अपने मुकद्दस खून से सींचा श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने और इस मुल्क को परवान चढ़ाने का जिम्मा लिया श्री राजीव गांधी जी ने। यह हकीकते मुस्लिमा है कि कभी भी कुर्बानी रायगां नहीं जाती। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो इस देश की एकता और अखण्डता के लिये कुर्बानी दी दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी औरत-जात ने इतनी बड़ी कुर्बानी अपने देश के लिये कहीं दी हो।

इस बड़ी कुर्बानी के बाद उस खुदाबन्दे कद्दूस ने हमको एक फरिश्तानुमा प्राइम मिनिस्टर दिया जिसका नाम श्री राजीव गांधी है। इस मुल्क के करोड़ों अवाम की उमंगों की बदौलत उनकी वाहिशात और तमन्नाओं को मद्देनजर रखते हुए, उनकी जरूरियात को देखते हुए श्री राजीव गांधी ने अपना वह फर्ज निभाया, जो उनके दिल में तमन्ना थी।

श्री राजीव गांधी से अपने मुल्क के लिये जितना काम करने की लोगों को ख्वाहिशात थीं उन्होंने उससे ज्यादा काम कर के दिखाया। राजीव जी ने अपने मुल्क के कोने-कोने में जाकर, रेगिस्तान की उन झोंपड़ियों, में पहाड़ों की उन चोटियों पर, समुद्र के किनारों पर और हर जगह जाकर गरीबों की झोंपड़ियों में देखा कि किस तरह से हमारे गरीब और किसान और मजदूर आदमी वहां पर रह रहे थे और अपनी जिन्दगी बसर कर रहे थे, उनको देखते हुए उनके दिलो में एक तमन्ना जागी कि उनके उत्थान के लिये वह इस तरह का बिल ला सके जिस तरह से पंचायती राज और नगरपालिका का बिल यहां आया।

दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा प्रावधान नहीं है जो हमारे भारत में आया। मेरी गुजारिश है कि इस बिल की यादगार के तौर पर हमारे मुल्क में भी एक ऐसी यादगार बने, 15 मई और 7 अगस्त के लिये जिस तरह से अशोक की लाट या कुतुब मीनार। ऐसी मिसाल इस बिल के लिये हमारे मुल्क में तैयार हो और मुल्क के तमाम हिस्से के लोग आयें और उस यादगार की स्थापना यहां दिल्ली के अन्दर हो ताकि आने वाली नसलें इस चीज को याद करें। इस मुल्क में तारीख लिखने वाले सुनहरी हरफों में लिखें कि एक ऐसा वक्त आया था जिसमें श्री राजीव गांधी इस मुल्क की कयादत कर रहे थे और इस मुल्क के अवाम की तरक्की और बेहतरी के लिये इस बिल को लेकर आये।

इस बिल की जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है। मैं आपसे अपील करूंगा कि इस बिल में शिड्यूल्ड और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के लिये जो सुविधाएं रखी हैं महिलाओं के लिये जो सहूलियतें रखी हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि माइनौरिटीज के लिये जो 15 प्वाइन का कार्यक्रम है, उसको खत्म किया जाये और उनको भी इस बिल के माध्यम से सहूलियतें दी जा सकें, ताकि उनकी बेहतरी की जो बात है, उससे एक तरह की गलत भावना पैदा होती है वह उसमें आ जायें। मेरे दोस्त शाहबुद्दीन जी यहां नहीं हैं मैं गुजारिश करूंगा कि जब अहले मोमीन है, उनको सबसे ज्यादा प्यारी क्या चीज है, सबसे ज्यादा प्यारा अपना मादरेवतन है और अपना ईमान प्यारा है। श्री राजीव गांधी ने ही इस मुल्क में यह कर के दिखाया है कि मुसलमानों की शरीयत की हिफाजत श्री राजीव गांधी ने कर के दिखायी। मुसलमानों का यह फर्ज है, मुसलमानों को इस अहसास को ता-जिन्दगी नहीं भूलना चाहिये, यह एक ऐसा अहसान है जो दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में भी ऐसा नहीं मिलता। राजीव गांधी ने सब के लिये जो कर के दिखाया, वह हमारे फरिश्तानुमा प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने गरीबों के लिये उनकी तरक्की के लिये इस तरह का बिल यहां लाए, मैं तहे दिल से इसकी बहुत ही सराहना करता हूं। इससे हमारे मुल्क के कोने-कोने के लोगों के दिलों में एक उमंग जागी है कि कितनी उम्मीद थी, उससे भी ज्यादा कर के उन्होंने दिखाया है।

इस बिल में ऐसा भी प्रावधान होना चाहिये कि एक्स-सर्विसमैन भी इसमें शामिल हो सकें। एक्स-सर्विसमैन की एक बहुत बड़ी जमात है जो पेंशन पाती है। और एक्स-सर्विसमैन की हैसियत से वह आकर दोबार सैटल होता है। उनको भी इसमें शामिल किया जाये ताकि वह भी विकास के अन्दर मुल्क की धारा के साथ जुड़ सकें और अच्छे ढंग से अपने गांव और अपने शहरों की खिदमत कर सकें।

मैं एक दो सुझाव और दूंगा। नगरपालिकाओं में भी जो चेयरमैन का चुनाव है वह आम जनता की राय से हो ताकि उसमें भी कोई भेद-भाव न हो सके। नगरपालिका और पचायत के जो चुनाव हों, यह जो नया बिल है. इसके अन्दर एक ही चुनाव करें ताकि सच्चे ईमानदार आदमी सही जनता के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकें। उसके अन्दर जो कमियां है उनको दूर किया जा सके। मेरा यह कहना है कि इसमें आपने जो प्रावीजन किये हैं, उनको आप सही ढंग से लागू करें।

राजस्थान में झन्झुनू और सीकर में जो अभी नगरपालिकायें मौजूद हैं उनकी जनसंख्या 60-70 हजार से ऊपर है। अगर उन नगरपालिकाओं को वे सब सुविधायें मिल जायें जो कि इस बिल के तहत नगरपरिषदों को हैं तो इससे उन इलाकों का विकास हो सकेगा। हमारा कुछ इलाका हरियाणा से भी मिला हुआ है। हरियाणा में देवीलाल ने यह नारा लगाया है कि अगर हम सत्ता में आ गये तो 10 हजार रुपये तक का लोन माफ कर देंगे। आप इस भ्रांति को दूर करें। यह एक झूठा चुनावी नारा है। आप इसे खत्म करवायें।

हमारे सामने अपोजिशन वाले नहीं है। उन्होंने जिस तरह से बोफोर्स गन की आड़ लेकर अपना रैजिग्नेशन दिया वह एक हास्यास्पद बात लगती है। मुल्क की तरक्की के लिये, गरीब जनता के उत्थान के लिये, शेड्यूल्ड कास्ट्स व शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की तरक्की के लिये, आप जनता की बहबूदी के लिये जब ऐसा बिल लाया जा रहा है तो वे सब यहां से गायब हो गये हैं। वह गन जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिये हो उस गन के नाम से रैजिग्नेशन देना हास्यास्पद बात लगती है। इनसे बड़ा **.....कौन होगा। जो इस मुल्क की कद्र नहीं कर सकते वह इस मुल्क की भलाई के लिये क्या करेंगे। वे किसी के भी नहीं हो सकते हैं। ये गरीबों के खिलाफ हैं। जिस हथियार का नाम लेकर वह गलियों में फिरेंगे तो आप गौर कीजिए कि हमारे मुल्क पर उसका क्या असर पड़ेगा। इस पर आपको गौर करना चाहिये।

आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत मशकूर हूं। बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के 64वें और 65वें संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी को तमाम हिन्दुस्तान के नागरिकों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपके सामने इस विधेयक के सम्बन्ध में 2-3 चीजों को रखना चाहूंगा।

जिन लोगों ने बोफोर्स का नाम लेकर लोगों को बल्फ करने की बात की सही मायनों में आज तमाम देश के नागरिक इस बात को समझ चुके हैं कि उन्होंने कोशिश तो यह की थी कि हम लोगों

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

को भ्रम में डाल दें और लोग इस बात को बड़ी भारी कुर्बानी मानेंगे। यह उन बेचारों की गलती नहीं थी। उनका ख्याल यह था कि 1-2 दिन में हाऊस डिजाल्व होना है और दो दिन पहले इस्तीफा देकर लोगों की वाह-वाही हासिल करो और इससे लोग बड़ी कुर्बानी मानेंगे, लेकिन लोग उनकी मंशा को समझ गये कि वे यह चाहते थे कि राजीव जी ने जो इतना ऐतिहासिक कदम उठाया है, महात्मा गांधी और पण्डित नहरू जी के सपनों को साकार करने की बात की है, वाकई में आप आदमी को ताकत देने की बात है, ताकत का विकेन्द्रीकरण करने की बात की है और सही मायनों में 80 फीसदी हिन्दुस्तान की आबादी जो गांवों में रहती है और उन्हीं लोगों को ताकत देने की बात की है, यदि यह पास हो जाता है और संविधान संशोधन हो जाता है तो हिन्दुस्तान की जनता राजीव जी की बहुत ही आभारी होगी। राजीव गांधी जी ने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि उनके इस्तीफा का ख्याल न रखकर वह चाहते थे कि हिन्दुस्तान की आम अवाम का लाभ हो, उस बात के लि यह दोनों विधेयक लाये गये, उस बात क लिए यह तमाम हिन्दुस्तान को अवाम की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। इसम ग्राम पचायत और नगरपालिका के सम्बन्ध में जो संशोधन होगा इसमें कोई सदेह की बात नहीं कि यदि आप किसी भी प्रान्त के ग्राम पंचायत एक्ट की तरफ गौर करें तो आज की हालत में किसी भी गांव की पंचायत या गांव का सरपंच आजाद, स्वतन्त्र नहीं था। गांव के लोग उसको चुनते थे,

5.51 म०प

[उपाध्यक्ष महोदय-पीठासीन हुए]

सरपंच या प्रधान, लेकिन वह बनने * बाद बी० डी० एण्ड पी० ओ० के मातहत आ जाता था या वहां के लोकल एम० एल० ए० के दबाव में रहता था क्योंकि वहां का लोकल एम० एल० ए० और बी०डी० एण्ड पी०ओ० यदि चाहे तो उसका पद चलेगा नहीं तो वह सस्पैण्ड कर देगा, डिस्मिस कर देगा। मैं यह समझता हूं कि तमाम हिन्दुस्तान के सरपंच या ग्राम पंचायत आज सही मायने में विधेयक के पास होन के बाद अपने आपको स्वतन्त्र मानेंगे कि हम वाकई में गांव * लोगों के चुने हुए हैं वरना गांव के लोग चुनकर खुश हो जाते थे परन्तु चनने के बाद उन पर वहां के राजनीतिक लोगों का प्रभाव होता था या सरकारी अधिकारियों का प्रभाव होता था। उनको राजी रखकर ही उनको अपना पद चलाना पड़ता था और उसकी वजह से बहुत बेईमानी भी शुरू होती थी, बहुत सारे सरपंच जो गांव उनको चुनता है, वह बी०डी० एण्ड पं० ओ० से पैसा लेते हैं, गांव के लिए, उसमें सरकारी अधिकारियों को देना पड़ता था और सही बात यह है कि केन्द्र सरकार की तरफ से गांव के लिए जो भी पैसा किसी प्रान्त में जाता था तो उसका बहुत बड़ा भाग बीच में बिचौलिये खा जाते थे और वह पैसा उचित ढग से गांव में खर्च नहीं कर पाते थे, जिस वजह से गाव का विकास भी कम हुआ है तो यह सिस्टम आने के बाद बहुत ही ज्यादा गांव का विकास होगा। गांव की पंचायतों के चुनाव में अभी 1987 में हरियाणा के अन्दर वर्तमान लोकदल-बी०जे०पी० की सरकार आने के बाद एक-एक गांव, जिसका 5 साल का टोटल बजट 20 हजार रुपये है, उस गांव के प्रधान के चुनाव में एक-एक, दो-दो ढेढ़-ढेढ़ लाख रुपया खर्च किया और इस ढंग से वहां जिस अधिकारी की ड्यूटी थी, जो चुनाव करवाता है, उन अधिकारी लोगों ने भी उनसे पैसे खाये क्योंकि सिस्टम के मुताबिक एक बैलेट बॉक्स में से वोट निकालकर दूसरे में डाले जा सकते थे और जो वहां के लोकल अधिकारी थे वह वहां के राज-

नैतिक नेता, एम० एल० ए० और मिनिस्टर के दबाव में आकर और गांव के सारे लोग जो पंचायती राज को मूल, जड़ मानते रहे हैं, उनका शोषण करते रहे हैं. उनसे पैसा लेते रहे हैं इसलिए जब चुनाव आयोग उन चुनाव करायेगा तो उससे वाकई में बड़ा भारी फायदा होगा। अगस्त, 1987 में वर्तमान सरकार आने के बाद हरियाणा के अन्दर वहां की नगरपालिकाओं के चुनाव हुए, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं कि कोई भी ऐसी नगरपालिका नहीं है जिसके अन्दर कम से कम दो, तीन, चार, पांच ऐसे नगरपालिका के सदस्य न बने हुए हों जो चीफ मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर के बेटों के "झोला चुक" थे। उनके शहरों में वोट बनवा दिये और अधिकारियों को कह दिया गया कि तुमको इनको निर्वाचित डिक्लेयर करना है, कुछ भी हो। पानीपत में तो यहां तक हुआ, नगरपालिका चुनाव में कि एक कांग्रेस के टिकट पर जिसने चुनाव लड़ा वह आदमी दो सौ वोट से जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया कि दो सौ वोट से कामयाब हुआ, उसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मुख्य मन्त्री के बेटे का टेलीफोन आया कि आपको लोकदल वाले को डिक्लेयर करना है। असलियत बात यह हुई कि आठ बार रीकाउण्टिंग की गई और उसने कहा कि कितने बार रीकाउण्टिंग करनी है तो रिटर्निंग आफिसर ने कहा कि जब तक कांग्रेस वाला हार नहीं जाता तब तक तो रीकाउण्टिंग चलती रहेगी और 8 बार रीकाउण्टिंग के बाद उस लोकदल वाले को कामयाब डिक्लेयर कर दिया इस प्रकार की जो समस्याएँ आई हैं, मैं समझता हूं कि इससे ऐसी सारी समस्याएँ दूर होंगी लेकिन मैं एक बात के लिए अपने केन्द्र सरकार के हमारे मन्त्री जी बैठे हैं, भजन लाल जी बड़े प्रभावशाली हैं, उनका राजनैतिक फील्ड के अन्दर बहुत वसई तजुर्बा है। गांव के सरपच से लेकर केन्द्र के मन्त्री तक का तमाम तजुर्बा है, इस तमाम सिस्टम का लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो नॉन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं, वह चाहती हैं कि हमारी स्कीम फ्रस्ट्रेट हो फेल हो और डिप्टी कमिश्नर्स का सहारा लेकर इस किस्म की गाइडलाइस इश्यू करवाना चाहते हैं ताकि उसमें जो मंशा है, वह पूरी हो सके और हमारी यह स्कीम फेल हो जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी नामग्याल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा की बैठक 1½ घंटा और बढ़ा दी जाए।

कुछ माननीय सदस्य : एक घंटा और बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री पी० नामग्याल : अन्य बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं इसका समय 1½ घंटा बढ़ाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो तो सभा का समय 1½ घंटा बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय शाम 7-30 बजे तक बढ़ाया जाता है।

अब श्री लाल विजय प्रताप सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत 64वें और 65व संविधान संशोधक विधेयकों का हार्दिक समर्थन करता हूं।

आप जानते हैं कि माननीय प्रधान मन्त्री जी के नेतृत्व में अनेकानेक क्रान्तिकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। मेरी यह व्यक्तिगत मानना है कि पंचायती राज संशोधन विधेयक जब कार्य रूप में आ जाएगा तब यह सबसे महत्वपूर्ण काम जो आदरणीय राजीव जी ने किया है, वह होगा। इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए मैं कुछ बातें आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। आप तो जानते हैं कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक संसद में लम्बित है पास होने के लिए और जब हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को यह पता चला, एहसास हुआ कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद सारा का सारा श्रेय या तो पक्ष को जाएगा, जिसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, और उनके लिए कोई चारा नहीं बचता तथा निकट भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें उनको मुंह की खानी न पड़ जाए उन्होंने यह उचित समझा कि यह एक अच्छा अवसर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए है, उन्होंने सदन से त्याग पत्र दे दिया और ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न करनी चाही कि जिससे ये विधेयक पास न हो सकें। अन्ततोगत्वा इतने बड़े पैमाने पर तब के लोग जिसमें 70 प्रतिशत लोग पचायती राज के माध्यम लाभान्वित होने वाल हैं और 30 प्रतिशत लोग नगरपालिका के माध्यम से लाभन्वित होंगे, तो उन्होंने प्रतिरोध लाने की दृष्टि से इस सदन का बहिष्कार कर दिया और अपना त्याग पत्र दे दिया।

इस सदन के समक्ष में एक बात बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। पंचायती राज के बारे में कहा जाता है कि यह विधेयक बड़ी जल्दी लाया गया और प्रतिपक्ष के साथियों के पास इस के लिए कोई समय नहीं रहा कि वे इस पर गम्भीरता से विचार सकें, तो उन्होंने यह कदम उठाया। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी यह पंचायती राज की मान्यता कोई नई मान्यता नहीं है। यदि आप अपने उपनिषदों को देखें, ग्रन्थों को देखें, महाभारत और रामायण को देखें इनमें भी पंचायती राज का उल्लेख है और पंचों को परमेश्वर की सज्ञा दी गयी है। अनेक स्थानों पर इनका उल्लेख है। यह सीधे तरीके से, स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि पुरातन काल से हम पंचायती राज के पक्ष धर रहे हैं।

6.00 म०प०

इसे नया रूप देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आर्टिकल 40 भी इसका उल्लेख करता है महात्मा गांधी ने भी बहुत प्रयास किये थे कि हमारे देश में पंचायती राज की व्यवस्था हो सके। दुर्भाग्य से संविधान के आर्टिकल 40 के अलावा और कहीं संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है जिससे कि स्पष्ट तौर पर प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक राज्य मे पंचायती राज व्यवस्था को एक समान रूप से लागू किया जा सकता। संभवत. इन बातों के कारण ही हमारे पूरे देश में एक रूप से पचायती राज लागू नहीं हो सका है।

मान्यवर इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन नेताओं ने अनेक प्रयास किए तथा अनेक कमीशनों की नियुक्ति की। इस क्रम में बलवत राय मेहता कमेटी की स्थापना की। उनकी सिफा-

रिशों के अनुसार अनेक राज्यों ने पंचायती राज की व्यवस्था की तथा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने अपने स्थानों की आवश्यकता के अनुरूप ऐसी व्यवस्था की जैसी उन्होंने उचित माना।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त अनेक कमीशन और आए। अशोक मेहता कमीशन आया, जी वी के राव कमीशन और एल०एम० सिंघवी कमीशन भी आये। इनके अतिरिक्त सरकारिया कमीशन ने भी इसका उल्लेख किया है। इतना ही नहीं हमारी कंसलटेटिव कमेटी की एक सब कमेटी थुंगन सब कमेटी बनी। उसने भी इसकी गहराई से छानबीन की। इन सब के अतिरिक्त प्रधान मंत्री ने अनेक अवसरों पर, अनेक सम्मेलनों में, मुख्य मंत्रियों के, मुख्य सचिवों के और कलेक्टरों के सम्मेलनों में इसकी गहराई से छानबीन की। उन्होंने नगरों के ऐसे लोगों की भी मीटिंग बुलायी जो कि इससे सीधे तौर पर सम्बन्धित थे। उन सब के निष्कर्षों का उपयोग करते हुए प्रधान मन्त्री जी ने ऐसी व्यवस्था लानी चाही है जिससे कि हम अपने देश के शतप्रतिशत लोगों को राहत पहुंचा सकें उसी का नतीजा है कि 64 वां और 65 वां संविधान संशोधन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है।

मान्यवर इतने गहन अध्ययन के बाद भी हमारे प्रतिपक्ष के लोग यह कहते हैं कि इसमें अभी कमियां बाकी हैं। इस संदर्भ में एक बात और निवेदन कर दूं। अभी भारतीय पार्लियामेंटरी ग्रुप के तत्वाधान में एक सेमिनार हुआ था। डा० बलराम जाखड़ साहब और डा० कश्यप साहब ने इसमें तमाम प्रदेशों की विधान सभाओं के स्पीकर्स को आमंत्रित किया था तथा अनेक ऐसे विद्वान् जो पचायती राज से सम्बन्धित थे उनको तथा अनेक एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया था। इस सेमिनार में भी इस विषय पर गहराई से विचार हुआ था।

ये सब चीजें बड़ी विचारणीय हैं। इन बातों के होने के बाद भी यह कहना कि इस बारे में पूरी तरह से कंसल्ट नहीं किया गया, मेरी समझ में उचित नहीं है। इन सारे कसल्टेशन के बाद इसमें कोई लैकूना रह जाए या कोई बात छूट जाए यह सभव प्रतीत नहीं होती। हमें इस भ्रामक विचार का मुकाबला करना है, चाहे हमें इसके लिए कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।

हमारे प्रतिपक्ष के लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं वह निन्दनीय है उनका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं। चूंकि समय नहीं है इसलिए इन शब्दों के साथ जो पचायती राज और नगरपालिका विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं उनका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक पर काफी बहस हो चुकी है, इसके बारे में चन्द बातें मैं कहना चाहता हूं।

सबसे पहली बात यह है कि 15.8.89 को तथा 7.8.89 को प्रधान मन्त्री जी ने यहां पर ये संशोधन विधेयक पेश किए। पहले पंचायती राज का 64 वां संशोधन विधेयक और इसके बाद 65 वां संशोधन विधेयक नगर पालिकाओं के बारे में प्रस्तुत किया गया, इनका मैं समर्थन करता हूं।

जहां तक पचायती राज का ताल्लुक है, असली लोकतन्त्र ग्राम पंचायतों में ही है और पंचायतों को जो अधिकार दिए गए हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट को, विधान सभाओं और जिला परिषदों को अधिकार हैं उसी तरह से पंचायतों को अधिकार देने की बात कही गई है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं अपने तजुर्बे से कहना चाहता हूं क्योंकि मैं पंचायत समिति का मेंबर भी रहा हूं, चेयरमैन भी रहा हूं, जिला परिषद् का चेयरमैन भी रहा हूं, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने

हमें सबसे पहले चण्डीगढ़ में बुलाया था और कहा था कि पंचायती राज गलती कर सकता है, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था लेकिन लोकतन्त्र की असली जड़ गांव की पचायत में है, इसको हमें मजबूत करना है, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह रही है कि ब्यूरोक्रेट्स ने, ऐसे लोगों ने जो पंचायती राज को नहीं चाहते थे, जो इसका ठीक ढंग से गांवों के अन्दर कार्यान्वयन नहीं चाहते थे, उनकी गलती से यह पंचायती राज जो कि महात्मा गांधी का स्वप्न था, जवाहर लाल नेहरू का सपना था, वह अधूरा रह गया।

मैं कहना चाहता हूं कि आज भी पंचायती राज पर सारे देश में चर्चा चली है उसके बाद-पार्लियामेंट में यह चर्चा आई है। इससे सारे देश के लोगों की समझ में यह आ गया है कि गांव और शहर के लोगों को शासन करने का अधिकार पूरी तरह से दिया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने कहा कि उनके अधिकार भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने ये अधिकार गांव की ओर भेजने की कोशिश की है। आज विपक्ष के लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। यही नहीं आज तक जितने भी प्रोग्रेसिव कानून इस सदन में आए हैं विपक्ष ने हमेशा उनका विरोध किया है, चाहे राजाओं के प्रिवीपर्स का मामला हो या लैण्ड सीलिंग का अथवा नौजवानों को वोट देने के अधिकार का मामला हो और अब यह पचायती राज तथा नगरपालिका से सम्बन्धित बिल आया है, इन सब की उन्होंने हमेशा मुखालफत की है। जितने भी अच्छे और इन्कलाबी कदम सरकार ने उठाए हैं, उनका विरोध हमेशा विपक्ष ने किया है, लेकिन देश की जनता इस बात को समझती है कि प्रधान मन्त्री जी ने जिस तरह से निर्गुट देशों की नुमाइंदगी की है इसी तरह से पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को जिनके शोषण होता रहा है, इनको अधिकार मिलना चाहिए, यह सोचा और अधिक अधिकार देने के लिए कदम उठाए हैं। हमें मालूम है कि कई विधानसभाओं में भी इनका विरोध किया जाएगा, यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि दूरदर्शन पर राजीव जी की जो तस्वीर आती है वह नहीं आनी चाहिए, उनके स्थान पर उनकी तस्वीर आनी चाहिए जो गांवों के लोगों की मुखालफत करते हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर अपने यहां के ऐसे लोगों को लेकर हिमाचल प्रदेश में आए जो उग्रवादी किस्म के लोग थे, झगड़ा करने वाले लोग थे, उनको हरियाणा से और कहां-कहां से लेकर हिमाचल प्रदेश में मीटिंग करने के लिए पिछले कुछ महीने पहले लाए थे और सिर्फ आए, हल्लागुल्ला करने के लिए लाए थे लेकिन उस दिन सारा दिन बरसात रही और उनकी रैली फेल हो गई। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जब उनको बेरियर पर रोका तो पता चला कि सब ने शराब पी रखी है, उनको जब पुलिस ने रोका तो सारे देश में इस बात का शोर मचाया गया कि कांग्रेस की लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। हमारे लोगों को रोका गया परन्तु यह सब असत्य था उनकी सभा में हिमाचल के लोग जमा नहीं हुए। इनका कहना है कि ये हिमाचल के किसानों के दस हजार तक के कर्जे माफ करना चाहते हैं, इस तरह की बातें वे करते हैं मैं भारत सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जो मुख्य मन्त्री दूसरे राज्य में इस तरह की बातें करता है जबकि अपने राज्य में किसी का एक पैसा माफ नहीं किया तो उस पर खासतौर पर निगरानी रखनी चाहिए। जो इस किस्म की बातें करते हैं वे सारे राष्ट्र को पीछे रखना चाहते हैं, उनके खिलाफ सक्त एक्शन होना चाहिए। पचायती राज बिल में पैसे देने का बहुत अच्छा ढंग रखा गया है। स्टेट के अन्दर फाइनेंस कमीशन इसकी व्यवस्था करेगा। हमारे यहां कैन्टोन्मेंट बोर्ड हैं जिनमें लैक्टेड मैम्बर्स होते हैं। लेकिन उनको ब्यूरोक्रेटस के नीचे काम करना पड़ता है। जितनी छावनियां हैं, वहां पर सिविल पापुलेशन

भी है। प्रधान मन्त्री जी को इस पर भी तवज्जुह देनी चाहिए कि जैसे 65 वें संविधान सशोधन विधेयक में अधिकार दिए गए हैं उसी तरह से कैन्टोन्मेंट बोर्ड को भी पूरे अख्तियारात दिए जाएं ताकि सारे राष्ट्र के अन्दर पचायती राज व्यवस्था ठीक तरह से चल सके। पचायती राज में हर तबके के आदमी को इन्वाल्व किया गया है इसलिए यह व्यवस्था ठीक ढंग से चलेगी। महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि देश में यह एक सुनहरा बिल लाया गया है। जिन्होंने हमें यहां चुनकर भेजा है, उन्हें हम सम्मान दे रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटीज और टाऊन कमेटीज जो अंग्रेजों ने बना रखी थी और जिनमें किसी हिन्दुस्तानी को जाने की इजाजत नहीं थी और अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे ऊपर लगाया हुआ कलंक था उसे मिटाने के लिए हमारे नेता ने यह कदम उठाया है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। विपक्ष हमेशा महात्मा गांधी जी, नेहरू जी व इन्दिरा जी के खिलाफ रहा है, चूंकि विपक्ष प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं रखता हैं। सी० पी० एम० के पोलित ब्यूरो में बारह मैम्बर हैं जिनमें से दस तो 74 वर्ष के हैं और बाकी दो नम्बूदरीपाद और ज्योतिमय बसु 80 वर्ष के हैं। इसी तरह जनता दल क्या है। यहां से चले गए और इस्तीफा देकर नेता बन गए। लेकिन देश के लिए कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। उनको कोई हक नहीं है कि राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए ऐसी बातें करें। जनता जानती है कि वे हमेशा एक्सप्लायट करते हैं। आज यही वजह है कि उनके खिलाफ उनकी पार्टी में लड़ाई पैदा हो रही है। वे लोग पचायती राज को अच्छा नहीं समझते, प्रोग्रेसिव कानून को नहीं मानते वे तो देवी लाल, वी० पी० सिंह और एन०टी० रामाराव व डी० एम० के० को मिलाकर जो मोर्चा बनाया है, उससे सारे देश को इकट्ठा कर के कहना चाहते हैं। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है वे लोग राष्ट्र की एकता, अखडता को कायम नहीं रख सकते हैं ये लोग अपनी कुर्सी की लडाई लड़ रहे हैं। वह कहते हैं हमने संसद से रिजाइन किया है और राष्ट्र के लिए हमने भला किया है, यह उनकी भ्रांति है। सी०ए०जी की रिपोर्ट में प्रधान मन्त्री के बारे में कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उनके बारे में है। जो काम हमने किये, गरीबों की भलाई के लिए हमने कार्य किये वे उनको पीछे करना चाहते हैं। इनकी नीति राष्ट्र को पीछे डालने की है। जो यह बिल लाया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं और प्रधान मन्त्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया।

[अनुवाद]

*श्री एस बलरामन (वन्डावासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयकों का समर्थन करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

ये विधेयक स्थानीय प्रशासन, गांव और नगर की पंचायतों को मजबूत बनाने और निचले स्तर तक अधिकाधिक लोकतन्त्र लाने के उद्देश्य से लाए गए हैं।

इन दो विधेयकों के माध्यम से माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने गाँवों में लोकतन्त्र लाने की क्रांतिकारी प्रक्रिया की शुरूआत की है। सामाजिक परिवर्तन की ओर उठाए गए इस कदम पर प्रत्येक भारतीय को आज गर्व है।

लेकिन विपक्षी दल इन उपायों के विरुद्ध हैं। वे बिना सोचे समझे विधेयक के उपबन्धों की आलोचना कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों विधेयक हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

गांधी के सपनों को पूरा करने वाले हैं। इसलिए ये दोनों विधेयक पंचायत राज को सुदृढ़ करने के लिए लाए गए हैं।

प्राचीन साहित्य और परम्पराओं से पता चलता है कि इस महाद्वीप में, हमारे इस महान राष्ट्र में काफी समय से स्थानीय प्रशासन के लिए अल्पविकसित ग्रामीण निकाय थे। ज्यों-ज्यों समय बीता, विशेषकर ब्रिटिश शासन के दौरान, ये निकाय समाप्त होने लगे। आज विभिन्न राज्यों में ग्रामीण प्रशासन की स्थिति भिन्न-भिन्न है। ये दोनों विधेयक पंचायत प्रशासन के ढांचे को सरल व कारगर बनाने और वहां समान प्रणाली लाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य पंचायतों को संसद का लघु रूप देना है इनके द्वारा पंचायतों और संसद के बीच सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इन विधेयकों का स्वागत किया जाना चाहिए। इस विधान से ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा गांव निचले स्तर तक लोकतंत्र के संरक्षक बन जाएंगे। मैं पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% स्थानों का आरक्षण करने वाले उपबन्धों का स्वागत करता हूं। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बन्धी उपबन्ध का भी स्वागत करता हूं।

सबसे प्रशंसनीय उपबन्ध राज्यों और पंचायतों के बीच राजस्व बांटे जाने के लिए राज्यों में वित्त आयोगों की स्थापना का है।

राज्यों में पंचायतों के चुनावों में गड़बड़ी हो रही है। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, पिछले 15 वर्षों से मद्रास नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से पंचायतों के चुनाव नहीं कराये गए। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि हर 5 वर्षों के बाद पचायतों के चुनाव कराना अनिवार्य होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि पंचायतों के चुनाव आयोग कराएगा और यह एक लाभकारी उपबन्ध है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। उससे स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकेंगे।

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल विधेयकों की विशेषताओं का विरोध कर रहा है। द्रमक नेता, श्री करूणानिधि ने विधेयकों के सम्बन्ध में अनुचित शंकाएं व्यक्त की हैं। उन्हें संदेह है कि इन विधेयकों से राज्यों के अधिकार छिन जाएंगे और वे अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। जब जवाहर लाल नेहरू प्रधान मन्त्री थे तब माननीय नेता कामराज जी तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री थे। उन्होंने 1958 में पंचायत अधिनियम पास कराया और 1961 में पंचायतों और पचायत संघों के चुनाव कराए। उन्होंने स्थानीय निकायों को असीम शक्तियां प्रदान की। कृषि, शिक्षा, सहकारिता, स्वास्थ्य अन्य कई महत्त्वपूर्ण विषय पंचायत संगठनों के अधीन थे। लेकिन जो पार्टी वहां उनके बाद सत्ता में आई उसने पंचायती सगठनों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया और इस तरह पंचायतों के सुचारु और स्वस्थ कार्य कलापों को खराब कर दिया। अब पुनः वे वहां सत्ता में हैं लेकिन फिर भी वे इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं जिनके माध्यम से लोगों को मूल लोकतांत्रिक अधिकार देने का प्रयास किया गया है। विधेयक में स्पष्ट है कि पंचायतों को 29 विषयों सम्बन्धी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे।

मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने न्याय पंचायतों को सुदृढ़ किए जाने की मांग की है। मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूं।

माननीय प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के पुनर्गठन से गांवों में राम राज्य स्थापित किया है। नए पंचायती राज से गांवों में राम राज्य आ जाएगा। माननीय प्रधान मन्त्री ने महात्मा जी और जवाहर नेहरू के स्वपनों को साकार किया है।

भारत की 75% जनता गांवों में रहती है। इन विधेयकों से गांवों और शहरी क्षेत्रों के बीच एक सेतु बन गया है जिससे गांव और शहरी स्थानीय निकाय आत्म-निर्भर इकाइयों के रूप में कार्य करेंगी। अतः इन विधेयकों का स्वागत किया जाना चाहिए। जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, उनकी पोल खोलनी चाहिए।

महोदय, प्राथमिक शिक्षा का कार्य पहले पंचायत संगठनों के हाथ में था। एक समय था जब प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था और पंचायत सघ स्कूल के भवनों और बच्चों आदि का ध्यान रखा करते थे आज प्राथमिक स्कूल दयनीय स्थिति में हैं। जिन सरकारी कर्मचारियों को पंचायतों में प्राथमिक शिक्षा देने का कार्य सौंपा गया है, उस नौकरी के अलावा, जिसके लिए उन्हें वेतन मिलता है, वे सभी कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए पंचायतों में कृषि कार्य को लीजिए। ग्रामीण निकाय कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। स्वाभाविक है कि इन विधेयकों से पंचायतों का कार्य और सुचारु ढंग से चलेगा। इन्हें पुरःस्थापित करते समय माननीय प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी ठीक ही की है कि यहां तक कि सड़कों पर रोशनी के लिए अथवा बिजली का बल्ब बदलने के लिए भी सांसदों और यहां तक कि प्रधानमन्त्री से सिफारिश करनी पड़ती है इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। एक आत्म-निर्भर, स्वशासी पंचायती प्रशासन की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है।

केन्द्रीय रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु लागू की जा रही है। परन्तु पंचायतों तक पैसा नहीं पहुंचता है। यहां तक कि कभी-अभी पैसे को दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। सड़क निर्माण के लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई है। मेरे जिले को लीजिए मेरे जिले के केवल एक विशेष भाग में सड़कें बनाई गई हैं तथा दूसरे भागों को अनदेखा कर दिया गया है। पंचायत प्रशासन की यह दशा है।

वर्तमान विधेयक पंचायत संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए हैं। ये विधेयक गांव स्तर पर तथा उससे ऊपर संसमिशील और समन्वित प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए हैं। इन विधेयकों में राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास की दिशा में ग्राम जिले तथा राज्य को संगठित रूप से कार्य करने की बात है, मैं एक बार फिर तहेदिल से इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। यह सामाजिक क्रान्ति लाने के लिए मैं माननीय प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा रानी तोमर (अलीगढ़ : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं चौंसठवें एवं पैंसठवें संविधान संशोधन विधेयक, जो हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इस सदन में पेश किए हैं, उनका समर्थन करती हूं। इन दोनों संशोधन विधेयकों को पेश करने के लिए मैं आदरणीय प्रधान

मन्त्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं। महात्मा गांधी जी ने, इन्दिरा जी ने एक सपना देखा था उसको हमारे नेता श्री राजीव गांधी न इन संशोधन के रूप में विधेयक लाकर पूरा किया है।

मान्यवर, ये क्रांतिकारी बिल हैं। हमारे राजीव गांधी ने गांव-गांव घूमकर, झोंपड़ियों में जाकर, देहातों में जो पिछड़े आदमी हैं, वहां जाकर और गरीबी रेखा से जो नीचे हमारे किसान भाई और मजदूर भाई थे उन की हालत देखी और यह पाया कि जो उनको ऊंचा उठाने के लिए जो हमारी सरकार लाभ और मदद दे रही है वे उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी के लिए हमारे प्रधान मन्त्री जी पंचायती राज और नगरपालिका विधेयक यहां लाए हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं और इन दोनों विधेयकों का तहेदिल से समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं उनको आज 40 साल बाद, सही आजादी मिली है। पहले काफी समय तक पचायतों के चुनाव नहीं होते थे न नगरपालिकाओं के चुनाव हो पाते थे। आज हमारे नेता ने उसमें एक प्रावधान किया है कि हर 5 साल के बाद चुनाव होगा और चुनाव ही नहीं, उनको एक ऐसी शक्ति दी है कि वह अपनी ग्राम सभाओं का या अपने नगर का विकास करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। आज हमारे भारतवर्ष के किसान मजदूर आभारी रहेंगे, प्रधान मन्त्री जी के ऋणी रहेंगे, हमेशा उनका अभिनन्दन करेंगे। आज हमने देहातों में जाकर देखा है कि आज हमारे प्रधान समझते हैं कि उनको सम्मान मिला है, एक आदर मिला है। इससे पहले न तो उस प्रधान को इज्जत मिलती थी और न विकास के काम के बारे में कोई अधिकारी उसको पूछता था। आज हमारे गांव का विकास, उस ग्राम सभा का विकास वह प्रधान अपनी इच्छा से करेगा। यह बहुत बड़ा सम्मान प्रधान को मिला है जिनके लिए वह हमारे नेता का बहुत बड़ा आभारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी ने वह काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। महिलाएं हमेशा आज तक समझती थीं कि हम घर में काम करने के लिए और बच्चे पालने के लिए ही हैं, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वह सम्मान उनको अभी तक नहीं मिला था लेकिन आज हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने हमारी महिला वर्ग को 30 परसेंट रिजर्वेशन करके यह साबित कर दिया है कि महिलाएं पुरुष से किसी भी कदम पर कम नहीं है। मैं अपने भारतवर्ष की महिलाओं की तरफ से, अपने नेता राजीव गांधी जी को तहेदिल से बधाई देती हूं और उनके इस काम का हार्दिक समर्थन करती हूं। उन्होंने आज इस देश में महिलाओं को सम्मान के साथ चलेना, जीना और रहना सिखाया है। यह बहुत बड़ी चीज उन्होंने महिलाओं के लिए दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिए प्रधान मन्त्री जी को जितनी बधाई दी जाए वह जो है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर इन दोनों बिलों का समर्थन करती हूं और प्रधान मन्त्री को बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

[अनुवाद]

श्री अखिलेश चन्द्र सिन्हा (बरहामपुर) : मैं 64वें तथा 65वें संविधान संशोधन विधेयकों का तहेदिल से समर्थन करता हूं। हमने लोगों से उन्हें अधिक शक्तियां देने, उनके सपने पूरे करने, उनकी जरूरतें पूरी करने और उन्हें गरीबी से छुटकारा पाने योग्य बनाने की प्रतिज्ञा की थी तथा इन दो विधेयकों के माध्यम से हम वह प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहे हैं।

हमारी स्वर्गीया प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था जिसने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था; और भारत के लोगों ने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया था क्योंकि उन्होंने विभिन्न कानून बनाये थे और गरीबी हटाओ योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए थे। उनकी दुःखद हत्या के बाद लोग उस प्रतिज्ञा को जारी रखना चाहते थे और हम सभी को यह देख कर खुशी है कि वर्तमान सरकार ने हमारे युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के योग्य मार्गदर्शन में पिछले 4½ वर्षों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए आवटन में कई गुणा वृद्धि करके विभिन्न प्रौद्योगिक मिशनों विभिन्न योजनाओं द्वारा, विभिन्न कानूनों द्वारा तथा संविधान में दो संशोधनों द्वारा गरीबी हटाओ कार्यक्रम को पूरा कर रही है और उसे जारी रख रही है। अतः, उसी कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि कुछ विपक्षी लोग, जिन्होंने दुर्भाग्यवश लोक सभा से त्याग-पत्र दे दिया है, बाहर प्रचार कर रहे हैं। इस सभा के बाहर झूठा प्रचार किया जा रहा है कि ये दो विधेयक संविधान के मूलभूत ढांचे को बदल देंगे। कई पूर्व वक्ता यह बात स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि इन दो विधेयकों से जो कुछ प्राप्त किया जा रहा है उससे संविधान के मूलभूत ढांचे में कतई परिवर्तन नहीं होगा। कई वक्ता कह चुके हैं कि भाग-IV में अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है—मैं उद्धृत करता हूं :

> "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

यहां हम यही करने जा रहे हैं। हम निचले स्तर पर लोगों को अधिक शक्तियों दे रहे हैं ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके और आवश्यकतायें पूरी हो सकें। यदि जवाहर रोजगार योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को ग्राम स्तर पर ठीक प्रकार से लागू किया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे हमारे देश में शान्त क्रान्ति आयेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

जब हम प्रजातान्त्रिक अधिकारों को निचले स्तर तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक, जो लोग नगरों में रह रहे हैं उन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कहते हुये मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वह पूर्णतया अप्रजातान्त्रिक है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यानि मुर्शीदाबाद जिले में बहरामपुर में कांग्रेस पार्टी की एक निर्वाचित नगरपालिका थी; और वह नगरपालिका बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, लोगों के सपनों और अभिलाषाओं को पूरा कर रही थी। क्योंकि वह लोकप्रिय होती जा रही थी—और वह निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस (इ) का है और नगरपालिका पर कांग्रेस (इ) के लोग काबिज हैं, उसका अध्यक्ष कांग्रेस (इ) का है—कुछ दिन पहले कुछ झूठे आरोप लगाकर इसे अप्रजातान्त्रिक ढंग भंग कर दिया गया। हाल ही में संसद में कुछ दिन पहले हमने शून्यकाल में काफी शोर मचाया था; और प्रधान मन्त्री ने भी अपने भाषण में अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि पश्चिम बंगाल में ऐसे कार्य हो रहे हैं। वामपंथी सरकार की ओर से लिया गया यह निर्णय पूर्णतया राजनैतिक है और मैं इसकी निन्दा करता हूं और मुझे विश्वास है कि सभा के सभी सदस्य पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के जो पूरा प्रशासन चला रही है, ऐसे कार्यों की निन्दा करेंगे; सभी पंचायतें, सभी नगर निकाय जो वहां कार्य कर रहे हैं।

सभी के साथ पक्षपात हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, एक ग्राम पचायत में जिस पर वामपंथी लोगों का नियन्त्रण है कांग्रेस (इ) के चुने हुई प्रतिनिधी हैं। ग्राम पचायत में उन चने हुए लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मैंने कृषि मन्त्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया है।

श्री पुजारी यहां हैं। मैं फिर उनके सामने इस समस्या का जिक्र करना चाहता हूं कि ग्रामीण बगाल या ग्रामीण भारत की समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक कि हम उन्हें राजनैतिक सम्बद्धता के बिना कार्य नहीं करने देते। यदि हम राजनैतिक सम्बद्धता को देखते हैं और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कई लोगों को जवाहर रोजगार योजना या इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों, जिन्हें हम ग्रामीण जनता तक ले जा रहे हैं, का लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण स्वरूप, जवाहर रोजगार योजना जनसंख्या पर आधारित है। एक ग्राम पचायत विशेष में लोगों की सख्या के हिसाब से धनराशि आबटित की जाती है। मान लीजिए ग्राम पचायत ने 15 सदस्यों को चुन लिया है। उन 15 सदस्य में से 8 वामपंथी हैं और 7 कांग्रेस (इ) के हैं इसका अर्थ यह है कि कुल मिलाकर 48 या 49% ग्राम पचायत ने कांग्रेस (इ) का समर्थन किया है। परन्तु पश्चिम बगाल में यह हो रहा है कि किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत पैसा जो ग्राम पंचायत को जा रहा है उसे केवल उन आठ व्यक्तियों में ही बांटा जा रहा है जो उनके समर्थक हैं, जिसके फलस्वरुप 49% जनसख्या, जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है, उन्हें उन केन्द्रीय कार्यक्रमों से कोई सहायता या लाभ नहीं मिल रहा है जो यहां से शुरू किये जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यह बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। नगरपालिकाओं में ऐसी बातें हो रही हैं। कांग्रेस के अधिपत्य वाली नगरपालिकाओं को बिना किसी कारण भग किया जा रहा है। वामपंथी लोगों द्वारा नियंत्रित नगरपालिकाओं में कांग्रेस (इ) के आयुक्तों को काम नहीं करने दे रहे हैं। अतः ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए जिसके द्वारा इसे रोका जा सके। मैं जानता हूं कि इस प्रावधान को शायद इस संविधान (संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया जा सकता। परन्तु साथ ही मैं शहरी विकास मंत्रालय के मन्त्री प्रभारी से निवेदन करता हूं कि इस समस्या की जांच करें। जब हम प्रजातन्त्र को निचले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे तो हमें देखना होगा कि 49% लोगों को जिन्होंने सरकार विशेष के पक्ष में मत नहीं दिये जो एक राज्य विशेष में सत्ता में है—हानि न उठानी पड़े। कुछ उपाय खोजने होंगे जिनसे उन लोगों के अधिकार न छीने जा सकें।

64वें (संशोधन विधेयक में एक बहुत अच्छा प्रावधान यह किया गया है कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक विभिन्न ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा की जांच करेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में लगभग 3,500 ग्राम पंचायतें हैं।

भारत भर में 2,61,051 ग्राम पचायतें है। मुझे नहीं मालूम कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक इतनी अधिक ग्राम पचायतों की लेखा परीक्षा किस प्रकार करेगा यह सम्भव नहीं है क्योंकि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन इतने लोग काम नहीं करते। इसलिए, जब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि वह ग्राम पचायत निकायों की लेखा परीक्षा किस प्रकार कर पाएंगे जो कि बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप जानते है उन्हें 4 या 5 लाख रुपए मिलेंगे। यह कोई छोटी रकम नहीं है। यदि इस धन का दुरुपयोग किया जाता है। भेदभाव पूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि लेखा परीक्षा कड़ाई से की जाए। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल या किसी

अन्य राज्य में जो लेखा परीक्षा की जाती है वह बहुत कमजोर है। जैसा कि आप जानते है रिश्वत देकर भी लेखा परीक्षा करवाई जा सकती है। यदि ग्राम पंचायत या एक नगरपालिका के कार्यपालन में यदि कोई त्रुटि भी है और यदि आप लेखा परीक्षक को घूंस देते हैं या केवल यह दिखा देते हैं कि लेखा परीक्षक आए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है, तो भी काम चल जाता है। किन्तु दुर्भाग्य से निचले स्तर पर यह भी नहीं हो रहा है। इसलिए 64वें संविधान (संशोधन) विधेयक में यह बहुत अच्छा उपबन्ध किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि इसका वास्तव में पालन हो। मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे होगा क्योंकि समस्या वास्तव में बहुत बड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं यह आयकर की विवरणी जैसी हो सकती है, जिसमें 5% दो चुन लिया जाता है। इन विवरणियों की बड़ी गहराई से छानबीन होती है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि क्या ग्राम पंचायत निकायों की लेखा परीक्षा के लिए भी यही प्रणाली अपनाई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि इन संशोधनों से ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरपालिकाओं में एक शान्त क्रान्ति आ जाएगी।

[हिन्दी]

श्री नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, संविधान के 64वें और 65वें संशोधन बिल आजादी की नई किरण लेकर आये हैं और जो शक्तियां आज तक राष्ट्रीय और प्रान्तीय सरकारों के पास थीं वह पहली बार गांव तक पहुंचने वाली हैं। इस प्रकार से गांधी जी के सपनों का ग्राम स्वराज उदय होने वाला है। जिन्होंने संविधान सभा की प्रोसिडिंग्स पढ़ी हैं वह जानते हैं कि संविधान के कुछ निर्माताओं के दिमाग में 'पंचायत' शब्द नहीं बैठा था। के० संथानन ने जो संविधान सभा के मैम्बर थे महात्मा गांधी को यह बात समझायी कि बापू आपकी पचायत तो संविधान से बाहर जा रही है तो गांधी जी ने इस बात पर ध्यान दिया और कहा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब जाकर संविधान के 40वीं धारा में पंचायत का उल्लेख आया। गांधी जी की देन है भारत के लिए एक अहिंसा का मार्ग, सत्याग्रह का मार्ग और दूसरा पंचायत और इसके सपनों का ग्राम स्वराज्य। बहुत साल पहले हजारों वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' की बात की थी यह पंचायत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैशाली नगर में हमारा पहला गणराज्य था। ग्राम-ग्राम में यह गणराज्य की भावना फैली। यह सपना श्री राजीव गांधी जी को साकार करने का अवसर मिला और आज 9 अगस्त के दिन हम इस पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। पंचायती राज कितना कामयाब होगा कितना नहीं होगा यह हम सबके सहयोग और पंचायतों के सदस्यों की निष्ठा और उनके सक्रिय होने पर निर्भर करेगा।

आज भारत में कुछ प्रांतों में बाईकैमरल लैजिस्लेचर है। वहां की पंचायत समिति और जिला परिषद के मैम्बरों को लैजिस्लेटिव कौंसिल में अपने नुमाइंदे भेजने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि भारत में कुछ प्रान्त ऐसे हैं जहां से पंचायती राज की संस्थायें मैम्बर लैजिस्लेटिव कौंसिल भेज सकती हैं लेकिन बहुत से प्रान्त ऐसे हैं जहां वे ऐसा नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में इस विसंगति को दूर करना चाहिये और जहां पर कौंसिल्स नहीं हैं वहां पर 1-2 सदस्य विधान सभा में भेजे जा सकते हैं ताकि पंचायतों में सदस्यों को यह आभास हो कि वह राष्ट्र की मुख्य राजनीतिक धारा से जुड़े हैं। राज्य सभा में राष्ट्रपति का 12 मैम्बर नौमिनेट करने का अधिकार है जो साईंस, कला, साहित्य आदि बातों में निपुर्ण हों। स्टेट असेम्बली को अपने नुमाइन्दे भेजने का अधिकार है।

जब हम संविधान की शक्ति को नीचे पहुंचा रहे हैं तो क्या यह उत्तम नहीं होगा कि संसद इस पर विचार करे कि पंचायती राज संस्थाओं से प्रत्येक प्रान्त से कम से कम एक सदस्य तो राज्य सभा में निर्वाचित हो। क्या पंचायती राज के प्रति योगदान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि राज्य की विधान सभा का योगदान है? वहां से जो मैम्बर चुने जायें वह पहुंच जायें राज्य सभा में लेकिन पंचायती राज संस्थाओं से नुमाइंदे न पहुंचे। मैं यह चाहता हूं कि राष्ट्र की मुख्य राजनीतिक धारा से पंचायती राज सस्थाओं को जोड़ा जाये। इससे उनमें शक्ति आयेगी और वे सुदृढ़ होंगे और लोगों में यह भावना फैलेगी कि हमारी संसद तक पहुंच है और हमारे नुमाइंदे पालियामेंट और विधान सभा में हैं। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यह जो कहा गया है कि प्रान्तों की शक्तियों का या राज्य सरकारो की शक्तियो का कुछ ह्रास हो रहा है यह उन लोगों का आर्गुमेंट है जो स्वयं किसी को शक्ति देना नहीं चाहते हैं जो प्रान्तीय सरकारें केन्द्र से लड़ती हैं। सत्ता के लिये, जब वही सत्ता पंचायतों को देने की बात आती है तो वे उसको अपनी जेब में समेटने की बात करती हैं। तो इसलिए जब सत्ता का विकन्द्रीकरण करना ही है तो पांच स्तरों पर होना चाहिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, प्रदेश की विधान सभा और केन्द्र की संसद, तब जाकर यह कार्य पूरा होगा और दूसरे यह भी है कि केन्द्र ने काफी छूट प्रान्तीय सरकारो को, विधान सभाओं को दी हैं लेकिन अभी तक यह तय नहीं किया गया कि प्रधान का चुनाव डायरैक्ट होगा या इनडायरैक्ट होगा। कुछ प्रदेशों में डायरैक्ट है और कुछ प्रदेशों में इनडायरैक्ट है तो अगर सही तरह से डैमोक्रेटिक सिस्टम लागू करना है तो प्रधान का चुनाव इनडायरैक्ट होना चाहिए क्योंकि डैमोक्रेसी एक लेविल पर ग्राम के वार्ड के लेविल पर सक्सेसफुल होगी तब जाकर वह लोग चुनेंगे। अगर हम प्रधान को डायरैक्ट बना देंगे तो इस तरह की पोजीशन में उसको बाकी सदस्यों की जरूरत नहीं रहेगी तो नतीजा क्या होगा कि वह छोटा सा, मिनी डिक्टेटर बन जायेगा तो प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि उसको आसानी से हटाया न जा सके लेकिन जब हटाया जाना है तो उसके लिए 2/3 बहुमत हो लेकिन वह चुनाव सदस्यों के द्वारा जाय, जैसी कुछ राज्यों में आज भी प्रथा है। यह केन्द्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है, वित्त आयोग बनाने की बात छोड़ी है तो जिस तरह से पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए बात सोची गई है, ठीक उसी प्रकार नगरों के लिए भी, छोटे-छोटे कस्बों के लिए भी बात सोची गई है और नगरपालिका संशोधन बिल जो इस संविधान का है पैंसठवां संशोधन, वह इसी दिशा में सही कदम है। आज देश में छोटे-छोटे कस्बों की संख्या बढ़ रही है, नये-नये कस्बे बन रहे हैं, ब्लाक मुख्यालय आज कई बार म्यूनिसिपल सिटीज में हैं तो इसलिए इसको भी इसमें जोड़ दिया गया, उनमें रहने वाले गरीबों को भी कुछ सहायता मिलेगी, कुछ आशा मिलेगी उनमें भी डैमोक्रेसी का संचार होगा, यह बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमारा प्रजातन्त्र फैलेगा, ग्राम-ग्राम में छोटे-छोटे शहरों में और उसमें हर पिछड़े वर्ग हर कमजोर सैक्शन, तथा महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। एक वह जमाना था जब आवाज दबाई जाती थी, एक यह जमाना है कि आवाज उठाने के लिए सरकार ताकत दे रही है, संविधान से शक्ति दे रही है। क्या कहें उन लोगों की बुद्धि को, जो यह कहते हैं कि इसमें बड़ी त्रुटियां हैं और यह चुनाव के वक्त लाया गया हैं हम बायकाट करते हैं या चुनाव के वर्ष के लिए जो बजट है, वह काटते हैं, क्या चुनाव के वर्ष के लिए जो बाकी सरकारी कानून हैं, उनको काटते है या कि वह कानून के कार्य की बात नहीं मानते, एक तरह से नया बवन्डर खड़ा करके असली मुद्दे से बात हटाई जा रही है। दरअसल राजीव गांधी ने इन दो विधेयकों

को लाकर संविधान की शक्ति केन्द्र से लेकर ग्राम तक, ग्राम के वार्ड तक पहुंचाने की जो कोशिश की है, वह चीन के माओ साहब की उस थ्योरी के बिल्कुल उलट है।

[अनुवाद]

कि सत्ता बन्दूक की नाल से निकलती है।

[हिंदी]

राजीव गांधी यह साबित कर रहे हैं कि

[अनुवाद]

जैसा कि महात्मा गांधी तथा भारत के अन्य संस्थानों की विचारधारा में दें।

[हिन्दी]

शक्ति का संचार लोगों की सद्बुद्धि में है, लोगों की इच्छा शक्ति में है और यही इन दो विधेयकों की सबसे बड़ी खूबी है कि पहली बार उनको संविधान में जगह मिलेगी, कुछ विभाग मिलेंगे, कुछ नई लिस्ट संविधान में आयेंगी और उनको स्थान मिलेगा लोगों के चित में, सत्ता के केन्द्र में, संविधान में संरक्षण में।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं और इस मंत्रालय को बधाई देता हूं, इनके मन्त्रियों को भी कि उनको यह श्रेय मिला कि उनके हाथ में प्रधान मन्त्री जी के निर्देशन में यह स्वर्णिम युग लाने का उन्हें अवसर मिला।

[अनुवाद]

*श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयकों का स्वागत करता हूं। मैं इन विधेयकों का पूर्ण समर्थन करता हूं और इस बारे में अपने विचार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं इस सम्मानीय सदन में यह ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं।

हमारे महान स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदान से यह देश अंग्रेजों के शिकंजे से आजाद हुआ। उन महान नेताओं ने हमें आजादी दिलाई और वह "ग्राम राज्य को राम राज्य में बदलना चाहते थे। हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता का सपना साकार हो रहा है। इन विधेयकों का प्रमुख उद्देश्य दलितों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाना है। इसलिए, यह बहुत अच्छे विधेयक हैं और इनके उद्देश्य प्रशंसनीय हैं।

स्वतन्त्रा प्राप्ति के 42 वर्षों के पश्चात भी इस देश के काफी लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रह रहे हैं। यह मुख्यतः केन्द्र तथा दूरस्थ गांवों के बीच की खाई के कारण था। केन्द्र द्वारा जो धन दिया जा रहा था वह लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला धन हमारी आशायों के अनुरूप राज्यों के माध्यम से गांवों तक नहीं पहुंच रहा था। इसीलिए प्रधान मन्त्री ने सम्पूर्ण देश का दौरा किया। उन्होंने गावों, जनजातीय क्षेत्रों तथा अन्य दूरस्थ स्थानों का

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के दिए अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दौरा किया उन्होंने सीधे लोगों से बातचीत की। इन निर्धन लोगों के साथ बातचीत करने पर उन्होंने महसूस किया कि संविधान संशोधन के अलावा उनकी सहायता करने का और कोई तरीका नहीं है। ऐसा करके केन्द्र ग्राम पंचायतों को सीधे वित्तीय सहायता देना चाहता है। बिचौलियों तथा अन्य एजेंटों को बिल्कुल हटा दिया गया है। महात्मा गांधी का सपना राम राज्य का था और इन्दिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। यह उद्देश्य हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं।

देश में पहले भी पंचायतें थीं। किन्तु दुर्भाग्य से निर्धनों के उत्थान के लिए यह पंचायतें कुछ अधिक नहीं कर सकीं। केवल खातों के प्रयोजन के लिए ही पंचायतें थीं और वह निर्धनों की कोई सहायता नहीं करती थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए मंजूर किया गया धन इन कार्यक्रमों पर खर्च नहीं किया जाता था। ग्राम पचायतें थी किन्तु उन्होंने निर्धनों की सहायता करने के लिए कुछ नहीं किया। आजादी के के 42 वर्ष बाद भी 37% लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रह रहे हैं। विदेशी की तुलना में हमारी प्रगति बिल्कुल सन्तोष जनक नही है। केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला धन निर्धनी लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए ये ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी विधेयक लाए गए हैं। आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने देश से गरीबी को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिए बहुत काम किया। हमारी दिवंगत नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमें "गरीबी हटाओ" का नारा दिया और उन्होंने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में लगा दिया। पंडित नेहरू और इन्दिरा जी से प्रेरणा लेते हुए हमारे प्रधान मन्त्री ने निर्धन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए ये विधेयक प्रस्तुत किए हैं।

पंचायत विधेयक में राज्यों को सभापति नामित करने या उसे चुनने का विकल्प दिया गया है। मेरा सुझाव है कि सभापति का चयन सीधे पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि सभापति को हटाने के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक नहीं है। दो-तिहाई बहुमत की जरूरत मुख्यमन्त्री को हटाने के लिए होती है और इसीलिए सभापति को हटाने के लिए या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए भी वही बहुमत नहीं होना चाहिए। सभापति को हटाने या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होना चाहिए। कर्नाटक में प्रत्येक मण्डल पंचायत में नामांकन किए गए। उन्होंने अपने लोग नामित किए और प्रत्येक गांव में झगड़े हुए। यह प्रथा समाप्त की जानी चाहिए और सभापति का चुनाव सीधे पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए।

इन विधेयकों में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। इस देश में कई दशकों से महिलाओं की उपेक्षा हो रही थी। हमें महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेखा परीक्षा कार्य की जांच के लिए वित्तीय समितियां स्थापित की जाए गीं इस लिए धन के दुरुपयोग की कोई सम्भावना नहीं है।

यह बहुत अच्छे विधेयक हैं और इनके उद्देश्य सराहनीय हैं। यह एतिहासिक और क्रान्किारी विधेयक हैं। मुझे विश्वास है कि इन विधेयकों से इस देश को प्रगति और समृद्धि के नए युग में ले जाने में मदद मिलेगी और इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगांव) : महोदय मैं इस एतिहासिक दिन पर इस क्रान्तिकारी विधेयक का समर्थन करता हूं हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमें पिछले 40 वर्षों से इसका पालन कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रपत्र है जिसके माध्यम से इन वर्षों में हमने इतना सुधार किया है। किन्तु हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थे क्योंकि अधिकार दिए तो गए थे किन्तु उनका लाभ नहीं उठाया गया था। अधिकारों का लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं था। लोग 'ग्रामीण' तथा 'शहरी' में बंटे हुए थे। दो खण्ड थे। शहरी लोगों को लाभ पहुंचता था किन्तु ग्रामीण लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता था। गांवों में अज्ञानता, निरक्षरता थी वहां कई बीमारियां थीं वहां पौष्टिक योजना का अभाव था तथा अन्य बहुत-सी बाते थी। किन्तु शहरी विकास दर सभी मामला में बहुत अधिक थी—अत: महोदय, यह महात्मा गांधी नेहरू जी इन्दिरा जी का स्वप्न था और अब राजीव गांधी जी इसे पूरा कर रहे है। यह विधेयक सभी विधेयकों में से अच्छा विधेयक है पहले पंचायतें होती थीं, वे केवल संस्थाएं मात्र थीं और उनका गांवों पर कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि उन्हें शक्तियां प्राप्त नही थी और उनके लिए कोई वित्त व्यवस्था नहीं थी। अब यह विधेयक देश के बहु-मुखी विकास की धारण से लाया गया है, इसलिए लोकतान्त्रिक संस्थाओं में, गरीब लोग पूर्णतया उपेक्षित थे और सभी कार्यक्रम वातानुकूलित कमरों में तैयार किये जाते थे, वे कभी भी लोगों तक नहीं पहुंचते थे। मतदान में हिस्सा लेन के अलावा, कुछ नहीं किया जाता था और लोकतान्त्रिक संस्थाओं का कोई पदाधिकारी नहीं था। अब श्री राजीव गांधी ने उन्हें प्रगति में भागीदार बनाया है और वे लोकतन्त्र के सभी फायदों का लाभ उठा सकते हैं।

महोदय, इस विधेयक, विशेषतया नगरपालिका विधेयक में वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों और पीठासीन अधिकारियों के बारे में थोड़ी शंका है। शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और मन्त्री जी द्वारा उनके बीच के सम्बन्ध को ध्यानपूर्वक स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं मन्त्री जी को इस पर प्रकाश डालने के लिए कहूंगा।

महोदय; महिलाओं और गरीब लोगों को विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का कभी भी मौका नहीं दिया गया था। उन्हें अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का तथा अपनी मांगें अधिकारियों को बताने का भी अवसर उन्हें नहीं दिया जाता था। लोकतन्त्र को समाज का प्रतिविम्ब होना चाहिए प्रत्येक वर्ग को संसद में, विधान सभाओं में और निकायों में भी प्रतिबिम्बत किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी पूर्णतया उपेक्षा की गई हैं।

महोदय, विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर प्रकाश डाला गया है, वित्त व्यवस्था और शक्तियां होने के कारण नौकरशाही समाप्त हो जायेगी और वे अपनी योजना और मांगों को भी रख सकते हैं। दूसरा, इससे कुछ हद तक भष्ट्राचार भी कम हो जायेगा। लोकतन्त्र में हम हमेशा दो कठिनाइयों का सामना करते हैं एक पक्षपात और दूसरा भष्ट्राचार। और अब इसमें भष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। इसका आम कारण यह है कि गांव एक छोटी इकाई है और लोग आपस में एक दूसरे को जानते है और कोई व्यक्ति किसी को धोखा नहीं दे सकता। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र संदेहास्पद होगा तो उसकी निन्दा होगी। कानूनी सजा से बड़ी सजा निन्दा होती है और अब वे चुने हुए सदस्यों को कुछ नहीं कह सकते। आलोचना करने वाले तो यही कहेंगे कि अधिक शक्तियां होने पर अधिक भष्टाचार होगा। ऐसा नहीं है। क्योंकि जब क्षेत्र छोटा होता है तो लोग उन्हें जानते हैं।

और जब उसकी सम्पत्ति में अपने स्रोतों से अधिक वृद्धि होगी तो निश्चय ही लोग उसकी निन्दा करेंगे और उन्हें नहीं चुनेंगे। अतः इस तरह से भी कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। सामन्ती तत्त्वों और भ्रष्ट लोगों का सत्ता में आने का खतरा हो सकता है। हमारे प्रिय प्रधान मन्त्री ने वचन दिया है कि हम खामियों को दूर करेंगे।

महोदय, जब हम पंचायतों की संरचना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भ्रष्ट तत्त्व और सामंतवादी लोगों का ऊपरी हाथ रहेगा क्योंकि वे धन व जाति की शक्ति का प्रयोग करेंगे। अतः इन बातों को दूर करने के लिए, हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अधिक सुरक्षित रखना होगा। राज्य सरकार द्वारा उन्हें और अधिक संरक्षण देकर उनका ध्यान रखना होगा।

महोदय, महिलाओं के लिए आरक्षण स्वागत योग्य है क्योंकि पहले उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। महिलाओं की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था और नहीं कभी कानून बनाते समय ऐसा कोई प्रयत्न किया गया। स्वतन्त्रता पहले की तरह ही है बराबर का दर्जा हमेशा से रहा है और हमने उन्हें भावात्मक रूप से दर्जा दिया है लेकिन व्यावहारिक रूप से कभी समान दर्जा नहीं दिया। किसी व्यक्ति ने टिप्पणी की है 'महिलाएं सिर पर बैठाने या पैरों तले रौंदने के लिए नहीं हैं लेकिन उसका बराबर का दर्जा है और पुरुष द्वारा उसे संरक्षण दिया जाना चाहिए।" यह दर्जा कवियों द्वारा निरूपित किया गया है कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। वह बराबर के दर्जे की हैं लेकिन अभी तक हमने उनके साथ बराबर का व्यवहार कभी नहीं किया है। समाज इतना अधिक उन्नत नहीं था। हम अधिक रूढ़िवादी और लगभग दम्भी थे। हम जो कुछ कहते थे वह हमने कभी किया नहीं। अतः नारी का विकास बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की को पढ़ाया जाता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। अगर एक पुरुष शिक्षित किया जाता है तो केवल वह ही शिक्षित होगा। इसलिए महिलाओं के लिए आरक्षण से निश्चय ही देश को काफी फायदा होगा जब महिलाएं ऐसी राजनीतिक संस्थाओं में वास्तविक रूप से हिस्सा लेगी तो वे अपनी आकांक्षाओं को जानेगी और भविष्य में अपराध कम होंगे। कोई जलाने या आत्महत्या आदि की घटना नहीं होगी। रूढ़िवादी विचारों से भावनाएं पैदा होती है भावनाएं भावुकता से पैदा होती है और भावुकता अज्ञानवश होती है अतः इन बातों से यह सब दूर होगा। जब वे वास्तविक रूप में लोकतान्त्रिक संस्थाओं में भाग लेंगी तो उनके विकास के मार्ग खुलेंगे और निश्चय ही प्रगति होगी।

तीसरा, इससे किसानों को काफी सहायता मिलेगी। लेकिन इसे कभी भी किसानों का विधेयक नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि किसान गांवों में हैं और वे बहुत-सी बातों से वंचित रहते हैं। वह सूखे व बाढ़ के कारण अपना जीवन निर्वाह करने में कभी समर्थ नहीं रहे हर रोज, वह शहरों से अपनी जरूरत की चीजें खरीदने और अपनी चीजें बेचने के लिए जाते थे। उन्हें बिचौलियों और दलालों द्वारा धोखा दिया जाता था। अब वे अपने पशु चिकित्सालय, अस्पताल, शिक्षा संस्थान बैंक आदि का खुद निर्माण कर अपना साम्राज्य कायम करेंगे और वे स्वयं वन रोपण और वन संरक्षण के कार्य क्रम तैयार कर सकते है क्योंकि वह अपने गांवों की प्रगति में असली भागीदार हैं। अतः इस संस्था द्वारा इन सब चीजों को गांवों में लाने से उनका काफी समय बच जायेगा और उनके बहुमुखी विकास के लिए किसानों के माध्यम से इन तकनीकी कठिनाइयों को सुलझाया जायेगा अन्यथा उनके

लिए किसी को भी सम्पर्क करना बहुत कठिन होता था। गांवों में एक चपरासी भी एक बड़े भूस्वामी पर तानाशाही कर सकता है, क्योंकि वह कुछ अधिक नहीं जानता। लेकिन इस संस्था में वह कार्यों में एक व्यवहारिक हिस्सेदार बन जाता है और वह जान जायेगा कि केन्द्र द्वारा कितनी राशि दी गई है और प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रमों के लिए कितना खर्च किया जाना है। अन्यथा पहले कोई इन्जीनियर योजनाएं बनाया करता था और मार्च महीने के अन्त में थोड़ा खर्च किया करते थे जहां सड़कें होती थी वहां थोड़ी मिट्टी डाल कर सड़क की मरम्मत कर दी जाती थी। उसके बाद रिकार्ड में यह लिख दिया जाता था कि भारी वर्षा से सब कुछ बह गया अब तक इस प्रकार का विकास हुआ करता था। अब ऐसी बात नहीं होगी। अतः इससे इस देश के किसान को निश्चय ही सहायता मिलेगी क्योंकि गांवों में उनका बहुमत है।

राजनीतिक संस्थाएं हमेशा सामाजिक न्याय के समर्थक रहे हैं और सामाजिक न्याय ये संस्थाएं करेंगी क्योंकि इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया है। अब तक दिनों उन्हें गांवों के परिसर से बाहर रखा जाता था और वे अधिकारियों व चुने हुए प्रतिनिधियों के दया के पात्र होते हैं अब वे इन संस्थाओं में हिस्सा ले सकते है और कह सकते हैं कि यह हमारा हिस्सा है और यह हमें मिलना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और इसमें कुछ कमियां हो सकती है। लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है जो कि अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस विधेयक की अवधारण बहुत अच्छी है—यह क्रान्तिकारी है अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम श्रेष्ठ झिरहर (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में 64वें और 65वें संविधान सशोधन बिल पर जो चर्चा हो रही है उसका मैं हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं। इस बिल के द्वारा हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने एक बार पुनः समाजवाद की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में ग्रामीण पंचायत राज को और नगर पालिका को पुनर्गठित करने एवम् पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। कांग्रेस दल या कांग्रेस सरकार के इतिहास का हम अवलोकन करें तो उसके पूर्व इतिहास में हम पायेंगे कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, प्रिवीपर्स को समाप्त करने एवम् बंधुआ मजदूरी को खत्म करने जैसे सारे काम इस सरकार ने करने के लिए ठोस कदम उठाये हैं। जिससे समाजवाद की दिशा में अग्रसर होते हुए यह दल और सरकार साबित होती है। लेकिन इस बिल के द्वारा कुछ नई बातों को लाने की चेष्टा की गई है। यह बात ठीक है कि ग्राम पंचायत का गठन या ग्राम पचायत गांवों में पहले भी काम कर रही थी। हमारे बिहार में और देश के दूसरे राज्यों मे भी यह थी। लकिन हमारे यहां वह मृत प्रायः थी। ग्राम पचायत के जिम्मे कोई धन नहीं था, विकास का कोई कार्य नहीं था, साथ ही उसके जीवन की कोई अवधि नहीं थी। जब राज्य सरकार चाहे चुनाव कराये या न कराये, यह उसकी मर्जी पर निर्भर करता था। आज इस सशोधन से ग्राम पंचायत को पुनर्जीवित या पुनर्गठित करने की दिशा में कदम उठाया गया है इसमें कुछ नई बातों की ओर इशारा हुआ है। जैसे इस बिल के द्वारा हम पंचायतों के गठन की अवधि को मुकर्रर कर रहे हैं और चुनाव आयोग को अधिकार होगा कि वह पंचायतों का गठन करे जैसे लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों का करता है, यह एक नया कदम है। दूसरा नया कदम अनुसूचित जाति और जन जाति, महिलाओं को जो आरक्षण ग्राम स्तर तक इस यूनिट में देने की बात कही गई

है यह अपने आप में एक नया कदम है, सराहनीय कदम है। इसका सर्वत्र स्वागत है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आज हमारे विरोध पक्ष के साथियों ने एक मुद्दे को लेकर एक सस्ती लोक प्रियता का जो परिचय दिया है। मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, मैंने अपने क्षेत्र का भ्रमण किया और यह देखा कि निश्चित रूप से हम जो ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की दिशा में काम करने जा रहे हैं इसका बहुत बड़ा स्वागत जन-साधारण में हो रहा है। जन-साधारण में यह आशा बंधी है कि ग्राम पंचायत अब नाम मात्र की नहीं होगी इसकी अपनी राशि होगी और गांव के विकास का कार्य वहां की सभाओं द्वारा तय किया जायेगा। यह ऐतिहासिक बिल इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो ग्राम के इलाके बहुत उपेक्षित हैं, उनके लोगों की भागीदारी देश के विकास में या अपने विकास में नहीं थी, उन लोगों को जो यह अधिकार दिया गया है इससे काफी आशान्वित वे लोग हुए हैं और निश्चित रूप में समाजवाद की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में प्रधान मन्त्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सोचने की बात यह है कि क्या यह ग्राम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को पुनर्गठित करने की बात जो हम कर रहे हैं ये उस संस्थान तक जा पायेंगी, लगता है सारे समाज को और सारे राजनीतिक दलों को और जो आम बाशिंद हैं उनको इसकी मजबूती में हाथ बंटाना चाहिए। वहीं पर यह भ्रम पैदा होता है कि आज हमारे विपक्ष के साथी जिस तरह की करामात कर रहे हैं, उन्होंने कार्य करने का जो ढंग अपनाया है, उससे लगता है कि विपक्ष हमारे इन बिलों के क्रियान्वयन में किसी न किसी तरह रोड़ा अटकाने का काम करे, ग्राम पंचायत या नगर पालिकाओं के पूर्ण रूप से गठित होने में बाधक सिद्ध हो। इस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि मास-मीडिया के द्वारा और हम लोगों की तरफ से आम जनता में सही बातों का प्रचार-प्रसार किया जाये। उन्हें यह बताया जाये कि आप लोग जिस तरह से अपने प्रतिनिधि चुनकर लोक सभा या पार्लियामेंट में भेजते हैं, वे यहां आकर अपनी किस मंशा का प्रदर्शन करते हैं। ग्राम पंचायत और नगर पालिका से सम्बन्धित बिलों में जिस तरह के प्रावधान हैं, इन दोनों बिलों में जो व्यवस्थाएं की गयी हैं, उनसे ग्रामीण क्षेत्रों और नगर पालिका, शहरी क्षेत्रों का तो विकास होगा ही, दोनों यूनिटस अलग-अलग काम करेंगी, मगर साथ-साथ दोनों के बीच समन्वय के लिये, को आर्डिनेशन के लिये, एक कमेटी बनायी जायेगी। यह भी अपने आप में एक नए कदम है। ऐसा करने का फल यह निकलेगा कि शहरों में जो कुछ हो रहा है, उससे गांव वाले अवगत होंगे और ग्राम पंचायतों में क्या नहीं हो रहा है, शहरी क्षेत्र के लोगों को उसकी जानकारी मिलती रहेगी। यह व्यवस्था एक दूसरे की पूरक या सप्लीमैंटरी है जिससे दोनों के विकास में तेजी आयेगी और देश तीव्र गति से विकास पथ पर अग्रसर होगा।

इन शब्दों के साथ माननीय प्रधानमन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत दोनों संविधान संशोधन विधेयकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, पार्लियामेंट में संविधान के चौंसठवें और पैंसठवें संशोधन विधेयकों पर चर्चा हो रही है इसका सारा श्रेय पंचायतों को जाता है। हमारे यहां तो पहले से ही पंचायतें चुनी हुई हैं लेकिन उन्हें किसी तरह की अब तक पावर नहीं थी। पंचायती राज बिल और नगर पालिकाओं से सम्बधित बिल की आज सारे भारत में चर्चा है और सारे देश के लोग हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने गांवों के विकास की ओर ध्यान दिया, अब गांवों की सुनवाई ज्यादा होने लगेगी। आप जानते हैं कि पहले पंचायतें बहुत

ही नाकारा हुआ करती थीं, उनकी सरकारें में कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी, यदि ग्राम सभा की जमीन पर कोई जबर्दस्ती कब्जा कर लेता था तो ग्राम पंचायत की ओर से पुलिस से रिक्वैस्ट करने पर भी पुलिस उस कब्जे को हटाने नहीं जाती थी बल्कि उल्टे शिकायत करने वाले को डांट मारती थी और इस तरह ग्राम समाज की जमीनों पर नाजायज कब्जे बढ़ते ही चले जा रहे थे। आज इन संविधान संशोधन विधेयकों के द्वारा हम ग्राम पंचायतों को अनेक अधिकार देने जा रहे हैं. अब उनके पास पूरी पावर्स होंगी पुलिस का उन्हें संरक्षण प्राप्त होगा पुलिस के कर्मचारी बाकायदा अनऔथोराइज्ड कब्जे को हटाने जायेंगे और ग्राम समाज की भूमि भी सुरक्षित रहेगी। अब गांवों का विकास ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जायेगा जैसे गलियों को बनाने का काम, गंदे पानी की निकासी का काम, पेयजल की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त पंचायतों को अनेक सहूलियतें भी मिलने लगेंगी। अब ग्राम सभा के चुने हुए नुमाइन्दे विभिन्न कामों के खुद इस्टीमेंट बनाया करेंगे और सरकारी अधिकारी उन्हीं के पास जायेंगे। पहले वे एस्टीमेट बनकर शहरों में आते थे, अधिकारियों के पास आते थे। अब स्थिति बदल जायेगी। पहले जिस काम को होने में 6 महीने लग जाते थे, अब वही काम 6 दिन या 15 दिन में हो जायेगा, जिससे गांव वालों को काफी आराम पहुंचेगा। पंचायती राज बिल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने महिलाओं के लिये 30 परसेंट सीटें रिजर्व करने की व्यवस्था की है और कुछ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिये भी रिजर्व किये गये हैं। मैं समझता हूं कि इससे उन गरीब लोगों की भी अब सुनवाई होने लगेगी, उन लोगों के नुमाइन्दे भी चुनकर ग्राम सभाओं में आयेंगे, पंच बनेंगे और वे अपनी हिफाजत खुद करने में समर्थ होंगे। मैं समझता हूं कि इससे गांवों का तेजी से विकास हो पायेगा। सबसे बड़ा लाभ इन बिलों के जरिये यह हुआ है कि म्युनिसिपैलिटीज की तरफ से या दूसरे महकमों की तरफ से पहले जो सामान गांवों में लगता था, जैसे किसी गांव में ईंट लगानी हैं, और हमारे यहां पीली ईंटें लगायी जाती हैं। लेकिन जिस वक्त गांव पंचायत के प्रधान और ग्राम सभा के मैम्बर उस पर अपनी तरफ से अपना अच्छा माल लगाएंगे और वह सारा का सारा पैसा जितना सरकार की तरफ से जाएगा, वह गांव में लगेगा, उसमें बीच का बिचौलिया, जो आधे पैसे को ले लेता था, वह अब नहीं होगा और सारा पैसा गांव में लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं—नगरपालिका में भी गरीब लोग रहते हैं जैसे जे-जे कालौनी है, पास शुदा कालौनियां हैं, उनमें भी गरीब लोग रहते हैं और वे नगरपालिकाओं के जिम्मे होती हैं। उनमें भी ऐसा ही होना चाहिए और उनको भी अपने पंच बनाने का हक हासिल होना चाहिए जिससे वे गरीब लोग भी अपने पानी का, बिजली का और बारात घर का इन्तजाम कर सकें और ये सुविधाएं भी उन लोगों तक पहुंचें। हर तरह की सहूलियत उनको देनी चाहिए। आज वे लोग समझ रहे हैं कि हमारी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान दिया है और अब हम इसमें ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा—जिस तरह से पंचायतों के चुनाव होते हैं, ग्राम सभा उनका चुनाव करती है और जो ग्राम सभाओं के अच्छे पंच होते हैं वे अपना एक पंच चुनते हैं और वे आपस में बैठकर बहस करते हैं और बात करते हैं, उसके बहुत अच्छे नतीजे निकलते हैं। यह

महात्मा गांधी जी और पं० जवाहर लाल नेहरू का स्वप्न थ जिसको आज हमारे प्रधान मन्त्री पूरा करने जा रहे हैं। इसमें हम यही समझते हैं कि ये हमारे सामने पूरा अपोजीशन गायब हैं, इन्होंने इसी बात के लिए इस्तं फा दिया है जिससे इस तरह के विधेयकों से सरकार पब्लिक को फायदा न पहुंचा सके। किन इससे गरीब लोगों को फायदा होगा आम पब्लिक को फायदा होगा, झुग्गी-झोंपड़ी वालों को फायदा होगा. अनौथोराइज्ड कालौनी वालों को फायदा होगा गांव के लोगों का विकास होगा, गांव अच्छी तरह से विकसित होंगे। जो छोटी आबादी के गाँव हैं उनमें बहुत कम पैसा लगेगा, जो शहरी कस्बे हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा पैसा गांव की पंचायत लगाएगी। अभी मेरे इलाके में मैं खद गया था और गांव के प्रधानों को तकरीबन किसी को 60 हजार और किसी को 80 हजार रुपए पहली किस्त के रूप में मिले हैं और उसमें 25 पंचायतें रह गई हैं। सोलह सौ पंचायतों में से सिर्फ 25 पंचायतें रह गई हैं। उन पंचायतों को भी पैसे दें जिससे वे अपनी पंचायत के गांव में अच्छा काम करके दिखला सकें और गांव के लोगों को अच्छी सहूलियतें मिलें, प्राईमरी स्कूल के लिए सफाई के लिए हर तरह से प्रधान अपने गांव के विकास के लिए कार्य करेगा। इसमें गांव वालों को बहुत सहूलियत होगी।

[अनुवाद]

प्रो० मिजिनलंग कामसन (बाह्य मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दो विधेयकों-64वां तथा 65वां संविधान सशोधन विधेयकों का तहेदिल से स्वागत करता हूं जिन्हें आमतौर पर पंचायती राज विधेयक तथा नगरपालिका विधेयक कहा जाता है। इन विधेयकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण तथा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिनका अर्थ है कि शक्ति लोगों को दी गई है तथा स्थानीय मामलों के लिए स्थानीय कराधान के सिद्धान्त पर कर लगाने की शक्ति सहित विशेष वित्तीय शक्ति दी गई है तथा सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक सुरक्षोपायों का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि इन उपायों के कारण ये विधेयक यथासम्भव सर्वोत्तम हैं जिनकी हम किसी लोकतांत्रिक समाज में कल्पना कर सकते हैं।

1984 में चुनाव के बाद राजीव गांधी के पुनः प्रधान मन्त्री बनने के बाद से उन्होंने प्रथम ऐतिहासिक विधेयक अर्थात दलबदल विरोधी विधेयक प्रस्तुत किया जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास पर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है जिसका यह मतलब है कि इसने निर्वाचित प्रतिनिधियों के राजनैतिक व्यवहार का मार्गनिदेशन किया है। यह इस आठवीं लोक सभा के प्रारम्भ में हुआ था। अब इस लोक सभा के अन्तिम सत्र में हमारे सम्मुख एक और विधेयक है जो कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वस्तुतः अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है।

जैसा कि अनेक सदस्यों ने कहा है, इसने लोगों को शक्ति दी है। वास्तव में यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के द्वारा राम राज्य की संकल्पना को मूर्त रूप देना है। मैं समझता हूं कि यदि कोई इस संकल्पना को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी है तो वह राजीव जी हैं। हम वास्तव में उनका धन्यवाद करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। इसके साथ ही सम्बन्धित मन्त्रालय, जो इन विधेयकों को लाए हैं, हमारी बधाई के पात्र हैं।

इन अच्छी बातों के बावजूद, कम से कम विपक्षी सदस्यों का चले जाना वास्तव में खेदपूर्ण है। विपक्षी सदस्यों के पास यहां से भाग जाने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं था क्योंकि यदि वे इसी सभा में इन विधेयकों का सामना करते तो वे जनता की नजरों में अत्यधिक खराब स्थिति में होते। इसलिए उन्हें इन विधेयकों का समर्थन करने से दूर भाग जाना पड़ा। यदि इन विधेयकों का इस सभा या राज्य सभा द्वारा पारित नहीं भी किया गया तो भी लोग उनको हराएंगे जिन्होंने इन विधेयकों का विरोध किया है। इसलिए स्वयं को बचाने के लिए उन्हें इस्तीफे देने पड़े। वे इस सभा से बाहर भी इन विधेयकों का विरोध नहीं कर सकते। यदि वे विरोध करेंगे तो लोग उन्हें आगामी चुनावों में अच्छा सबक सिखायेंगे। ये विधेयक इस समय निश्चित रूप से विपक्ष को समाप्त कर रहे हैं। वे इससे बच नहीं सकते। इसलिए मैं इन विधेयकों को विपक्ष को समाप्त करने वाले विधेयक कहना चाहूंगा। यदि वे इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करें तभी किसी तरह वे आगामी लोक सभा में थोड़े से स्थान प्राप्त कर सकेंगे लेकिन यदि वे विरोध करेंगे, जैसा कि आज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे आगामी चुनावों में हार जाएंगे। फिर भी, हमें यह कहते हुए खेद है कि उनकी दयनीय दशा के बावजूद हम उनकी सहायता नहीं कर सकते क्योंकि एक निर्वाचित प्रतिनिधि होते हुए कोई भी इस प्रकार से नहीं भाग सकता। यह तो एक प्रकार से उन मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने उनको चुना था। इन निर्वाचित सदस्यों के लिए भी यह गैर जिम्मेदाराना तरीका है।

महोदय, इन विधेयकों में अनेक अच्छी बातें हैं फिर भी मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रालय को कुछ मुद्दे याद दिलाना चाहता हूं, हालांकि ये विधेयक से थोड़ा हट कर हैं लेकिन ये इनसे जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायतों के प्रतिरूप, मणिपुर के पहाड़ी जिलों के लिए छठी अनुसूची का विस्तार न करने के कारण यह एक अपूर्ण विधेयक है मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना चाहता हूं कि मणिपुर में, जहां पर जिला परिषदें हैं वहां कोई पंचायत नहीं है और नगरपालिका भी नहीं है। जिस प्रकार यह विधेयक सभी पंचायतों के लिए व्यवस्था कर रहा है उसी प्रकार संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत ये सभी पहाड़ी जिला परिषदें कार्य करें। जैसे ही ये विधेयक पारित होंगे, सारा देश या तो ग्रामीण निकायों के अन्तर्गत आ जाएगा जिन्हें पंचायतों कहते हैं अथवा शहरी निकायों के अन्तर्गत होगा, जिन्हें नगरपालिका अथवा महानगर परिषद या लघु नगर समितियां कहते हैं। यह सारे देश पर लागू होगा। केवल मणिपुर के छ पहाड़ी जिले बच जाएंगे। ये न तो पंचायतों के अन्तर्गत हैं और न ही शहरी निकायों अथवा छठी अनुसूची के अन्तर्गत हैं। ये स्थानीय निकायों को कोई शक्ति दिए बगैर ही रह जाएंगे और लोकतन्त्र की कोई शक्ति भी नहीं होगी जिसकी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अपेक्षा करना सबसे अभीष्ट है।

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत अफसोस है कि मैं मणिपुर के पहाड़ी जिले का प्रतिनिधि हूं जहां पर न तो आपकी पंचायतें होंगी और न ही शहरी निकाय और छठी अनुसूची होगी और लोग इनसे वंचित रह जाएंगे, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी। मैं गृह मन्त्रालय तथा प्रधान मन्त्री से पहले ही अनुरोध कर चुका हूं। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि इस सत्र में एक और विधेयक प्रस्तुत किया जाए जिसमें भारतीय संविधान की छठी अनुसूची को मणिपुर के छः पहाड़ी जिलों में लागू किया जाए। मैं समझता हूं कि केवल तभी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

की अवधारणा पूर्ण होगी। यह मेरा अनुरोध है। आप कृपया इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय तथा प्रधान मन्त्री को याद दिलाएं।

श्री जनार्दन पुजारी सहित अनेक सदस्यों ने संविधान के मौलिक स्वरूप का उल्लेख किया है। निःसन्देह, मैं इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता; यह अवधारणात्मक अधिक है और इस विधेयक से अधिक सम्बन्धित नहीं है। लेकिन विपक्ष से एक सदस्य, जिनका नाम श्री शाहबुद्दीन है, कह रहे थे कि यह विधेयक संविधान के मौलिक स्वरूप को प्रभावित करेगा। अब मेरा कथन यह है। मेरे विचार से दो पहलू हैं। एक तो यह है कि क्या यह वास्तव में मौलिक स्वरूप को प्रभावित करेगा और दूसरा यह कि क्या वास्तव में मौलिक स्वरूप है या नहीं। महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं आपके माध्यम से मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय की अवधारणात्मक नीति है जिसे मैं इस सम्मानित सभा के सदस्य के रूप में स्वीकार करना पसन्द नहीं करता।

मैं समझता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह मौलिक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता क्योंकि यह विधेयक, जैसा कि उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में कहा गया है भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 का विस्तार है। यदि आप भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक स्वरूप के रूप में, मौलिक विशेषता के रूप में स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से यह विधेयक उस स्वरूप का एक भाग है। यह विधेयक इससे दूर नहीं ले जाता। यह तो निदेशक सिद्धान्तों का विस्तार करता है, व्याख्या करता है तथा इन्हें और अधिक प्रभावी बनाता है। इसलिए, इस विधेयक द्वारा मौलिक स्वरूप को प्रभावित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

मैं दूसरा पहलू यह बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची को स्वयं संविधान के निर्माताओं ने तैयार किया था। मौजूदा विधेयक में भी यही करने का प्रस्ताव है, अर्थात्, स्थानीय निकायों को और अधिक शक्तियां देने का प्रस्ताव है। पहाड़ी क्षेत्रों में जिला परिषद घाटी क्षेत्रों में पंचायत के समकक्ष ही हैं। केवल नाम में अन्तर है। संविधान बनाते समय, संविधान के निर्माताओं ने अनेकों घन्टे और अनेकों दिन लगाकर विस्तार पूर्वक चर्चा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्तियां जनता को दी जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में छठी अनुसूची को शामिल किया वर्तमान विधेयक के द्वारा हम ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची जोड़ रहे हैं। अतः इस विधेयक का स्वरूप छठी अनुसूची का जैसा है। यदि छठी अनुसूची आधारभूत ढांचे के विरुद्ध नहीं है, तो यह विधेयक किस प्रकार आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो सकता है? अतः इसमें मतभेद है। यह स्वीकार्य नहीं है।

जिस अन्तिम मुद्दे की ओर मैं मन्त्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है। इस वाद-विवाद को उच्चतम न्यायालय के आधारभूत ढांचे पर चर्चा करने का सुअवसर माना जाना चाहिए। मैं यह अच्छा नहीं मानता हूं। यह मेरी राय है। भारत का उच्चतम न्यायालय कोई वैचारिक सिद्धान्त बना रहा है जो हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है। वे अमरीकी उच्चतम न्यायालय की पद्धति अपना रहे हैं। निश्चय ही संविधान के निर्माता ने पहले इस सम्बन्ध में चर्चा की थी कि क्या

हमें भारतीय उच्चतम न्यायालय को अमरीकी उच्चतम न्यायालय की जैसी शक्ति देनी चाहिए। "कानूनी प्रक्रिया के द्वार" वाक्यांश समाविष्ट करने के लिए प्रस्तावित किया गया किंतु फिर अस्वीकार किया गया। उन्होंने विस्तारपूर्वक चर्चा की और अन्त में हमारे संविधान के निर्माता इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि भारतीय उच्चतम न्यायालय को "कानून की प्रक्रिया द्वारा" कार्य करना चाहिए। "अतः उन पर किसी कानून के द्वारा सीमा लगाई गई। किंतु हमारा उच्चतम न्यायालय सदा संसद की शक्ति में रुकावटें डालता है। भारत में संसद सर्वोपरि है। यदि संसद कोई निर्णय लेता है तो उच्चतम न्यायालय को कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय, भारत में प्रत्येक सामाजिक कानून में बाधा, अड़चन और रुकावट बन कर सामने होता है। उदाहरण के तौर पर इसने बैंकों के राष्ट्रीयकरण में बाधा डाल दी। गोकलनाथ मामले में भी उन्होंने निश्चय किया कि मूलभूत अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। किंतु हमने किसी प्रकार से यह 24वां और 25वां संशोधन बदल दिया है। केशवानन्द भारती के मामले में भी उन्होंने कहा कि इसमें संविधान के कुछ मूलभूत ढांचे थे। किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि ऐसे विशेष अनुच्छेद कौन-कौन से हैं जिन्हें मूलभूत ढांचा मान लिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आधारभूत ढांचा केवल उनकी कल्पना में है। जब कभी भी संसद से कानून आते हैं तो वे उस कानून पर विचार विमर्श करते हैं और इसको रोकना चाहते हैं। वे संसद से शक्ति हथियाना चाहते हैं जो लोकतन्त्र के खिलाफ है।

महोदय, अतः मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब कल नेता इस प्रश्न का उत्तर देंगे, तो वह इस मुद्दे का उत्तर देना न भूलें। उन्हें इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहिए और संसद को सर्वोच्च करार देना चाहिए और केवल ऐसा करने से ही हमारा लोकतन्त्र अर्थपूर्ण होगा।

कार्य-मन्त्रणा समिति

74वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय, मैं कार्य-मन्त्रणा समिति का 74वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म०प० तक के लिए स्थगित होती है।

7.35 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 10 अगस्त 1989/19 श्रावण, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : एस० नारायण एण्ड संस दिल्ली-6